सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

राजस्व क्षेत्र

राजस्थान सरकार

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या 2

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

राजस्व क्षेत्र

राजस्थान सरकार
वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना	–	vii
विहंगावलोकन	–	ix - xiv
अध्याय-I: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
लेखापरीक्षा टिप्पणियों की ओर सरकार/विभाग की अनुक्रिया	1.2	5
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	1.2.1	5
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.2.2	7
विभागों की अनुक्रिया	1.2.3	7
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति	1.2.4	8
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालना	1.2.5	8
लेखापरीक्षा योजना	1.3	9
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.4	10
वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति	1.4.1	10
यह प्रतिवेदन	1.4.2	10
अध्याय-II: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर		
कर प्रशासन	2.1	11
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2.2	11
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	2.3	12
मूल्य परिवर्धित कर का प्रति करदाता संग्रहण	2.4	13
संग्रहण की लागत	2.5	13
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	2.6	13
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	2.7	14
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.8	15

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
'मूल्य परिवर्धित कर (वेट) एवं केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) के निर्धारण एवं संग्रहण'	2.9	16
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	2.10	42
अधिनियमों/नियमों एवं अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना	2.11	42
करयोग्य टर्नओवर पर कर का कम/अनारोपण	2.11.1	43
कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	2.11.2	45
प्रशमन योजनाओं में कर की गलत स्वीकृति प्रदान करना	2.11.3	46
प्रवेश कर का कम/अनारोपण	2.11.4	50
मनोरंजन कर का अवनिर्धारण	2.11.5	51
अध्याय-III: मोटर वाहनों पर कर		
कर प्रशासन	3.1	53
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	3.2	53
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	3.3	54
संग्रहण की लागत	3.4	54
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	3.5	55
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	3.6	55
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.7	56
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	3.8	57
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना	3.9	57
मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना	3.10.1	58
एकमुश्त कर की बकाया किस्तों की अवसूली/कम वसूली	3.10.2	60
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मंजिली वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर की कम वसूली	3.10.3	61
परिवहन विभाग द्वारा चालक अनुज्ञापत्र जारी किये जाना	3.11	61

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय-IV: भू-राजस्व		
कर प्रशासन	4.1	69
राजस्व की प्रवृत्ति	4.2	69
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	4.3	70
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	4.4	71
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	4.5	71
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.6	72
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	4.7	73
नियमों/परिपत्रों के प्रावधानों की अनुपालना न होना	4.8	73
भूमि की लागत की कम वसूली/अवसूली	4.9	74
राजकीय भूमि के आवंटन में राजस्थान पर्यटन नीति 2007 की पालना नहीं करना	4.9.1	74
भूमि की लागत की अवसूली	4.9.2	75
भूमि की कीमत की कम वसूली	4.9.3	77
राजस्थान कॉ-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. को आवंटित भूमि की कीमत की अवसूली	4.9.4	78
रूपान्तरण प्रभारों की कम वसूली	4.10	78
रूपान्तरण प्रभारों तथा ब्याज का जमा न कराया जाना	4.11	80
मोबाईल टॉवरों पर रूपान्तरण प्रभार तथा शास्तियाँ	4.12	81
लीज राशि तथा ब्याज की कम वसूली/अवसूली या कम जमा कराया जाना/जमा नहीं कराया जाना	4.13	82
बकाया की अवसूली	4.13.1	82
लीज राशि की कम वसूली	4.13.2	83
राजकीय खाते में भूमि कर को जमा न कराना	4.13.3	84
राजकीय खाते में राजकीय अंश देरी से जमा कराने पर ब्याज प्रभारित करने का प्रावधान न होने से संभावित हानि	4.14	84
आवंटन में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन	4.15	86

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय-V: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		
कर प्रशासन	5.1	87
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	5.2	87
बकाया राजस्व का विश्लेषण	5.3	88
संग्रहण की लागत	5.4	89
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	5.5	89
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्य प्रणाली	5.6	90
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.7	91
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	5.8	92
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना	5.9	92
पट्टा विलेखों का अवनिर्धारण/निष्पादन नहीं किया जाना	5.10	93
पट्टा विलेखों के पंजीयन में मालियत की गणना में ब्याज राशि को शामिल नहीं करने से मुद्रांक कर (मु.क.) का कम आरोपण	5.10.1	93
किराये के साथ प्रीमियम आदि पर स्वीकृत पट्टा विलेखों पर मु.क. तथा पं.शु. का कम आरोपण	5.10.2	94
विकास अनुबंध पर मु.क. तथा पं.शु. का कम आरोपण	5.11	95
राज्य के बाहर निष्पादित अनिरस्तनीय मुख्तयारनामें के आधार पर विक्रय-पत्र का अनियमित पंजीयन	5.12	98
सम्पतियों का अवमूल्यांकन	5.13	99
विभाजन-पत्र पर मु.क. का अनारोपण	5.14	101
ट्रांन्सफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाईन्मेंट के दस्तावेज पर मु.क. आरोपण का अभाव	5.15	102
मु.क. में दी गई अनियमित छूट की वसूली का अभाव	5.16	103
अध्याय-VI: राज्य आबकारी शुल्क		
कर प्रशासन	6.1	105
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	6.2	105

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	**पृष्ठ**
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	6.3	106
संग्रहण की लागत	6.4	106
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	6.5	107
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्य प्रणाली	6.6	107
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.7	108
चिरे हुए डोडा पोस्त के विक्रय एवं उपभोग से प्राप्तियाँ	6.8	109
अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	6.9	139
अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं करना	6.10	139
होटल बार अनुज्ञापत्र शुल्क की कम वसूली	6.10.1	140
कम्पोजिट दुकानों की वार्षिक अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/ कम वसूली	6.10.2	142
परमिट शुल्क की अवसूली	6.10.3	143
अध्याय-VII: कर-इतर प्राप्तियाँ		
प्रस्तावना	7.1	145
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	7.2	145
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	7.3	146
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्य प्रणाली	7.4	146
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.5	147
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	7.6	148
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अवहेलना	7.7	148
चूनापत्थर खनन पट्टों की अप्रधान खनिज के लिए अनियमित स्वीकृति	7.7.1	149
खनिजों का अवैध उत्पादन	7.7.2	150
खनिज चूना पत्थर (सीमेन्ट ग्रेड) की अधिशुल्क की वसूली का अभाव	7.7.3	152
लोक निर्माण ठेकेदारों द्वारा खनिज का अनाधिकृत उत्खनन व उपयोग	7.7.4	153

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	**पृष्ठ**
खनन योजना/प्लान को अनुमोदित कराये बिना खनिज का उत्खनन	7.7.5	155
खनन पट्टे का अवैध रूप से किराये पर देना	7.7.6	157
अनाधिकृत रूप से उत्खनित व निर्गमित खनिज की कीमत की मांग कायमी का अभाव	7.7.7	158
खनिज की कीमत की मांग कम कायम/कायम नहीं करना	7.7.8	159
राज्य सरकार के आदेश में कमी से अधिशुल्क की कम वसूली	7.7.9	161
प्रशमन शुल्क की वसूली नहीं करने से राजस्व हानि	7.7.10	163
एस.एम.एस. ग्रेड चूना पत्थर के अधिशुल्क की कम वसूली	7.7.11	164
ब्याज का अनारोपण	7.7.12	165
बिना अभिवहन पास के खनिज का निर्गमन	7.7.13	166
स्टोन क्रेशरों पर उपयोग में लिए खनिज की कीमत की मांग कायम नहीं करना	7.7.14	167
संविदा निष्पादन के अभाव में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की हानि	7.7.15	168

प्रस्तावना

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। यह प्रतिवेदन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करता है, जिसमें बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, मोटर वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, राज्य आबकारी शुल्क सहित राज्य की अन्य कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2011-12 के दौरान अभिलेखों की मापक लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुरूप की गई थी।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित एक **'मूल्य परिवर्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के निर्धारण एवं संग्रहण'** पर निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 43 अनुच्छेद सम्मिलित है। जिनमें ₹ 763.52 करोड़ अन्तर्निहित है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है:

I. सामान्य

वर्ष 2010-11 में ₹ 45,928.20 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 57,010.76 करोड़ थी। कर राजस्व ₹ 25,377.05 करोड़ तथा कर-इतर राजस्व ₹ 9,175.10 करोड़ को समाविष्ट करते हुऐ सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व की राशि ₹ 34,552.15 करोड़ थी। भारत सरकार से प्राप्तियां ₹ 22,458.61 करोड़ (संघ के विभाज्य करों में से राज्य का भाग: ₹ 14,977.05 करोड़ तथा सहायतार्थ अनुदान: ₹ 7,481.56 करोड़) थी।

(अनुच्छेद 1.1)

2,628 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 5,958.95 करोड़ सन्निहित के 8,260 अनुच्छेद जून 2012 के अन्त तक बकाया थे। उपर्युक्त में से 922 निरीक्षण प्रतिवेदनों के ₹ 438.63 करोड़ के 1,829 अनुच्छेद पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे।

(अनुच्छेद 1.2.1)

वर्ष 2011-12 के दौरान की गई मापक जाँच में 47,716 प्रकरणों में ₹ 3,119.98 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण तथा राजस्व हानि का पता चला। सम्बन्धित विभागों ने 17,146 प्रकरणों में सन्निहित ₹ 1,110.74 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 1,013.90 करोड़ सन्निहित के 3,896 प्रकरण वर्ष 2011-12 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये गये थे। विभागों ने वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा के आधार पर 8,789 प्रकरणों में ₹ 44.26 करोड़ वसूल किये।

(अनुच्छेद 1.4.1)

II. बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

'मूल्य परिवर्धित कर (वेट) एवं केन्द्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) के निर्धारण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- 24 व्यवहारियों के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने बेलेन्सशीट, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं अन्य अभिलेखों को व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत की गई वेट विवरणियों के साथ संलग्न सम्बन्धित प्रपत्रों को सत्यापित नहीं किया। इसके पणिामस्वरूप ₹ 8.67 करोड की अवमूली/कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.9.8)

- चार प्रकरणों में माल की बिक्री को कार्य संविदा मानकर गलत वर्गीकरण करने एवं दो प्रकरणों में कर मुक्ति शुल्क के गलत आरोपण के परिणामस्वरूप ₹ 1.13 करोड़ की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.9.10)

- पांच व्यवहारियों के आगत कर क्रेडिट (आई.टी.सी.) के दावों की जांच करने पर पाया कि व्यवहारी या तो आई.टी.सी. के हकदार नहीं थे या उनके द्वारा हकदारी मे अधिक आई.टी.सी. के दावे किये गये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.30 करोड़ की आई.टी.सी. अधिक स्वीकृत की गई और ₹ 53.22 लाख का ब्याज भी आरोपणीय था।

(अनुच्छेद 2.9.11)

- विभिन्न कर मुक्ति/आस्थगन योजनाओं के अन्तर्गत वेट आस्थगन की गलत गणना, मांग कायम नही करने और अनुदान की गलत स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 13.37 करोड़ का अधिक आस्थगन हुआ।

(अनुच्छेद 2.9.12.1 से 2.9.12.3)

- केन्द्रीय बिक्री कर नियमों के विरूद्ध केन्द्रीय बिक्री कर घोषणा प्रपत्रों को निर्धारण के बाद स्वीकार करने के परिणामस्वरूप 16 प्रकरणों में ₹ 46.74 करोड़ की अनियमित रियायत/छूट दी गई।

(अनुच्छेद 2.9.13.1)

- विभाग में ऐसी कोई निगरानी प्रणाली नहीं थी, जिससे यह सत्यापन हो सके कि व्यवहारी द्वारा जिस उद्देश्य के लिये माल क्रय किया गया, उसी हेतु उसका उपयोग हुआ। इसके अतिरिक्त, घोषणा पत्रों या प्रमाण-पत्रों के गलत उपयोग के मामलें में शास्ति लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। व्यवहारी को वैयक्तित रूप से फायदा पहुंचाने के लिये अधिसूचनाओं के नियमों एवं शर्तो में बार-बार छूट दिया जाना पाया गया।

(अनुच्छेद 2.9.14)

- सात वृत्तों के 25 व्यवहारियों के मामलों में वेट विवरणियाँ प्रस्तुत करने और वेट राशि जमा कराने मे विलम्ब हुआ, यद्यपि, ₹ 18.09 लाख की शास्ति आरोपित नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.9.16)

निर्धारण अधिकारियों द्वारा छः प्रकरणों में निर्धारणों को अन्तिम रूप देने में की गई गलतियों के कारण करयोग्य टर्नओवर के अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 38.05 लाख के ब्याज सहित ₹ 1.54 करोड़ की कर देयता थी।

(अनुच्छेद 2.11.1)

सर्राफा/जेम्स एवं स्टोन्स व्यवहारियों, ईंट भट्टा मालिकों, पेट्रोलियम व्यवहारियों एवं टेन्ट व्यवहारियों को प्रशमन योजना की गलत स्वीकृति के परिणामस्वरूप 23 प्रकरणों में ₹ 1.05 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.11.3)

राज्य के बाहर से व्यवसाय में उपयोग या उपभोग करने के लिये माल क्रय किया, जिस पर प्रवेश कर आरोपित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 14.66 लाख ब्याज सहित ₹ 61.52 लाख के कर की अवसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.11.4)

निर्धारण अधिकारी द्वारा मनोरंजन कर के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 2.92 करोड़ के कर एवं ₹ 1.07 करोड़ के ब्याज का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.11.5)

III. मोटर वाहनों पर कर

अप्रेल 2007 से मार्च 2011 की अवधि हेतु 5,052 वाहनों के संबंध में मोटर वाहन कर व विशेष पथ कर ₹ 14.99 करोड़ का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.10.1)

172 वाहनों द्वारा एकमुश्त कर ₹ 66.92 लाख का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया, परिणामस्वरूप राजस्व की कम/अवसूली रही।

(अनुच्छेद 3.10.2)

अनुज्ञापत्र जारी किये जाने हेतु प्राप्त 1,100 आवेदन पत्र की जांच में 469 में कमियाँ जैसे कि अनिवार्य सूचना का अभाव, प्रार्थी के हस्ताक्षर के बिना आवेदन पत्र होना इत्यादि का पता चला।

(अनुच्छेद 3.11.2)

'इन हाउस' सॉफ्टवेयर में विद्यमान अनुज्ञापत्रधारियों को, उनके द्वारा विभिन्न वर्गों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन करने पर, शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र परीक्षा से छूट देने हेतु संबंधी कोई प्रावधान नहीं था। उप कार्यालयों में स्पर्श स्क्रीन मशीन स्थापित नहीं की गई थी तथा प्रारम्भिक परीक्षा मानवीय तौर पर ली गई थी।

(अनुच्छेद 3.11.3.1)

'सारथी' और 'इन हाउस' सॉफ्टवेयर में ऐसे अनुज्ञापत्रधारियों, जिन्होनें कोई उल्लघंन किया था, की सूचना रखने का कोई प्रावधान नहीं था मानवीय ऐसे उल्लघंनों पर निगरानी हेतु कोई पंजिका का संधारण नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 3.11.4)

विभाग के कई कार्यालयों में आवेदकों के लिये आधारभूत सुविधायें जैसे: पीने का पानी, छाया, सुविधायें और बैठने की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं थी।

(अनुच्छेद 3.11.7)

IV. भू-राजस्व

पूर्व संशोधित नियमों को लागू करने के कारण ₹ 5.05 करोड़ की भूमि ₹ 0.56 करोड़ में आवंटित की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.49 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.9.1 (i))

राजस्व विभाग द्वारा भूमि आवंटन के लिए राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 को संशोधित नहीं किये जाने के जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.13 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति का अभाव रहा।

(अनुच्छेद 4.9.1 (ii))

वायु सेना तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कब्जेशुदा भूमि के नियमन हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप भूमि की लागत ₹ 487.58 करोड़ की प्राप्ति नहीं हुई। इसके अतिरिक्त दो अन्य प्रकरणों में भूमि की लागत ₹ 3.19 करोड़ वसूल नहीं की गई।

(अनुच्छेद 4.9.2)

खातेदारी भूमि को आवासीय/शैक्षणिक/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर कंपनियों/व्यक्तियों/संस्थानों से भूमि के रूपांतरण प्रभारों तथा शास्ति की राशि ₹ 1.28 करोड़ वसूल नहीं की गई।

(अनुच्छेद 4.12)

नगर विकास न्यास द्वारा भूमि कर तथा ब्याज के राजकीय अंश ₹ 5.44 करोड़ को राजकीय खाते में जमा नहीं करवाया गया।

(अनुच्छेद 4.13.3)

V. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

विकास अनुबंध के अपंजीयन/गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क के ₹ 1.27 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.11)

भू-रूपांतरण के तथ्यों को छुपायें जाने के कारण सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन तथा भूमि के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क के ₹ 2.20 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.13)

ट्रॉंसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाईन्मेंट के दस्तावेजों पर मुद्रांक कर ₹ 49.45 लाख का आरोपण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 5.15)

VI. राज्य आबकारी शुल्क

वर्ष 2009-10 और 2010-11 में 12,759 अनुज्ञाधारी चिरे डोडा पोस्त के कृषकों द्वारा घोषणा पत्र जमा नहीं कराये गये थे। विभाग द्वारा इन घोषणा पत्रों को एकत्रित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 6.8.5)

आबकारी निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत चिरे डोडा पोस्त की अनुपलब्धता के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट अपूर्ण व असंगत थी।

(अनुच्छेद 6.8.6)

घोषणा पत्रों का संग्रहण विभाग के स्थान पर उत्पादन क्षेत्र के अनुज्ञाधारी द्वारा किया गया। आगे विभाग द्वारा पत्रों का कोई सत्यापन नहीं किया गया और अपूर्ण व सन्देहास्पद घोषणा पत्रों को स्वीकार कर लिया गया।

(अनुच्छेद 6.8.7 और 6.8.8)

विभाग द्वारा थोक अनुज्ञाधारियों को 11,760 कि.ग्रा. बिना चिरे डोडा पोस्त हेतु परमिट नियमों व अनुज्ञापत्र जारी करने की शर्तों के विरूद्ध जारी किया गया था।

(अनुच्छेद 6.8.10)

अनुज्ञाधारियों द्वारा वर्ष 2009-11 में ₹ 228.89 करोड़ अनुज्ञाशुल्क, क्रय मूल्य, आबकारी शुल्क, वेट आदि पर व्यय किये गये थे जहाँ अनुज्ञाधारियों द्वारा चिरे डोडा पोस्त के विक्रय से कुल ₹ 184.22 करोड़ प्राप्त किये गये थे परिणामस्वरूप ₹ 44.67 करोड़ का स्पष्ट घाटा था। जिसे सरकार को मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

(अनुच्छेद 6.8.12)

विभाग द्वारा 2,131 व्यसनियों के परमिटों का वर्ष 2009-11 में तीन से बीस वर्ष की अवधि के बाद नवीनीकरण किया गया जबकि नियमों में एक वर्ष की समाप्त अवधि के पश्चात् नवीनीकरण का प्रावधान नहीं था।

(अनुच्छेद 6.8.15)

चिरे डोडा पोस्त के 339 व्यसनी एक माह में जोधपुर स्थित एक निजी नशा मुक्ति केन्द्र (मैसर्स राजस्थान फार्मेसिया) में पंजीकरण किये गये थे जिनके पास राज्य आबकारी विभाग का परमिट नहीं था जो यह दर्शाता है कि काफी मात्रा में चिरे डोडा पोस्त के व्यसनी बिना परमिट के राज्य में है।

(अनुच्छेद 6.8.23.2)

विभाग द्वारा होटल बार अनुज्ञापत्रों पर अनुज्ञाफीस का आरोपण 'हेरिटेज होटल' के रूप में भारत सरकार से 'हेरिटेज होटल' का प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना किया गया। बिना सत्यापन के तद्र्थ अनुज्ञापत्र जारी किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 63.00 लाख की हानि हुई।

(अनुच्छेद 6.10.1(i))

VII. कर-इतर प्राप्तियाँ

खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग

भवन निर्माण सामग्री के रूप में चुना पत्थर के 28 खनन पट्टे स्वीकृत किए गये। लेकिन पट्टेधारियों द्वारा पट्टे की शर्तो का उल्लंघन करते हुए खनिज को सीमेंट फैक्ट्री तथा स्टील प्लान्टों को निर्गमित किया गया। यद्यपि, वसूली योग्य खनिज की कीमत ₹ 240.29 करोड़ थी, जिसकी वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 7.7.1)

17 प्रकरणों में अधिकृत मात्रा से अधिक खनिज का अवैध उत्खनन एवं निर्गमन करने पर खनिज की कीमत व अधिशुल्क के ₹ 80.76 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 7.7.2.1)

पट्टेधारियों द्वारा चूना पत्थर को क्रेशर में गिट्टी बनाने के दौरान खराब बताए गए 43,81,258 मै.टन चूना पत्थर पर देय ₹ 23.42 करोड़ के अधिशुल्क का भुगतान नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 7.7.3)

388 ठेकेदारों द्वारा अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त किये बिना या अल्पावधि अनुमति पत्र में निर्धारित मात्रा से अधिक का उत्खनन किया गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.82 करोड़ की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 7.7.4)

यह देखा गया कि 49 ईट भट्टे मालिकों द्वारा अपेक्षित अनुज्ञापत्र प्राप्त किये बिना व अधिशुल्क का भुगतान किये बिना ईंट-मिट्टी को अवैध रूप से उपयोग में लेने पर खनिज की कीमत एवं अधिशुल्क के ₹ 3.94 करोड़ वसूल नहीं किये गये।

(अनुच्छेद 7.7.8.1)

अनाधिकृत रूप से खनिज जिप्सम ले जा रहे 193 वाहन स्वामियों से खनिजों की कीमत तथा अधिशुल्क सहित प्रशमन शुल्क के ₹ 48.25 लाख की वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 7.7.10)

अध्याय–I सामान्य

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 राजस्थान सरकार की राजस्व प्राप्तियों में राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्क में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान सम्मिलित है। वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्तियाँ तथा गत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व	13,274.73	14,943.75	16,414.27	20,758.12	25,377.05
	• कर इतर राजस्व	4,053.93	3,888.46	4,558.22	6,294.12	9,175.10
	योग	**17,328.66**	**18,832.21**	**20,972.49**	**27,052.24**	**34,552.15**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों में भाग	8,527.60	8,998.47	9,258.13	12,855.63	14,977.05
	• सहायतार्थ अनुदान	4,924.36	5,638.17	5,154.39	6,020.33	7,481.56
	योग	**13,451.96**	**14,636.64**	**14,412.52**	**18,875.96**	**22,458.61**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2)**	**30,780.62**	**33,468.85**	**35,385.01**	**45,928.20**	**57,010.76**[1]
4.	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**56**	**56**	**59**	**59**	**61**

[1] ब्यौरे के लिए कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या-11-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें। वित्त लेखों में 'क-कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0022-कृषि आय पर कर, 0032-सम्पदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर-शुद्ध प्राप्तियों में से राज्य को दिया गया भाग' के आंकड़ों को उपर्युक्त विवरण में 'राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व' में से घटाया गया है एवं 'विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग' में जोड़ा गया है।

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 34,552.15 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 61 प्रतिशत रहा। वर्ष 2011-12 के दौरान शेष 39 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से थी।

1.1.2 निम्नलिखित तालिका वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व का संयोजन प्रदर्शित करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2011-12 में 2010-11 पर वृद्धि(+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
1.	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	7,345.84	8,442.02	9,681.38	11,901.24	14,665.63	(+) 23
	केन्द्रीय बिक्री कर	404.90	462.48	482.15	728.35	1,100.80	(+) 51
2.	राज्य आबकारी शुल्क	1,805.12	2,169.90	2,300.48	2,861.41	3,287.05	(+) 15
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क						
	मुद्रांक-न्यायिक	30.61	30.61	30.47	43.07	79.40	(+) 84
	मुद्रांक-गैर-न्यायिक	1,316.41	1,137.54	1,104.79	1,522.01	2,153.68	(+) 42
	पंजीयन शुल्क	197.33	188.48	227.68	375.96	418.29	(+) 11
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	584.23	654.05	699.99	905.81	1,094.48	(+) 21
5.	मोटर वाहनों पर कर	1,164.40	1,213.56	1,372.87	1,612.25	1,927.05	(+) 20
6.	माल एवं यात्रियों पर कर	160.61	189.87	176.10	230.69	220.13	(-) 5
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, पेशा एवं रोजगार पर कर	0.04	0.04	0.04	0.02	0.06	(+) 200
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	58.91	64.52	58.52	64.43	43.44	(-) 33
9.	भू-राजस्व	155.29	162.52	147.66	222.17	209.01	(-) 6
10.	अन्य कर	51.04	228.16	132.14	290.71	178.03	(-) 39
योग		**13,274.73**	**14,943.75**	**16,414.27**	**20,758.12**	**25,377.05**	**(+) 22**

सम्बन्धित विभागों ने अन्तर के निम्नलिखित कारण बताये:

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करः समुचित अनुश्रवण, कर अपवंचन पर रोकथाम एवं विभाग के राजस्व वसूली प्रयासों तथा कुछ वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि के कारण वृद्धि (23 प्रतिशत) हुई।

केन्द्रीय बिक्री करः समुचित अनुश्रवण, कर अपवंचन पर रोकथाम एवं विभाग के राजस्व वसूली प्रयासों के कारण वृद्धि (51 प्रतिशत) हुई।

राज्य आबकारी शुल्कः वृद्धि (15 प्रतिशत) मुख्यत: माल्ट मदिरा, विदेशी मदिरा तथा प्रासव की बिक्री से अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्कः न्यायिक व गैर न्यायिक मुद्रांक की अधिक बिक्री, पंजीयन होने वाले दस्तावेजों की पंजीयन फीस, कोर्ट फीस तथा जिला स्तरीय समिति की दरों में वृद्धि के कारण वृद्धि (37 प्रतिशत) हुई।

विद्युत पर कर एवं शुल्कः विद्युत के उपयोग एवं बिक्री पर कर की अधिक प्राप्ति के कारण वृद्धि (21 प्रतिशत) हुई।

मोटर वाहनों पर करः अधिक अधिभार की प्राप्ति, हरित कर, व एकबारीय कर की दरों में वृद्धि के कारण वृद्धि (20 प्रतिशत) हुई।

वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्कः सिनेमा टिकटों पर से मनोरजंन कर हटाये जाने से कम प्राप्ति के कारण (33 प्रतिशत) कमी रही।

अन्य करः भूमि कर बकाया वसूली के विभिन्न प्रकरणों पर न्यायलय स्थगन द्वारा रोके जाने के कारण (39 प्रतिशत) कमी रही।

अन्य विभागों ने अन्तर के कारणों को, यद्यपि, मांगे गये (अप्रेल 2012), सूचित नहीं किया (नवम्बर 2012)।

1.1.3 निम्नलिखित तालिका वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा वसूल किये गये कर-इतर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2011-12 में 2010-11 पर वृद्धि (+)/ कमी(-) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	1,112.43	1,195.96	1,185.45	1,276.70	1,714.53	(+) 34
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	58.30	57.74	56.35	93.20	74.95	(-) 20
3.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	1,226.61	1,275.59	1,612.26	1,929.58	2,366.32	(+) 23
4.	विविध सामान्य सेवाएं	919.72	580.33	739.30	271.19	353.09	(+) 30
5.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	57.92	54.16	48.83	86.04	91.83	(+) 7
6.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	39.11	36.87	56.55	45.46	59.38	(+) 31
7.	सहकारिता	27.01	18.13	21.03	16.35	22.38	(+) 37
8.	सार्वजनिक निर्माण	53.41	93.43	62.75	62.10	55.85	(-) 10
9.	पुलिस	94.81	71.43	126.24	133.93	143.54	(+) 7
10.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	54.71	49.57	49.12	80.33	110.99	(+) 38
11.	अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ	409.90	455.25	600.34	2,299.24	4,182.24	(+) 82
	योग	**4,053.93**	**3,888.46**	**4,558.22**	**6,294.12**	**9,175.10**	(+) **46**

सम्बन्धित विभागों ने अन्तर के निम्नलिखित कारण बताये:

ब्याज प्राप्तियां: नगद शेष के निवेश पर अधिक ब्याज प्राप्ति के कारण (34 प्रतिशत) वृद्धि हुई।

वानिकी एवं वन्य जीवन: वानिकी के अन्तर्गत कम प्राप्ति के कारण (20 प्रतिशत) कमी रही।

अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग: वृद्धि (23 प्रतिशत) मुख्यत: खनिजों की रियायत फीस, किराये एवं रॉयल्टी की अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।

विविध सामान्य सेवाऐं: वृद्धि (30 प्रतिशत) मुख्यत: विगत वर्षो की अव्ययित राशि को राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई जिला गरीबी उन्मूलन

परियोजना, जयपुर द्वारा जमा करायें जाने, उदयपुर और कोटा के नगर विकास न्यास द्वारा जमा कराया गया नगरीय कर।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य: कर्मचारी राज्य बीमा योजना व अन्य प्राप्तियों मे अधिक प्राप्तियों के कारण (31 प्रतिशत) वृद्धि हुई।

सहकारिता: वृद्धि (37 प्रतिशत) मुख्यत: लाभांश की अधिक प्राप्ति व पंजीकरण शुल्क की वृद्धि के कारण हुई।

अन्य प्रशासनिक सेवाएँ: जुर्माना व जब्तियों की अधिक प्राप्ति के कारण व निर्वाचन के अन्तर्गत अन्य प्राप्तियों के कारण वृद्धि (38 प्रतिशत) हुई।

अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ: वृद्धि (82 प्रतिशत) मुख्यत: बाड़मेर क्षेत्र से कच्चे तेल के अधिक उत्पादन के कारण रॉयल्टी खाते में अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।

अन्य विभागों ने अन्तर के कारणों को, अनुरोध के बावजूद (अप्रेल 2012) सूचित नहीं किया (नवम्बर 2012)।

1.2 लेखापरीक्षा टिप्पणियों की ओर सरकार/विभाग की अनुक्रिया

निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के रख-रखाव का सत्यापन एवं कार्य निष्पादन की नमूना जाँच के लिए प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, सरकारी विभागों का सामयिक निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं, जिन्हें स्थल पर ही निस्तारित नहीं किया गया, उनको सम्मिलित करते हुऐ निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं जो निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष तथा उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रतिलिपि भेजते हुऐ जारी किये जाते हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना के माध्यम से महालेखाकार को प्रतिवेदित करना होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

1.2.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

दिसम्बर 2011 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिती की समीक्षा की गई। जिससे पता चलता है कि 2,628 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 5,958.95 करोड़ सन्निहित के 8,260 अनुच्छेद जून 2012 के अन्त तक बकाया थे, जैसा कि गत दो वर्षों के आंकड़ों के साथ नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	जून 2010	जून 2011	जून 2012
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,400	2,469	2,628
बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	6,765	7,464	8,260
सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	2,112.69	2748.76	5,958.95

30 जून 2012 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों तथा उनमें सन्निहित राशि का विभागानुसार विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्य परिवर्धित कर	489	2,177	2,156.74
		मनोरंजन कर, विलासिता कर इत्यादि	27	27	7.29
		विद्युत कर	–	–	–
2.	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	433	1,312	397.76
3.	भू-राजस्व	भू-राजस्व	268	457	1,109.02
		भूमि एवं भवन कर	8	12	0.49
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,009	2,586	114.24
5.	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	152	422	270.47
6.	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	242	1,267	1,902.94
योग			**2,628**	**8,260**	**5,958.95**

दिसम्बर 2011 तक जारी 102 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त होने वाली प्रथम अनुपालना प्राप्त नहीं हुई थी (30 जून 2012)। उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण भारी संख्या में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन इस तथ्य का सूचक है कि प्रधान महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में बतायी गयी कमियों, त्रुटियों एवं अनियमितताओं को ठीक करने की कार्यवाही प्रारंभ करने में कार्यालय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष असफल रहे।

लेखापरीक्षा आक्षेपों पर शीघ्र एवं समुचित कार्यवाही करने हेतु एक प्रभावी प्रणाली शुरू करने के लिए सरकार उचित कदम उठाये तथा इसके साथ-साथ उन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करें जो निर्धारित समय सीमा के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के उत्तर भेजने में असफल रहे तथा राजस्व हानि/बकाया की वसूली के लिए समयबद्ध तरीके से कार्यवाही करने में भी असफल रहे।

1.2.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की निगरानी एवं शीघ्र प्रगति के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया है। विभाग द्वारा एक वर्ष में कम से कम चार (प्रत्येक तिमाही में एक) लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करनी होती हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु विभाग में लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान सम्पन्न हुई लेखापरीक्षा समिति तथा लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वाणिज्यिक कर	2	-	-	-
परिवहन	3	2	145	3.89
भू-राजस्व	-	5	46	12.48
पंजीयन एवं मुद्रांक	2	13	142	0.96
राज्य आबकारी	4	1	10	0.45
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	2	-	-	-
योग	**13**	**21**	**343**	**17.78**

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वाणिज्यिक कर विभाग तथा खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग से कोई भी अनुच्छेद निस्तारित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों की संख्या भी राज्य आबकारी विभाग को छोड़कर चार से कम थी।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार सम्बन्धित विभागों को निर्देश जारी करें कि लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों संख्या में वृद्धि करें जिससे तत्समय ही अच्छी संख्या में अनुच्छेदों का निस्तारण किया जा सके।

1.2.3 विभागों की अनुक्रिया

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर, उनकी प्राप्ति से तीन सप्ताह के अन्दर भिजवाने हेतु वित्त विभाग ने अगस्त 1969 में सभी विभागों को निर्देश जारी किये थे। प्रारूप अनुच्छेद सम्बन्धित विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने तथा यह अनुरोध करते हुऐ भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर तीन सप्ताह में भिजवा दें।

सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अन्त में आवश्यक रूप से दर्शाया जाता हैं।

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित 'मूल्य परिवर्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के निर्धारण एवं संग्रहण' पर एवं निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 90 प्रारूप अनुच्छेद (इस प्रतिवेदन के 43 अनुच्छेदों में संकलित) सम्बन्धित विभागों के सचिवों को सितम्बर एवं नवम्बर 2012 के मध्य प्रेषित किये गये थे। इनमें से 46 प्रकरणों में सम्बन्धित विभागों के उत्तर प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त 'मूल्य परिवर्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के निर्धारण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर समापन सम्मेलन में वाणिज्यिक कर विभाग/सरकार से चर्चा की गई।

1.2.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने के तीन माह के अन्दर उसमें सम्मिलित अनुच्छेदों के सम्बन्ध में अपने व्याख्यात्मक ज्ञापन लेखापरीक्षा द्वारा जांचोपरान्त राज्य विधानसभा सचिवालय को प्रेषित करने होते हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किये गये तथा 30 सितम्बर 2012 को चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेदों की स्थिति **परिशिष्ट 'अ'** में दर्शायी गई हैं। वर्ष 2005-06 से 2010-11 की अवधि से सबन्धित कुल मिलाकर 111 अनुच्छेद जन लेखा समिति में चर्चा हेतु शेष थे।

राजस्थान राज्य विधानसभा की जन लेखा समिति के लिए वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्यविधियों के अनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर जन लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के विधानसभा में प्रस्तुत करने के छः माह के अन्दर उन पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणी प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही करनी होती है। हमने पाया कि **परिशिष्ट 'ब'** में दर्शायी 189 क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां 30 सितम्बर 2012 को बकाया थी।

1.2.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालना

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित, स्वीकार किए गए अनुच्छेदों तथा 30 सितम्बर 2012 तक गत दस वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वसूल की

गई राशि की स्थिति नीचे तालिका में दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों की धन राशि	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों की धन राशि	वर्ष[2] के दौरान वसूली गई राशि	स्वीकृत प्रकरणों में कुल वसूली की स्थिति
2001-02	45	448.86	36	99.65	शून्य	30.52
2002-03	46	382.52	36	220.03	शून्य	62.83
2003-04	31	381.48	30	234.77	शून्य	49.52
2004-05	27	276.63	23	16.14	शून्य	6.15
2005-06	39	352.81	27	118.93	शून्य	23.28
2006-07	41	315.25	25	254.28	0.05	6.60
2007-08	39	666.55	34	246.83	2.47	99.19
2008-09	48	392.71	32	71.80	0.22	21.85
2009-10	28	638.85	20	431.15	10.63	17.13
2010-11	32	617.96	16	335.70	7.69	7.69
योग	**376**	**4,473.62**	**279**	**2,029.28**	**21.06**	**324.76**

वर्ष 2001-02 से 2010-11 के दौरान ₹ 4,473.62 करोड़ सन्निहित के 376 अनुच्छेद लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित थे। सरकार/विभागों ने ₹ 2,029.28 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की, जिनमें से गत 10 वर्षों के दौरान केवल ₹ 324.76 करोड़ (16 प्रतिशत) ही वसूल किये गये (30 सितम्बर 2012)।

सरकार को ऐसी प्रणाली तैयार करनी चाहिए, जिससे कि कम से कम स्वीकार किये गये अनुच्छेदों में सन्निहित राशि की तो वसूली हो सके।

1.3 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को, उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण के अलावा सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन, जैसे बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य एवं केन्द्रीय) के प्रतिवेदनों, कराधान सुधार समिति की सिफारिशों, गत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशिष्टता, गत पाँच वर्षों के दौरान

[2] जनवरी, 2012 से सितम्बर 2012

लेखापरीक्षा किया गया क्षेत्र तथा इसके प्रभाव आदि के आधार पर तैयार की गयी है।

वर्ष 2011-12 के दौरान, लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध सभी 758 इकाइयों में से वर्ष 2011-12 के दौरान 409 इकाइयों की लेखापरीक्षा की योजना बनायी तथा लेखापरीक्षा की गई, जो लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध इकाइयों की 54 प्रतिशत है। इस संव्यवहार लेखापरीक्षा के अतिरिक्त एक निष्पादन लेखापरीक्षा विभागों की क्षमता तथा कार्यप्रणाली/प्रक्रिया जाँचने के लिए की गई थी।

1.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.4.1 वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य आबकारी, खान एवं अन्य विभागीय कार्यालयों की 409 इकाइयों के अभिलेखों की वर्ष 2011-12 के दौरान की गई मापक जाँच में 47,716 प्रकरणों में ₹ 3,119.98 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों में निहित राशि ₹ 1,110.74 करोड़ के 17,146 प्रकरण स्वीकार किये, जिनमें से ₹ 1,013.90 करोड़ सन्निहित के 3,896 प्रकरण वर्ष 2011-12 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2011-12 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 8,789 प्रकरणों में ₹ 44.26 करोड़ संग्रहित किये।

1.4.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन मे ₹ 763.52 करोड़ वित्तीय प्रभाव के 'मूल्य परिवर्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के निर्धारण एवं संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 43 अनुच्छेद है। विभागों/सरकार ने ₹ 353.77 करोड़ सन्निहित की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की, जिनमें से ₹ 10.74 करोड़ वसूल कर लिए गये। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2012)। इन पर आगामी अध्याय-II से VII में चर्चा की गई है।

अध्याय–II

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

अध्याय–II: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

2.1 कर प्रशासन

वाणिज्यिक कर विभाग मुख्य रूप से मूल्य परिवर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर एवं विद्युत शुल्क से संबंधित कार्य देखता है, जो निम्नलिखित अधिनियमों एवं उसके अधीन निर्मित नियमों से विनियमित होते हैं:

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (रा.मू.प.कर) अधिनियम, 2003;
2. केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956;
3. राजस्थान में स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999;
4. राजस्थान विलासिता कर (होटल और ठहराव घरों में) अधिनियम, 1990;
5. राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957; तथा
6. राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 ।

राजस्थान में मूल्य परिवर्धित कर के निर्धारण, आरोपण और संग्रहण, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, जो 01.04.2006 से लागू है, द्वारा शासित होते है। इसके अतिरिक्त, अन्तर-राज्य बिक्री के मामलों में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 एवं उसके अधीन निर्मित नियम भी प्रचलन में हैं।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, विभागीय स्तर पर प्रशासन के लिये उत्तरदायी है, जबकि सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासकीय स्तर पर प्रशासनिक शक्तियों को लागू करता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर की सहायता हेतु सात अतिरिक्त आयुक्त, 34 उपायुक्त, 48 सहायक आयुक्त, 101 वाणिज्यिक कर अधिकारी और 523 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी हैं।

2.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों यथा बजट अनुमानों के साथ इसी अवधि की राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर अधिक(+)/ कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	बढ़ोतरी की दर	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्ति का कुल कर प्राप्ति पर प्रतिशत
2007-08	7,676.00	7,750.74	(+) 74.74	(+) 0.97	15.33	13,274.73	58.39
2008-09	8,500.00	8,904.50	(+) 404.50	(+) 4.76	14.89	14,943.75	59.59
2009-10	10,030.00	10,163.53	(+) 133.53	(+) 1.33	14.14	16,414.27	61.92
2010-11	11,730.00	12,629.59	(+) 899.59	(+) 4.67	24.26	20,758.12	60.84
2011-12	13,490.00	15,766.43	(+)2,276.43	(+) 16.87	24.84	25,377.05	62.13

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों की प्राप्तियाँ राज्य की कुल कर प्राप्तियों की 58.39 और 62.13 प्रतिशत के मध्य रही। यह भी पाया कि इस मद के अन्तर्गत प्राप्तियों के संग्रहण में सतत वृद्धि रही। उपरोक्त से यह ज्ञात होता है कि बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर का राजस्व कर प्राप्तियों में बड़ा अंशदान है। इसका अंशदान वर्ष 2007-08 के 58.39 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 62.13 प्रतिशत हुआ।

2.3 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को राजस्व की बकाया राशि ₹ 2,927.35 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 997.68 करोड़ पाँच वर्षो से अधिक समय से बकाया थे। निम्नलिखित सारणी 31 मार्च 2012 को राजस्व के बकाया की वर्षवार स्थिति दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	01.04.2011 को कुल बकाया	वर्ष 2011-12 के दौरान वसूली	31.3.2012 को बकाया वसूली
2006-07 तक	1039.68	41.82	997.68
2007-08	287.12	59.06	228.06
2008-09	729.02	290.40	438.62
2009-10	963.86	547.68	416.18
2010-11	2,070.26	1,223.63	846.63
योग	**5,089.94**	**2,162.59**	**2,927.35**

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि पाँच वर्ष से अधिक समय से ₹ 997.68 करोड़ की वसूली, राजस्व संग्रहण हेतु लम्बित थी। विभाग से अनुरोध (जुलाई 2012) किये जाने के बावजूद भी यह नहीं बताया गया कि बकाया किस स्तर पर लम्बित थे (नवम्बर 2012)।

अत्यधिक समय निकल जाने के बाद, बकाया वसूली की सम्भावना बहुत क्षीण हो जाती है। **हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार विभाग को निर्देश देवें कि वे प्रत्येक स्तर पर बकाया की वसूली की निगरानी करे और वसूली के लिये प्रभावी कदम उठावें।**

2.4 मूल्य परिवर्धित कर का प्रति करदाता संग्रहण

निम्नलिखित विवरण विगत पाँच वर्षों के दौरान बिक्री कर/मूल्य परिवर्धित कर का प्रति करदाता संग्रहण दर्शाता है:

वर्ष	करदाताओं की संख्या	बिक्री कर/वेट राजस्व (₹ करोड़ में)	प्रति करदाता राजस्व (₹ लाख में)
2007-08	3,19,537	7,750.74	2.43
2008-09	3,44,852	8,904.50	2.58
2009-10	3,76,688	10,163.53	2.70
2010-11	4,09,323	12,629.59	3.09
2011-12	4,55,035	15,766.43	3.45

यह प्रशंसनीय है कि प्रत्येक वर्ष में प्रति करदाता राजस्व में वृद्धि हुई।

2.5 संग्रहण की लागत

राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान सकल संग्रहण के व्यय के सुसंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	विगत वर्ष की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	2007-08	7,750.74	53.76	0.70	0.82
2.	2008-09	8,904.50	70.21	0.80	0.83
3.	2009-10	10,163.53	85.90	0.85	0.88
4.	2010-11	12,629.59	86.97	0.69	0.96
5.	2011-12	15,766.43	84.89	0.54	0.75

उपरोक्त को देखने से ज्ञात होता है कि राजस्व संग्रहण पर किये गये व्यय का प्रतिशत विगत वर्ष के अखिल भारतीय औसत प्रतिशत से कम था।

2.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

वर्ष 2010-11 तक के विगत पाँच वर्षों में, हमने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ₹ 306.39 करोड़ राजस्व प्रभाव के 43 अनुच्छेद अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, कम निर्धारण/राजस्व की हानि, गलत छूट, टर्नओवर को छिपाना/कर की गलत दर लगाना, कर की गलत गणना इत्यादि से सम्बन्धित दर्शाये। इनमें से 27 अनुच्छेदों में सन्निहित ₹ 166.39 करोड़ लेखापरीक्षा आक्षेपों को विभाग/सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और जिनमें से ₹ 2.13 करोड़ की

वसूली (सितम्बर 2012) कर ली गई जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकृत अनुच्छेद		वसूल की गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
2006-07	11	150.61	6	144.26	3	0.14
2007-08	5	17.88	2	0.32	2	0.32
2008-09	10	28.25	7	17.79	5	0.96
2009-10	8	4.47	5	2.23	5	0.58
2010-11	9	105.18	7	1.79	2	0.13
योग	**43**	**306.39**	**27**	**166.39**	**17**	**2.13**

स्वीकार की गई राशि में वसूली का 1.28 प्रतिशत है। वसूली की कम प्रतिशतता इंगित करती है कि विभाग द्वारा स्वीकार की गई राशि की वसूली भी नहीं कर पाया।

सरकार द्वारा विभाग को निर्देश जारी करने चाहिये कि कम से कम स्वीकार किये गये प्रकरणों में वसूली को बढ़ावें।

2.7 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का वित्तीय सलाहकार प्रमुख होता है। विभाग में, 13 आन्तरिक लेखापरीक्षा दल कार्यरत हैं और प्रत्येक का सहायक लेखाधिकारी नेतृत्व करता है। इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की योजना उसकी महत्ता एवं अर्जित राजस्व के आधार पर की जाती है। विगत पाँच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लम्बित इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का बकाया होना	लेखापरीक्षा के लिये कुल बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा में बकाया इकाइयाँ	प्रतिशत में कमी
2007-08	0	443	443	378	65	15
2008-09	65	396	461	357	104	23
2009-10	104	393	497	299	198	40
2010-11	198	384	582	489	93	16
2011-12	93	384	477	411	66	14

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान 14 और 40 प्रतिशत के मध्य आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादन में कमी रही।

यह भी ध्यान में आया कि वर्ष 2011-12 के अन्त तक आन्तरिक लेखापरीक्षा के 17,016 अनुच्छेद बकाया थे। वर्षवार बकाया अनुच्छेदों की स्थिति

निम्न प्रकार है:

वर्ष	2006-07 तक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
अनुच्छेदों की संख्या	8,427	1,724	1,662	1,753	1,614	1,926	**17,016**

वर्ष 2006-07 तक आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 8,427 अनुच्छेद बकाया थे, जो यह दर्शाता है कि स्वयं के आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के द्वारा लिये गये आक्षेपों के निपटान की निगरानी नहीं कर रहा था।

2.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011-12 में वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित 96 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच की, हमने 1,971 प्रकरणों में ₹ 963.20 करोड़ के कर के कम/अवनिर्धारण, अनियमित छूट प्रदान करना, ब्याज का अनारोपण एवं अन्य अनियमितताएँ पायी, जो मुख्यत: निम्नलिखित श्रेणियों में आती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	**'मूल्य परिवर्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर का निर्धारण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा**	1	389.09
2.	कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण नहीं करना	298	338.55
3.	कटौती की अनियमित या गलत स्वीकृति के कारण अवनिर्धारण	93	2.72
4.	कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	49	2.82
5.	अनियमित छूट प्रदान करना	146	16.39
6.	क्रय कर का अनारोपण	10	0.22
7.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	169	2.98
8.	अन्य अनियमितताएँ	1,205	210.43
योग		**1,971**	**963.20**

वर्ष 2011-12 के दौरान, विभाग ने 232 प्रकरणों में ₹ 4.98 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 10.00 लाख के 31 प्रकरण वर्ष 2011-12 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2011-12 के दौरान 15 प्रकरणों में ₹ 2.63 लाख वसूल किये, जिनमें से ₹ 3.00 लाख के चार प्रकरण वर्ष 2011-12 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित थे।

'मूल्य परिवर्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर का निर्धारण एवं संग्रहण' पर ₹ 389.09 करोड़ सन्निहित की एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं ₹ 7.11 करोड़ के कुछ निदर्शी लेखापरीक्षा आक्षेपों का अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है।

2.9 'मूल्य परिवर्धित कर (वेट) एवं केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) के निर्धारण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य बिन्दु

- 24 व्यवहारियों के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने बेलैन्स शीट, ऑडिट रिपोर्टों एवं अन्य अभिलेखों को व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत की गई वेट विवरणियों के साथ संलग्न सम्बन्धित प्रपत्रों को सत्यापित नहीं किया। इसके पणिामस्वरूप ₹ 8.67 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.9.8)

- चार प्रकरणों में माल की बिक्री को कार्य संविदा मानकर गलत वर्गीकरण करने एवं दो प्रकरणों में कर मुक्ति शुल्क के गलत आरोपण के परिणामस्वरूप ₹ 1.13 करोड़ की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.9.10)

- पाँच व्यवहारियों के आगत कर क्रेडिट (आई.टी.सी.) के दावों की जांच करने पर पाया कि व्यवहारी या तो आई.टी.सी. के हकदार नहीं थे या उनके द्वारा हकदारी में अधिक आई.टी.सी. के दावे किये गये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.30 करोड़ की आई.टी.सी. अधिक स्वीकृत की गई और ₹ 53.22 लाख का ब्याज भी आरोपणीय था।

(अनुच्छेद 2.9.11)

- विभिन्न कर मुक्ति/आस्थगन योजनाओं के अन्तर्गत वेट आस्थगन की गलत गणना, मांग कायम नहीं करने और अनुदान की गलत स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 13.37 करोड़ का अधिक आस्थगन हुआ।

(अनुच्छेद 2.9.12.1 से 2.9.12.3)

- केन्द्रीय बिक्री कर नियमों के विरूद्ध केन्द्रीय बिक्री कर घोषणा पत्रों को निर्धारण के बाद स्वीकार करने के परिणामस्वरूप 16 प्रकरणों में ₹ 46.74 करोड़ की अनियमित रियायत/छूट।

(अनुच्छेद 2.9.13.1)

- विभाग में ऐसी कोई निगरानी प्रणाली नहीं थी, जिससे यह सत्यापन हो सके कि व्यवहारी द्वारा जिस उद्देश्य के लिये माल क्रय किया गया, उसी हेतु उसका उपयोग हुआ। इसके अतिरिक्त, घोषणा पत्रों या प्रमाण पत्रों के गलत उपयोग के मामले में शास्ति लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। व्यवहारी को वैयक्तिक रूप से फायदा पहुंचाने के लिये अधिसूचनाओं के नियमों एवं शर्तों में बार-बार छूट दिया जाना पाया गया।

(अनुच्छेद 2.9.14)

- सात वृत्तों के 25 व्यवहारियों के मामलों में वेट विवरणियाँ प्रस्तुत करने और वेट राशि जमा कराने मे विलम्ब हुआ, यद्यपि ₹ 18.09 लाख की शास्ति आरोपित नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.9.16)

2.9.1 प्रस्तावना

मूल्य परिवर्धित कर (वेट) एवं केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) का निर्धारण, वसूली एवं संग्रहण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (रा.मू.प.कर अधिनियम) और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (के.बि.क. अधिनियम) एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों द्वारा शासित है। प्रत्येक व्यवहारी जो माल का आयातकर्ता या जिसका टर्नओवर रुपये दस लाख से अधिक या माल का निर्माता जिसका वार्षिक टर्नओवर दो लाख रुपये से ज्यादा हो, तो उसे सक्षम अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर रा.मू.प.कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन कराना होता है। इस प्रकार स्वीकृत किया गया पंजीयन प्रमाण पत्र अहस्तान्तरित होता है और तब तक प्रभावी रहता है जब तक निरस्त न कर दिया जावे। अधिनियमों में उल्लिखित दरों पर विक्रय किये गये माल के करयोग्य टर्नओवर पर कर वसूला जाता है।

रा.मू.प.कर अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यवहारी के, उसके द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर त्रैमासिक या वार्षिक निर्धारण मान लिया जाता है। यद्यपि, यदि कोई गलती का पता लगता है तो व्यवहारी को रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 24 के अन्तर्गत संशोधित विवरणी दाखिल करने एवं तद्नुसार कर जमा कराने का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि पंजीकृत व्यवहारी विवरणी दाखिल नहीं करता है या स्वीकृत समयावधि में गलती नहीं सुधारता है तो निर्धारण अधिकारी (नि.अ.) उसके सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर का निर्धारण करेगा।

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 27 के अनुसार, आयुक्त, वाणिज्यिक कर (आ.वा.क.) ऐसे पंजीकृत व्यवहारी, जिनका उसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड या रेन्डम चयन के आधार पर या जिनके बारे में ऐसा विश्वास करने का पर्याप्त आधार हो, कि उनके व्यापार की विस्तृत जांच आवश्यक है, के व्यापार की लेखापरीक्षा कराये जाने का प्रबन्ध करेगा।

2.9.2 संगठनात्मक ढांचा

सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार के नियन्त्रणाधीन आयुक्त, वाणिज्यिक कर वेट एवं के.बि.क. प्राप्तियों का संचालन करते हैं। आयुक्त, वाणिज्यिक कर की सहायता के लिए सात अतिरिक्त आयुक्त एवं 34 उपायुक्त एवं एक वित्तीय सलाहकार है। आन्तरिक जांच दल वित्तीय सलाहकार को

रिपोर्ट करता है। उपायुक्त जोन स्तर[1] पर वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्रत्येक जोन पर एक अलग उपायुक्त (अपील) होता है जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी कहलाता है।

2.9.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

हमने निष्पादन लेखापरीक्षा कि:

- यह सुनिश्चित करने के लिये की कि क्या रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 और उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधान राज्य के राजस्व को सुरक्षा प्रदान करने के लिये पर्याप्त थे और सही ढंग से लागू किये गये थे;
- अधिनियम के प्रावधानों की व्यवहारियों द्वारा की जा रही पालना का मूल्यांकन करने के लिये;
- निर्धारण में राजस्व हानि या अवनिर्धारण या अन्य अनियमितताओं की जांच करने के लिये; एवं
- यह जांचने के लिये कि क्या विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावी थी।

2.9.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों और इसके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों से लिये गये:

राज्य कानून

- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003;
- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006; एवं
- केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान) नियम, 1957 ।

केन्द्रीय कानून

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956; एवं
- केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण व टर्नओवर) नियम, 1957 ।

[1] वाणिज्यिक कर विभाग के 13 प्राशनिक जोन है।

2.9.5 निष्पादन लेखापरीक्षा के चयन के कारण, क्षेत्र एवं प्रणाली

विस्तृत लेखापरीक्षा जांच के लिये आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय और उप सचिव, (कर) राजस्थान सरकार सहित 109 वृत्तों में से 17 वृत्तों[2] के अवधि 2008-09 से 2010-11 तक के लेखों का चयन किया गया। वृत्तों का चयन 'पुनःस्थापन सहित आकार के अनुरूप संभावना प्रतिचयन विधि' से किया गया। उक्त वृत्तों के अतिरिक्त 'विशेष राजस्थान, जयपुर' का चयन किया गया क्योंकि इस वृत्त द्वारा राज्य के कुल वेट एवं के.बि.क. का 40 प्रतिशत से भी अधिक का संग्रहण किया गया।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर कार्यालय में दिनांक 16 जनवरी 2012 को प्रारम्भिक सम्मेलन किया गया, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों से अवगत कराया गया। तथ्यात्मक विवरण/ड्रॉफ्ट अनुच्छेद को जून/अक्टूबर 2012 में सरकार तथा आयुक्त को भिजवा दिये गये थे। 25 अक्टूबर 2012 को आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं उप सचिव (कर) वित्त विभाग के साथ एक समापन बैठक हुई, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा की टिप्पणियों पर चर्चा की गई। समापन बैठक के दौरान एवं अन्य समय पर प्राप्त उनके जवाबों को सम्बन्धित अनुच्छेदों में शामिल किया गया।

विषय के चयन के कारण: राजस्थान राज्य के कर राजस्व में वेट/के.बि.क. प्राप्तियों का सबसे अधिक योगदान है। प्राप्तियों की प्रतिवर्ष सतत् बढ़ोतरी हो रही है और लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से बहुत सी कमियों को ध्यान में लाया गया। इसके अतिरिक्त वेट लागू होने के बाद मे निष्पादन लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। अत: लेखापरीक्षा ने इस विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा किये जाने को उचित समझा गया।

2.9.6 आभार

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचनायें और अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग एवं उसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिये गये सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है।

[2] वृत्त: विशेष-III जयपुर, विशेष-I भिवाड़ी, विशेष अजमेर, विशेष राजस्थान जयपुर, विशेष-I जयपुर, विशेष अलवर, सी - जयपुर, बी - जोधपुर, जी - जयपुर, जे - जयपुर, सूरतगढ़, सीकर, ए - अजमेर, डब्ल्यू.टी. अलवर, डब्ल्यू.टी. जोधपुर, प्रतिकरापवंचन-I राजस्थान, जयपुर और प्रति-करापवंचन-II राजस्थान जयपुर।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

2.9.7 व्यापार लेखापरीक्षा निर्धारण रिपोर्ट के लिये प्रारूप का अभाव

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 27 के अनुसार आयुक्त, वाणिज्यिक कर ऐसे पंजीकृत व्यवहारी जिनका उसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड या रेन्डम चयन के आधार पर या जिनके बारे में ऐसा विश्वास करने का पर्याप्त आधार है, कि उनके व्यापार की विस्तृत जांच आवश्यक है और अधिनियम के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन बनाया जाना आवश्यक है, के व्यापार की लेखापरीक्षा कराये जाने का प्रबन्ध करेगा।

यह देखा गया कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिये व्यापार लेखापरीक्षा के लिये किसी भी मामले का चयन नहीं किया था। तथापि, 2008-09 और 2009-10 के लिये यद्यपि व्यापार लेखापरीक्षा की गई परन्तु कोई भी लेखे यथा बैलेन्स शीट, व्यापार खाता को रिकार्ड पर नहीं लिया गया। अधिनियम के अन्तर्गत ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिये कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है। प्रारूप के अभाव में कर निर्धारण का सही होना लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसे ध्यान में लाये जाने के बाद, सरकार/विभाग ने समापन बैठक के दौरान अवगत कराया कि विभाग मे एक समिति का गठन कर लिया गया है साथ ही उसे ऑडिट रिपोर्ट के प्रारूप तैयार करने का कार्य भी दिया गया है और समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार/विभाग निर्धारण अधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट के लिये प्रारूप निर्धारित करने के लिये विचार करे।

2.9.8 स्व-निर्धारण मामलों में कर की अवसूली/कम वसूली

यह देखा गया कि विभाग ने वर्ष 2006-07 और 2007-08 में सभी कर निर्धारण रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 23 और 24 के अन्तर्गत किये लेकिन इन वर्षों में व्यवहारियों के व्यापार की लेखापरीक्षा नहीं की गई। अवधि 2006-07 से 2008-09 तक की अवधि के 24 मामलों की जांच के दौरान कुछ आपत्तियां ध्यान में आयी, जिनमें व्यापार की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, को निम्नलिखित अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है:

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV एवं V के अनुसार, प्लान्ट एवं मशीनरी तथा उपयोग में लिये गये मोटर वाहनों के विक्रय पर चार प्रतिशत एवं टेन्ट पर 12.5 प्रतिशत कर देय है।

2.9.8.1 पाँच वृत्त[3] के 19 व्यवहारियों की विवरणियों के साथ संलग्न बैलेन्स शीट की अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2006-07 से 2008-09 के मध्य व्यवहारियों द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी, उपयोग में लिये गये मोटर वाहन तथा टेन्ट की बिक्री की गई थी। तथापि, व्यवहारियों द्वारा इन सम्पत्तियों के विक्रय को प्रस्तुत विवरणियों में नहीं दर्शाया गया था। निर्धारण अधिकारी इस गलती का पता नहीं लगा सके। यद्यपि, चार्टर्ड एकाउटेन्ट की ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें स्थायी सम्पत्तियों के विक्रय को दर्शाया था, विवरणियों के साथ संलग्न उपलब्ध थी। निर्धारण अधिकारी की गलती के परिणामस्वरूप कर ₹ 4.70 लाख और ब्याज ₹ 1.56 लाख का अनारोपण हुआ।

इसे ध्यान में लाये जाने के बाद, सरकार ने बताया (अक्टूबर 2012) कि तीन वृत्तों के आठ मामलों में ₹ 2.98 लाख की मांग कायम की जा चुकी थी। शेष मामलों में जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2012)।

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 2 (35)(iv) के अनुसार नगद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल पर किसी भी उद्देश्य के लिये माल के उपयोग के अधिकार का हस्तान्तरण किया जाता है तो यह हस्तान्तरण करने वाले व्यक्ति द्वारा माल की बिक्री माना जायेगा।

2.9.8.2 तीन विद्युत वितरण कम्पनियों[4] की विवरणियों के साथ संलग्न बेलैन्स शीट की जांच में पाया गया कि ये कम्पनियां विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिये उपभोक्ताओं को विद्युत मीटर एवं सर्विस लाइनें उपलब्ध करा रही थी, जिसके लिये वे किराया प्रभार वसूल रही थी। कम्पनियों द्वारा वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान किराया प्रभारों के ₹ 46.41 करोड़ संग्रहित किये। तथापि, इन कम्पनियों ने किराया प्रभारों पर वेट का भुगतान नहीं किया। निर्धारण अधिकारी द्वारा विवरणियों को स्वीकारते समय गलतियों का पता नहीं लगा सके। इसके परिणास्वरूप कर ₹ 5.80 करोड़ एवं ब्याज ₹ 2.37 करोड़ की अवसूली रही।

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV एवं V के अनुसार बियरिंगं के विक्रय पर चार प्रतिशत तथा ग्रीस पर 12.5 प्रतिशत कर देय है।

2.9.8.3 विशेष-I वृत्त जयपुर के एक व्यवहारी (मैसर्स बियरिंग एण्ड बियरिंग जयपुर) बियरिंग, ग्रीस एवं ऑयल के लिये पंजीकृत था। वेट

[3] वृत्त: विशेष-III जयपुर, विशेष-I जयपुर, विशेष राजस्थान जयपुर, वर्क्स कर जोधपुर एवं विशेष-I भिवाड़ी।

[4] जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनियां)।

विवरणियों और व्यवहारी से प्राप्त वर्ष 2008-09 के व्यापार खाता की जांच में पाया गया कि व्यवहारी ने बियरिंग के अतिरिक्त ₹ 35.85 लाख[5] मूल्य के ग्रीस एवं ऑयल की बिक्री की थी, लेकिन 12.5 प्रतिशत के स्थान पर चार प्रतिशत से कर चुकाया। परिणामस्वरूप कर ₹ 3.05 लाख कम जमा हुए। इसके अतिरिक्त ब्याज ₹ 0.92 लाख एवं शास्ति ₹ 6.09 लाख भी वसूलनीय थे।

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 4 की उपधारा (7) के अन्तर्गत कोई पंजीकृत व्यवहारी, जो राज्य में ऐसा माल आयात करता है या निर्माण करता है, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित है, तो वह इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे माल के विक्रय मूल्य पर देय कर के स्थान पर ऐसे माल के अधिकतम खुदरा मूल्य पर (एम.आर.पी.) निर्धारित दर से कर चुकाने का अपना विकल्प दे सकता है।
31 मार्च 2006 को राज्य सरकार द्वारा ड्रग एवं मेडिसन को ऐसा माल अधिसूचित किया, जिस पर यह विकल्प दिया जा सकता है।

2.9.8.4 वृत्त विशेष राजस्थान, जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया (फरवरी 2012) कि एक व्यवहारी (मैसर्स रेनबैक्सी लेबोरेट्रीज लिमिटेड) जो दवाईयों का व्यवसायी है, ने अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर चुकाने का विकल्प लिया था। व्यवहारी ने वर्ष 2008-09 में ₹ 7.74 करोड़ मूल्य की दवाईयों की मुफ्त योजना (सेम्पल, बोनस गुड्स एवं रिप्लेसमेन्ट) के अन्तर्गत आपूर्ति की किन्तु कर का भुगतान नहीं किया। यद्यपि, वे क्रेताओं को आपूर्ति किये गये सम्पूर्ण माल पर कर के भुगतान के लिये उत्तरदायी थे। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (नवम्बर 2010) मुफ्त योजना/ रिप्लेसमेन्ट के अन्तर्गत व्यवहारी द्वारा आपूर्ति की गई राशि ₹ 7.74 करोड़ की दवाईयों पर कर नहीं वसूला गया। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 30.96 लाख एवं ब्याज ₹ 9.29 लाख का आरोपण नहीं हुआ।

इसे ध्यान में लाने के बाद, सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2012) कि मुफ्त योजना के अन्तर्गत आपूर्ति किये गये माल पर पहले ही कर चुका दिया गया था। जवाब उचित नहीं है क्योंकि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ने विवरणियों के साथ संलग्न वेट ऑडिट रिपोर्ट के 'नोट' में स्पष्ट इंगित किया था कि व्यवहारी ने सेम्पल, बोनस गुड्स एवं रिप्लेसमेन्ट पर वेट का भुगतान नहीं किया था।

यह सिफारिश की जाती है कि रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 23 एवं 24 के अन्तर्गत विवरणियों को स्वीकार करते समय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के वार्षिक

[5] ग्रीस का न्यूनतम विक्रय मूल्य ₹ 43.36 लाख आता है। (प्रारम्भिक स्टॉक ₹ 9.25 लाख + खरीद ₹ 44.29 लाख - अन्तिम स्टॉक ₹ 10.18 लाख)। छुपाये गये ग्रीस की कीमत ₹ 35.85 लाख (न्यूनतम विक्रय मूल्य ₹ 43.36 लाख - ट्रेडिंग एकाउन्ट में दर्शाई बिक्री ₹ 9.54 लाख + 6 प्रतिशत लाभ ₹ 2.30 लाख जैसाकि लेखापरीक्षा में गणना की गई)

लेखों/ऑडिट रिपोर्टों को प्राप्त करने एवं उनकी जांच करने के लिये विभाग निर्धारण अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करे ।

2.9.9 विभाग में सामन्जस्य की कमी

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 75 के अनुसार, एक निर्धारण अधिकारी को व्यवहारी के व्यवसाय के स्थान के निरीक्षण का अधिकार है।

विशेष वृत्त-IV जयपुर के एक व्यवहारी (मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड) का दिनांक 11.2.2009 को प्रतिकरापवंचन-I राजस्थान वृत्त, जयपुर द्वारा सर्वे किया गया था। सर्वे टीम ने पाया कि कम्पनी ने डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकॉस्टिंग सर्विसेज के लिये सेट टॉप बॉक्स के विक्रय के दौरान हैण्ड स्टेन्ड, केबल, कन्डक्टर इत्यादि, जोकि एक्टिवेशन हार्डवेयर कहलाते हैं, के प्रति उपभोक्ता ₹ 1000 प्राप्त किये लेकिन एक्टिवेशन हार्डवेयर पर कर का भुगतान नहीं किया गया।

प्रतिकरापवंचन-I राजस्थान वृत्त, जयपुर ने अप्रेल 2008 से जनवरी 2009 की अवधि के लिये कर निर्धारण को अन्तिम रूप (जनवरी 2010) देते समय 96,242 सेट टॉप बॉक्सेज के साथ आपूर्ति किये गये एक्टिवेशन हार्डवेयर पर शास्ति सहित कर आरोपित किया। तथापि, विशेष वृत्त-IV, जयपुर में व्यवहारी के उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, उसने वर्ष 2008-09 के दौरान 1,15,098 सेट टॉप बॉक्सेज का विक्रय किया था। लेकिन बचे हुए 18,856 सेट टॉप बॉक्सेज के साथ आपूर्ति किये गये एक्टिवेशन हार्डवेयर पर कर आरोपित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.32 करोड़ मूल्य के एक्टिवेशन हार्डवेयर, जो 18,856 सेट टॉप बॉक्सेज के साथ आपूर्ति किय गये थे, के विक्रय पर कर ₹ 16.50 लाख के अतिरिक्त ब्याज ₹ 4.95 लाख एवं शास्ति ₹ 33 लाख का कम आरोपण हुआ।

2.9.10 विक्रय का कार्य संविदा के रूप में गलत वर्गीकरण एवं कर मुक्ति शुल्क का कम आरोपण

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 के अनुसूची-V के अनुसार, एयर कन्डीशनर एवं इलेक्ट्रोनिक मीटर पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय है एवं अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त 2006 के अनुसार, अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर पर कार्य संविदा के टर्नओवर पर कर मुक्ति शुल्क देय है।

2.9.10.1 तीन वृत्तों[6] के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया गया कि निर्धारण अधिकारियों ने वर्ष 2007-08 और 2008-09 में चार व्यवहारियों के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (मार्च 2010 एवं फरवरी 2011 के मध्य) एयर कन्डीशनिंग प्लान्ट एवं बी.ई.आर. इलेक्ट्रोनिक मीटरों की आपूर्ति एवं स्थापन करने से सम्बन्धित ₹ 6.41 करोड़ के टर्नओवर को कार्य

[6] वृत्त- विशेष-I जयपुर, विशेष राजस्थान जयपुर एवं वक्र्स कर जोधपुर।

संविदा माना एवं कर मुक्ति शुल्क ₹ 17.73 लाख आरोपित किया। व्यवहारी एयर कन्डीशनर एवं इलेक्ट्रोनिक मीटर के विक्रय हेतु पंजीकृत थे एवं ऐसे माल की आपूर्ति एवं स्थापना के लिये ऐसी संविदा विक्रय है, जिसमें मुख्य घटक को अन्तिम उत्पाद में बदलने के लिये मजदूरी घटक का नाममात्र का उपयोग हुआ था। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 62.35 लाख एवं ब्याज ₹ 18.95 लाख का कम आरोपण हुआ।

राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त 2006 से कार्य संविदा के निष्पादन में संलग्न पंजीकृत व्यवहारियों को कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त माल के रूप में सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर आरोपणीय कर में इस शर्त पर छूट प्रदान की कि निर्धारण अधिकारी कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा एवं ऐसा व्यवहारी निम्नानुसार दर से कर मुक्ति शुल्क का भुगतान करेगा:

क्र. सं.	सम्बन्धित कार्य संविदा का विवरण	कर मुक्ति शुल्क की दर (संविदा के कुल मूल्य का प्रतिशत)
1.	बिल्डिंग, सड़कें, पुल, बांध एवं सीवरेज सिस्टम	1.50 प्रतिशत
2.	पी.एस.पी.ओ., वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, मेटेरियल सहित पाईप लाईन बिछाने सहित प्लान्टों एवं मशीनरी की स्थापना	2.25 प्रतिशत
3.	कोई अन्य प्रकार की कार्य संविदा	3.00 प्रतिशत

2.9.10.2 वक्र्स कर वृत्त, अलवर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि एक व्यवहारी (मैसर्स गेनन डंकरले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, अलवर) ने वर्ष 2007-08 में कार्य संविदा का निष्पादन किया। निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय ₹ 61.08 करोड़, जैसा कि विवरणियों में दर्शाया था, के बजाय ₹ 56.03 करोड़ के टर्नओवर पर कर मुक्ति शुल्क का निर्धारण किया। इसके परिणामस्वरूप कर मुक्ति शुल्क ₹ 11.35 लाख एवं ब्याज ₹ 4.77 लाख का कम आरोपण हुआ।

इसे ध्यान में लाने के बाद, निर्धारण अधिकारी ने अवगत कराया (सितम्बर 2012) कि ₹ 16.87 लाख की मांग कायम कर दी गई।

2.9.10.3 वक्र्स कर वृत्त, अलवर के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान पाया गया कि एक व्यवहारी (मैसर्स गेनन डंकरले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, अलवर) ने वर्ष 2008-09 के दौरान पॉवर प्लान्ट एवं सीमेन्ट प्लान्ट के निर्माण से सम्बन्धित कार्य संविदा का निष्पादन किया था। निर्धारण अधिकारी द्वारा

व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय कर मुक्ति शुल्क 2.25 प्रतिशत के स्थान पर 1.50 प्रतिशत की दर से निर्धारण किया। इसके परिणामस्वरूप कर मुक्ति शुल्क ₹ 11.68 लाख एवं ब्याज ₹ 3.50 लाख का कम निर्धारण हुआ।

इसे ध्यान में लाये जाने के बाद निर्धारण अधिकारी ने बताया (सितम्बर 2012) कि ₹ 12.70 लाख की मांग कायम कर दी गई।

2.9.11 आगत कर क्रेडिट (आई.टी.सी.)

2.9.11.1 आगत कर क्रेडिट की अधिक स्वीकृति

तीन वृत्तों के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया गया कि पाँच व्यवहारियों को या तो आई.टी.सी. देय नहीं थी या उनको देय आई.टी.सी. से अधिक का दावा किया गया, तथापि, कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारियों द्वारा त्रुटि का पता नहीं लगाया जा सका। इसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शायेनुसार ₹ 1.30 करोड़ की आई.टी.सी. एवं ब्याज ₹ 53.22 लाख अधिक स्वीकृत हुए।

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 18(1) के अनुसार, पंजीकृत व्यवहारियों को, उक्त उप धारा में बताये गये प्रयोजन हेतु राज्य के भीतर पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये करयोग्य माल पर आई.टी.सी. देय होगा। तथापि, यदि क्रय किये गये माल का आंशिक उपयोग, उप धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये तथा आंशिक उपयोग अन्यथा किया गया हो तो, आई.टी.सी. आनुपातिक आधार पर देय होगा तथा बिना बिके पूंजीगत माल पर देय नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त, रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 2(33) के अनुसार, आई.टी.सी. का वह भाग जो धारा 18 के प्रावधानों के विरूद्ध है, को रिवर्स करना होगा।

(i) प्रतिकरापवंचन-II राजस्थान वृत्त, जयपुर के एक व्यवहारी (मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर) द्वारा वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान क्रय किये गये सिलेन्डरों, जिनको स्टोर करने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) का ट्रान्सपोर्ट करने के काम में लिये जाते थे, पर आई.टी.सी. का दावा किया गया था। यद्यपि, ये सिलेन्डर पैकिंग मेटेरियल हैं, लेकिन आई.टी.सी. का लाभ देय नहीं था क्योंकि वितरकों को सिलेन्डर एल.पी.जी. सहित नहीं बेचे गये थे एवं उपभोक्ताओं द्वारा एल.पी.जी. गैस का उपभोग करने के बाद वितरकों द्वारा वापस लौटा दिये गये थे एवं ऑयल कम्पनी के वार्षिक लेखों के अनुसार सिलेन्डरों को स्थायी सम्पत्तियों के रूप में दर्शाया जा रहा था एवं इन पर मूल्यह्रास लिया जा रहा

था। चूंकि सिलेन्डरों पर स्वामित्व, व्यवहारी (ऑयल कम्पनी) का था। अत: धारा 18(1) के अनुसार इन स्थायी सम्पत्तियों पर आई.टी.सी. देय नहीं थी। ब्याज ₹ 45.93 लाख सहित तीन वर्षों की आई.टी.सी. राशि ₹ 1.10 करोड़ रिवर्स की जानी आवश्यक है।

(ii) एक व्यवहारी (मैसर्स विशाल रिटेल स्टोर लिमिटेड, जयपुर) ने 2008-09 के दौरान क्रय किये गये माल ₹ 15.12 करोड़ पर ₹ 1.07 करोड़ की आई.टी.सी. का दावा किया। निर्धारण अधिकारी प्रतिकरापवंचन-II, राजस्थान वृत्त, जयपुर ने माल की खरीद वापसी ₹ 39.18 लाख पर ₹ 3.39 लाख की आई.टी.सी. रिवर्स की एवं ₹ 14.73 करोड़ के माल की खरीद पर ₹ 1.03 करोड़ की आई.टी.सी. स्वीकृत की गई।

तथापि, वेट ऑडिट रिपोर्ट की जांच में हमने पाया कि व्यवहारी ने राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से ₹ 13.37 करोड़ की खरीद ही दर्शाई थी। अत: राशि ₹ 1.36 करोड़[7] के माल पर आई.टी.सी. ₹ 5.43 लाख देय नहीं थी तथा उसे रिवर्स करना चाहिए था। निर्धारण अधिकारी की गलती के परिणामस्वरूप ₹ 5.43 लाख की आई.टी.सी. अधिक स्वीकृत हुई। इसके अतिरिक्त ब्याज के ₹ 1.63 लाख भी आरोपणीय थे।

(iii) विशेष वृत्त, राजस्थान, जयपुर के एक व्यवहारी (मैसर्स ओम मेटल्स ऑटो प्रा.लि., जयपुर) द्वारा 2008-09 के दौरान ₹ 1.24 करोड़ मूल्य के माल पर आई.टी.सी. का दावा किया। वेट ऑडिट रिपोर्ट की जांच में यह पाया गया कि व्यवहारी ने राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से ₹ 50.52 लाख का माल ही क्रय किया था। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय ₹ 73.48 लाख मूल्य के माल पर कर ₹ 9.23 लाख को रिवर्स नहीं किया। उक्त के अतिरिक्त ब्याज ₹ 2.77 लाख भी आरोपणीय था।

(iv) वृत्त सी, जयुपर के एक व्यवहारी (मैसर्स गरिमा गम इण्डस्ट्रीज, जयपुर) ने 2006-07 के दौरान ₹ 9.39 करोड़ की ग्वार निर्माण प्रक्रिया में 'ग्वार' उपयोग में ली गई एवं 'ग्वार' राशि ₹ 7.51 करोड़ की खरीद पर ₹ 30.02 लाख की आई.टी.सी. का दावा किया गया। व्यवहारी के वेट ऑडिट रिपोर्ट एवं व्यापार खाता की जांच में पाया कि व्यवहारी ने माल के कुल विक्रय राशि ₹ 10.30 करोड़ में से राशि ₹ 6.76 करोड़ के करयोग्य माल का विक्रय किया था। इस प्रकार, व्यवहारी ने केवल ₹ 6.16 करोड़ के माल का उपभोग किया। साथ ही ₹ 30.02 लाख के बजाय आनुपातिक आधार पर ₹ 24.66 लाख की ही आई. टी.सी. देय थी। इस प्रकार निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 5.36 लाख की आई.टी.सी. अनियमित स्वीकृत की गई। उक्त के अतिरिक्त ब्याज ₹ 2.89 लाख भी आरोपणीय था।

[7] (₹ 14.73 करोड़ - ₹ 13.37 करोड़)

इसे ध्यान में लाये के जाने के बाद सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2012) कि ₹ 8.01 लाख (कर ₹ 5.52 लाख एवं ब्याज ₹ 2.49 लाख) की मांग कायम कर दी गई है। वसूली के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई (नवम्बर 2012)।

(v) सत्यापन के बिना आई.टी.सी. स्वीकृत करना

रा.मू.प. कर अधिनियम, 2003 की धारा 18(2) के अनुसार, मूल वेट इनवाइस के आधार पर जमा कर, ऐसी इनवाइस के जारी होने के तीन माह बाद आई.टी.सी. का दावा स्वीकार किया जायेगा। आयुक्त, वाणिज्यिक कर, के परिपत्र दिनांक 1 सितम्बर 2009 से भी निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसा क्रेडिट स्वीकृत करते समय आई.टी.सी. सत्यापित की जावे।

चयनित वृत्तों के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच के दौरान पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा व्यवहारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय वेट इनवाइस के अनुसार कर के जमा का, पूर्व सत्यापन किये बिना ही आई.टी.सी. दावा स्वीकृत कर दिया गया।

इसे ध्यान में लाये जाने पर, विभाग ने समापन बैठक के दौरान अवगत कराया कि आई.टी.सी. दावों के सत्यापन के लिये एक समाशोधन गृह बनाया गया है। सभी व्यवहारियों के लिये 1 अप्रेल 2012 से ऑनलाइन विवरणियाँ दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप आई.टी.सी. का ऑनलाइन सत्यापन होगा।

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग निर्धारण अधिकारियों को निर्देश करे कि पहले कर चुकाने का सत्यापन एवं क्रय किये गये माल का वास्तविक उपयोग होने के बाद आई.टी.सी. स्वीकृत करे।

2.9.12 सब्सिडी एवं कर का आस्थगन/छूट से सम्बन्धित योजनायें

राज्य में नये औद्योगिक निवेश के लिये और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु, राज्य सरकार ने रा.बि.क./के.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न बिक्री कर छूट एवं आस्थगन योजना, 1987, 1989 एवं 1998 में एवं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 (आर.आई.पी.एस.) को अधिसूचित किया। आगे, रा.मू.प. कर अधिनियम, 2003 की धारा 20(3) के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2006 को अधिसूचना जारी करके इन योजनाओं के अन्तर्गत कर में छूट का लाभ प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा देय कर के भुगतान को आस्थगित करने की अनुमति दी गई थी। सब्सिडी एवं कर के आस्थगन को अधिक स्वीकृति से सम्बन्धित कुछ अनियमिततायें नीचे दर्शायेनुसार जानकारी में आयी।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 (आर. आई.पी.एस.) के अनुच्छेद 7(i)(बी) सपठित अनुच्छेद 7 के परन्तुक एवं अनुच्छेद 7(ii) के अनुसार आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु जारी ऋण पर पाँच प्रतिशत की दर से चुकाये गये ब्याज की सब्सिडी देय होगी जो कि यूनिट द्वारा देय या जमा रा.बि.क./वेट एवं के.बि.क. की पूर्व के तीन वर्षों में किसी भी वर्ष (आधार वर्ष) अधिकतम देय कर या जमा से अधिक अतिरिक्त राशि की अधिकतम 75 प्रतिशत होगी। आगे, किसी भी शर्त के उल्लंघन पर सब्सिडी दिये जाने की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित सब्सिडी राशि को कर के रूप में वसूला जायेगा।

2.9.12.1 वृत्त विशेष राजस्थान, जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि एक व्यवहारी (मैसर्स डी.सी.एम. श्रीराम कन्सोलिडेटेड लिमिटेड, जयपुर) को इकाई के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिये 2008-09 से 2010-11 के दौरान सब्सिडी स्वीकृत की गई। निर्धारण अधिकारी ने, जिसमें कर राशि ₹ 6.03 करोड़ थी, 2003-04 को गलती से आधार वर्ष[8] स्वीकार किया। यह पाया गया कि आधार वर्ष को निर्धारण के दौरान उस वर्ष की छूट की राशि को नहीं जोड़ा गया था। निर्धारण अभिलेखों के अनुसार, छूट राशि जिस पर कर ₹ 7.35 करोड़ देय थे, के शामिल करने के बाद व्यवहारी का आधार वर्ष 2001-02[9] था। इस प्रकार व्यवहारी ₹ 10.69 करोड़ के स्थान पर ₹ 8.19 करोड़ की सब्सिडी लेने का हकदार था। इसके परिणामस्वरूप सब्सिडी ₹ 2.50 करोड़ एवं ब्याज ₹ 67.48 लाख अधिक दिये गये।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2012) कि जनवरी 2008 से मार्च 2009 तक की अवधि के लिये ₹ 1.89 करोड़ की मांग कायम कर दी गई थी एवं शेष अवधि के लिये नोटिस जारी कर दिया गया था।

उद्योगों के लिये बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1987 सपठित अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के अनुसार, किसी औद्योगिक इकाई को बिक्री कर छूट एवं आस्थगन का लाभ ₹ 4.00 करोड़ तक सीमित था।

2.9.12.2 वृत्त सी, जयपुर के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि एक निर्माता इकाई (मैसर्स ऋषभ कम्प्यूट्रोनिक्स लिमिटेड, जयपुर)

[8] पिछले तीन वर्षों में देय कर एवं कर मुक्ति राशि सहित ₹ 7.35 करोड़, ₹ 6.59 करोड़, एवं ₹ 7.18 करोड़ क्रमशः वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 में देय थे। इसके अनुसार वर्ष 2001-02 के लिये कर राशि ₹ 7.35 करोड़ अधिकतम थी और इस वर्ष की राशि को आधार वर्ष की राशि के रूप मे लेना चाहिए था न कि ₹ 6.03 करोड़ की कर राशि को।

[9] पिछले तीन वर्षों में देय कर एवं कर मुक्ति राशि सहित ₹ 7.35 करोड़, ₹ 6.59 करोड़, एवं ₹ 7.18 करोड़ क्रमशः वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 में देय थे। इसके अनुसार वर्ष 2001-02 के लिये कर राशि ₹ 7.35 करोड़ अधिकतम थी और इस वर्ष की राशि को आधार वर्ष की राशि के रूप मे लेना चाहिए था न कि ₹ 6.03 करोड़ की कर राशि को।

को 2005-06 से 2008-09 तक ₹ 9.81 करोड़ की कर में छूट एवं आस्थगन का लाभ दिया गया था।

कर निर्धारण आदेशों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यवहारी ने अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के अन्तर्गत आस्थगन लाभ का विकल्प लिया था एवं इस प्रकार अधिकतम ₹ 4.00 करोड़ की कर मुक्ति/आस्थगन के लिये पात्र था। निर्धारण अधिकारी ने गलत ढंग से ₹ 9.81 करोड़ तक का आस्थगन लाभ स्वीकृत कर दिया था अर्थात् ₹ 5.81 करोड़[10] के कर का आस्थगन एवं ₹ 1.88 करोड़ का ब्याज अधिक दिया गया।

इसे ध्यान में लाये जाने पर, सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2012) कि ₹ 8.62 करोड़ (कर ₹ 5.81 करोड़ एवं ब्याज ₹ 2.81 करोड़) की मांग कायम की जा चुकी है। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई (नवम्बर 2012)।

राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 से या तो उद्योगों के लिये बिक्री कर नई प्रोत्साहन योजना (प्रोत्साहन योजना), 1989 या रा.बि.क./के.बि.क. उद्योगों के लिये छूट योजना, 1998 के अन्तर्गत छूट का लाभ प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाइयों द्वारा देय कर के भुगतान को आस्थगित करने की अनुमति प्रदान की। आगे, रा.मू.प. कर अधिनियम, 2003 की धारा 17 के अनुसार, 'व्यवहारी द्वारा देय कर' से तात्पर्य आउटपुट कर की राशि में से आई.टी.सी. की राशि कम करना है।

2.9.12.3 आठ वृत्तों[11] के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय 11 व्यवहारियों को आउटपुट कर में से आई.टी.सी. ₹ 1.84 करोड़ को घटाये बिना ही ₹ 3.06 करोड़ का कर का आस्थगन स्वीकृत किया गया।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.84 करोड़ के कर का आस्थगन एवं ब्याज ₹ 66.38 लाख अधिक स्वीकृत कर दिया गया। सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2012) कि वृत्त 'जे', जयपुर एवं वृत्त विशेष-I, भिवाड़ी के मामलों में ₹ 1.19 करोड़ की मांग कायम कर दी गई।

2.9.12.4 विशेष राजस्थान वृत्त, जयपुर के एक व्यवहारी (मैसर्स हिन्दुस्तान कोकाकोला ब्रेवरीज प्रा.लि., जयपुर) उद्योगों के लिये बिक्री कर योजना/केन्द्रीय बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 (प्रोत्साहन योजना) के अन्तर्गत कर में छूट प्राप्त कर रहा था। व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का 22.07.2006 को सर्वे किया गया था। सर्वे के दौरान यह पाया गया कि व्यवहारी ने 12.5 प्रतिशत की दर से कर का संग्रहण किया था परन्तु राजकीय लेखों में 6.25 प्रतिशत की दर

[10] 2007-08 में ₹ 1.17 करोड़ एवं 2008-09 में ₹ 4.64 करोड़ एवं ब्याज ₹ 1.88 करोड़।

[11] वृत्त: जे-जयपुर, विशेष-I भिवाडी, सी-जयपुर, बी-जोधपुर, सीकर, सी-जोधपुर, विशेष-II भिवाडी एवं विशेष-V जयपुर।

से जमा कराया। सर्वे के आधार पर, निर्धारण अधिकारी द्वारा 1 अप्रेल 2006 से 15 जुलाई 2006 तक की अवधि के लिये कर ₹ 2.24 करोड़, ब्याज ₹ 4.91 लाख एवं शास्ति ₹ 2.24 करोड़ निर्धारित की।

व्यवहारी ने उच्च न्यायालय में निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपील दायर की। न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 02.04.2009 से शास्ति को न्यायोचित नहीं माना एवं 09.10.2006 को पारित, कर निर्धारण आदेश को निरस्त एवं सेट एसाइड कर दिया एवं राज्य सरकार को निर्देशित किया कि निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्ति की दिनांक से छः माह के भीतर प्रोत्साहन योजना को लागू करने के तरीके की घोषणा करे। उच्च न्यायालय में आगे ओर आदेश दिया कि राजस्थान राज्य द्वारा तरीके की घोषणा करने के बाद ही विभाग व्यवहारी के विरूद्ध कर निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने हेतु स्वतन्त्र होगा एवं कर निर्धारण आदेश कानून के अनुरूप होगा तथा राज्य द्वारा घोषित ऐसे तरीके के अनुरूप होगा।

न्यायालय के आदेश की अनुपालना में, निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 30.06.2009 द्वारा 01 अप्रेल 2006 से 15 जुलाई 2006 तक की अवधि के लिये सम्पूर्ण मांग को मांग एवं संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) से हटा दिया। राज्य सरकार ने प्रोत्साहन योजना को लागू करने के तरीके को स्वीकार करने के लिये दिनांक 21 अगस्त 2009 को स्पष्टीकरण जारी किया। यद्यपि, हमने यह पाया (मार्च 2012) कि निर्धारण अधिकारी द्वारा कर का पुनः निर्धारण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 2.24 करोड़ एवं ब्याज ₹ 13.25 करोड़ की मांग कायम नहीं हो पायी।

इसे ध्यान में लाये जाने पर, सरकार ने बताया (अक्टूबर 2012) कि संशोधित निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया। तथापि, आरोपित मांग की राशि एवं वसूली की स्थिति से अवगत नहीं कराया गया था।

2.9.12.5 आस्थगन मामलों से सम्बन्धित अभिलेखों के संधारण का अभाव

यह पाया गया कि व्यवहारी-वार कर की आस्थगन राशि एवं आस्थगित की गई कुल कर की राशि की स्थिति विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी। मापक जांच किये गये 11 वृतों[12] की जांच में यह पाया गया कि 2010-11 तक 43 मामलों में ₹ 318.37 करोड़ के कर की राशि को आस्थगित किया गया था। आगे, यह भी पाया गया कि निर्धारण अधिकारियों द्वारा आस्थगित कर ₹ 318.37 करोड़ की मांग को (डी.सी.आर.) में दर्ज नहीं किया था। लेखापरीक्षा में यह तथ्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या वसूली हेतु मांगों पर निगरानी की जा रही थी।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2012) कि आस्थगित कर की प्राप्ति पर निगरानी के लिये वृत्तों द्वारा एक विशेष रजिस्टर संधारित किया जा रहा था।

[12] वृत्तः विशेष-III जयपुर, विशेष-I भिवाड़ी, विशेष अजमेर, विशेष राजस्थान जयपुर, सीकर, विशेष-I जयपुर, सी-जयपुर, बी-जोधपुर, विशेष अलवर, जी-जयपुर, जे-जयपुर।

तथापि, यह देखा गया कि आस्थगित कर की निगरानी के लिये वृत्तों द्वारा संधारित किये गये ऐसे रजिस्टर को निर्धारण अधिकारियों द्वारा ना तो अद्यतन थे और ना ही सत्यापित किये गये। इसके अतिरिक्त, आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार डी.सी.आर. संधारित किया जाना था, किन्तु इसके संधारण नहीं करने के परिणामस्वरूप आस्थगित कर के सामयिक भुगतान पर निगरानी नहीं रखी गई।

सरकार ने समापन बैठक के दौरान बिन्दु को स्वीकार किया और अवगत कराया कि डी.सी.आर. के संधारण सहित आस्थगित कर के विवरणों को दर्ज करने के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग आस्थगित कर के विवरणों को डी.सी.आर. में अंकित करे ताकि इसकी सही स्थिति और समय पर भुगतान को सुनिश्चित किया जा सके।

2.9.13 केन्द्रीय बिक्री कर का आरोपण एवं संग्रहण

2.9.13.1 कर निर्धारण के बाद घोषणा पत्र स्वीकार करना

के.बि.क. (रजिस्ट्रेशन एण्ड टर्नओवर) नियम, 1957 के नियम 12(7) के अनुसार, कर से मुक्ति/रियायत का दावा करने के लिये 'सी' प्रपत्र या 'एफ' प्रपत्र या प्रपत्र ई-I/ई-II प्रपत्रों में घोषणा प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी को, जिस अवधि से सम्बधित घोषणा या प्रमाण पत्र है, की समाप्ति के पश्चात तीन माह के भीतर प्रस्तुत किये जायेंगे।

सात वृतों[13] में 16 व्यवहारियों के कर निर्धारणों अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारियों ने अन्तरर्राज्यीय बिक्री जो कि अवधि 2010-11 के दौरान निर्धारित घोषणाओं से समर्थित नहीं थी, पर ब्याज के ₹ 8.54 करोड़ सहित ₹ 46.74 करोड़ की मांग कायम की गई। तथापि, इन व्यवहारियों द्वारा घोषणा पत्रों के प्रस्तुत करने पर निर्धारण अधिकारियों द्वारा मांग कम कर दी गई। प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण को अन्तिम रूप देने के बाद मांग मे कमी करना सही नहीं था।

इसके परिणामस्वरूप व्यवहारियों को कर ₹ 38.20 करोड़ एवं ब्याज ₹ 8.54 करोड़ की अनियमित रियायत/छूट प्राप्त हुई।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2012) कि के.बि.क.(रजिस्ट्रेशन एण्ड टर्नओवर) नियम, 1957 के नियम 12(7) के अनुसार, निर्धारण अधिकारी अपनी सन्तुष्टि के बाद और समय दे सकता है। जवाब उचित नहीं है क्योंकि निर्धारण अधिकारियों

[13] वृत्त:विशेष-III जयपुर, विशेष-I जयपुर, विशेष अलवर विशेष राजस्थान जयपुर, ई-जयपुर, टोंक एवं वक्र्स कर-I, जयपुर।

द्वारा कर निर्धारण अन्तिम रूप से कर दिया गया था एवं कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देने के बाद प्रपत्रों को स्वीकारना सही नहीं था।

विभाग, निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर निर्धारणों को उनके द्वारा अन्तिम रूप दिये जाने के बाद घोषणा पत्रों को स्वीकार न करने हेतु निर्देशित करे।

2.9.13.2 माल के स्थानान्तरण पर कर में अनियमित छूट देना

के.बि.क. अधिनियम, 1956 की धारा 6(ए)(1) के अनुसार, यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल का संचालन 'एफ' प्रपत्र से समर्थित नहीं होता है, तो इसे विक्रय माना जायेगा एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यवहारी कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

प्रतिकरापवंचन-II, राजस्थान वृत्त, जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि एक व्यवहारी (मैसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर) ने वर्ष 2008-09 में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की वेट ऑडिट रिपोर्ट में ₹ 6.94 करोड़ का शाखा स्थानान्तरण दर्शाया था। व्यवहारी ने कर में छूट प्राप्त करने के लिये केवल ₹ 6.10 करोड़ मूल्य के माल के लिये 'एफ' घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत किये। इस प्रकार ₹ 84.28 लाख का शेष शाखा स्थानान्तरण घोषणा प्रपत्र 'एफ' से समर्थित नहीं था और इस पर कर आरोपणीय था। यह निर्धारण अधिकारी के ध्यान से छूट गया, परिणामस्वरूप ₹ 10.54 लाख की अनियमित छूट दे दी गई। इसके अतिरिक्त ₹ 3.16 लाख का ब्याज भी आरोपणीय था।

2.9.13.3 अवैध प्रपत्रों पर अनियमित छूट प्रदान करना

के.बि.क. (रजिस्ट्रेशन एवं टर्नओवर) नियम, 1957 के नियम 12(1) सपठित नियम 21(9)(बी) के अनुसार दो समान व्यवहारियों के मध्य वित्तीय वर्ष की तिमाही में हुए बिक्री के सभी लेन-देन एक ही घोषणा प्रपत्र 'सी' एवं ई.I/II से सन्दर्भित होगें।

वृत्त वर्क्स कर, जोधपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि एक व्यवहारी (मैसर्स जी.के.सी. प्रोजेक्ट लिमिटेड, जोधपुर) ने के.बि.क. अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत 2008-09 के दौरान ₹ 9.94 करोड़ के माल की बिक्री की। घोषणा पत्रों की जांच में पाया गया कि व्यवहारी ने ₹ 8.37 करोड़ का एक ई-I प्रपत्र प्रस्तुत किया जिसमें दो तिमाहीयों के लेन-देन शामिल थे (दिसम्बर 2008 एवं मार्च 2009 को समाप्त तिमाहीयों के)।

निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (फरवरी 2012) एक तिमाही के बजाय दो तिमाहियों के लेन-देनों को स्वीकार

किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.24 लाख के ब्याज सहित कर ₹ 5.38 लाख[14] की अनियमित छूट दी गई।

2.9.13.4 अन्तरराज्यीय बिक्री पर कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण

के.बि.क. अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी, जो अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान अन्य पंजीकृत व्यवहारी को माल का बिक्रय करता हैं, 1 अप्रेल 2007 से 31 मई 2008 तक तीन प्रतिशत तथा उसके पश्चात् दो प्रतिशत की रियायती दर से कर का भुगतान करेगा, यदि विक्रयकर्त्ता व्यवहारी बिक्री के समर्थन में प्रपत्र 'सी' में घोषणा प्रस्तुत करता है, अन्यथा राज्य के भीतर उक्त माल के क्रय या विक्रय पर उस पर देय दरों से कर आरोपणीय है। रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-V के अनुसार, इलेक्ट्रीक माल पर 12.5 प्रतिशत की दर से वेट आरोपणीय है।

विशेष वृत्त, अलवर के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह पाया गया कि एक व्यवहारी (मैसर्स ध्रुव इलेक्ट्रीकल्स, अलवर) ने अन्तरराज्यीय व्यापार के दौरान विक्रय के समर्थन में प्रपत्र 'सी' दिए बिना ₹ 73.77 लाख का इलेक्ट्रीक माल बेचा। यद्यपि, निर्धारण अधिकारी निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (अक्टूबर 2010) 12.5 प्रतिशत के स्थान पर चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.27 लाख के कर का तथा ₹ 2.38 लाख के ब्याज का अवनिर्धारण हुआ। इसे ध्यान में लाये जाने के बाद, (दिसम्बर 2011) निर्धारिण अधिकारी ने सूचित किया (दिसम्बर 2011) कि ₹ 8.65 लाख की मांग कायम कर दी गई। यद्यपि, वसूली की स्थिति प्रतिक्षित है (नवम्बर 2012)।

[14] घोषण-पत्र एक तिमाही के लिये ही स्वीकार्य था। वो तिमाही जिसकी तुलनात्मक रूप में कम राशि अर्थात ₹ 1.04 करोड़ थी, के लिये स्वीकार्य नहीं था।

2.9.14 नियमों एवं अधिसूचनाओं में प्रावधानों की कमी

2.9.14.1 कर में छूट के लिये प्रावधानों में कमी

रा.मू.प. कर नियम, 2006 के नियम 21 के अनुसार एक व्यवहारी माल के विक्रय पर कर के भुगतान हेतु आंशिक या पूरी छूट का दावा कर सकता है:

(अ) राज्य के अन्य व्यवहारी को घोषणा-पत्र/ प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित अधिसूचना/नियमों के अन्तर्गत अपनी विवरणी के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है;

(ब) भारतीय सीमा के बाहर निर्यात के क्रम में, अपनी विवरणी के साथ, प्रपत्र वेट-15, जो पूरी तरह भरा हुआ एवं निर्यातकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यह पाया गया कि रा.मू.प. कर अधिनियम, 2003 की धारा 8(3) के अन्तर्गत राज्य सरकार ने समय-समय पर अधिसूचनायें जारी कर घोषणा पत्रों के प्रस्तुत करने पर क्रेता व्यवहारियों को माल के क्रय पर नीचे दर्शायेनुसार, कर के भुगतान से पूरी/आंशिक छूट प्रदान की गई:

क्र. सं.	व्यवहारियों की श्रेणी	अधिसूचना की दिनांक	छूट की शर्त
1.	निर्माता व्यवहारी द्वारा पूंजीगत माल की खरीद	27.08.2008	रा.मू.प. कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत पूंजीगत माल, उनके पार्ट्स एवं एसेसरीज के रूप में उपयोग।
2.	बी.एस.एफ. कैंटीन	25.05.2009	फोर्स के सदस्यों को ही विक्रय हेतु खरीद की गई।
3.	सेन्ट्रल एफ्यूलेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट एवं केमिकल्स के उपकरण	08.07.2009	सेन्ट्रल एफ्यूलेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के ही उपयोग किये जाने हेतु।
4.	हेण्डीक्राफ्ट के निर्माताओं द्वारा टिम्बर की खरीद	30.07.2009	राज्य में हेण्डीक्राफ्ट के निर्माण के लिये कच्चे माल के रूप में उपयोग किये जाने हेतु।

यह पाया गया कि विभाग के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी, जिससे यह सत्यापित किया जा सके कि माल का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था, जिस उद्देश्य के लिए व्यवहारी द्वारा खरीद गयी थी। आगे, घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र के दुरूपयोग के मामले में शास्ति आरोपण का कोई प्रावधान नहीं था।

सरकार/विभाग ने समापन बैठक के दौरान अवगत कराया कि वेट ऑडिट रिपोर्ट के फोरमेंट में प्रावधान शामिल किये जा रहे हैं।

2.9.14.2 व्यक्तिगत व्यवहारियों के फायदे के लिये छूट की अधिसूचनाओं से लगातार ढील देना

राज्य सरकार समय-समय पर 'जनहित' में रा.मू.प. कर अधिनियम, 2003 एवं के.बि.क. अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के अन्तगर्त अधिसूचनायें जारी करने में सक्षम हैं। यह पाया गया कि कुछ अधिसूचनायें 'जनहित' में व्यक्तिगत व्यवहारियों को कुछ अतिरिक्त लाभ पहुँचाने के लिये की गई। यद्यपि, सम्बन्धित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाये गये। अभिलेखों के अभाव में छूट के लिये मूल आवश्यकता, आधार, कार्यप्रणाली/प्रणाली, अतिरिक्त छूट स्वीकृत करने के कारण एवं राज्य सरकार एवं राज्य की जनता को वृहत स्तर पर इसके उत्तरोत्तर लाभ को सुनिश्चित किया जाना सम्भव नहीं थी। कुछ प्रकरण आगामी अनुच्छेदों में वर्णित है।

विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि के.बि.क. अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उप धारा (5) में अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार ने मैसर्स अराफात पेट्रोकेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड (कम्पनी) को अर्न्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य में राज्य में कोटा में अवस्थित टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स की सभी पाँचों यूनिटों में निर्मित पी.ओ.वाई., पी.के.टी चिप्स, पी.एस.एफ. एक्रेलिक फाईबर, नाइलोन यार्न, मिथेनोल, टायर कोर्ड यार्न एवं फेब्रिक्स के विक्रय पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आरोपणीय कर 0.50 प्रतिशत से अधिक के कर को कुछ शर्तो के साथ माफ कर दिया (06.05.2006)। तथापि, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना को दो बार संशोधित कर दिया गया, एवं नीचे विवरणिका में दर्शायेनुसार मूल अधिसूचना में अंकित शर्तो में ढील दी गई:

शर्तें	मूल अधिसूचना दिनांक 6 मई 2006	अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2006	अधिसूचना दिनांक 20 अगस्त 2009
निवेश	31 मार्च 2007 तक ₹ 80.00 करोड़ का कुल निवेश करना	31 मार्च 2009 तक ₹ 80.00 करोड़ का कुल निवेश करना	31 मार्च 2009 तक ₹ 50.00 करोड़ का निवेश करना
प्रत्यक्ष रोजगार	31 मार्च 2007 तक 2000 व्यक्तियों की सीधी भर्ती करना	31 मार्च 2009 तक 500 व्यक्तियों की सीधी भर्ती करना	31 मार्च 2013 तक 500 व्यक्तियों की सीधी भर्ती करना
परिसम्पत्तियों का उपयोग	पिछले सात वर्षो से अनुपयोगी रही परिसम्पत्तियों का उपयोग करना	पिछले सात वर्षो की 31 मार्च 2009 तक सम्पत्तियों का उपयोग करना	पिछले सात वर्षो की 31 मार्च 2013 तक सम्पत्तियों का उपयोग करना

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि कर में छूट प्राप्ति के लिये विभाग शर्तो में ढील देता रहा। इन ढीलों के देने के कारण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि इस सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गये। इस अधिमूचनाओं

के द्वारा व्यवहारी को स्वीकृत कर में छूट का पता लगाना सम्भव नहीं था। तथापि, व्यवहारी अधिसूचना में दी गई शर्तों को पूरी करने में प्रत्येक बार असफल रहा।

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग यह:

- **सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणली तैयार करे कि माल का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जा रहा जिसके लिये छूट/रियायत दी गई है। घोषणा पत्रों या प्रमाण पत्रों के दुरूपयोग के मामलों में शास्ति आरोपित करने के प्रावधान करे।**
- **छूट देने वाली अधिसूचना में मूल आवश्यकताओं को और अधिक पारदर्शी बनाया जावे तथा उनमें नई अधिसूचनाएं जारी कर बार-बार परिवर्तन नहीं किया जावे।**

2.9.15 आन्तरिक नियन्त्रण

2.9.15.1 डी.सी.आर. में से मांग को हटाना

यह पाया गया है कि वर्तमान वर्ष के डी.सी.आर. में निर्धारण अधिकारी द्वारा बकाया मांग की सभी प्रविष्टियों को अग्रेषित कर दिया था, पर निगरानी रखने के लिये कोई नियन्त्रण प्रणाली नहीं थी। उदाहरणार्थ एक प्रकरण नीचे दर्शाया गया है:

प्रतिकरापवंचन-I, राजस्थान वृत्त, जयपुर के डी.सी.आर. की मापक जांच में पाया गया कि वर्ष 2006-07 के डी.सी.आर. में लाल प्रविष्टि संख्या 36 पर एक व्यवहारी (मैसर्स केरियर बिल्डर, जयपुर) के विरूद्ध ₹ 7.73 लाख की मांग बकाया थी, की प्रविष्टि थी। तथापि, वर्ष 2007-08 के डी.सी.आर. में मांग ₹ 7.73 लाख को अग्रेषित नहीं किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिये कि 2007-08 के डी.मी.आर. में सभी प्रविष्टियों को सही दर्ज कर लिया था, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2006-07 के डी.सी.आर. को सत्यापित नहीं किया था।

ध्यान दिलाये जाने पर (अक्टूबर 2011), निर्धारण अधिकारी ने सूचित किया (नवम्बर 2011) की वर्ष 2011-12 के डी.सी.आर. की क्रम संख्या 83 पर ₹ 7.73 लाख की मांग दर्ज कर दी गई।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2012) कि वर्ष के अन्त में डी.सी.आर. में शेष प्रविष्टियों को निर्धारण अधिकारी द्वारा अगले वर्ष के डी.सी.आर. में लाल स्याही में अग्रेषित एवं प्रमाणित किया गया। आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने भी डी.सी.आर. की जांच की। तथापि, उपरोक्त उदाहरण दर्शाता है कि उनके द्वारा ऐसी जांच नहीं की गई थी।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कि वर्तमान वर्ष के डी.सी.आर. में बकाया मांग की सभी प्रविष्टियां अग्रेषित कर दी गई थी, एक प्रभावी प्रणाली लागू करने पर विचार करे

2.9.15.2 विभाग द्वारा जारी निर्देशो की पालना

(i) प्रेषण नम्बर के बिना नोटिसों को जारी करना

चयनित वृत्तों के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया कि मापक जांच किये गये वृत्तों में से किसी में भी मांग/कारण बताओ नोटिसों इत्यादि जारी करने के लिये प्रेषण रजिस्टर संधारित नहीं किए जा रहे थे। प्रेषण नम्बर अंकित किये बिना ही नोटिस प्रेषण किये गये थे। प्रेषण नम्बर के अभाव में व्यवहारियों को जारी किये गये नोटिसों/मांग आदेशों को पिछली दिनांकों में जारी किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2012) कि मांग नोटिस की प्रविष्टि डी.सी.आर. में करने के बाद ही जारी किया जाता है एवं डी.सी.आर. में दिनांक-वार प्रविष्टियां की जाती हैं। तथापि, वस्तुस्थिति/तथ्य यह है कि डी.सी.आर. का तात्पर्य प्रेषण नम्बर अवांटित किए जाने से नहीं है, इस उद्देश्य के लिए पृथक प्रेषण रजिस्टरों का संधारण किया जावे।

(ii) राजस्व संग्रहण रजिस्टर (आर.सी.आर.) से सत्यापन किये बिना जमाओं का समायोजन

दिनांक 31 मई 2008 के परिपत्र के अनुसार, आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमाओं का समायोजन आर.सी.आर. से इसके उचित सत्यापन के बाद दिया जावे।

चयनित वृत्तों के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया, कि निर्धारण अधिकारियों द्वारा जमाओं का समायोजन आर.सी.आर. में जमाओं का सत्यापन किये बिना चालान के पार्ट-IV के आधार पर दिया गया था। आर.सी.आर. से सत्यापन के अभाव में, व्यवहारियों द्वारा जमाओं की प्रमाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2012) कि आर.सी.आर. से सत्यापन के पश्चात् ही जमाओं के समायोजन दिये जाने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

(iii) अन्य विभागों से अभिलेखों के प्रति-सत्यापन का अभाव

27 अप्रेल 2009 को जारी विभागीय दिशा-निर्देश के अनुसार, निर्धारण अधिकारी अन्य राजस्व विभागों यथा आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर इत्यादि से सूचनायें एकत्रित कर प्रति-सत्यापन करेगें। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारियों को बैकों तथा विद्युत कम्पनियों इत्यादि से भी सूचना एकत्रित करने के लिए भी

निर्देश दिये गये थे। व्यवहारियों द्वारा उनकी विवरणियों में दिये गये लेन-देनों के विवरण की सत्यता को जांचने के लिये ये निर्देश जारी किये गये थे।

चयनित वृत्तों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि ऐसा कोई प्रति-सत्यापन नहीं किया गया था। प्रति-सत्यापन के अभाव में, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत सूचनायें अन्य विभागों यथा आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इत्यादि कि विवरणियों के साथ प्रस्तुत सूचनाओं से प्रति-सत्यापित नहीं हो सकी।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2012) कि प्रतिकरापवंचन शाखा द्वारा अन्य विभागों से प्रति-सत्यापन किया जाता है। तथापि, व्यवहारियों द्वारा उनकी विवरणियों में दर्शायी गई सूचना का संबंधित विभागों से प्रति-सत्यापन किये जाने के संबंध में अभिलेख में कोई सूचना नही थी।

सरकार को, व्यवहारियों के सव्यवहारों का संबंधित विभागों से चरणबद्ध तरीके से, नियमित कालिक अन्तरालों में प्रति-सत्यापन करने के लिए, एक प्रणाली विकसित करने पर विचार करना चाहिए।

2.9.16 शास्ति का कम आरोपण/अनारोपण

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 58 के अनुसार, 08 जुलाई 2009 से कोई व्यवहारी, जिसे प्रति माह कर चुकाना आवश्यक है, बिना किसी उचित कारण के निर्धारित समय में निर्धारित विवरणी को प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह ऐसी त्रुटि के लिये ₹ 100 प्रतिदिन से प्रथम पन्द्रह दिन तक तथा उसके बाद ₹ 500 प्रतिदिन से उस अवधि के दौरान जब तक ऐसी विवरणियों के प्रस्तुतिकरण में त्रुटि लगातार थी, लेकिन व्यवहारी से निर्धारित कर के कुल 30 प्रतिशत से अधिक की नहीं, शास्ति की वसूली की जावेगी। इससे पूर्व शास्ति की दर ₹ 10 प्रतिदिन थी।

2.9.16.1 छः वृत्तों[15] की मापक जांच के दौरान पाया गया (अगस्त 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य) कि 24 व्यवहारियों ने वर्ष 2008-09 की उनकी 'चतुर्थ त्रैमासिक विवरणियों' को सात से 489 दिनों की देरी से प्रस्तुत की। व्यवहारियों के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (मई 2010 एवं फरवरी 2011 के मध्य), निर्धारण अधिकारियों ने संशोधित दर से पूर्व की दर यथा ₹ 100 प्रतिदिन प्रथम पन्द्रह दिन एवं उसके बाद ₹ 500 प्रतिदिन के स्थान पर ₹ 10 प्रतिदन की दर मे शास्ति आरोपित की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.49 लाख की शास्ति का कम आरोपण हुआ।

[15] वृत्त-विशेष-III जयपुर, विशेष-I जयपुर, विशेष अजमेर, जे जयपुर, विशेष राजस्थान जयपुर एवं विशेष-I भिवाड़ी।

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अनुसार, जहां कार्य संविदा का एक अवार्डर, बिलों में से कर के स्थान पर राशि कटौती कर निर्धारित तरीके से एवं समय पर उसे जमा नहीं कराता है, तो वह कटौती किये हुए कर एवं ऐसी कटौती की हुई राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

2.9.16.2 वृत्त वर्क्स कर, जोधपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (मार्च 2012) कि एक अवार्डर (मैसर्स नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमटेड, जोधपुर) ने ठेकेदार के बिलों से कर के स्थान पर वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 33.72 लाख एवं 2008-09 के दौरान ₹ 49.39 लाख की कटौती की। कर निर्धारण आदेश की जांच में पाया गया कि अवार्डर द्वारा 2007-08 में कर को एक से आठ माह एवं 2008-09 में दो से आठ माह की देरी से जमा कराया। अवार्डर क्रमशः वर्ष 2007-08 के लिये ₹ 2.95 लाख एवं 2008-09 के लिये ₹ 5.65 लाख शास्ति चुकाने हेतु उत्तरदायी था।

तथापि, निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी (अवार्डर) के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (मार्च 2010 एवं फरवरी 2011 के मध्य) शास्ति का आरोपण नहीं किया, परिणामस्वरूप ₹ 8.60 लाख की शास्ति के आरोपण का अभाव रहा।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2012) कि वृत्त विशेष अजमेर एवं विशेष राजस्थान, जयपुर के तीन प्रकरणों में ₹ 2.12 लाख की मांग कायम की जा चुकी थी। शेष प्रकरणों में जवाब प्रतिक्षित है (नवम्बर 2012)।

2.9.17 सेस पर कर का अनारोपण

रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 2(36) के अनुसार, विक्रय मूल्य का अर्थ 'कोई वैधानिक वसूली या माल के सम्बन्ध में व्यवहारी द्वारा किये गये किसी कार्य के लिये वसूली गई राशि या उसके देने के समय या पहले दी गई सेवायें ऐसे माल के विक्रय मूल्य में शामिल की जायेगी'।

इसके अतिरिक्त, रा.मू.प.कर नियम, 2006 के नियम 22(5) के अनुसार, करयोग्य टर्नओवर को निर्धारित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा वसूली गई सेस की राशि को घटाया जायेगा।

वृत्त विशेष राजस्थान, जयपुर की पेट्रोलियम कम्पनियों के अभिलेखों एवं आयुक्त वाणिज्यिक कर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा 2007-08 से 2010-11 के दौरान डीजल एवं पेट्रोल की डिपो प्राइस पर वेट चुकाया गया। पेट्रोलियम कम्पनियों ने डीजल एवं पेट्रोल दोनों पर ₹ 500 प्रति किलोलीटर से सेस भी वसूली गई थी।

जिसे वेट की गणना के लिये विक्रय मूल्य में शामिल नहीं किया गया था। इसे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया एवं तद्नुसार निर्धारण आदेश पारित किये गये।

तथापि, करयोग्य टर्नओवर में से सेस को घटाना रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के विपरीत था। चूंकि कर वसूली के लिये सेस विक्रय मूल्य का भाग था, विक्रय मूल्य की संगणना के लिए इसे घटाने के परिणामस्वरूप नीचे दर्शायेनुसार ₹ 183.13 करोड़ के कर की हानि हुई:

(i) डीजल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डीजल की बिक्री किलोलीटर में	देय सेस ₹ 500 प्रति किलोलीटर की दर से	वेट की दर प्रतिशत में	सेस पर देय वेट
2007-08	35,78,820	178.94	20	35.79
2008-09	37,15,977	185.80	18	33.44
2009-10	39,35,088	196.75	18	35.42
2010-11	38,95,153	194.76	18	35.06
योग				**139.71**

(ii) पेट्रोल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पेट्रोल की बिक्री किलोलीटर में	देय सेस ₹ 500 प्रति किलोलीटर की दर से	वेट की दर प्रतिशत में	सेस पर देय वेट
2007-08	6,63,292	33.16	28	9.28
2008-09	7,40,386	37.02	28	10.37
2009-10	8,42,066	42.10	28	11.79
2010-11	8,55,741	42.79	28	11.98
योग				**43.42**

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2012) कि विभाग सेस को विक्रय मूल्य में शामिल नहीं कर रहा था क्योंकि रा.मू.प.कर नियम, 2006 के नियम 22(5) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा विशेष उददेश्य हेतु सेस राशि की वसूली करयोग्य टर्नओवर में से घटाई जाती है एवं अधिनियम को लागू करने के लिये सरकार द्वारा नियम बनाये जाते है। अधिनियम की धारा 2(36) में दर्शायी वैधानिक वसूली सामान्य प्रकृति की है, जबकि सेस विशेष उददेश्य के लिये वसूली जाती है। इस प्रकार रा.मू.प.कर अधिनियम, 2003 की धारा 2(36) के प्रावधानों का रा.मू.प.कर नियम, 2006 के नियम 22(5) के प्रावधानों से विरोधाभास नहीं है। विभाग के मत से लेखापरीक्षा सहमत नहीं है क्योंकि अधिनियम स्पष्ट कहता है कि कोई वैधानिक वसूली या माल के सम्बन्ध में व्यवहारी द्वारा किये गये किसी कार्य के लिये वसूली गई राशि या उसके देने के समय या पहले दी गई सेवायें, ऐसे माल के विक्रय मूल्य में शामिल की जायेगी। इस प्रकार, करयोग्य

टर्नओवर में से सेस की राशि को कम करने के लिये नियम में बना हुआ प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों का विरोधाभासी है।

सरकार रा.मू.प.कर नियमों एवं रा.मू.प.कर अधिनियम के प्रावधानों का पुर्नमिलान करने पर विचार करे

2.9.18 निष्कर्ष

अवनिर्धारण, अनियमित आई.टी.सी. स्वीकारने, एवं कर के अधिक आस्थगन, ब्याज एवं सब्सिडी के प्रकरण, अधिनियम के प्रावधानों एवं विभागीय दिशा निर्देशों की अनदेखी इंगित करता है कि विभाग को अपने आन्तरिक नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्कता है, जिससे राजस्व के रिसाव को न्यूनतम किया जा सके। कर मुक्ति स्वीकृत करने एवं कर मुक्ति आदेशों में शर्तो में छूट/ढील देने में अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए।

2.9.19 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार करे कि:

- **रा.मू.प.कर अधिनियम की धारा 23 एवं 24 के अन्तर्गत विवरणियों को स्वीकार करते समय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के वार्षिक लेखे/ऑडिट रिपोर्टो के प्राप्त करने एवं जांच करने के सम्बन्ध में विभाग निर्धारण अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करे;**
- **चुकाये गये कर के पूर्व सत्यापन एवं खरीदे गये माल का वास्तविक उपयोग करने के बाद आई.टी.सी. स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में विभाग निर्धारण अधिकारियों को निर्देश जारी करे;**
- **विभाग आस्थगित कर के विवरणों को डी.सी.आर. में दर्ज करे ताकि इसकी सही स्थिति एवं समय पर भुगतान को सुनिश्चित किया जा सके;**
- **निर्धारण अधिकारियों को उनके द्वारा कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देने के बाद घोषण-पत्रों को स्वीकार नहीं करने के दिशा निर्देश जारी करे;**
- **बकाया मांग की सभी प्रविष्टियों को वर्तमान वर्ष के डी.सी.आर. में अग्रेषित करने को सुनिश्चित करने के लिये सरकार प्रभावी नियन्त्रण प्रणाली लागू करने पर विचार करे।**

2.10 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षा को वाणिज्यिक कर विभाग में मूल्य परिवर्धित कर के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में अधिनियमों/नियमों की अनुपालना नहीं करने के अनेक प्रकरण, कर/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण, कर की गलत संगणना, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अधीन कर दायित्व के स्थान पर प्रशमन राशि के कर की रियायती दर लगना ज्ञात हुये। इनमें से कुछ कमियां लेखापरीक्षा द्वारा पिछले वर्षो में भी दर्शायी गई थी, लेकिन न केवल अनियमिततायें विद्यमान हैं बल्कि लेखापरीक्षा किये जाने तक इनका पता नहीं लगा। सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा सुदृढ़ करने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है, जिससे इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

2.11 अधिनियमों/नियमों एवं अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, नियमों एवं अधिसूचनाओं में निम्नानुसार प्रावधान है:

(क) करयोग्य टर्नओवर पर निर्धारित दरों से कर का आरोपण,

(ख) सर्राफा/जेम्स एवं स्टोन्स व्यवहारियों, ईट भट्टा मालिकों, टैन्ट और पेट्रोलियम व्यवहारियों को कुछ उल्लिखित शर्तों की पूर्ति करने पर प्रशमन योजना का लाभ देना;

(ग) प्रवेश कर का आरोपण; तथा

(घ) मनोरंजन कर का आरोपण।

अभिलेखों की मापक जांच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया कि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण/अवमूली से संबंधित अनुच्छेद 2.11.1 और 2.11.5 के मामलों में उपरोक्त के कुछ प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया।

2.11.1 करयोग्य टर्नओवर पर कर का कम/अनारोपण

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अनुसार, इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यवहारी द्वारा देय कर, अनुसूची-III से VI में माल की बिक्री के करयोग्य टर्नओवर पर अनुसूची में विशिष्ट माल के सामने कर की अंकित दरों के अनुसार आरोपित होगा। उक्त अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत कर भुगतान में विलम्ब की दशा में ब्याज आरोपण योग्य है।

पाँच कार्यालयों[16] के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में (जुलाई 2011 और फरवरी 2012 के मध्य) लेखापरीक्षा ने पाया कि छः व्यवहारियों के अन्तिम निर्धारण में, निर्धारण अधिकारियों ने करयोग्य टर्नओवर का कम आकलन किया, परिणामस्वरूप ₹ 1.16 करोड़ के कर एवं ₹ 38.05 लाख के ब्याज का कम/अनारोपण हुआ, जो निम्न प्रकार है:

(i) लेखापरीक्षा में पाया कि एक व्यवहारी (मैसर्स सचिनधलर प्रा.लि., जयपुर) के वर्ष 2008-09 के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने कमीशनिंग एवं संस्थापन चार्ज की सही राशि ₹ 175.50 लाख के बजाय गलत राशि ₹ 17.50 लाख लेने के कारण कर का गलत निर्धारण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.75 लाख के कर एवं ₹ 5.92 लाख के ब्याज का कम आरोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2012) और सरकार को सूचित किया गया (अप्रेल 2012)। सरकार ने सूचित (जुलाई 2012) किया कि मई 2012 में ब्याज ₹ 7.90 लाख को सम्मिलित करते हुये ₹ 27.65 लाख की मांग कायम की गई है। वसूली का जवाब प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2012)।

(ii) लेखापरीक्षा ने पाया कि एक व्यवहारी (मैसर्स श्री बालाजी स्टील स्क्रेप ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर) के वर्ष 2007-08 के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (फरवरी 2010) निर्धारण अधिकारी ने ₹ 424.84 लाख के टर्नओवर का निर्धारण किया और ₹ 367.16 लाख के टर्नओवर को फ्री माल के रूप में कर मुक्त गलत माना। यद्यपि, व्यवहारी ने उक्त टर्नओवर पर कर मुक्ति का कोई दावा नहीं किया। व्यवहारी ने त्रैमासिक विवरणियों, कर-विवरण और वेट आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार ₹ 792.00 लाख का कुल करयोग्य टर्नओवर था। इस प्रकार चूक के कारण ₹ 367.16 लाख के करयोग्य टर्नओवर का अवनिर्धारण हुआ जिसमें कर ₹ 14.69 लाख एवं ब्याज ₹ 6.17 लाख (मार्च 2011 तक संगणित) सम्मिलित है।

[16] वृत्त : विशेष-II जयपुर, विशेष-VII जयपुर, विशेष राजस्थान जयपुर, जी-जयपुर एवं जे-जयपुर।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (सितम्बर 2011) और सरकार को सूचित किया गया (सितम्बर 2011)। सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2012) कि मई 2012 में ब्याज ₹ 8.22 लाख को सम्मिलित करते हुये ₹ 22.91 लाख की मांग कायम की गई है। वसूली का जबाब प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2012)।

(iii) लेखापरीक्षा ने पाया कि दो व्यवहारियों ने वर्ष 2006-07 से 2008-09 में 'डी-ऑइल्ड राइस ब्रान' का विक्रय किया। अधिनियम की अनुसूची IV के प्रविष्टि क्रमांक 64 के अन्तर्गत 'डी-ऑइल्ड राइस ब्रान' 4 प्रतिशत करयोग्य है। यद्यपि, निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय इसे कर मुक्त बिक्री मानते हुये कर आरोपित नहीं किया। इस प्रकार 'डी-ऑइल्ड राइस ब्रान' की बिक्री को कर मुक्त माल के रूप में गलत मानने के परिणामस्वरूप ₹ 67.97 लाख के कर एवं ₹ 23.55 लाख के ब्याज का अनारोपण हुआ, जो निम्न प्रकार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वृत्त एवं व्यवहारी का नाम	अवधि एवं आदेश की दिनांक	माल का मूल्य जिस पर कर का आरोपण नहीं किया	4 प्रतिशत की दर से कर आरोपण	आरोपणीय ब्याज
1.	वृत्त 'जी.' जयपुर (मैसर्स एन.ए. ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर)	2006-07 06.03.2009	328.79	13.15	7.10
		2008-09 11.08.2010	578.81	23.15	6.95
2.	वृत्त-'जे' जयपुर (मैसर्स विष्णु कुमार एण्ड कम्पनी, जयपुर)	2008-09 04.01.2011	791.71	31.67	9.50
योग				**67.97**	**23.55**

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2011) और सरकार को सूचित किया गया (जून 2012)। सरकार ने सूचित (अक्टूबर 2012) किया वृत्त-जे जयपुर के प्रकरण में ₹ 14.57 लाख के ब्याज सहित ₹ 46.24 लाख की मांग कायम की गई है। वसूली का जवाब प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2012)।

(iv) वृत्त-जी, जयपुर के अभिलेखों की मापक जाँच में पाया कि एक व्यवहारी (मैसर्स गुप्ता एलॉयज, जयपुर) ने वर्ष 2008-09 के दौरान कन्साइनमेंन्ट के आधार पर प्राप्त माल को ₹ 149.46 लाख में विक्रय किया और ₹ 5.98 लाख आउटपुट कर के एकत्र किये। यद्यपि, निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय इस बिक्री का कुल करयोग्य टर्नओवर में सम्मिलित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 5.98 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2011) और सरकार का सूचित किया (जून 2012)। उनका जवाब प्रतीक्षित है (नवम्बर 2012)।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-II के अनुसार, विक्रय मूल्य में से नकद एवं व्यापार बट्टे को बिक्री में से कम किया जाता है लेकिन बिक्री में से भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृत बट्टा कम नहीं होगा।

(v) वृत्त-विशेष राजस्थान, जयपुर के अभिलेखों की मापक जाँच में पाया कि निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी (मैसर्स मेरिको लिमिटेड, जयपुर) के वर्ष 2008-09 के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय वेट बिल जारी करने के बाद के करयोग्य टर्नओवर में से बट्टे के ₹ 1.47 करोड़ को कम करके मूल्यांकन किया।

विक्रय के बाद अनियमित बट्टे की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 8.03 लाख के कर एवं ₹ 2.41 लाख के ब्याज का अवनिर्धारण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2011) और सरकार को सूचित (जून 2012) किया। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2012) कि ₹ 10.44 लाख की मांग कायम की गई। वसूली का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2012)।

2.11.2 कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अनुसार, एक व्यवहारी द्वारा देय कर, विक्रय किये गये माल पर करयोग्य टर्नओवर जो अनुसूची III, IV एवं VI में उल्लिखित हो और उक्त अनुसूचियों में प्रत्येक वस्तु के सामने दर्शित दर के अनुसार होगा। अधिनियम की अनुसूची V के अनुसार जो वस्तु अधिनियम की किसी भी अनुसूची में दर्ज नहीं है, पर 12.5 प्रतिशत की दर आरोपणीय होगी। इसके अतिरिक्त, रा.मू.प.कर अधिनियम की धारा 55 के अनुसार कर के भुगतान में विलम्ब की दशा में ब्याज आरोपणीय है।

सहायक आयुक्त, वृत्त 'बी', जयपुर के एक व्यवहारी मैसर्स दीप सन्स इंजीनियरिंग, जयपुर के वर्ष 2008-09 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (2010-11) में पाया कि निर्धारण अधिकारी (सितम्बर 2010) ने इलेक्ट्रोनिक मिल्क टेस्टर को पूंजीगत माल मानते हुये 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपण किया। यद्यपि व्यवहारी ने ₹ 58.52 लाख के इलेक्ट्रोनिक मिल्क टेस्टर के कम्पोनेन्टस् का विक्रय किया। यह पूंजीगत माल का हिस्सा नहीं था अपितु विनिर्मित माल का कम्पोनेन्ट/हिस्सा था। ये कम्पोनेन्ट अनुसूची I से IV एवं VI

में वृर्गीकृत नहीं थे और अनुसूची V के अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय थे। इस प्रकार कर की गलत दर लगाने के कारण ₹ 4.97 लाख के कर एवं ₹ 1.49 लाख के ब्याज का कम आरोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2012) और सरकार को सूचित किया गया (मार्च 2012)। सरकार ने सूचित किया (जून 2012) कि व्यवहारी ने इलेक्ट्रोनिक मिल्क टेस्टर के कम्पोनेन्ट बेचे और ये पूंजीगत माल की श्रेणी में आते हैं। जवाब राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2(7) के अनुसार नहीं है, जैसा कि इलेक्ट्रोनिक मिल्क टेस्टर के कम्पोनेंट पूंजीगत माल की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये माल इलेक्ट्रोनिक मिल्क टेस्टर के कच्चे माल के रूप में बेचे गये थे।

2.11.3 प्रशमन योजनाओं में कर की गलत स्वीकृति प्रदान करना

(i) सर्राफा/जेम्स एवं स्टोन्स व्यवहारी

सर्राफा/जेम्स एवं स्टोन्स व्यवहारियों की प्रशमन योजना के अनुच्छेद 5.4 के अनुसार, यदि व्यवहारी निर्धारित समय में प्रशमन राशि जमा कराने में असफल रहता है तो उसे योजना का लाभ तभी स्वीकृत किया जा सकता है यदि वह सम्पूर्ण बकाया राशि मय ब्याज एवं विलम्ब शुल्क सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में 31 मार्च से पूर्व जमा कराता है। इसके अतिरिक्त, योजना के अनुच्छेद 7.6/7.7 के अनुसार, व्यवहारी द्वारा योजना की शर्तों के उल्लंघन की दशा में, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत व्यवहारी पर कार्यवाही की जा सकेगी।

वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-एच, जयपुर कार्यालय के छः व्यवहारियों[17] के वर्ष 2009-11 के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जाँच में पाया (जनवरी 2012) कि व्यवहारियों ने प्रशमन योजना का विकल्प दिया। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अनुसार वर्ष 2007-09 के दौरान ₹ 31.82 करोड़ के टर्नओवर पर देय कर दायित्व ₹ 31.82 लाख था। लेकिन व्यवहारियों ने इसे या तो जमा नहीं कराया अथवा विलम्ब से जमा करवाया। व्यवहारियों द्वारा कुल राशि ₹ 5.08 लाख चुकाये गये। निर्धारण अधिकारी को विवरणियाँ स्वीकार करते समय गलती ध्यान में नहीं आने के परिणामस्वरूप ₹ 26.74 लाख के कर की कम वसूली के अतिरिक्त ₹ 9.27 लाख ब्याज (मार्च 2011 तक संगणित) भी आरोपणीय था।

[17] 1. मैसर्स खण्डाका जैन ज्वैलर्स, 2. मैसर्स हार्दिक इम्पेक्स, 3. मैसर्स राजरतन ज्वैलर्स, 4. मैसर्स दारूका जेम्स, 5. मैसर्स जी.के.चूडीवाला, 6. मैसर्स के.जे.जेम्स।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (जनवरी एवं फरवरी 2012) और सरकार को सूचित किया (जनवरी एवं मार्च 2012)। मैसर्स के.जे. जैम्स, जयपुर के प्रकरण में सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2012) कि ₹ 14.61 लाख की मांग कायम की जा चुकी थी (जून एवं जुलाई 2012)। वसूली की सूचना एवं शेष व्यवहारियों के मामलों में जवाब प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2012)।

(ii) ईट भट्टा मालिक

ईट भट्टा (योजना) के लिये प्रशमन योजना के अनुच्छेद 5.1 के अनुसार, व्यवहारी प्रशमन कर का विकल्प ले सकता है और अधिसूचना में निर्धारित दरों के अनुसार प्रशमन राशि का भुगतान कर सकता है। व्यवहारियों को अधिसूचना जारी होने के 60 दिनों के भीतर या रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी होने के 30 दिन के भीतर, जो भी बाद में हो, प्रशमन योजना के विकल्प लेने थे। इसके अतिरिक्त, योजना के अनुच्छेद 4.1 में त्रैमासिक भुगतान की निर्धारित तिथि उल्लिखित है। योजना के अनुच्छेद 7.6 के अनुसार, व्यवहारी द्वारा योजना की शर्तों के उल्लंघन की दशा में, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत व्यवहारी पर कार्यवाही की जा सकेगी।

दो वाणिज्यिक कर कार्यालयों [18] के वर्ष 2009-11 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया (फरवरी 2012) कि दो ईट भट्टा मालिकों को प्रशमन योजना का लाभ स्वीकृत किया गया। यद्यपि, वे योजना की शर्तों को पूर्ण नहीं कर पाये। इसके परिणमस्वरूप ₹ 7.17 लाख के कर एवं ₹ 2.26 लाख के ब्याज (मार्च 2011 तक संगणित) का अनारोपण

[18] वृत्त: 'बी' अलवर एवं 'बी' उदयपुर।

हुआ, जो निम्न प्रकार है:

(₹ लाख में)

वृत्त/ व्यवहारी का नाम	**निर्धारण वर्ष (निर्धारण का माह)**	**लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रकृति**	**कर एवं ब्याज की कम वसूली**
'बी' अलवर (मैसर्स श्याम ब्रिक्स)	2007-08 (मार्च 2010) 2008-09 (नवम्बर 2010)	व्यवहारी ने निर्धारित समय 7 जनवरी 2007 तक यथा उसके रजिस्ट्रेशन की तिथि से 30 दिन के भीतर योजना विकल्प नहीं लिया। उन्होंने 19 अप्रेल 2007 को योजना का विकल्प लिया और वर्ष 2007-08 के लिये ₹ 1.44 लाख एवं वर्ष 2008-09 के लिए व्यवहारी ने ₹ 1.58 लाख प्रशमन राशि जमा करवायी। व्यवहारी का वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 के लिय ₹ 1.43 करोड़ टर्नओवर था जिस पर ₹ 5.72 लाख का कर दायित्व था।	2.70 0.92
'बी' उदयपुर (मैसर्स डिजाइनर इण्डस्ट्रीज)	2008-09 (फरवरी 2011)	व्यवहारी ने फरवरी 2012 तक कर का भुगतान नहीं किया था लेकिन निर्धारण को अन्तिम रूप (फरवरी 2011) देते समय कर का प्रशमन गलत स्वीकृत किया गया था। व्यवहारी का वर्ष 2008-09 के लिये ₹ 1.12 करोड़ टर्नओवर था जिस पर ₹ 4.47 लाख का कर दायित्व था।	4.47 1.37
योग			**9.43**

प्रकरणों को विभाग के ध्यान में लाया गया (मार्च 2012) और सरकार को सूचित किया (मार्च 2012)। मैसर्स डिजाइनर इण्डस्ट्रीज के प्रकरण में सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2012) कि ₹ 5.29 लाख की मांग कायम की जा चुकी है। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2012)।

(iii) पेट्रोलियम व्यवहारी

प्रशमन योजना के अनुच्छेद 4.01 के अनुसार पेट्रोलियम कम्पनियों के लिये खुदरा निर्गम वाले पंजीकृत व्यवहारियों के लिये, व्यवहारी कर के प्रशमन के लिए विकल्प ले सकता है और अधिसूचना में निर्धारित दरों के अनुसार प्रशमन राशि का भुगतान कर सकता है। व्यवहारी को प्रशमन राशि का भुगतान त्रैमास की समाप्ति के अगले माह की 7 तारीख तक करना चाहिये। इसके अतिरिक्त, योजना के अनुच्छेद 8.8 के अनुसार व्यवहारी द्वारा योजना की शर्तो के उल्लंघन की दशा में, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत् व्यवहारी पर कार्यवाही की जा सकेगी।

वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्यालय, टोंक के निर्धारण अभिलेखों की मापक जाँच में पाया (फरवरी 2012) कि वर्ष 2008-09 के दौरान 12 पेट्रोलियम व्यवहारियों ने ₹ 0.51 लाख की प्रशमन राशि का निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया। इसलिए, वे प्रशमन योजना के लाभ के हकदार नहीं थे। ₹ 6.00 लाख की कर देयता सहित व्यवहारियों का टर्नओवर ₹ 47.97 लाख था। लेकिन निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय कर के प्रशमन को गलत स्वीकृति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.49 लाख के कर के की कम वसूली के अतिरिक्त ₹ 1.65 लाख ब्याज (मार्च 2011 तक संगणित) भी देय था।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2011) और सरकार को सूचित किया (दिसम्बर 2011)। सरकार ने सूचित (जुलाई 2012) किया कि मई 2012 में ₹ 5.49 लाख के कर एवं ₹ 1.97 लाख के ब्याज की मांग कायम की गई थी। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2012)।

(iv) पंजीकृत टेन्ट व्यवहारी

पंजीकृत टेन्ट व्यवहारियों के लिये प्रशमन योजना के अनुसार, व्यवहारी प्रशमन कर का विकल्प ले सकता है और अधिसूचना में निर्धारित दरों के अनुसार प्रशमन राशि का भुगतान कर सकता है। अनुच्छेद 5.01 के अनुसार व्यवहारियों को अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर/पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने/वर्ष के शुरुआत में, जो भी बाद में हो, योजना के लिए विकल्प लेने थे। अनुच्छेद 4.01 के अनुसार व्यवहारियों को त्रैमास की समाप्ति के अगले माह की 7 तारीख तक प्रशमन राशि का भुगतान किया जाना था। योजना के अनुच्छेद 8.7 के अनुसार, व्यवहारी द्वारा योजना की शर्तों में उल्लंघन की दशा में, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत व्यवहारी पर कार्यवाही की जा सकेगी।

वक्र्स कर वृत्त, जोधपुर के निर्धारण अभिलेखों की मापक जाँच में पाया कि तीन टेन्ट व्यवहारियों को योजना का लाभ स्वीकृत किया गया तथापि उन्होंने योजना की शर्तों पूर्ण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 37.85 लाख के कर एवं ₹ 14.70 लाख के ब्याज (मार्च 2011 तक संगणित) का अनारोपण हुआ, जो आगामी सारणी में निम्न प्रकार है:

निर्धारण वर्ष (निर्धारण का माह)	लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रकृति	कर एवं ब्याज की कम वसूली (मार्च 2011 तक)
2008-09 (सितम्बर 2010)	व्यवहारी ने देय दिनांक के नौ माह बाद योजना का विकल्प लिया और वर्ष 2008-09 के लिये प्रशमन राशि के रूप में ₹ 0.04 लाख जमा कराई। व्यवहारी का वर्ष 2008-09 के लिये ₹ 17.60 लाख टर्नओवर था जिस पर ₹ 2.20 लाख का कर दायित्व था।	2.16 0.65
2007-08 (मार्च 2010) 2008-09 (सितम्बर 2010)	व्यवहारी ने वर्ष 2007-08 के लिये निर्धारित अवधि के दो वर्ष बाद प्रशमन राशि ₹ 0.09 लाख 05.03.2010 को जमा कराई। व्यवहारी ने वर्ष 2008-09 के लिये देय दिनांक के नौ माह बाद आवेदन किया और ₹ 0.09 लाख की प्रशमन राशि जमा कराई। व्यवहारी का वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लिये ₹ 65.43 लाख टर्नओवर था जिस पर ₹ 8.18 लाख का कर दायित्व था।	8.00 2.84
2006-07/ 2007-08/ 2008-09 (फरवरी 2009, 2010 एवं अगस्त 2010)	व्यवहारी ने निर्धारण तिथि तक ₹ 0.59 लाख प्रशमन राशि के स्थान पर ₹ 0.48 लाख चुकाये। व्यवहारी का वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में ₹ 225.46 लाख टर्नओवर था जिस पर ₹ 28.17 लाख का कर दायित्व था।	27.69 11.21

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2012) और सरकार को सूचित किया (मार्च एवं अप्रैल 2012)। उनके जवाब प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2012)।

प्रवेश कर

2.11.4 प्रवेश कर का कम/अनारोपण

राजस्थान में स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 8 मार्च 2006 के अनुसार, राज्य के बाहर से व्यापार में उपयोग या उपभोग के लिये क्रय किये गये माल पर देय प्रवेश कर की निर्धारित दरें आरोपणीय है।

सात वृत्त कार्यालयों[19] के अभिलेखों की मापक जाँच में पाया कि 11 व्यवहारियों ने प्रवेश कर चुकाये बिना व्यवसाय में उपयोग या उपभोग करने के लिये राज्य के बाहर से माल क्रय किया, जिस

[19] वृत्त: विशेष अलवर, जे-जयपुर, डब्ल्यू.टी.जोधपुर, सी-जयपुर, विशेष-I भिवाड़ी, विशेष-II जयपुर एवं बी-उदयपुर।

पर प्रवेश कर आरोपणीय था। लेकिन, निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय प्रवेश कर के आरोपण हेतु वेट विवरणियों के साथ सलंग्न प्रपत्रों में दर्शित खरीद माल का मिलान नहीं कर पाये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 46.86 लाख के प्रवेश कर एवं ₹ 14.66 लाख के ब्याज का कम/अनारोपण हुआ।

ध्यान में लाये जाने के बाद, विभाग ने छः प्रकरणों में ₹ 21.65 लाख की मांग कायम की और एक प्रकरण में ₹ 1.09 लाख वसूल किये। वसूली की सूचना एवं शेष प्रकरणों का जवाब प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2012)।

मनोरंजन कर

2.11.5 मनोरंजन कर का अवनिर्धारण

राजस्थान मनोरजंन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (रा.म.वि. कर अधिनियम) की धारा 4 एएए के अनुसार, डाइरेक्ट टू होम (डी.टी.एच.) ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं के प्रोपराइटर, 25 फरवरी 2008 से प्रति उपभोक्ता से प्राप्त अंशदान शुल्क का 10 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर देने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, रा.म.वि.कर अधिनियम की धारा 9 ए उपबन्धित करता है कि यदि प्रोपराइटर निर्धारित समय में कर की राशि नहीं चुकाता है तो प्रोपराइटर उक्त राशि पर ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा।

प्रतिकरपवंचना - प्रथम, राजस्थान वृत्त, जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि वृत्त के सर्वे दल ने मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड, जयपुर के प्रतिष्ठान का फरवरी 2009 में सर्वे किया। यद्यपि, सर्वे रिपोर्ट एवं निर्धारण आदेश के अनुसार ₹ 4.51 करोड़ का मनोरंजन कर देय था लेकिन निर्धारण अधिकारी वृत्त-आई, जयपुर ने केवल ₹ 1.59 करोड़ का निर्धारण आदेश पारित किया। अभिलेखों में कम मांग राशि कायम किये जाने के कारण नहीं पाये गये। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज के ₹ 1.07 करोड़ सहित ₹ 3.99 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

विभाग के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2011) और सरकार को सूचित (जून 2012) किया, उनके जवाब प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2012)।

अध्याय–III

मोटर वाहनों पर कर

अध्याय-III: मोटर वाहनों पर कर

3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग, वाहनों के पंजीयन, वाहनों के लिए अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने तथा राज्य में संचालित वाहनों पर नियंत्रण की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है। विभाग, चालकों, परिचालकों एवं व्यवसायियों को अनुज्ञापत्र तथा वाहनों के उपयुक्तता प्रमाण-पत्र भी जारी करता है। मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989, राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951, राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 तथा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के प्रावधानों के अधीन करारोपण तथा कर, फीस एवं शास्ति की वसूली विभाग के अन्य उत्तरदायित्व हैं। विभाग में वाहनों के पंजीयन एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, अनुज्ञापत्र स्वीकृत करना, कर, फीस, शास्ति आदि की वसूली से सम्बन्धित कार्य कम्प्यूटराईज्ड कर दिये हैं।

परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग में विभागाध्यक्ष होता है। मुख्यालय स्तर पर उसकी सहायता के लिए तीन अतिरिक्त आयुक्त तथा सात उपायुक्त होते हैं। सम्पूर्ण राज्य 11 क्षेत्रों में विभाजित है जिनमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं पदेन सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, कार्यालय प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 37 वाहन पंजीयन एवं कराधान कार्यालय है जिनमें जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय प्रमुख होते हैं।

3.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियों के साथ राज्य की कुल कर प्राप्तियों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	मोटर वाहनों पर कर से वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य (+)/ कमी (-)	अन्तर की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों के साथ कुल कर प्राप्तियों की प्रतिशतता
2007-08	1,075.00	1,164.40	(+) 89.40	(+) 8.32	13,274.73	8.77
2008-09	1,200.00	1,213.56	(+) 13.56	(+) 1.13	14,943.75	8.12
2009-10	1,300.00	1,372.87	(+) 72.87	(+) 5.61	16,414.27	8.36
2010-11	1,500.00	1,612.25	(+) 112.25	(+) 7.48	20,758.12	7.77
2011-12	1725.00	1,927.05	(+) 202.05	(+) 11.71	25,377.05	7.59

यद्यपि, वास्तव में मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियों में प्रतिवर्ष अच्छी वृद्धि दर्ज हुई थी, लेकिन राज्य की कुल कर प्राप्तियों की तुलना में मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियों की प्रतिशतता में प्रत्येक वर्ष गिरावट रही है। सिर्फ वर्ष 2009-10 को

छोड़कर। वर्ष 2011-12 में ये प्राप्तियाँ राज्य की कुल कर प्राप्तियों का 7.59 प्रतिशत दर्ज की गई।

3.3 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को राजस्व की बकाया की राशि ₹ 35.45 करोड़ थी जिसमें से ₹ 18.31 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे। निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2012 को राजस्व की बकाया की स्थिति दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	01.4.2011 को कुल बकाया	वर्ष 2011-12 के दौरान वसूली	31.3.2012 को बकाया वसूली
2006-07 तक	22.41	4.10	18.31
2007-08	5.36	1.55	3.81
2008-09	6.42	0.41	6.01
2009-10	5.28	1.87	3.41
2010-11	8.36	4.45	3.91
योग	**47.83**	**12.38**	**35.45**

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि ₹ 18.31 करोड़ की बकाया की राशि पांच वर्षों से अधिक बकाया है तथा समय बीतने के साथ उसकी वसूली की सम्भावना कम है।

यह सुझाव है कि सरकार द्वारा निश्चित अवधि में बकाया की वसूली हेतु विभाग को इस संबंध में कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किये जाने चाहिए।

3.4 संग्रहण की लागत

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर हुआ व्यय तथा ऐसे व्यय की कुल संग्रहण से प्रतिशतता के साथ इसी अवधि में संग्रहण पर हुए व्यय की सुसंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	सकल संग्रहण (₹ करोड़ में)	राजस्व संग्रहण पर हुआ व्यय (₹ करोड़ में)	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	गत वर्ष के व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	2007-08	1,164.40	17.44	1.50	2.47
2.	2008-09	1,213.56	29.25	2.41	2.58
3.	2009-10	1,372.87	27.04	1.97	2.93
4.	2010-11	1,612.25	30.82	1.91	3.07
5.	2011-12	1927.05	40.65	2.11	3.71

यह देखा कि मोटर वाहनों पर कर के संग्रहण पर व्यय की कुल संग्रहण से प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता की तुलना में हमेशा कम रही। इसे बनाये रखने के लिए सरकार को निरन्तर प्रयास करते रहना चाहिए।

3.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

गत पाँच वर्षों के दौरान निम्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा ₹ 111.87 करोड़ राजस्व सन्निहित के 27 अनुच्छेदों में अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, कम निर्धारण/राजस्व की हानि, कर की गलत दर लागू करना, कर की गलत गणना आदि के मामले ध्यान में लाये थे। उनमें से विभाग/सरकार ने पूर्ण/अंशत: ₹ 78.94 करोड़ सन्निहित के 26 अनुच्छेद स्वीकार किये तथा अब तक (सितम्बर 2012) 22 अनुच्छेदों में ₹ 30.67 करोड़ की वसूली की, जैसा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार किये गये अनुच्छेद		वसूली गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2006-07	6	7.23	6	5.92	6	2.44
2007-08	9	25.15	9	21.50	9	16.07
2008-09	3	47.75	2	19.98	1	0.79
2009-10	4	15.02	4	14.82	3	6.62
2010-11	5	16.72	5	16.72	3	4.75
योग	**27**	**111.87**	**26**	**78.94**	**22**	**30.67**

विभाग द्वारा सिर्फ 39 प्रतिशत ही कुल स्वीकार राशि में से वसूल किया गया था।

सरकार को, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों में सन्निहित राशि को प्राथमिकता से वसूल करने हेतु विभाग को निर्देश जारी करने चाहिए विशेषत: ऐसे प्रकरणों में जहाँ विभाग ने पूर्व में स्वीकार्य कर लिया हो ।

3.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

वित्तीय सलाहकार, आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का शीर्ष अधिकारी होता है तथा उसकी सहायता एक वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं दो लेखाधिकारी करते हैं। विभाग में पाँच आन्तरिक लेखापरीक्षा दल कार्यरत हैं तथा प्रत्येक में सहायक लेखाधिकारी शीर्ष अधिकारी होता है। गत पाँच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति

निम्नानुसार थी:

वर्ष	बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा हेतु नियत इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु कुल नियत इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की गई इकाइयाँ	लेखापरीक्षा नहीं हुई इकाइयाँ	कमी प्रतिशत में
2007-08	-	79	79	75	4	5
2008-09	4	79	83	67	16	19
2009-10	16	79	95	89	6	6
2010-11	6	43	49	49	-	-
2011-12	-	43	43	43	-	-

यह पाया कि वर्ष 2011-12 के अन्त में वर्ष 2011-12 तक के 12,509 अनुच्छेद बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	1991-92 से 2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
अनुच्छेद	7,809	887	763	966	990	1,094	**12,509**

7,809 आक्षेप आन्तरिक लेखापरीक्षा के वर्ष 1991-92 से बकाया थे। इस प्रकार, भारी संख्या में अनुच्छेद बकाया इस बात की ओर संकेत करते है कि विभाग को आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाये बकाया आक्षेपों के निस्तारण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा विभागों को बकाया अनुच्छेदों के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये जाने चाहिये जो कि आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये है।

3.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011-12 के दौरान कुल 44 इकाईयों में से 26 इकाईयों के अभिलेखों की मापक जांच में 9,711 प्रकरणों में ₹ 29.81 करोड के कर की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला, जो निम्नलिखत श्रेणियों में आता है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	कर, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन फीस की अवसूली/कम वसूली	6,539	18.96
2.	मोटर वाहन कर/विशेष पथकर की संगणना न करना/कम करना	2,734	10.64
3.	अन्य अनियमितताएं	438	0.21
योग		**9,711**	**29.81**

विभाग ने 5,189 प्रकरणों में ₹ 17.64 करोड़ की कम निर्धारण एवं अन्य कमियाँ स्वीकार की, जिनमें से ₹ 4.08 करोड़ के 444 प्रकरण वर्ष 2011-12 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2011-12 के दौरान 2,621 प्रकरणों में ₹ 4.94 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसमें से ₹ 0.31 करोड़ के 146 प्रकरण 2011-12 में तथा शेष ₹ 4.63 करोड़ के 2,475 प्रकरण पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

कुछ निदर्शी लेखापरीक्षा टिप्पणियां ₹ 15.88 करोड़ सन्निहित की अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शायी गयी है।

3.8 लेखापरीक्षा टिप्पणियां

परिवहन विभाग में अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान कर, फीस एवं शास्ति के अनारोपण के कई प्रकरण हमारे ध्यान में आये। उनमें से कुछ आक्षेप पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे, लेकिन ये अनियमितताएं न केवल विद्यमान थी, अपितु लेखापरीक्षा करने तक इनका पता नहीं लगा। ये प्रकरण निदर्शी हैं तथा लेखापरीक्षा द्वारा की गयी मापक जाँच पर आधारित हैं। यह पाया गया कि कर, फीस एवं अन्य प्रभारों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत वाहनों के कर खातों के समुचित संधारण के अनुश्रवण हेतु विभाग में कोई प्रणाली कम्प्यूटरीकृत विद्यमान नहीं थी। इसके अलावा वाहनों की संख्या, जिन पर कर देय था लेकिन वसूल नहीं हुआ, को दर्शाने वाली विवरणी निर्धारित नहीं थी। यहाँ पर आन्तरिक लेखापरीक्षा को प्रभावी बनाने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त करने तथा कर, फीस आदि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सामयिक विवरणियों के माध्यम से निगरानी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

3.9 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम एवं नियमों में प्रावधान हैं:

(i) सभी मोटर वाहनों, जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा जो उपयोग हेतु रखे गये हैं, पर कर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जाना;

(ii) सभी परिवहन वाहनों पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से एकमुश्त कर का आरोपण; तथा

(iii) अधिभार का कर पर निर्धारित दर से आरोपण करना।

अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह ध्यान में आया कि अनुच्छेद 3.10.1 से 3.10.3 में दर्शाये गये प्रकरणों के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रावधानों में से कुछ को विभागीय प्राधिकारियों ने ध्यान में नहीं रखा।

3.10.1 मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 और 4बी तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी मोटर वाहनों, जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा जो उपयोग हेतु रखे गये हैं, पर मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जायेगा।

आठ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों/16 जिला परिवहन कार्यालयों के 2009-10 से 2010-11 की अवधि के पंजीयन अभिलेखों, कर खातों एवं सामान्य सूची पंजिकाओं की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया (मई 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य) कि 5,052 वाहनों के सम्बन्ध में इनके वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2007 तथा मार्च 2011 के मध्य की अवधि के लिए मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर का भुगतान या तो नही किया गया अथवा कम किया गया। अभिलेखों में इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं पायी गई कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चले थे अथवा किसी अन्य जिले/राज्य में स्थानान्तरित हो गये थे। इसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शायेनुसार कर राशि ₹ 14.99 करोड़[1] की अवसूली रही। कर के अतिरिक्त, कर भुगतान की वास्तविक तिथि तक शास्ति

[1] 5,012 मामलों में ₹ 14.83 करोड़ की अवसूली व 40 मामलों में ₹ 0.16 करोड़ की कम वसूली हुई।

भी आरोपणीय है जैसा नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	वाहनों की श्रेणी	वाहनों की संख्या	कर की अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	कार्यालयों का नाम
1.	भार वाहन	1,747	अप्रैल 2009 से मार्च 2011	2.72	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर, अलवर, बीकानेर, चित्तौडगढ, जोधपुर, कोटा, एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाडा, बूंदी, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ, जालौर, झुन्झुनु, राजसमन्द, सिरोही एवं श्रीगंगानगर।
2.	संविदा वाहन (चालक को छोडकर 13 व्यक्तियों तक की बैठक क्षमता वाले)	1,699	अप्रैल 2007 से मार्च 2011	3.43	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर, अलवर, बीकानेर, चित्तौडगढ, जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाडा, बूंदी, चुरू, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ, जयपुर (संविदा वाहन), जालौर, झुन्झुनु, राजसमन्द, सिरोही एवं श्रीगंगानगर।
3.	संविदा वाहन (चालक को छोडकर 13 व्यक्तियों से अधिक की बैठक क्षमता वाले)	221	अप्रैल 2008 से मार्च 2011	3.28	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बीकानेर, चित्तौडगढ, जोधपुर, एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, जयपुर (संविदा वाहन), जालौर, झुन्झुनु, राजसमन्द एवं श्रीगंगानगर।
4.	मंजिली वाहन	284	अप्रैल 2009 से मार्च 2011	1.75	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अलवर, जोधपुर, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, जयपुर (भार वाहन), झुन्झुनु, एवं श्रीगंगानगर।
5.	संलग्नक भार वाहन	463	अप्रैल 2009 से मार्च 2011	1.23	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर, बीकानेर, चित्तौडगढ, जोधपुर, एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, ब्यावर, भीलवाडा, झुन्झुनु, एवं राजसमन्द।
6.	बिना अनुज्ञा-पत्र के यात्री वाहन	112	अप्रैल 2009 से मार्च 2011	1.15	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बीकानेर, एवं जोधपुर; जिला परिवहन कार्यालय, जयपुर (भार वाहन), झुन्झुनु, एवं श्रीगंगानगर।
7.	डम्पर/टिप्पर	472	अप्रैल 2009 से मार्च 2011	1.19	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, भरतपुर, भीलवाड़ा, जालौर, झुन्झुनु, राजसमन्द, सिरोही एवं श्रीगंगानगर।
8.	निजी सेवा वाहन	54	अप्रैल 2007 से मार्च 2011	0.24	जिला परिवहन कार्यालय, जयपुर (संविदा वाहन)।
योग		**5,052**		**14.99**	

इसे ध्यान में लाये जाने पर (जुलाई 2011 एवं अप्रेल 2012 के मध्य) सरकार ने बताया (अक्टूबर 2012) कि 1,110 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 2.50 करोड़ की वसूली कर ली गई थी और 173 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 43.91 लाख अन्य राज्यों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वाहनों हेतु जारी किये जाने, पंजीकरण प्रमाण-पत्र के निरस्तीकरण, पंजीकरण बदले जाने, एकमुश्त कर जमा कराने आदि के कारण वसूलीनीय नहीं थे। फिर भी लेखापरीक्षा के समय प्रस्तुत अभिलेख सही स्थिति नहीं दर्शा रहे थे। बकाया प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2012)।

3.10.2 एकमुश्त कर की बकाया किस्तों की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-स तथा उसके अधीन समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत सभी परिवहन वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से किया जायेगा। एकमुश्त कर का भुगतान सम्पूर्ण एक साथ या एक वर्ष की अवधि में समान तीन किश्तों में किया जा सकेगा।

आठ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों व जिला परिवहन कार्यालयों[2] के वर्ष 2009-10 और 2010-11 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया (अगस्त 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य) कि 172 परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में, जिनमें एकमुश्त कर का भुगतान तीन समान किश्तों में करने का विकल्प दिया गया था, उन वाहनों के स्वामियों ने शेष दो या तीसरी किश्त का भुगतान कम किया गया या नहीं किया गया था। कराधान अधिकारियों ने देय कर की राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप एकमुश्त कर की राशि ₹ 66.92 लाख की अवसूली/कम वसूली रही।

यह ध्यान में लाये जाने पर (अक्टूबर 2011 और अप्रेल 2012 के मध्य) सरकार ने बताया कि (अक्टूबर 2012) 61 की वाहनों के संबंध में ₹ 27.14 लाख वसूल किये जा चुके है। बकाया प्रकरणों पर कार्यवाही की रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2012)।

[2] प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बीकानेर, जोधपुर, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालौर एवं राजसमन्द।

3.10.3 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मंजिली वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर की कम वसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4(बी) के अधीन अधिसूचना संख्या एफ 6/96/परि./कर/मु./III/7डी दिनांक 01.08.2007 के अनुसार बेड़ा स्वामी के मंजीली वाहनों पर विशेष पथ कर, बेड़े के समस्त वाहनों नगरीय सीमा में चलने वाले वाहनों को छोड़कर, जिसका उपयोग मंजीली वाहनों के रूप मे किया जाता है या उपयोग हेतु रखे जाते है की चेचिस की लागत का 2.05 प्रतिशत की दर से देय होगा। इसके अतिरिक्त, कर की संग्रहण के लिये चेसिस की लागत का निर्धारण राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के नियम 42 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगा।

वर्ष 2010-11 में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में (जनवरी 2012) यह पाया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के स्वामित्व की मंजिली वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर की संगणना करने हेतु चेसिस के कम मूल्यांकन के कारण कम आरोपण हुआ। इसके परिणामस्वरूप विशेष पथ कर की ₹ 21.98 लाख की कम वसूली हुई।

चूक विभाग के ध्यान में लाई गई तथा सरकार को प्रतिवेदित की गई (फरवरी 2012); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

3.11 परिवहन विभाग द्वारा चालक अनुज्ञापत्र जारी किये जाना

3.11.1 परिचय

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला सकता जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया विशेष श्रेणी का वैध चालक अनुज्ञापत्र उसके पास न हो। दो प्रकार के चालक अनुज्ञापत्र: शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र (मात्र 6 माह की अवधि की वैधता) एवं चालक अनुज्ञापत्र, जारी किये जाते है। चालक अनुज्ञापत्र शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र जारी करने से एक माह की समाप्ति के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। परिवहन विभाग को चालक अनुज्ञापत्र, कन्डक्टर लाईसेंस आादि जारी करने का कार्य सौपा गया है। राज्य में अनुज्ञापत्र जारी करने का प्राधिकार जिला परिवहन अधिकारी (डी.टी.ओ.) और मोटर वाहन निरीक्षक/मोटर वाहन उप निरीक्षक (एम.वी.आई/एम.वी.एस.आई.) में निहित है।

3.11.2 अनुज्ञापत्र जारी किये जाने में पायी गई कमियां

केन्द्रीय मोटर वाहन (के.मो.वा.) नियम 10 और 14 में यह निर्धारित किया है कि आवेदक को क्रमशः फार्म-2 एवं फार्म-4 में प्रत्येक के लिये शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र और चालक अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन करना होगा। आवेदन फार्म की उपयुक्तता की जांच अनुज्ञापत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा की जायेगी और कम्प्यूटराईज्ड चालक अनुज्ञापत्र हेतु भी एक फार्म अनुज्ञापत्र जारीकर्त्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा 1,100 आवेदन फार्मों का विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया जो कि अनुज्ञापत्र जारी किये जाने हेतु प्राप्त किये गये थे। लेखापरीक्षा में 469 कमियों का आवेदकों द्वारा प्रस्तुत व अधिकारियों द्वारा जांचे गये फार्मों में पता चला। वे अपूर्ण थे, उनमें अनिवार्यतः सूचना नहीं थी, और यहां तक कि आवेदकों के हस्ताक्षर भी नहीं थे। इस प्रकार अधिनियम और नियमों का उल्लघंन किया गया जिसका विवरण निम्न सारणी में है:

कार्यालय की संख्या	आपत्ति की प्रवृति	प्रकरणों की संख्या
(1)	(2)	(3)
शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र में पायी गई कमियां		
दस कार्यालय[3]	केन्द्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 4 के अनुसार प्रत्येक आवेदक को चालक अनुज्ञापत्र हेतु अपने पते और आयु के लिये कोई साक्ष्य उपलब्ध कराना चाहिये। लेखापरीक्षा में 6 आवेदन पत्रों में पता और 7 आवेदन पत्रों में जन्म दिनांक का मिलान आवेदन पत्रों के साथ संलग्न किये गये साक्ष्यों से नहीं हो पाया था और 6 आवेदन पत्रों पर जन्म दिनांक अंकित नहीं थी।	19
छः कार्यालय[4]	पेन कार्ड को जन्म दिनांक के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था जबकि के.मो.वा. नियम के नियम 4 में पेन कार्ड का साक्ष्य के रूप में निर्धारित नहीं है।	19
दस कार्यालय[5]	32 आवेदन पत्रों में कौनसी श्रेणी के लिये अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन किया है, अंकित नहीं पाया गया।	32
सात कार्यालय[6]	28 आवेदन पत्रों में आवेदन पत्र के अन्त में आवेदक के हस्ताक्षर आवश्यक होते है, नहीं पाये गये।	28
दो उप कार्यालय	के.मो.वा. नियम के नियम 4 के अनुसार आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख सत्यापित होने चाहिये। पीपाड़ सिटी और गंगापुर सिटी में तीन प्रकरणों में सत्यापित नहीं पाये गये।	03

[3] प्रा.प.का.-सीकर, जि.प.का.-बूंदी, उप कार्यालय-रींगस, पीपाड़ सिटी, जोधपुर, उदयपुर, जि.प.का. उप कार्यालय-फलौदी, चौमू, जयपुर और सलूम्बर।

[4] प्रा.प.का.-उदयपुर, जि.प.का.-बूंदी और उप कार्यालय-गंगापुर, सलूम्बर, फलौदी और पीपाड़ सिटी।

[5] प्रा.प.का.-सीकर, उदयपुर, जयपुर जि.प.का.-सवाईमाधोपुर और उप कार्यालय-बहरोड़, रींगस, पीपाड़ सिटी, गंगापुर, दूदू और चौमू।

[6] प्रा.प.का.-जोधपुर, जयपुर, जि.प.का.-बूंदी, उप कार्यालय-रींगस, फलौदी, दूदू और चौमू।

(1)	(2)	(3)
प्रा.परि.का., उदयपुर	के.मो.वा. नियम के नियम 12 के अनुसार नाबालिगों को अनुज्ञापत्र जारी करने में अभिभावकों की सहमति आवश्यक थी, जो कि नहीं पायी गयी।	03
तीन उप कार्यालय[7] एवं चार जि.परि.का.[8]	के.मो.वा. नियम के नियम 5 के अनुसार स्वयं का शारीरिक सक्षमता (फिजीकल फिटनैस) घोषणा पत्र (प्रपत्र-आई) में संलग्न होना आवश्यक था। 160 आवेदन पत्रों में नहीं पाया गया।	160
सात कार्यालय[9]	के.मो.वा. नियम के नियम 5 के अनुसार स्वयं का शारीरिक सक्षमता (फिजीकल फिटनैस) घोषणा पत्र (प्रपत्र-आई) पर 30 प्रकरणों में आवेदकों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये।	30
योग		**294**
अन्तर्राष्ट्रीय चालक परमिट में पायी गयी कमियां		
दो कार्यालय	प्रा.परि.का., उदयपुर और उप कार्यालय, पीपाड़ सिटी में के.मो.वा. नियम के नियम, 5 के अनुसार पांच प्रकरणों में प्रपत्र-1ए में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे। परमिट, केवल आवेदन पत्र (प्रपत्र-4ए), के आधार पर ही जारी कर दिये गये थे।	**05**
योग		**05**
चालक अनुज्ञापत्र में पायी गयी कमियां		
दस कार्यालय[10]	प्रपत्र-4 (आवेदन पत्र) में यह प्रावधान है कि चालक परीक्षण के परिणाम दर्ज किये जाये जैसे: 'पास और फेल' 113 प्रकरणों में यह अंकित नहीं था।	113
चार कार्यालय[11]	विभाग के निर्देश दिनांक 26.02.2010 के अनुसार प्रपत्र-4 (आवेदन पत्र) में आवेदक के वाहन का पंजीकरण संख्या आवश्यक रूप से अंकित होनी चाहिये थी। 17 प्रकरणों में यह अंकित नहीं पायी गयी।	17
योग		**130**
चालक अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण में पायी गयी कमियां		
चार कार्यालय[12]	के.मो.वा. नियमों के नियम 5 के अन्तर्गत आवश्यक प्रपत्र-1ए मे चिकित्सा प्रमाण पत्र परिवहन वाहनों के 17 प्रकरणों में तथा गैर परिवहन वाहनों के 18 प्रकरणों में संलग्न नहीं पाये गये।	35
तीन कार्यालय[13]	के.मो.वा. नियमों के नियम 18 के अन्तर्गत, पाँच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण हेतु आवेदन के साथ सक्षमता हेतु पुनः परीक्षण का साक्ष्य पांच प्रकरणों में संलग्न नहीं पाया गया।	05
	योग	**40**
	महायोग	**469**

[7] उप कार्यालय-बहरोड़, गंगापुर और सलूम्बर।

[8] प्रा.प.का.-सीकर, उदयपुर, जि.प.का.-बूंदी और उप कार्यालय-रींगस।

[9] प्रा.प.का.-सीकर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, जि.प.का.-सवाईमाधेपुर और उप कार्यालय-फलौदी और चौमू।

[10] प्रा.प.का.-अलवर, सीकर, उदयपुर, जोधपुर, जि.प.का.-सवाईमाधेपुर, बूंदी और उप कार्यालय-रींगस, सलूम्बर और दूदू।

[11] प्रा.प.का.-अलवर, और उप कार्यालय-रींगस, सलूम्बर और दूदू।

[12] प्रा.प.का.-अलवर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर।

[13] प्रा.प.का.-अलवर, जोधपुर और उदयपुर।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया था कि फार्म-4 जिसमें आवेदन के 'असफल' रहने के कारण दर्ज किये जाते है, आवेदन फार्म में दर्ज नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त परीक्षा लेने वाले अधिकारियों का नाम, पदनाम भी आवेदन पत्र में दर्ज नहीं पाया गया।

इन कमियों से पता चलता है कि अनुज्ञापत्र जारीकर्ता अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों की सही प्रकार से जांच नहीं की गई। चूकि चालक अनुज्ञापत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा यह एक साक्ष्य और व्यक्तिगत पहचान में यह मांगा जाता है अत: इसकी अनुशंसा की जाती है।

विभाग को अनुज्ञापत्र जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सभी आवेदन पत्र ठीक प्रकार से भरे गये है और चालक अनुज्ञापत्र जारी किये जाने से पूर्व सभी वर्णित दस्तावेजों के साथ उनकी जांच कर ली गई है।

3.11.3 शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र की परीक्षा में पायी गयी कमियां

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 11 में शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र के लिये आवेदक को यातायात चिन्हों, संकेतों, चालक के कर्त्तव्यों और सड़क विनियमन के नियमों आदि की पर्याप्त जानकारी का आंकलन हेतु प्रारम्भिक परीक्षा का प्रावधान किया गया है।

3.11.3.1 विभाग द्वारा आवेदक की जानकारी तथा यातायात नियमों के बारे में समझ का पता लगाने के लिये कम्प्यूटर स्पर्श मशीन से शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र जारी किये जाने हेतु एक प्रारम्भिक परीक्षा ली जाती है। स्पर्श मशीन पर दो सॉफ्टवेयर काम में लिये जा रहे थे। 'इन हाउस सॉफ्टवेयर' जो कि विभाग द्वारा विकसित किया गया था और 'सारथी सॉफ्टवेयर'[14] जो कि एन.आई.सी. द्वारा विकसित और उपल्बध कराया गया था।

यह पाया गया कि 37 प्रादेशिक परिवहन कार्यालय/जिला परिवहन कार्यालय में से, 31 मार्च 2012 तक मात्र नौ कार्यालयों में ही 'सारथी सॉफ्टवेयर' कार्य कर रहा था। जबकि 28 कार्यालयों में 'इन हाउस सॉफ्टवेयर' जो कि विभाग द्वारा विकमित किया गया था, कार्य कर रहा था।

'इन हाउस सॉफ्टवेयर' द्वारा वर्तमान अनुज्ञापत्रधारियों को शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र परीक्षा में, जब उन्होनें दूसरी श्रेणी के अनुज्ञापत्रों को जुडवाने हेतु आवेदन किया कोई रियायत नहीं दी। इसके अतिरिक्त स्पर्श मशीन को उप कार्यालय (प्रा.परि.का./जि. परि.का. के अधीन कार्यरत) में स्थापित नहीं किया गया था फलस्वरूप प्रारम्भिक परीक्षा मानवीय तौर पर ली गई।

3.11.3.2 कार्यालय आदेश दिनांक 02.02.2009 के अनुसार शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए कम्प्यूटराईज्ड स्पर्श स्क्रीन मशीन पर ही प्रारंभिक परीक्षा ली जानी थी, हालांकि यह उप कार्यालयों में स्पर्श स्क्रीन मशीन स्थापित नहीं की गयी थी।

[14] वर्ष 2011 में 'सारथी' की सूचना प्रौद्योगिक लेखापरीक्षा की गई। इस पर टिप्पणियाँ सी.ए.जी. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2011 में सम्मिलित की गई।

फलस्वरुप प्रारंभिक परीक्षा मानवीय तौर पर ली गयी थी। इसके अलावा कार्यालय आदेश दिनांक 30.06.1995 द्वारा मानवीय प्रारंभिक परीक्षा में आवेदक से कम से कम 10 प्रश्न पूछे जाने थे। आवेदन प्रपत्रों में परीक्षण प्राधिकारी द्वारा टिप्पणियां संलग्न कर सुरक्षित रखी जानी थी।

हालांकि यह पाया गया कि सात उप कार्यालयों[15] में मो.वा.नि/मो.वा.उप नि. ने प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के संबन्ध में कोई दस्तावेज संधारित नहीं किये गये थे। उप कार्यालय, बहरोड में केवल तीन प्रश्न पूछकर शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र जारी कर दिये गये थे। तीन कार्यालयों[16] के 25 प्रकरणों में सम्बन्धित मो.वा.नि/मो.वा.उप नि. ने हस्ताक्षर नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त, सात कार्यालयों के 81 प्रकरणों में जांच के परिणाम अंकित नहीं पाये गये थे।

3.11.3.3 विभाग द्वारा दिनांक 21.9.2009 के निर्देश अनुसार सभी आवेदकों के लियै 'कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट' अनिवार्य था। यह पाया कि 'कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट' ना तो स्पर्श स्क्रीन मशीन द्वारा और ना ही मानवीय तौर पर लिया गया था।

विभाग को 'सारथी सॉफ्टवेयर' सभी कार्यालयों में शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र जारी करने के लिये लागू करना चाहिये और सभी उप कार्यालयों में स्पर्श स्क्रीन मशीन की स्थापना करनी चाहिये।

3.11.4 डेटा बेस में उल्लघंनों को दर्ज करना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार अनुज्ञापत्र जारीकर्ता अधिकारियों को अधिकृत करता है कि वे ऐसे व्यक्ति के चालक अनुज्ञापत्र को निरस्त कर सकते है अथवा रोक सकते हैं जिसने अधिनियम में उल्लिखित नियमों का उल्लघंन किया है। प्रत्येक उल्लघंन के लिये अनुज्ञापत्र (प्रपत्र-7) के पिछले हिस्से पर पांच सर्किल उपलब्ध कराये गये हैं।

सरकार द्वारा जारी (04.05.2009) निर्देशानुसार अनुज्ञापत्रधारी द्वारा की गई प्रत्येक उल्लघंन को दर्ज करने के लिये अनुज्ञापत्र (प्रपत्र-7) पर पांच सर्किल दिये गये है जो प्रत्येक उल्लघंन पर पंच किये जाते हैं। आदेश में यह प्रावधान है कि चालक का अनुज्ञापत्र अगर पांच बार पंच पाया जाता है तो उसे निरस्त किया जा सकता है।

यह पाया गया कि 'सारथी' और 'इन हाउस' सॉफ्टवेयर में पंच किये गये अनुज्ञापत्रों की सूचना रखने का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिये अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण/डुप्लीकेट प्रति जारी करते समय अनुज्ञापत्रधारी द्वारा किये गये उल्लघंनों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकी। उल्लघंन की जांच हेतु कोई पंजिका का संधारण मानवीय रूप से नहीं किया गया था।

[15] उप कार्यालय रीगस, गंगापुरसिटी, सलम्बूर, फलौदी, पीपाड़सिटी दूदू और चौमू।
[16] उप कार्यालय रीगस, फलौदी और पीपाड़सिटी।

3.11.5 मोटर ड्राईविंग स्कूल

विभाग ने चयनित कार्यालयों में 56 मोटर ड्राईविंग स्कूलों को शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र जारी करने के लिये अधिकृत किया गया था। आयुक्त द्वारा अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों को इन स्कूलों के आकस्मिक निरीक्षण करने और मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी (09.04.2007) किये गये थे।

चयनित कार्यालयों में, शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र जारी करने वाले इन अधिकृत स्कूलों के अभिलेखों की हमारी जांच में पाया कि विभाग द्वारा इन स्कूलों की आकस्मिक जांच नहीं की गई थी।

3.11.6 शिक्षार्थी एवं चालक अनुज्ञापत्र हेतु एकमुश्त शुल्क

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 32 के अनुसार प्रत्येक शिक्षार्थी से अनुज्ञापत्र हेतु ₹ 30, चालक अनुज्ञापत्र हेतु ₹ 200 और ₹ 50 चालक परीक्षण हेतु वसूले जायेगें।

परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार (27.06.2000) एकमुश्त शुल्क ₹ 280 निर्धारित किया गया था। यह नियमों के विरुद्ध था। इसके आगे, पता चला कि 'सारथी सॉफ्टवेयर' में शिक्षार्थियों और चालक अनुज्ञापत्रों के लिये पृथक शुल्क का प्रावधान किया गया था लेकिन यह सुविधा 'इन हाउस सॉफ्टवेयर' में उपलब्ध नहीं थी जबकि इसमें एकमुश्त शुल्क का प्रावधान किया गया था।

उपरोक्त आपत्तियों को बताये जाने (अगस्त 2012) पर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार कर अवगत कराया (अक्टूबर 2012) कि सभी प्रा.परि.का./ जि.परि.का. को प्रक्रिया संबंधी कमियों को ठीक किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे है।

विभाग को, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम अनुसार शिक्षार्थियों एवं चालक अनुज्ञापत्र हेतु तथा उनके नवीनीकरण के लिये पृथक शुल्क प्रमाणित करना चाहिये।

3.11.7 विभाग में आधारभूत सुविधाओं की कमी

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि आवेदकों के लिये विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई आधारभूत सुविधायें जैसे: पीने का पानी, छाया, शौचालय, बैठने की व्यवस्था आदि अपर्याप्त थी। पायी गई कमियों को अनुवर्ती अनुच्छेदों में निम्नानुसार दर्शाया गया है:

3.11.7.1 प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर और अलवर को छोड़कर कहीं पर भी ऐसा स्थान निश्चित नहीं किया गया था जहां पर से वाहन चालकों के परीक्षण को परीक्षण अधिकारियों द्वारा देखा जा सके। वहां पर भी अस्थायी निर्माण किया गया था जो कि ट्रेक के पास था। विभाग ने बताया कि आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराना विभाग में विचाराधीन है।

3.11.7.2 आवेदकों को सुविधा प्रदान करने के आदेशों की पालना में विभाग द्वारा प्रत्येक प्रा.प.का./जि.प. कार्यालय में 'मै आई हेल्प यू' काउन्टर की स्थापना की गयी। यह देखा गया कि चयनित कार्यालयों में किसी भी कार्यालय में इन काउन्टरों पर पूर्णकालिक नियमित कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गयी थी। परिणामस्वरुप आवेदक इन काउन्टर पर अपेक्षित सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे।

3.11.7.3 यह भी देखा कि आवेदकों द्वारा प्रक्रिया और औपचारिकताओं की आसानी से पूर्ण करने सम्बन्धी सूचनाओं के प्रदर्शन बोर्ड भी स्थापित नहीं किये गये थे।

3.11.7.4 चयनित सात प्रा.प.का./जि.प. कार्यालय में से केवल तीन कार्यालयों में शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र के आवेदकों के लिये उपयुक्त कमरा था जिसमें से एक जि.प. का, जयपुर में वातानुकूलित कमरा था और अन्य स्थानों पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गई थी। मूलभूत सुविधायें जैसे: पीने का पानी, शौचालय, छाया आदि चयनित दो उप कार्यालयों में उपलब्ध नहीं थी।

3.11.7.5 इसके अतिरिक्त, यह पाया कि 'सुरक्षित ड्राईविंग' की आवेदन पुस्तिका के साथ जारी चिकित्सा प्रपत्र एवं प्रपत्र-4 (कम्प्यूटराईज्ड अनुज्ञापत्र हेतु प्रपत्र) केवल अंग्रेजी भाषा में थे, यद्यपि, राज्य में आवेदक मुख्य रुप से हिन्दी भाषी थे। इसलिये प्रपत्र में दिये गये निर्देशों की अनुपालना एवं समझना आवेदकों के लिये कठिन था।

विभाग विचार करें:

प्रणाली में, अनुज्ञाधारियों द्वारा किये उल्लघंनों को अभिलिखित करने हेतु सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराये, मोटर ड्राईविंग स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण करें, तथा

आवेदकों के लिये आधारभूत सुविधायें जैसे: पीने का पानी, सुविधायें, छाया एवं बैठने की व्यवस्था आदि उपलब्ध करायें तथा चिकित्सा प्रपत्र-4 को द्विभाषी अर्थात् हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध करायें।

अध्याय–IV

भू–राजस्व

अध्याय-IV: भू-राजस्व

4.1 कर प्रशासन

भू-राजस्व का निर्धारण एवं संग्रहण, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों से शासित होता है। भू-राजस्व में मुख्यत: भूमि का किराया, लीज किराया, प्रीमियम, रूपान्तरण शुल्क तथा सरकारी भूमि के विक्रय की प्राप्तियाँ आदि शामिल होती हैं।

राजस्व विभाग सरकार के प्रशासनिक विभाग की तरह कार्य करता है। राजस्व अधिकारियों के पर्यवेक्षण और निगरानी के साथ-साथ राजस्व से संबंधित न्यायिक मामलों का समग्र नियंत्रण राजस्व मण्डल के पास है। राजस्व मण्डल में भू-राजस्व के निर्धारण और संग्रहण से संबंधित सभी मामलों में सहायता हेतु जिला स्तर पर 33 कलेक्टर, उप संभाग स्तर पर 242 उप संभाग अधिकारी और तहसील स्तर पर 244 तहसीलदार हैं। राजस्थान में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए राजस्व मण्डल राज्य स्तरीय क्रियान्वयन प्राधिकरण का भी कार्य करता है।

4.2 राजस्व की प्रवृत्ति

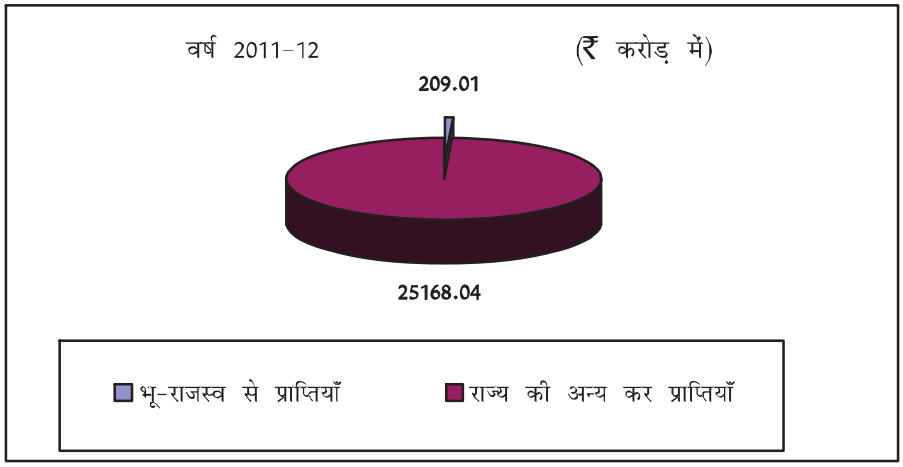
वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के लिए बजट अनुमान और विभाग द्वारा प्राप्त वास्तविक राजस्व निम्न प्रकार था:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता अधिक (+)/ कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों पर वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2007-08	122.06	155.29	(+) 33.23	(+) 27.22	13,274.73	1.70
2008-09	145.01	162.52	(+) 17.51	(+) 12.08	14,943.75	1.09
2009-10	160.16	147.66	(-) 12.50	(-) 7.80	16,414.27	0.90
2010-11	185.06	222.17	(+) 37.11	(+) 20.05	20,758.12	1.07
2011-12	196.05	209.01	(+) 12.96	(+) 6.61	25,377.05	0.82

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि बजट तैयारी में पूरी सावधानी नहीं बरती गयी और बजट अनुमान वास्तविक आंकड़ों से समर्थित नहीं थे। बजट अनुमानों और वास्तविक संग्रहणों में अंतर (-) 7.80 प्रतिशत (2009-10) से (+) 27.22 प्रतिशत (2007-08) के बीच रहा। वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्व में गिरावट का मुख्य कारण भूमि की बिक्री तथा नगरीय विकास विभाग से रूपांतरण प्रभारों की कम प्राप्ति रहा। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व संग्रहण में वृद्धि देखी, जो अनुपयोगी भूमि तथा सरकारी सम्पतियों की बिक्री से प्राप्ति के कारण हुई।

वर्ष 2011-12 के लिए कुल कर प्राप्तियों में भू-राजस्व की वास्तविक प्राप्तियों तथा अन्य प्राप्तियों के अंश का एक पाई ग्राफ नीचे दर्शाया गया है:



वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य की भू-राजस्व से प्राप्तियाँ वर्ष 2010-11 की 1.07 प्रतिशत की तुलना में कुल कर प्राप्तियों का 0.82 प्रतिशत रहीं। इस प्रकार भू-राजस्व के अन्तर्गत राजस्व के संग्रहण में अनिश्चित प्रवृति देखी गई तथापि राज्य की कुल प्राप्तियाँ लगातार वृद्धि दर्शाती हैं।

4.3 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को राजस्व की ₹ 54.54 करोड़ राशि बकाया थी, जिसमें से ₹ 13.44 करोड़ लगभग 24.64 प्रतिशत पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया थे। 31 मार्च 2012 को राजस्व की बकाया की स्थिति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	01.04.2011 को बकाया	वर्ष 2011-12 के दौरान वसूली	31.03.2012 को बकाया वसूलियाँ
2006-07 तक	52.05	38.61	13.44
2007-08	2.81	0.68	2.13
2008-09	8.40	3.10	5.30
2009-10	11.95	6.92	5.03
2010-11	36.03	7.39	28.64
योग	**111.24**	**56.70**	**54.54**

पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया ₹ 13.44 करोड़ की वसूली की संभावनाएँ क्षीण हैं।

4.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

पिछले पाँच वर्षों के दौरान 2010-11 तक लेखापरीक्षा ने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा 13 अनुच्छेदों में निहित राशि ₹ 764.33 करोड़ के राजस्व के अनारोपण/कम आरोपण, अप्राप्ति/कम प्राप्ति, कम निर्धारण/हानि, गलत छूट, कर की गलत दर लगाना, गलत गणना इत्यादि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/सरकार ने 10 अनुच्छेदों में निहित राशि ₹ 629.29 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की है तथा उनमें से अब तक ₹ 88.11 करोड़ की राशि वसूल की है (सितम्बर 2012)। विवरण आगे तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार्य अनुच्छेद		वसूल राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	अनुच्छेद की संख्या	राशि
2006-07	1	22.14	1	22.14	-	-
2007-08	5	260.68	4	196.05	3	76.64
2008-09	1	1.13	1	1.13	1	1.13
2009-10	3	180.01	3	117.55	2	9.62
2010-11	3	300.37	1	292.42	1	0.72
योग	**13**	**764.33**	**10**	**629.29**	**7**	**88.11**

इस प्रकार विभाग द्वारा उनके द्वारा पूर्व में स्वीकार्य अनुच्छेदों में मात्र 14 प्रतिशत राशि ही वसूल की है। विभाग को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताई गई राशि विशेष रूप से उन प्रकरणों में, जहाँ राशि उनके द्वारा पहले ही स्वीकार कर ली गई है, की वसूली हेतु प्रयास करने चाहिए।

4.5 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

वित्तीय सलाहकार आंतरिक लेखापरीक्षा समूह का मुखिया होता है। आन्तरिक लेखापरीक्षा के 15 दल थे, प्रत्येक दल में तीन सदस्य हैं, जोकि वार्षिक आधार पर कार्यालयों की लेखापरीक्षा संचालित करते हैं। 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान इकाईयों की संख्या, लेखापरीक्षा के लिए योजित इकाइयों की संख्या, वास्तव में लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या तथा शेष अलेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या की स्थिति निम्न प्रकार थी:

वर्ष	बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए योजित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा के लिए बकाया कुल इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	अलेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	प्रतिशत में कमी
2007-08	81	567	648	583	65	10
2008-09	65	570	635	501	134	21
2009-10	134	570	704	532	172	24
2010-11	172	570	742	707	35	5
2011-12	35	624	659	589	70	11

विभाग ने अवगत कराया कि लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध संस्थानों की सूची में 54 नई इकाइयाँ शामिल करने, रिक्त पद, लेखापरीक्षा दल के सदस्यों द्वारा अवकाश लिया जाना इत्यादि के कारण लेखापरीक्षा बकाया रही।

हमनें देखा कि 2011-12 के अंत में वर्ष 2011-12 तक के 18,687 अनुच्छेद बकाया थे। आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	2006-07 तक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
अनुच्छेद	9,004	998	1,087	1,293	2,049	4,256	**18,687**

वर्ष 2006-07 तक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 9,004 अनुच्छेद बकाया थे तथा समय बीतने के साथ-साथ पुराने प्रकरणों में वसूली के अवसर कम हो जाएगें। **सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा आक्षेपित बकाया अनुच्छेदों के तीव्र निस्तारण हेतु ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है।**

4.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011-12 के दौरान भू-राजस्व विभाग की 29 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान लेखापरीक्षा में 4,784 प्रकरणों में राशि ₹ 1,314.69 करोड़ की अवसूली तथा राजस्व की हानि इत्यादि पाई जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/प्रतिष्ठानों से भूमि की लागत, प्रीमियम और किराए की अवसूली/कम वसूली	450	1,017.52
2.	खातेदारों से संपरिवर्तन प्रभारों की अवसूली/कम वसूली	1,085	53.62
3.	नजूल सम्पत्तियों का अनिस्तारण	1,571	117.63
4.	भू-राजस्व अधिनियम की धारा 256 तथा 257 के तहत विभिन्न विभागों से प्राप्त वसूली के प्रकरणों का अनिस्तारण	1,583	106.38
5.	अन्य अनियमितताएँ	95	19.54
योग		**4,784**	**1,314.69**

विभाग ने 3,878 प्रकरणों में ₹ 1,032.78 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 986.51 करोड़ के 1,261 प्रकरण वर्ष 2011-12 में आयोजित लेखापरीक्षा से तथा शेष पूर्व के वर्षो से सम्बंधित थे। विभाग ने वर्ष 2011-12 के दौरान 544 प्रकरणों में ₹ 10.29 करोड़ वसूल किए, जिनमें ₹ 2.45 करोड़ के 156 प्रकरण वर्ष 2011-12 से तथा शेष पूर्व के वर्षो से संबंधित थे। एक प्रकरण में हमारें द्वारा विभाग तथा सरकार को ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किए जाने के पश्चात् विभाग ने ₹ 1.99 करोड़ की संपूर्ण राशि वसूल कर ली।

कुछ निदर्शी प्रकरण जिनमें ₹ 21.83 करोड़ सन्निहित है, अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाए गए हैं:

4.7 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

भू-राजस्व विभाग के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान, हमनें राजस्व के अनारोपण/कम आरोपण/कम वसूली को देखा, जिन्हें इस अध्याय के आगामी अनुच्छेदों में दर्शाया गया है। विशेष रूप से यह देखा गया कि कुछ विभागों ने सरकार के निर्देशों के अनुसार भूमि की देय लागत चुकाए बिना राजकीय भूमि पर कब्जा कर रखा था। हमनें देखा कि राजकीय भूमि की बिक्री से प्राप्त धनराशि का पाँच प्रतिशत राजकीय अंश नगर विकास न्यासों (न.सु.न्या.) द्वारा राजकीय खातों में समय से जमा नहीं कराया गया था तथा राजकीय अंश को देरी से जमा कराने पर ब्याज का कोई प्रावधान नहीं था। हमने यह भी देखा कि भूमि के कृषि से अकृषि में भू-उपयोग रूपांतरण पर देय राशि आवेदकों से अभारित/कम भारित की गई। ये प्रकरण केवल दृष्टान्त है और हमारे द्वारा की गई मापक जाँच पर आधारित है। ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार को आंतरिक नियत्रंण प्रणाली में आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत बनाने सहित सुधार करने की आवश्यकता है।

4.8 नियमों/परिपत्रों के प्रावधानों की अनुपालना न होना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 एवं उसके अन्तर्गत सरकार द्वारा जारी नियमों/अधिसूचनाओं के साथ-साथ निम्न के प्रावधान भी भूमि आवंटन/भू-उपयोग रूपांतरण पर लागू होते है:

1. राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए रूपांतरण) नियम, 2007;
2. राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि का निस्तारण) नियम, 1974;
3. राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 2 मार्च 1987;
4. पर्यटन इकाई नीति, 2007; तथा
5. राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 ।

अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान हमने देखा कि विभागीय प्राधिकारियों ने उपर्युक्त नीतियों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई, जैसाकि आगामी अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है।

4.9 भूमि की लागत की कम वसूली/अवसूली

4.9.1 राजकीय भूमि के आवंटन में राजस्थान पर्यटन नीति 2007 की पालना नहीं करना

सभी प्रकार के होटल, हेरिटेज होटलों तथा अन्य पर्यटन इकाइयों जैसे कैम्पिंग स्थल, हॉलीडे रिसोर्ट तथा भोजनालयों इत्यादि के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, 2007 स्वीकार (नवंबर 2007) की। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध भूमि का आवंटन, नीति के अनुच्छेद 1 (अ) में वर्णित रीति के अनुसार (स्टार श्रेणी के होटलों को छोड़कर) विशेष आरक्षित मूल्य, यानि उस क्षेत्र की भूमि के वाणिज्यिक आरक्षित मूल्य के 50 प्रतिशत पर किया जाना था। विशेष आरक्षित मूल्य प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित तथा आरक्षित भूमि के निपटान के लिए आधार मूल्य था।

इसके अलावा नीति के अनुसार संबंधित स्थानीय निकाय/पंचायत/जिला कलेक्टर द्वारा उपलब्ध भूमि का निस्तारण सार्वजनिक विज्ञापनों तथा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नियमित रूप से करना था। इसके अतिरिक्त, सभी संबंधित विभागों को नीति के अनुसार संबंधित नियमों, उप-नियमों और अधिसूचनाओं में विभागीय स्तर पर आवश्यक संशोधन करने थे, जिससे होटलों सहित सभी प्रकार की इकाईयों की स्थापना तथा विकास के लिए इसके पश्चात् मंत्रीमण्डल की स्वीकृति आवश्यक नहीं रहेगी। नगरीय विकास विभाग (न.वि.वि.) ने तद्नुसार अपने नियमों को संशोधित (दिसम्बर 2007) किया।

न.वि.वि. ने पर्यटन इकाई नीति, 2007 के अनुसार अपने नियमों में संशोधन किया (24.12.2007)। नए नियमों के अनुसार, पर्यटन इकाईयों हेतु नगरपालिका क्षेत्र की परिधि के गाँवों में स्थित भूमि का मूल्य वाणिज्यिक डी.एल.सी. दरों का 50 प्रतिशत लिया जाना था।

(i) कलेक्टर, राजसमन्द के दस्तावेजों की मापक जाँच (जनवरी 2012) के दौरान यह देखा गया कि पर्यटन विभाग ने मै. ग्रीनटच डवलपर्स प्रा. लि. गाजियाबाद तथा मै. नोइडा हैल्थ केयर ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट प्रा. लि., वसन्त विहार, नई दिल्ली को पर्यटन इकाई स्थापित करने के लिए राजकीय भूमि के आवंटन का अनुरोध किया। कलेक्टर द्वारा उपली ओढ़न तथा निचली ओढ़न गाँवों की 7,39,432 वर्ग फुट राजकीय भूमि पर्यटन इकाई की स्थापना के लिए चिन्हित की गई तथा इन आवेदकों को राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 के नियम 3 अ के अनुसार कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर से ₹ 56.42 लाख की राशि पर आवंटन (जनवरी 2011) कर दिया।

कलेक्टर, राजसमन्द द्वारा कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर पर राजकीय भूमि आवंटन का निर्णय सही नहीं था क्योंकि चिन्हित भूमि नगरपालिका की परिधीय सीमा के अन्दर थी, इसलिए 2007 के संशोधित नियमों के अनुसार आवंटित की जानी

चाहिए थी। भूमि की कीमत ₹ 0.56 करोड़ के स्थान पर ₹ 5.05 करोड़ थी। इसलिए राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 के नियम 3 अ के अन्तर्गत भूमि आवंटन के गलत निर्णय के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 4.49 करोड़ की हानि हुई।

मामला विभाग तथा सरकार के ध्यान में मई 2012 में लाया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2012)।

यह देखा गया कि सरकार द्वारा 2007 में पर्यटन इकाई के लिए भूमि के आवंटन हेतु पर्यटन इकाई नीति का अनुमोदन किए जाने तथा संबंधित विभागों को नीति के अनुसार उनके नियमों में संशोधन हेतु निर्देशित किए जाने के बावजूद, राजस्व विभाग ने राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 में संशोधन नहीं किया।

(ii) कलेक्टर, उदयपुर के दस्तावेजों की मापक जाँच के दौरान यह देखा गया कि गाँव नागदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर के खसरा नं. 245, 166 तथा 827/246 की 3.71 हेक्टेयर राजकीय भूमि मै. फेयरीसल डवलपर्स इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड़, भुवाणा, जिला उदयपुर को पर्यटन इकाई की स्थापना के लिए आवंटित (अगस्त 2010) की गई। भूमि की लागत राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन, नियम, 1959 के नियम 3 अ के तहत वसूल की गई। तद्नुसार आवेदक द्वारा ₹ 18.89 लाख का भुगतान किया गया था।

विभाग ने उपरोक्त नीति के अनुसार नियमों में संशोधन नहीं किया, ना ही भूमि की वाणिज्यिक आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आधारित प्रतिर्स्पधात्मक बोली की प्रक्रिया को अपनाया गया। इस प्रकार नियमों में संशोधन नहीं करने के कारण सरकार को ₹ 1.13 करोड़[1] के राजस्व का नुकसान हुआ।

मामला विभाग के ध्यान में (फरवरी 2012) लाया गया तथा सरकार को (जून 2012) प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित रहे (नवम्बर 2012)।

विभाग प्रतिस्पर्धात्मक बोली तथा राजकोष के लिए राजस्व बढ़ाने को सुनिश्चित करने के लिए, अपने नियमों में पर्यटन इकाई नीति, 2007 के अनुसार संशोधन करे।

4.9.2 भूमि की लागत की अवसूली

(i) कलेक्टर, जैसलमेर के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह देखा गया कि विंग कमाण्ड़र, वायु सेना केन्द्र, जैसलमेर द्वारा सितम्बर 2006 में कलेक्टर को यह सूचित किया कि 2003 के दौरान आयोजित भौतिक सर्वेक्षण[2] में 349.32 बीघा भूमि उनके तारबन्दी क्षेत्र में आवंटित भूमि से अधिक पाई गई। उन्होंने इसके नियमन के लिए आग्रह किया। कलेक्टर ने दिसम्बर 2006 में सम्बंधित तहसीलदार

[1] (₹ 1.32 करोड़ - ₹ 0.19 करोड़)

[2] उनके कार्यालय तथा कलेक्टर कार्यालय द्वारा आयोजित।

को आवश्यक प्रमाण-पत्रों मय निर्धारित चैक-लिस्ट, निर्धारित प्रोफार्मा में सर्वेक्षण रिपोर्ट के साथ संपूर्ण रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। हालांकि, सितम्बर 2010 में लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाए जाने तक कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया था।

मामला ध्यान में लाए जाने पर विभाग ने जनवरी 2012 में सर्वेक्षण को पूर्ण किया तथा 1,358.40 बीघा अतिरिक्त राजकीय भूमि को वायु सेना के कब्जे में पाया जिसका विवरण आगे तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

गाँव का नाम	2003 में वायु सेना द्वारा बताए अनुसार	2012 में आयोजित सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार	भूमि की लागत
जैसलमेर	204.12	1,198.00	485.90
मूलसागर	64.07	73.75	0.31
जियाई	81.13	86.65	0.24
योग	**349.32**	**1,358.40**	**486.45**

दोनों सर्वेक्षणों के बीच अन्तर का कारण दस्तावेजों में नहीं पाया गया। विंग कमाण्डर, वायु सेना केन्द्र, जैसलमेर द्वारा अतिरिक्त पाई गई भूमि के नियमन के लिए बार-बार आग्रह करने के बावजूद यह छः वर्ष के बाद किया गया। इसके परिणामस्वरूप भूमि की लागत राशि ₹ 486.45[3] करोड़ की अप्राप्ति हुई।

उपरोक्त को ध्यान में लाए जाने पर (सितम्बर 2010 तथा मई 2012), तहसीलदार ने उत्तर दिया कि भूमि के आवंटन की कार्यवाही की जा रही है तथा वसूली की जाएगी।

मामला सरकार की जानकारी में लाया गया (जून 2012); उनका उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2012)।

(ii) कलेक्टर, उदयपुर के दस्तावेजों की मापक जाँच के दौरान पता चला (जनवरी 2012) कि 1.10 बीघा राजकीय भूमि (गाँव भमरसिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर में खसरा नं. 409 तथा 410) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण[4] के कब्जे में थी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उदयपुर ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से निवेदन प्राप्त होने पर उप संभाग अधिकारी, वल्लभनगर को भूमि आवंटन के लिए उसकी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव चैक लिस्ट तथा सम्बंधित विवरण सहित सरकार को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित (दिसम्बर 2010) किया। प्रस्ताव भेजा गया तथा सरकार द्वारा जुलाई 2011 में अनुमोदित हो गया। यद्यपि भूमि का उपयोग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, उसकी लागत ₹ 1.13 करोड़ विभाग द्वारा वसूल नहीं की गई है।

[3] नगरपालिका परिधीय क्षेत्र में मायाजत्तार गेड़ तथा जयनारायण व्यास कॉलोनी के पास स्थित 1,198 बीघा भूमि आवासीय दर पर = ₹ 485.90 करोड़

गाँव मूलसागर तथा जियाई में स्थित 73.75 बीघा तथा 86.65 बीघा भूमि कृषि दर पर = ₹ 0.55 करोड़

[4] दस्तावेजों में वास्तविक कब्जे की दिनांक उपलब्ध नहीं थी।

हमारे द्वारा बताए जाने पर विभाग ने सूचित (जनवरी 2012) किया कि भा.वि.प्रा. को भूमि की कीमत जमा कराने हेतु पत्र लिखा गया है तथा आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया है।

मामला सरकार की जानकारी में (फरवरी 2012) लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2012)।

राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 के नियम 3 अ के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रो में केन्द्र सरकार के कार्यालयों को राजकीय भूमि का आवंटन प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार किया जाएगा।

(iii) कलेक्टर, जोधपुर तथा कोटा के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह देखा गया कि गाँव रामपुरा भाटियाँ तथा निमाना स्थित 225 बीघा राजकीय भूमि का मसाला बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को जून 2009 तथा अगस्त 2010 में दो मसाला पार्क स्थापित करने के लिए आवंटन किया गया था। लागत ₹ 3.19 करोड़ हालांकि वसूलनीय थी, वसूल नहीं की गई।

हमारे द्वारा ध्यान में लाए जाने (मार्च तथा जुलाई 2011) पर विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2012) कि कलेक्टर, कोटा के मामले में राशि ₹ 1.31 करोड़ की वसूली की कार्यवाही प्रगति पर है। कलेक्टर, जोधपुर के मामले में उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2012)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (जुलाई 2012) किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2012)

4.9.3 भूमि की कीमत की कम वसूली

राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 के नियम 3 अ के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन, आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध उसी वर्ग की कृषि भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के बराबर भारित किया जाएगा।
डी.एल.सी. में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गाँवों की भूमि की श्रेणी हेतु विशेष दरें दी गई हैं, जो डी.एल.सी. के फुटनोट के अनुसार 25.08.2009 से प्रभावी थी।

कलेक्टर, कोटा के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह देखा गया कि गाँव भीमपुरा, जिला कोटा की 6 बीघा राजकीय भूमि (प्लॉट नं. 20 बी) का आवंटन मै. जगदम्बा फॉस्फेट, कोटा (फर्म) को उद्योग स्थापित करने के लिए किया गया। कोटा की डी.एल.सी. दरों की जाँच पर हमने देखा कि गाँव भीमपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित था। डी.एल.सी. दरों के अनुसार भूमि की कीमत विशेष दर ₹ 6.25 लाख प्रति बीघा की दर से ली जानी थी। हालांकि कलेक्टर, कोटा ने 2010 में भूमि की कीमत गाँव भीमपुरा की दर ₹ 5.20 लाख प्रति बीघा से

वसूल की। इसके परिणामस्वरूप भूमि की कीमत ₹ 6.30 लाख की कम वसूली हुई।

मामला ध्यान में लाए जाने (जुलाई 2011) पर अतिरिक्त कलेक्टर, कोटा ने अवगत कराया (अगस्त 2011) कि बकाया राशि ₹ 6.30 लाख जमा कराने के लिए मै. जगदम्बा फोस्फेट, कोटा को नोटिस जारी किया गया है। वसूली किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई (नवम्बर 2012)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012); उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2012)।

4.9.4 राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. को आवंटित भूमि की कीमत की अवसूली

सरकार ने अधिसूचित किया (13.10.2005) कि विशिष्ट विभाग/संगठन/संस्थान को आवंटित भूमि का मूल्य पड़ौस में स्थित उसी श्रेणी की कृषि भूमि की प्रचलित बाजार दर के समान देय होगा, जैसा कलेक्टर द्वारा डी.एल.सी. में निश्चित किया जाए।

कलेक्टर, जोधपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि गाँव नार्वा खिचन्या जिला जोधपुर के खसरा नं. 1/1 की 250 बीघा राजकीय भूमि को जर्म प्लाज्मा केन्द्र स्थापित करने के लिए पशुपालन विभाग (प.पा.वि.) को आवंटित किया गया (अप्रैल 2006)। प्रमुख शासन सचिव, प.पा.वि. ने आदेश दिया (मई 2008) कि जर्म प्लाज्मा केन्द्र का संचालन राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी संघ लि. (रा.कॉ.डे.सं.) द्वारा किया जाएगा, अत: पशुपालन विभाग को आवंटित भूमि रा.कॉ.डे.सं. को हस्तांतरित कर दी जाए। कलेक्टर, जोधपुर ने रा.कॉ.डे.सं. को भूमि की कीमत वसूल किए बिना भूमि हस्तांतरित कर दी (जुलाई 2008)। जैसाकि रा.कॉ.डे.सं. को छूट प्रदान नहीं की गई थी, भूमि की कीमत राशि ₹ 45 लाख दिनांक 13 अक्टूबर 2005 की अधिसूचना के अनुसार वसूलनीय थी, जो कलेक्टर द्वारा वसूल नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप भूमि की लागत राशि ₹ 45 लाख की अवसूली हुई।

प्रकरण विभाग की जानकारी में लाया गया (मार्च 2012) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012); उनका उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2012)।

4.10 रूपांतरण प्रभारों की कम वसूली

राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण) नियम, 2007 के नियम 7(vii) के अनुसार, कृषि भूमि के सांस्थानिक प्रयोजनार्थ भू-रूपांतरण पर ₹ 5 प्रति वर्ग मीटर या डी.एल.सी. की दर का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, से प्रीमियम देय होगा।

(i) कलेक्टर, अजमेर के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि गाँव बान्दर सिन्दरी, जिला अजमेर में स्थित 121 बीघा तथा 12 बिस्वांसी (खसरा नं. 537 तथा

538/1) कृषि भूमि बिरला शैक्षणिक ट्रस्ट, कोलकाता (ट्रस्ट) द्वारा आवासीय शिक्षण संस्थान हेतु क्रय की गई थी (फरवरी 2008)। ट्रस्ट ने ₹ 6.50 लाख प्रति बीघा की दर से ₹ 7.87 करोड़ का भुगतान किया। संस्थान ने डी.एल.सी. की 10 प्रतिशत दर (₹ 3.50 लाख प्रति बीघा की डी.एल.सी. दर 18.11.2006 को नियत की गई थी) से सांस्थानिक प्रयोजनार्थ भूमि के रूपांतरण हेतु कलेक्टर को आवेदन किया। कलेक्टर ने प्रकरण को सरकार को अग्रेषित किया, जो दिनांक 18.06.2009 के आदेश मे स्वीकृत हो गया। हालांकि कलेक्टर ने मामला पुनः सरकार को प्रेषित किया (जुलाई 2009) क्योंकि भूमि कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर ₹ 3.50 लाख से उच्च दर पर क्रय की गई थी। उसी दौरान संस्थान ने डी.एल.सी. दर (₹ 3.50 लाख) तथा क्रय दर (₹ 6.50 लाख) के मध्य अंतर राशि जमा कराने का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया (जुलाई 2009)।

यह देखा गया कि कलेक्टर ने सरकार के स्पष्टीकरण/दिशा-निर्देशों का इंतजार किए बिना रूपांतरण आदेश जारी कर दिया (जुलाई 2009) तथा लागू कृषि भूमि की दर के 10 प्रतिशत ₹ 0.35 लाख प्रति बीघा से प्रीमियम वसूल कर लिया। इसके पश्चात् सरकार ने कलेक्टर को रूपांतरण प्रभार निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया (अगस्त 2009)। लेकिन कलेक्टर ने दरों को पुनः निर्धारित नहीं किया, यद्यपि बाजार दर पहले ही ₹ 6.50 लाख प्रति बीघा यहाँ तक की फरवरी 2008 में ही बढ़ चुकी थी। इसके परिणामस्वरूप रूपांतरण प्रभारों की ₹ 37.02 लाख[5] की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग की जानकारी में लाया गया (मई तथा अगस्त 2011) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2012); उनका उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2012)।

(ii) कलेक्टर, सीकर के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि गाँव पलसाना में 22.38 हेक्टेयर कृषि भूमि साँवरमल सिंघानिया मेमोरियल ट्रस्ट, किशनगढ़ (ट्रस्ट) द्वारा क्रय की गई। कलेक्टर, सीकर ने संस्थानिक प्रयोजनार्थ कृषि भूमि के रूपांतरण के लिए दिनांक 20.08.2009 तथा 28.01.2010 को दो अलग-अलग आदेश जारी किए। हमने देखा कि 4.38 हेक्टेयर भूमि की राष्ट्रीय राजमार्ग (रा.रा. 11) पर स्थित भूमि की दर ₹ 19.61 प्रति वर्ग मीटर से तथा शेष 18 हेक्टेयर भूमि रा.रा. 11 से दूर स्थित भूमि की दर ₹ 5 तथा ₹ 5.69 प्रति वर्ग मीटर से रूपान्तरित की गई।

ट्रस्ट के साईट प्लान तथा उसके साथ नायब तहसीलदार (पलसाना) की रिपोर्ट की जाँच करने पर, यह देखा गया कि ट्रस्ट का कैम्पस रा.रा. 11 पर स्थित था, इसलिए रा.रा. पर स्थित एक ही भूमि के लिए दो डी.एल.सी. दरों पर आदेश

[5] ₹ 65000 (6.50 लाख का 10 प्रतिशत) x 121 बीघा = ₹ 78,65,000 (+) ₹ 65,000 को बिस्वा के लिए 20 से विभाजित किया = ₹ 3,250 तथा ₹ 3,250 को बिस्वांसी के लिए 20 से विभाजित किया = ₹ 162.50 x 12 बिस्वांसी = ₹ 1,950 (+) शास्ति ₹ 1,19,340 (-) वसूली 42,84,245 ।

जारी करना गलत था। इसके परिणामस्वरूप 18 हेक्टेयर भूमि के रूपांतरण प्रभारों के रूप में ₹ 23.36 लाख[6] की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग की जानकारी में लाया गया (दिसम्बर 2011) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी तथा मई 2012)। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2012) कि माँग कायम कर ली गई है तथा वसूली प्रगति पर है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (नवम्बर 2012)।

4.11 रूपांतरण प्रभारों तथा ब्याज का जमा न कराया जाना

राजस्थान सरकार (नगरीय विकास विभाग) द्वारा अगस्त 2001 में स्थानीय निकायों द्वारा कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन/हस्तांतरण/संपरिवर्तन प्रभारों के रूप में प्राप्त राशि को सर्वप्रथम स्थानीय निकायों के व्यक्तिगत जमा खाते में जमा कराने तथा उसके पश्चात् 40 प्रतिशत राशि को तुरंत राजकीय खाते में जमा कराए जाने के निर्देश जारी किए थे। इसके अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया था (मार्च 2007) कि राजकीय अंश 40 प्रतिशत राशि को समय से जमा नहीं कराए जाने की स्थिति में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देरी के लिए ब्याज देय था।

कलेक्टर कोटा के मांग, संग्रहण एवं शेष के विवरणों की नमूना जाँच में यह देखा गया कि नगर विकास न्यास (न.वि.न्या.), कोटा के विरूद्ध ₹ 47.19 लाख (40 प्रतिशत अंश) की मांग बकाया थी।

यह देखा गया कि राजकीय अंश को राजकीय खाते में जमा कराने के लिए जिला राजस्व लेखाकार (जि.रा.ले.) द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप न.वि.न्या. कोटा द्वारा राजकीय अंश ₹ 47.19 लाख जमा नहीं कराया गया, इसके अलावा ब्याज राशि के रूप में ₹ 2.12 लाख देय थे।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2011 तथा जनवरी 2012) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी तथा मई 2012); उनका उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2012)।

[6] भूमि 15.35 हेक्टेयर (153500 व.मी. x ₹ 17.82 प्र.व.मी. (दर 20.08.2009 की) = ₹ 27.35 लाख तथा 2.65 हेक्टेयर (26500 व.मी. x ₹ 19.60 व.मी. (दर 28.01.2010 की))= ₹ 5.19 लाख। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.23 करोड़ का नुकसान हुआ (₹ 32.54 लाख – ₹ 9.18 लाख = ₹ 23.36 लाख)।

4.12 मोबाईल टॉवरों पर रूपांतरण प्रभार तथा शास्तियाँ

राजस्थान भू-राजस्व (रा.भू.रा.) (शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण) नियम, 2007 के नियम 7 के अनुसार कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण पर प्रीमियम समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित की गई दरों के अनुसार भारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त नियम के नियम 13 तथा 20.10.2008 को सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार यदि भूमि का उपयोग अकृषि उद्देश्य के लिए बिना रूपांतरण कराये किया जा रहा है तो, रूपांतरण प्रभारों की चार गुणा शास्ति देय होगी।

पाँच कलेक्टर कार्यालयों के तहसीलदारों को पटवारियों[7] द्वारा सौंपी गई रिपोर्टों की नमूना जाँच (जून 2011 से जनवरी 2012) में यह पाया कि पटवारियों ने सम्बंधित तहसीलदारों से खातेदारी भूमि के रूपांतरण कराए बिना अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग होने के बारे में रिपोर्ट दी थी।

यह देखा गया कि संबंधित तहसीलदारों तथा कलेक्टरों द्वारा खातेदारी भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण तथा अनाधिकृत निर्माण पर शास्ति की राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार संबंधित तहसीलदारों तथा कलेक्टरों द्वारा कार्यवाही न करने के कारण भूमि के रूपांतरण हेतु प्रीमियम तथा शास्ति की राशि ₹ 1.28 करोड़ की नीचे दिए विवरणानुसार अवसूली हुई:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रकरणों की सं.	भूमि का उपयोग	वसूली योग्य रूपांतरण प्रभार	वसूली योग्य शास्ति	योग
1	राजसमन्द	180	मोबाईल फोन टॉवर	10.70	42.81	53.51
2	उदयपुर	212	मोबाईल फोन टॉवर	5.12	20.47	25.59
3	चुरू	89	मोबाईल फोन टॉवर	2.71	10.84	13.55
4	अजमेर	75	दुकानें, होटल तथा रेस्टोरेंट आदि	8.39	14.30	22.69
5	जयपुर	4	आवासीय, आवासीय परियोजनाएँ, औद्योगिक तथा सांस्थानिक परियोजनाएँ	2.68	9.90	12.58
योग		**560**		**29.60**	**98.32**	**127.92**

लेखापरीक्षा द्वारा खातेदारी भूमि का मोबाईल फोन टॉवर के लिए बिना रूपांतरण कराए उपयोग का मामला प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग के समक्ष नवम्बर

[7] तहसील स्तर पर पटवारी भू-प्रबन्ध अधिकारी होता है। भू-राजस्व विभाग के राजस्व संग्रहण तंत्र में राज्य के क्रियाकलापों में निचले स्तर पर, उसके कर्त्तव्यों में कृषि भूमि का निरीक्षण करना तथा गिरदावरी व मालिकाना हक के दस्तावेजों की सार-संभाल करना है।

2011 में भी उठाया गया था। हालांकि रूपांतरण प्रभारों की वसूली तथा भूमि के उपयोग के नियमन हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जून 2011 से जनवरी 2012) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2011, फरवरी एवं मई 2012); उनके उत्तर प्रतीक्षित रहे (नवम्बर 2012)।

4.13 लीज राशि तथा ब्याज की कम वसूली/अवसूली या कम जमा कराया जाना/जमा नहीं कराया जाना

4.13.1 बकाया की अवसूली

राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7(4) के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक न.वि.न्या. में जमा भूमि कर (नगरीय निर्धारण) राज्य सरकार की संचित निधि में जमा किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त नियमों का नियम 7(6) यह स्पष्ट करता है कि भूमि कर (लीज राशि) का बकाया राजस्थान लोक मांग वसूली (रा.लो.मां.व.) अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत ब्याज सहित वसूल किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने लीज राशि को प्राथमिकता के आधार पर वसूल करने के निर्देश जारी किए है (अक्टूबर 2002)।

कलेक्टर, उदयपुर तथा अजमेर के मांग, संग्रहण एवं शेष के विवरणों की नमूना जाँच में यह पाया कि दस प्रकरणों में भूमि कर राशि ₹ 42 लाख लीजग्रहीताओं से 4 से 31 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद न.वि.न्या. उदयपुर तथा अजमेर द्वारा वसूल नहीं किये गये। रा.लो.मां.व. अधिनियम के तहत सम्बंधित कलेक्टर कार्यालयों/न.वि.न्या. द्वारा बकाया की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए। इस प्रकार ₹ 30 लाख सहित राजकीय राजस्व ₹ 72 लाख की प्राप्ति का अभाव रहा।

जनवरी 2012 में उपरोक्त को जानकारी में लाए जाने के बाद, न.वि.न्या., उदयपुर ने बताया कि (जुलाई 2012) चार प्रकरणों में ₹ 29.30 लाख की वसूली की जा चुकी है तथा बकाया तीन प्रकरणों में नोटिस जारी किए गए हैं। न.वि.न्या. अजमेर ने बताया कि (जुलाई 2012) दो प्रकरणों में रा.लो.मां.व. अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं तथा एक प्रकरण में वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

मामला सरकार को मई 2012 में प्रतिवेदित किया गया। उनका उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2012)।

4.13.2 लीज राशि की कम वसूली

राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 के नियम 5 के अनुसार औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित भूमि पर लीज किराया वसूली योग्य होगा। नियम 6 के अनुसार भूमि के आवंटन के 30 वर्ष बाद लीज किराया संशोधित किया जाएगा। हालांकि लीज किराए में वृद्धि वर्तमान किराये की राशि से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सरकार ने 13 अगस्त 2009 को अधिसूचना जारी कर गाँवों, कस्बों तथा शहरों के लिए लीज किराए की दरों को संशोधित किया है। दरों का निर्धारण उक्त स्थानों की जनसंख्या के अनुसार किया गया है।

कलेक्टर, उदयपुर तथा राजसमन्द के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह देखा गया कि मै. मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., कोलकाता को 1962 में, मै. जे.के. इण्डस्ट्रीज लि., कोलकाता को 1975 में तथा मै. हिन्दुस्तान जिंक लि., दरीबा माईन्स को 1995 में औद्योगिक प्रयोजनार्थ 99 वर्ष की लीज पर भूमि आवंटित की गई थी।

आवंटन तथा लीज किराया फाईलों की जाँच पर यह पाया कि संबंधित कलेक्टरों ने 30 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत लीज किराया को संशोधित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप इन लीजधारकों से 30 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी आवंटन वर्ष में तय की गई लीज राशि वसूल की जाती रही। लीज किराया तथा संशोधित दरों को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ लाखों में)

कलेक्टर कार्यालय का नाम	लीजधारक का नाम	वसूली योग्य संशोधित लीज किराया	वसूल किया गया लीज किराया	कम वसूल
उदयपुर	मै. मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., कोलकाता	18.61	1.19	17.42
राजसमन्द	मै. जे.के. इण्डस्ट्रीज लि., कोलकाता	23.61	1.95	21.66
राजसमन्द	मै. हिन्दुस्तान जिंक लि., दरीबा माईन्स	6.76	0.25	6.51
	योग	**48.98**	**3.39**	**45.59**

उपरोक्त तालिका को देखने से पता चलता है कि लीज किराया को संशोधित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 45.59 लाख की हानि हुई।

सरकार ने अपने प्रत्युत्तर में (सितम्बर 2012) अवगत कराया कि राजसमन्द से संबंधित दो प्रकरणों में माँग कायम कर दी गई है। उदयपुर के मामले में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।

4.13.3 राजकीय खाते में भूमि कर को जमा न कराना

राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7 (4) के तहत प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक भूमि कर की नगरीय निर्धारण राशि न्यास के पास जमा की जानी चाहिए। इसके पश्चात् संग्रहित राशि का 40 प्रतिशत न्यास संग्रहण के लिए सेवा प्रभार के रूप में रखेगें तथा 60 प्रतिशत राशि सरकार की प्राप्तियों के रूप में सरकार की संचित निधि में जमा कराई जाएगी।

कलेक्टर, कोटा के मांग, संग्रहण एवं शेष के विवरणों तथा लीजधारकों की आवंटन पत्रावलियों एवं न.सु.न्या., कोटा द्वारा संधारित पंजिकाओं की नमूना जाँच में यह देखा गया कि न.सु.न्या. ने वर्ष 2010-11 के दौरान भूमि कर (नगरीय निर्धारण) की राशि ₹ 8.37 करोड़ संग्रहित की थी। हालांकि राजकीय अंश राशि ₹ 5.02 करोड़ (संग्रहित राशि का 60 प्रतिशत) राजकीय खाते में जमा नहीं कराया गया। न.सु.न्या. कोटा के आंकड़ों का मिलान करने पर यह पता चला कि न.सु.न्या., ने लीजधारकों से भूमि कर देरी से जमा कराने पर ब्याज भी वसूला था, लेकिन इस प्रकार संग्रहित ब्याज राशि ₹ 0.41 करोड़ तक राजकीय खाते में कम जमा कराई गई।

यह देखा गया कि न.वि.न्या. द्वारा वसूल राजकीय राशि तथा ब्याज को समय पर राजकीय खाते में जमा कराने पर निगरानी में जि.रा.ले. विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप राजकीय अंश तथा ब्याज राशि ₹ 5.44 करोड़ की अप्राप्ति हुई।

मामला विभाग की जानकारी में लाया गया (जुलाई 2011) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012)। सरकार ने अपने प्रत्युत्तर (सितम्बर 2012) में अवगत कराया कि राशि ₹ 4.76 करोड़ राजकीय खाते में जमा करा दिए गए हैं। कम जमा कराई गई ब्याज राशि के बारे में प्रत्युत्तर में कुछ नहीं बताया गया।

4.14 राजकीय खाते में राजकीय अंश देरी से जमा कराने पर ब्याज प्रभारित करने का प्रावधान न होने से संभावित हानि

दिनांक 08.03.2006 तथा 02.01.2007 की अधिसूचना के अनुसार न.वि.न्या. को राजकीय भूमि की बिक्री से प्राप्त राशि का 10 प्रतिशत राजकीय खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। न.वि.न्या. द्वारा राशि को देरी से जमा कराने पर ब्याज प्रभारित करने का कोई प्रावधान नहीं था।

(i) कलेक्टर तथा न.वि.न्या., अजमेर के अभिलेखों का परस्पर मिलान करने पर यह पाया गया कि वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान राजकीय भूमि की बिक्री से प्राप्त राशि में से राजकीय अंश राशि ₹ 3.53 करोड़ दिनांक 26.03.2010 को एक से चार वर्ष तक की देरी से जमा कराया गया।

ब्याज का प्रावधान न होने के कारण 12 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि ₹ 61.38 लाख भारित नहीं किए जा सके।

(ii) कलेक्टर कोटा तथा अजमेर का सम्बंधित न.सु.न्या. के अभिलेखों से आपस में मिलान करने पर यह देखा गया कि न.सु.न्या. ने विभिन्न वर्षो में लीजधारकों से लीज राशि एकत्रित की थी, लेकिन न.सु.न्या. द्वारा संग्रहित राशि में से राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7 (4) के अनुसार भूमि कर की नगरीय निर्धारण राशि (लीज राशि) के 60 प्रतिशत राजकीय अंश को एक वर्ष से चार वर्ष की देरी से जमा कराया गया। इसके अतिरिक्त न.सु.न्या. ने लीजधारकों से लीज राशि देरी से जमा कराने पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भी वसूला। हालांकि न.सु.न्या. द्वारा राजकीय खाते में देरी से राशि जमा कराने पर ब्याज का कोई प्रावधान न होने के कारण, वसूली गई ब्याज राशि को भी न.वि.न्या. द्वारा जमा नहीं कराया गया।

ब्याज का प्रावधान न होने के कारण 12 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि ₹ 4.70 करोड़ भारित नहीं किए जा सके।

(iii) निदेशक सम्पदा, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 2011) कि ज.वि.प्रा. ने 419.13 वर्ग मीटर का एक भूखण्ड ₹ 1.76 करोड़ में वाणिज्यिक भूखण्ड के रूप में नीलाम किया (दिसम्बर 2010)। नीलामी राशि बोलीदाता द्वारा दिनांक 04.02.2011 को जमा कराई गई। प्रशासनिक तथा सेवा कर की कटौती उपरांत ज.वि.प्रा. द्वारा ₹ 1.58 करोड़ छः महीने से ज्यादा समय के पश्चात् जमा कराए गए (17.08.2011)।

प्रमुख शासन सचिव (वित्त तथा आयोजना विभाग) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयानुसार, जयपुर विकास प्राधिकरण (ज.वि.प्रा.) को श्रीजी की मोरी, चौकड़ी सरहद, जयपुर स्थित 419.13 व.मी. नजूल सम्पति पी-92 को आवासीय भूखण्ड के रूप में खुली नीलामी द्वारा निस्तारित करने के लिए अधिकृत (30.01.2004) किया गया था। दिनांक 24 जनवरी 2005 के आदेश की शर्तों के अनुसार, नीलामी से प्राप्त राशि को ज.वि.प्रा. द्वारा तुरंत सरकारी खाते में जमा कराया जाना था।

ब्याज का प्रावधान न होने के कारण 12 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि ₹ 10 लाख भारित नहीं किए जा सके।

मामला विभाग की जानकारी में लाया गया (जुलाई 2011) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012)। सरकार ने अपने प्रत्युत्तर में अवगत कराया (सितम्बर 2012) कि लीज राशि को देरी से जमा कराने पर ब्याज वसूलने का प्रावधान बनाने का कार्य प्रगति पर है।

4.15 आवंटन में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन

नियमों की शर्त सं. 2(iii) तथा (vii) यह निर्दिष्ट करती है कि भूमि उसी प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जाएगी जिस उद्देश्य हेतु आवंटित की गई है तथा उपरोक्त शर्तों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर भूमि बिना किसी दावे के उस पर निर्माण सहित सरकार को वापस हो जाएगी।

राज्य सरकार ने भवानी निकेतन शैक्षणिक तथा धर्मार्थ संगठन (संगठन) के पक्ष में उच्च विद्यालय, आवासीय भवन तथा कर्मचारी आवास के निर्माण के लिए उपरोक्त नियमों के तहत 555.80 बीघा राजकीय भूमि का नियमन किया (3.05.1997)। भूमि पूर्व में ही संगठन के कब्जे में थी तथा केवल शैक्षणिक प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी।

हालांकि कलेक्टर, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि संगठन लगभग पाँच बीघा भूमि (खसरा नं. 15) का तीन विवाह स्थलों के रूप में किराये पर देकर वाणिज्यिक उपयोग कर रहा है। नगर निगम जयपुर से उक्त सूचना का परस्पर मिलान करने पर हमने पाया कि संगठन ने वहाँ पर तीन विवाह-स्थल पंजीकृत करवा रखे थे तथा वर्ष 2010-11 के लिए आवश्यक लाईसेंस फीस के रूप में ₹ 75,000 जमा करवाए थे।

यह देखा गया कि मामला कलेक्टर, जयपुर द्वारा सरकार को अगस्त 2011 में प्रेषित किया गया। हालांकि शर्त सं. 2(iii) तथा (vii) के तहत उक्त शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि की वापसी के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई (जून 2012), यद्यपि संगठन इस मुख्य स्थान पर स्थित भूमि का वाणिज्यिक उपयोग कर रहा था, जो कलेक्टर तथा विभाग की जानकारी में था।

मामला विभाग की जानकारी में लाया गया (जुलाई 2011) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

अध्याय–V

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

अध्याय-V: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

5.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क (मु.क. एवं पं.शु.) से प्राप्तियाँ भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, पंजीयन अधिनियम, 1908, राजस्थान मुद्रांक (रा.मु.) अधिनियम, 1998 जो 27 मई 2004 से प्रभावी है एवं इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों द्वारा अधिनियमित होते हैं। मु.क. दस्तावेजों के निष्पादन एवं पं.शु. दस्तावेजों के पंजीयन पर देय होता है।

नीति का निर्धारण, देखरेख एवं नियंत्रण सरकार के स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के प्रमुख हैं। प्रशासनिक मामलों में एक अतिरिक्त महानिरीक्षक व वित्तीय मामलों में वित्तीय सलाहकार उनकी सहायता करते हैं। सम्पूर्ण राज्य को 13 वृत्तों में विभाजित किया गया है, इनमें से 12 वृत्तों में उप महानिरीक्षक (उ.म.नि.) एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) तथा जयपुर वृत में अतिरिक्त कलेक्टर (अ.क.) (मुद्रांक) आसीन रहते हैं। राज्य में 33 जिला पंजीयक (जि.पं.), 67 उप पंजीयक (उ.पं.) एवं 289 पदेन उप पंजीयक[1] है।

5.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान राज्य की मु.क. एवं पं.शु. से वास्तविक प्राप्तियाँ सहित राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

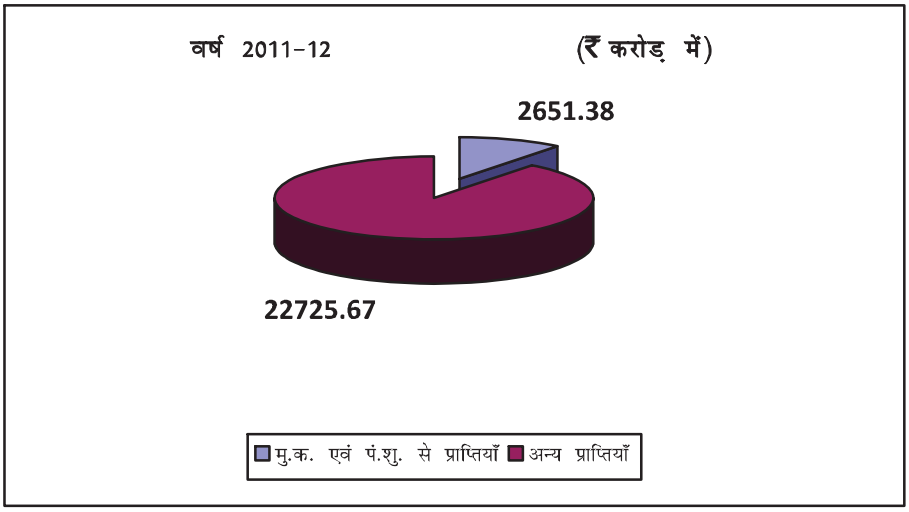
(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आंकलन	मु.क. व पं.शु. से वास्तविक प्राप्तियाँ	विचलन अधिक(+)/ कम (-)	विचलन का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों के विरूद्ध वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2007-08	1,500.00	1,544.35	(+) 44.35	(+) 2.96	13,274.73	11.63
2008-09	1,575.00	1,356.63	(-) 218.37	(-) 13.86	14,943.75	9.08
2009-10	1,450.00	1,362.94	(-) 87.06	(-) 6.00	16,414.27	8.30
2010-11	1,750.00	1,941.07	(+) 191.07	(+) 10.91	20,758.12	9.35
2011-12	2,500.00	2,651.38	(+) 151.38	(+) 6.06	25,377.05	10.45

वर्ष 2008-09 के दौरान बजट आंकलनों तथा वास्तविक प्राप्तियों में विचलन (-) 13.86 प्रतिशत तथा वर्ष 2010-11 में 10.91 प्रतिशत था। शेष वर्षों में यह 10 प्रतिशत से कम रहा।

[1] तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को पदेन उप पंजीयक घोषित किया गया है।

वर्ष 2011-12 के लिए मु.क. तथा पं.शु. से वास्तविक प्राप्तियों की अन्य प्राप्तियों से तुलना का पाई ग्राफ नीचे प्रदर्शित किया गया है:



वर्ष 2011-12 के दौरान मु.क. तथा पं. शु. से प्राप्तियाँ राज्य की कुल कर प्राप्तियों का 10.45 प्रतिशत रही, जो वर्ष 2010-11 के दौरान 9.35 प्रतिशत थी। इस प्रकार मु.क. एवं पं.शु. के संग्रहण में राज्य की कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि का रुख देखा गया।

5.3 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2012 तक बकाया राजस्व ₹ 170.96 करोड़ था, जिसमें से ₹ 67.36 करोड़ लगभग 39.40 प्रतिशत गत पाँच वर्षों से अधिक से बकाया था। वर्ष 2011-12 तक के बकाया राजस्व की स्थिति को निम्न तालिका में वर्णित किया गया है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	1.4.2011 को कुल बकाया	वर्ष 2011-12 के दौरान वसूल राशि	31.3.2012 को बकाया वसूलियाँ
2007-08 तक	67.84	0.48	67.36
2008-09	26.42	0.40	26.02
2009-10	16.48	1.64	14.84
2010-11	29.62	4.83	24.79
2011-12	67.02	29.07	37.95
योग	**207.38**	**36.42**	**170.96**

₹ 67.36 करोड़ पाँच वर्ष तथा उससे अधिक अवधि से बकाया है जिनकी वसूली की सम्भावनाएँ क्षीण है। बकाया की अवसूली के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

5.4 संग्रहण की लागत

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर हुआ व्यय एवं संग्रहण व्यय की सकल संग्रहण से प्रतिशतता के साथ संग्रहण पर हुए व्यय की पूर्व वर्ष की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	सकल संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	पूर्व वर्ष की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	2007-08	1,544.35	22.80	1.48	2.33
2.	2008-09	1,356.63	29.09	2.14	2.09
3.	2009-10	1,362.94	31.33	2.30	2.77
4.	2010-11	1,941.07	33.63	1.73	2.47
5.	2011-12	2651.38	43.40	1.64	1.60

सकल संग्रहण पर लागत प्रतिशतता वर्ष 2007-08 तथा 2009-11 के दौरान अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से कम रही, किन्तु वर्ष 2011-12 में इसमें बढ़ोतरी का रुख देखा गया।

5.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

2010-11 तक के विगत पाँच वर्षों के दौरान, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में अनारोपण/कम आरोपण, अप्राप्ति/कम प्राप्ति, अवनिर्धारण/राजस्व हानि, गलत छूट, कर दर का गलत आरोपण, गलत गणना इत्यादि के 19 अनुच्छेदों में ₹ 207.02 करोड़ का राजस्व प्रभाव दर्शाया। इनमें से विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा के 16 अनुच्छेदों में सम्मिलित ₹ 134.36 करोड़ के आक्षेपों को पूर्णत:/अंशत: स्वीकार किया एवं अब तक केवल ₹ 5.56 करोड़ (सितम्बर 2012) की वसूली की।

विवरण आगे तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार्य अनुच्छेद		वसूल राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
2006-07	3	81.10	3	78.72	2	2.99
2007-08	6	58.36	5	4.14	4	0.90
2008-09	4	10.47	4	10.47	4	1.51
2009-10	5	27.31	3	19.79	3	0.16
2010-11	1	29.78	1	21.24	-	-
योग	**19**	**207.02**	**16**	**134.36**	**13**	**5.56**

सरकार को स्वीकार किए गए लेखापरीक्षा आक्षेपों में शीघ्र वसूली हेतु प्रयास करने चाहिए। ₹ 134.36 करोड़ में से मात्र ₹ 5.56 करोड़ (4.14 प्रतिशत) की वसूली से सरकार की वसूली के प्रति अनिच्छा प्रदर्शित होती है।

5.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

वित्तीय सलाहकार आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के प्रमुख है। इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु योजना उनके महत्व एवं राजस्व प्राप्तियों के आधार पर बनाई जाती है। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्न प्रकार थी:

वर्ष	बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु बकाया कुल इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ	बकाया रही अलेखापरीक्षित इकाइयाँ	प्रतिशत में कमी
2007-08	-	369	369	68	301	81.57
2008-09	301	369	670	458	212	31.64
2009-10	212	369	581	360	221	38.04
2010-11	221	369	590	353	237	40.17
2011-12	237	369	606	386	220	36.30

स्रोत-तालिका में दर्शाए गए आंकड़े महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम सूचना पर आधारित है।

हमनें देखा कि वर्ष 2011-12 के अंत तक 9,591 अनुच्छेद बकाया थे। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	2006-07 तक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
अनुच्छेद	5,488	235	792	942	1,031	1,103	**9,591**

स्रोत-तालिका में दर्शाए गए आंकड़े महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम सूचना पर आधारित है।

जैसाकि वर्ष 2006-07 तक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 5,488 अनुच्छेद बकाया थे, समय व्यतीत होने के साथ-साथ उन पर कार्यवाही करना कठिन होता जाएगा, इसलिए इन पर विभाग द्वारा त्वरित तथा केन्द्रीत ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार बकाया अनुच्छेदों की बहुत भारी संख्या से आंतरिक लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य विफल रहा।

सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा समूह को मजबूत करना चाहिए, जिससे राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण में कमियों का समय पर पता लगाकर सही किया जा सके। इसके अतिरिक्त, विभाग को आंतरिक लेखापरीक्षा के बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रयास किये जाने चाहिए।

5.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011-2012 के दौरान पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की 193 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 4,286 प्रकरणों में ₹ 74.71 करोड़ के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम प्राप्ति का पता लगा, जो विस्तृत रूप से निम्न श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन	2,859	33.58
2.	अन्य अनियमितताएँ	1,427	41.13
योग		**4,286**	**74.71**

विभाग ने 2,674 प्रकरणों से सम्बन्धित ₹ 12.41 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया (2011-12), जिनमें से ₹ 9.84 करोड़ के 533 प्रकरण वर्ष 2011-12 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2011-12 के दौरान 1,337 प्रकरणों में ₹ 1.27 करोड़ वसूल किये, जिनमें से ₹ 2.42 लाख के 32 प्रकरण वर्ष 2011-12 के तथा शेष पूर्व वर्षों से सम्बन्धित थे।

वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग ने एक प्रकरण में ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी करने के पश्चात् ₹ 1.18 करोड़ की वसूली की।

कुछ निदर्शी लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर, जिनमें ₹ 4.86 करोड़ सन्निहित है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

5.8 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

विभिन्न पंजीयन कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि अनेक मामलों में राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 तथा भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। ये प्रकरण उदाहरणस्वरूप हैं तथा लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित हैं। इनमें से कुछ त्रुटियां प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाई जाती हैं। तथापि ऐसी अनियमितताएँ वर्ष-दर-वर्ष जारी रही। सरकार को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

5.9 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (रा.मु.अ.) और भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 (भा.पं.अ.)/राज्य सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नानुसार प्रावधान हैं:

(i) सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कर का आरोपण;

(ii) जहाँ अचल सम्पत्ति सरकार, नगर सुधार न्यासों आदि द्वारा आवंटित/विक्रय की जाती है, तो मु.क. का आरोपण, प्रतिफल, ब्याज, शास्ति आदि के मूल्य पर होगा;

(iii) अपंजीकृत/विकास अनुबंध के गलत वर्गीकरण तथा भूमि के हंस्तातरण पर मु.क. तथा पं.शु. का आरोपण, जहाँ पर यह केवल विकास अनुबंध के रूप में प्रस्तुत किया गया हो;

(iv) अन्य राज्य के अनिरस्तनीय मुख्त्यारनामें पर मु.क. तथा पं.शु. का आरोपण, जिस पर राजस्थान में मु.क. नहीं चुकाया गया हो;

(v) रा.मु.अ. 1998 के तहत विभाजन-पत्र पर मु.क. का आरोपण;

(vi) अपंजीकृत पट्टा विलेखों तथा अन्य पट्टा विलेखों पर विक्रय विलेखों के समान प्रतिफल के रूप में उसके जुर्माना, प्रीमियम, अग्रिम एवं दो वर्षो के औसत किराए को शामिल करते हुए पर मु.क. का आरोपण; तथा

(vii) राजस्थान निवेश नीति योजना, 2003 के तहत दी गई छूट की वसूली, जहाँ नियमों का पालन नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों में से कुछ की पालना नहीं की, जिनका अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है।

5.10 पट्टा विलेखों का अवनिर्धारण/निष्पादन नहीं किया जाना

5.10.1 पट्टा विलेखों के पंजीयन में मालियत की गणना में ब्याज राशि को शामिल नहीं करने से मुद्रांक कर (मु.क.) का कम आरोपण

दिनांक 22.05.2003 की अधिसूचना के अनुसार राजस्थान औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड् (रिको) द्वारा अचल सम्पति के आवंटन/विक्रय के सभी निष्पादित दस्तावेजों पर मु.क. सम्पति के बाजार मूल्य के स्थान पर ब्याज, शास्ति तथा प्रतिफल के रूप में देय अन्य राशि के कुल योग तथा दो वर्ष का औसत किराया, यदि कोई हो, पर देय होगा।

उप पंजीयक (उ.पं.), भिवाड़ी (अलवर) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान (फरवरी 2012) यह देखा गया कि रिको द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए पाँच फर्मों[2] को आवंटित भूखण्डों के पट्टा विलेखों का पंजीयन वर्ष 2010-11 के दौरान हुआ। यह देखा गया कि उ.पं. ने नीचे दिए गए विवरणानुसार प्रतिफल राशि में से ब्याज राशि को अलग कर उस पर पाँच प्रतिशत मुद्रांक कर प्रभारित किया:

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	दस्तावेज संख्या तथा दिनांक	ब्याज सहित प्रतिफल	प्रतिफल लिया गया	मु.क.		
				वसूली योग्य	वसूल[3]	अंतर
1	1430/19.04.10	13,49,55,229	12,00,09,650	33,73,880	30,00,245	3,73,635
2	3282/30.08.10	16,13,01,307	14,61,73,374	40,32,533	36,54,340	3,78,193
3	411/03.02.11	16,97,08,070	15,10,26,096	42,42,702	37,75,660	4,67,042
4	468/10.02.11	25,47,330	20,87,270	63,683	52,190	11,493
5	586/18.02.11	40,48,545	36,00,550	1,01,214	90,020	11,194
योग				**1,18,14,012**	**1,05,72,455**	**12,41,557**

इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.42 लाख के मु.क. का कम आरोपण हुआ।

मामला विभाग के ध्यान में लाया गया (मार्च 2012) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012)। सरकार ने अपने प्रत्युत्तर में अवगत कराया (अक्टूबर 2012) कि संबंधित उ.पं. को राशि वसूल करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (नवम्बर 2012)।

[2] (i) मै. हाइथ्रो पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड्, नई दिल्ली (ii) मै. क्लच ऑटो लिमिटेड्, नई दिल्ली (iii) मै. सुरेन्द्र एन्टरप्राईजेज (iv) मै. नारायण स्टील फैब्रिकेशन, भिवाड़ी (v) मै. सन बीम प्राईवेट लिमिटेड, हरियाणा।

[3] राजस्थान निवेश नीति योजना (रा.नि.नी.यो.) 2003 के तहत मु.क. पर 50 प्रतिशत की छूट देकर वसूल किया गया।

5.10.2 किराये के साथ प्रीमियम आदि पर स्वीकृत पट्टा विलेखों पर मु. क. तथा पं.शु. का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची की धारा 33 (सी) (i) के प्रावधानों के अधीन, जहां पट्टा 20 वर्ष से अधिक की अवधि का नहीं है तथा ऐसे पट्टे में जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम या विकास शुल्क अग्रिम या प्रतिभूति शुल्क अग्रिम के साथ किराए की व्यवस्था हो, तो ऐसे जुर्माने, प्रीमियम या अग्रिम तथा दो वर्ष के औसत किराए की राशि, जैसा कि पट्टे में बतलाया गया हो, के मूल्य या राशि के समान प्रतिफल पर हस्तान्तरण विलेख के समान दरों पर मुद्रांक कर प्रभार्य है। पंजीयन शुल्क प्रतिफल के मूल्य के एक प्रतिशत दिनांक 8.04.2010 तक अधिकतम ₹ 25,000 तथा 9.04.2010 से ₹ 50,000 तक प्रभारित होगा।

चार उ.पं. कार्यालयों[4] के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह देखा गया कि दो वर्ष से लेकर 19 वर्ष 11 माह तक की अवधि के 18 पट्टा विलेखों का वर्ष 2010-11 के दौरान पंजीयन किया गया। जिन पर उ.पं. द्वारा दो वर्ष के औसत किराए तथा प्रतिभूति जमा पर बाजार दर के स्थान पर दो वर्ष के औसत किराए तथा प्रतिभूति जमा पर एक प्रतिशत पं.शु. तथा वाणिज्यिक सम्पत्ति पर दो प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्ति पर एक प्रतिशत मु.क. वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 57.26 लाख के मु.क. एवं पं.शु. का कम आरोपण हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012)। सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2012) कि दो प्रकरणों में ₹ 2.04 लाख की वसूली की जा चुकी है, 14 प्रकरणों में निष्पादकों के विरुद्ध मामले दर्ज कराए गए हैं तथा बकाया दो प्रकरणो में निष्पादकों को राशि जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (नवम्बर 2012)।

[4] जयपुर-VI, जयपुर-VII, जयपुर-VIII एवं फागी

5.11 विकास अनुबंध पर मु.क. तथा पं.शु. का कम आरोपण

रा.मु.अ., 1998 की धारा 3 के अनुसार प्रत्येक दस्तावेज पर रा.मु.अ. की अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों पर कर प्रभार्य है। मु.क. से संबंधित कई अधिनिर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि दस्तावेज उसके शीर्षक के बजाय उसमें निहित विवरण के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।

रा.मु.अ., 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 5(बीबीबीबी) के अनुसार अनुबन्धों या अनुबन्धों के ज्ञापन, यदि उसमें प्रवर्तक या विकासकर्ता को जिसे किसी भी नाम से जाना जाये, किसी अचल सम्पत्ति के निर्माण अथवा विकसित करने का प्राधिकार दिया गया है उस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से मु.क. देय होगा।

इसके अतिरिक्त रा.मु.अ., 1998 की धारा 6 के अनुसार किसी दस्तावेज में जिसमें एक से अधिक अलग-अलग लेख्य-पत्रों का विवरण हो, पर मु.क. उन अलग-अलग लेख्य-पत्रों पर अधिनियम के अनुसार प्रत्येक दस्तावेज पर देय कुल अलग-अलग शुल्क के बराबर भारित किया जाएगा।

(i) तीन उ.पं. कार्यालयों[5] के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि अप्रैल से दिसम्बर 2010 के मध्य छः विकास अनुबंध[6] पंजीकृत हुए थे। उ.पं. ने इन विकास अनुबंधों को उनके शीर्षक के अनुमार वर्गीकृत किया तथा रा.मु.अ. की धारा 5 (बीबीबीबी) के अनुसार सम्पति के बाजार मूल्य पर एक प्रतिशत मु.क. वसूल किया।

इन छः विकास अनुबंधों की जाँच करने पर यह पाया गया कि भूमि के मालिकों ने विकासकर्ताओं को अपनी 30 से 58 प्रतिशत भूमि का विकास करने हेतु संपूर्ण भूमि का कब्जा देने, निर्माण करने, तथा विकास करने हेतु प्राधिकृत किया था। विकासकर्ता भूमि मालिकों की बिना किसी सहमति से शेष भूमि को बेचने हेतु हकदार हो गए।

मु.क. ₹ 21.01 लाख के स्थान पर ₹ 69.79 लाख[7] भारित किया जाना था। इस प्रकार गलत मु.क. भारित करने के परिणामस्वरूप ₹ 48.78 लाख की अप्राप्ति हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012)। सरकार ने अपने प्रत्युत्तर (अक्टूबर 2012) में अवगत कराया कि उदयपुर-I तथा उदयपुर-II के मामलों में

[5] उदयपुर-I, उदयपुर-II तथा जयपुर-VI।

[6] मिराज डवलपर प्रा.लि., उदयपुर, मिराज डवलपर प्रा.लि., उदयपुर, मै. कोरल इन्फ्रा गोल्ड, प्रा.लि., जयपुर, मै. यूनिक बिल्डर्स (गणेश) जयपुर, मै. राशमी रिअल्टी बिल्डर्स प्रा.लि., मुम्बई तथा मै. श्रीकृष्णा अवोड्स प्रा.लि., जयपुर।

[7] (30 से 58 प्रतिशत सम्पत्ति की कीमत का एक प्रतिशत तथा 42 से 70 प्रतिशत सम्पत्ति की कीमत का पाँच प्रतिशत)।

उ.पं. को राशि वसूल करने या निष्पादक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रत्युत्तर के अनुसार जयपुर-VI के प्रकरण में कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज कराया गया है। हम उनकें आगामी प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं (नवम्बर 2012)।

(ii) उ.पं. सांगानेर-II के दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि एक विक्रय-पत्र विकासकर्ता (मै. अलौकिक बिल्डकॉम प्रा.लि. जयपुर) तथा क्रेता के मध्य एक तैयार बने हुए फ्लैट के लिए पंजीकृत हुआ। विक्रय-पत्र के दस्तावेज की जाँच में यह पाया गया कि अनुबंध (जुलाई 2005) के नियम तथा शर्तो के अनुसार भूमि मालिक की तरफ से विकासकर्ता द्वारा बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण किया गया था। यह अनुबंध नोटेरी पब्लिक से सत्यापित था जिसमें भूमि मालिक तथा विकासकर्ता के मध्य आपस में यह सहमति थी कि भूमि मालिक भूमि के एवज में निर्मित क्षेत्र का सभी मंजिलों पर 67.5 प्रतिशत हकदार था तथा बकाया सभी मंजिलों पर निर्मित क्षेत्र का 32.5 प्रतिशत का विकासकर्ता अपने द्वारा भूमि पर किए गए निवेश तथा विकास में दिए गए योगदान हेतु हकदार था। इस प्रकार विकासकर्ता निर्मित क्षेत्र के 32.5 प्रतिशत हिस्से को बिना भूमि के मालिक की सहमति से बेचान करने का हकदार हो गया। भूमि के मालिक ने उक्त ₹ 9.93 करोड़ की 1431.22 वर्ग मीटर भूमि का वास्तविक कब्जा मार्च 2006 में विकासकर्ता को सौंप दिया था।

यह देखा गया कि विक्रय-पत्र को पंजीकृत करते समय उ.पं. ने भूमि के मालिक द्वारा विकासकर्ता को विकास अनुबंध के आधार पर 32.5 प्रतिशत तक भूमि के हिस्से के हस्तांतरण जैसे अलग विषय पर मु.क. भारित नहीं किया।

विकास अनुबंध (जुलाई 2005) के अपंजीयन के परिणामस्वरूप भूमि मालिक के 67.5 प्रतिशत हिस्से जो राशि ₹ 6.70 करोड़ है, पर एक प्रतिशत की दर से ₹ 6.70 लाख के मु.क. भारित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त विकास अनुबंध (जुलाई 2005) वास्तव में भूमि के 32.5 प्रतिशत तक हिस्सा राशि ₹ 3.23 करोड़ का कन्वेंस दस्तावेज था, इसलिए मु.क. के रूप में ₹ 3.23 करोड़ पर पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 16.14 लाख प्रभारित किए जाने चाहिए थे। इस प्रकार अनुबंध के पंजीयन न होने तथा कन्वेंस पर मु.क. प्रभारित नहीं करने के परिणामस्वरूप मु.क. के रूप ₹ 22.84 लाख के आरोपण का अभाव रहा।

मामला विभाग के ध्यान में लाया गया (मार्च 2012) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012)। सरकार ने प्रत्युतर दिया (अक्टूबर 2012) कि निष्पादकों के विरुद्ध उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के पास प्रकरण दर्ज कराया गया है। आगे प्रगति प्रतीक्षित रही (नवम्बर 2012)।

(iii) उ.पं. जयपुर-VI के दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि एक विक्रय-पत्र (सं. 1386 दिनांक 21.05.2010) भूमि मालिक, विकासकर्ता (श्रीकृष्णा अबोड्स प्रा.लि.) एक पक्ष तथा द्वितीय पक्ष क्रेता के मध्य तैयार फ्लैट

को क्रय करने हेतु पंजीकृत हुआ था। दस्तावेज के विवरण की जाँच करने पर यह पाया गया कि अनुबंध (जुलाई 2007) तथा अनुपूरक अनुबंध (मार्च 2008) जिसमें दोनो पक्ष विकसित भूमि को 60 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत के अनुपात में विभाजित करने हेतु सहमत हुए थे, के नियम तथा शर्तो के अनुसार विकासकर्ता द्वारा भूमि मालिक की तरफ से बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण किया गया था। हमने देखा कि दोनो ही अनुबंध उ.पं. कार्यालय में भूमि मालिक या विकासकर्ता द्वारा पंजीकृत नहीं करवाए गए थे तथा राशि ₹ 7.21 करोड़ (40 प्रतिशत) की स्थानांतरित 1025.46 वर्ग मीटर भूमि पर कन्वेंस की दर से मु.क. नहीं चुकाया गया।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि विक्रय-पत्र को पंजीकरण हेतु प्रस्तुत करने पर उ.पं. ने भूमि मालिक द्वारा विकासकर्ता को विकसित भूमि का 40 प्रतिशत हिस्सा हस्तांतरित करने जैसे अलग विषय (जिसमें विकासकर्ता विकमित भूमि के 40 प्रतिशत को बिना भूमि मालिक की सहमति से विक्रय कर सकता था) तथा विकास अनुबंध के पंजीकरण पर मु.क. भारित नहीं किया।

भूमि मालिक के राशि ₹ 4.33 करोड़[8] के 60 प्रतिशत हिस्से के अनुबंध का उ.पं. द्वारा पंजीयन न करने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 4.33 लाख (एक प्रतिशत की दर से) का आरोपण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त उक्त अनुबंध राशि ₹ 2.88 करोड़[9] के 40 प्रतिशत भूमि के हिस्से का कन्वेंस दस्तावेज था। इसलिए उक्त ₹ 2.88 करोड़ राशि पर पाँच प्रतिशत की दर से मु.क. की राशि ₹ 14.42 लाख भारित की जानी चाहिए थी। इस प्रकार अनुबंध के पंजीकरण नहीं करने तथा कन्वेंस पर मु.क. भारित नहीं करने के कारण कुल राशि ₹ 18.75 लाख के मु.क. का आरोपण नहीं हुआ।

मामला विभाग के ध्यान में लाया गया (मार्च 2012) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012)। सरकार ने प्रत्युतर दिया (अक्टूबर 2012) कि निष्पादकों के विरुद्ध उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) वृत्त जयपुर (सर्तकता) के यहाँ प्रकरण दर्ज कराया गया है। आगे प्रगति प्रतीक्षित रही (नवम्बर 2012)।

(iv) उ.पं., जोधपुर-I के दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि विकासकर्ता (मै. पार्श्वनाथ डवलपर्स) तथा क्रेता के मध्य एक भूखण्ड को क्रय करने हेतु एक विक्रय-पत्र निष्पादित हुआ था (अप्रैल 2010)। विक्रय-पत्र के दस्तावेज के विवरण की हमारे द्वारा जाँच में पता चला कि विकासकर्ता (मै. पार्श्वनाथ डवलपर्स) तथा भूमि मालिक (मै. टाईम बाउण्ड कान्ट्रेक्ट्स प्रा.लि.) के मध्य ग्राम सांगरिया, तहसील जोधपुर में स्थित भूखण्डों के विकास हेतु विकास अनुबंध निष्पादित हुआ था।

[8] (1538.20 व.मी. X डी.एल.मी. दर ₹ 28,130 प्र.व.मी.)

[9] (1025.46 व.मी. X डी.एल.मी. दर ₹ 28,130 प्र.व.मी.)

यह देखा गया कि उ.पं. ने भूमि मालिक तथा विकासकर्ता के मध्य हुए अनुबंध को पंजीकृत किए बिना विकासकर्ता तथा क्रेता के मध्य विक्रय-पत्र को पंजीकृत कर दिया। विकास अनुबंध का पंजीकरण न करने के फलस्वरूप भूमि के बाजार मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से मु.क. तथा एक प्रतिशत की दर से से अधिकतम ₹ 0.50 लाख के पं.शु. के आरोपण का अभाव रहा। जैसाकि भूमि का बाजार मूल्य ₹ 36.27 करोड़ था, मु.क. तथा पं.शु. के आरोपण न होने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 36.77 लाख की प्राप्ति का अभाव रहा।

मामला विभाग के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2011) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012)। सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (अक्टूबर 2012) कि निष्पादकों के विरुद्ध कलेक्टर (मुद्रांक), जोधपुर के यहाँ प्रकरण दर्ज कराया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (नवम्बर 2012)।

5.12 राज्य के बाहर निष्पादित अनिरस्तनीय मुख्तारनामें के आधार पर विक्रय-पत्र का अनियमित पंजीयन

रा.मु.अ., 1998 की संशोधित अनुसूची के आर्टिकल 21 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण (i) के अनुसार कन्वेंस के रूप में निष्पादित एक अनिरस्तनीय मुख्तारनामा जिसमें उक्त दस्तावेज के निष्पादन के पहले, निष्पादन के समय या उसके बाद सम्पत्ति का कब्जा भी हस्तांतरित हो, कंवेंस माना जाएगा तथा उसके अनुसार उस पर मु.क. भारित किया जाएगा।

रा.मु.अ., 1998 की संशोधित अनुसूची के आर्टीकल 44 (ईई) के अनुसार यदि कोई मुख्तारनामा बिना प्रतिफल लिए अचल सम्पति को किसी अन्य व्यक्ति को बेचने हेतु दिया गया हो, जो उस मुख्तारनामे की अर्न्तवस्तु हो तो, उस सम्पति के बाजार मुल्य पर दो प्रतिशत की दर से मु.क. देय है।

उ.पं., पोकरण (जैसलमेर) के दस्तावेजों की नमूना जाँच में यह देखा गया कि राज्य के बाहर नोटेरी पब्लिक से जुलाई 2006 से सितम्बर 2007 के मध्य दिल्ली में निष्पादित अनिरस्तनीय मुख्तारनामों के आधार पर राशि ₹ 2.75 करोड़ के 29 विक्रय-पत्र मार्च 2011 के महीने में पंजीकृत हुए थे। उन पर अनुसूची के आर्टिकल 21 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण (i) के अनुसार पाँच प्रतिशत की दर से मु.क. भारित किया जाना था। हालांकि अनुसूची के आर्टिकल 44(ईई) के अनुसार उ.पं. ने इन 29 अनिरस्तनीय मुख्तारनामों पर दो प्रतिशत की दर से ₹ 6.67 लाख भारित किए। इस प्रकार अनिरस्तनीय मुख्तारनामों पर गलत दर लगाने से मु.क. के रूप में ₹ 7.06 लाख की अवसूली हुई। इसके अलावा उ.पं. को मुख्तारनामों को तीन महीने की अवधि के अन्दर प्रस्तुत नहीं करने के कारण शास्ति लगाने हेतु प्रकरण को कलेक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रेषित करना चाहिए था। उक्त 29 अनिरस्तनीय मुख्तारनामों को उ.पं., पोकरण

द्वारा अनुसूची के आर्टिकल 44(ईई) के तहत स्वीकार करने के कारण ₹ 7.06 लाख के मु.क. का कम आरोपण हुआ।

मामला विभाग की जानकारी में लाया गया (दिसम्बर 2011) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012)। सरकार ने प्रत्युत्तर (अक्टूबर 2012) दिया कि उ.पं., पोकरण को निष्पादकों के विरुद्ध कलेक्टर (मुद्रांक), जोधपुर के यहाँ प्रकरण दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया है। आगे प्रत्युत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2012)।

5.13 सम्पत्तियों का अवमुल्यांकन

रा.मु.अ., 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21(i) के अनुसार विक्रय विलेख, यदि अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित है, तो सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर मुद्रांक कर लगेगा। रा.मु.नि., 2004 के नियम 58 में व्यवस्था है कि भूमि के बाजार मूल्य का मूल्यांकन जिला स्तरीय कमेटी (डी.एल.सी.) और महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक) द्वारा स्वीकृत दरों में से जो भी अधिक हो, उसके आधार पर किया जावेगा।

महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक) के निर्देशानुसार (जनवरी 2010) यदि कोई कृषि भूमि किसी फर्म द्वारा उद्योग की स्थापना करने हेतु क्रय की जाती है, तब, कृषि भूमि के मूल्य का आंकलन मु.क. लगाने हेतु उसी के अनुसार किया जाएगा।
पं.शु. सम्पति के मूल्य का एक प्रतिशत की दर से 08.04.2010 तक अधिकतम ₹ 25,000 तथा 09.04.2010 से ₹ 50,000, वसूल किया जाना था।

5.13.1 उ.पं., जोधपुर-I के दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि एक विक्रय-पत्र जिसमें नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा पहले से ही अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तित (सितम्बर 2008) 29.6 बीघा कृषि भूमि बेची गई थी, पंजीकृत (अगस्त 2010) हुआ था। दस्तावेज की हमारे द्वारा जाँच में पता चला कि भूमि के रूपांतरण के तथ्यों को छुपाने के परिणामस्वरूप उ.पं., जोधपुर-I ने आवासीय भूमि की मालियत ₹ 6.81[10] करोड़ पर पाँच प्रतिशत मु.क. ₹ 34.04 लाख भारित करने के स्थान पर कृषि भूमि की मालियत ₹ 1.30 करोड़[11] पर मु.क. ₹ 6.51 लाख वसूल किए। इस प्रकार, सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 27.53 लाख के मु.क. का कम आरोपण हुआ।

मामला विभाग की जानकारी में लाया गया (जनवरी 2012) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012)। सरकार ने अपने प्रत्युत्तर (अक्टुबर 2012) में अवगत कराया कि मामले का विभागीय स्तर पर पुनरीक्षण किया जाएगा। हम मामले में आगे की प्रगति का इंतजार कर रहे है (नवंबर 2012)।

[10] (5,15,750 व.फी. x जि.स्त.द. ₹ 132 प्र.व.फी. आवासीय भूमि के लिए)
[11] (29.6 बीघा x जि.स्त.द. ₹ 4,40,000 प्रति बीघा कृषि भूमि के लिए)

5.13.2 उ.पं., पोकरण के दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि एक विक्रय-पत्र, उ.पं., पोकरण (जैसलमेर) ने पंजीकृत किया था (जुलाई 2010), जिसमें गाँव सुजासर तथा गलार, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर में स्थित 1,364.75 बीघा कृषि भूमि मै. राजस्थान सोलर प्रोसेसिंग जोन, जोधपुर (फर्म) द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु क्रय की गई थी। फर्म ने राजस्थान निवेश नीति, 2003 के तहत मु.क. में 50 प्रतिशत छूट प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से उपर्युक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त किया था।

विक्रय-पत्र की जाँच के दौरान पता चला कि भूमि उद्योग स्थापित करने हेतु क्रय की गई थी तथा रीको द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार भूमि की लागत ₹ 77.30 करोड़[12] थी। 50 प्रतिशत छूट दिए जाने के पश्चात् मु.क. ₹ 1.93 करोड़ देय था, हालाँकि उ.पं. ने भूमि की मालियत कृषि भूमि के लिए ₹ 63.03 लाख[13] पर ₹ 7.01 लाख मु.क. प्रभारित किए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.86 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

मामला विभाग की जानकारी में लाया गया (दिसंबर 2011) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012)। सरकार ने अपने प्रत्युतर में अवगत कराया (अक्टूबर 2012) कि उ.पं., पोकरण को निष्पादकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (नवंबर 2012)।

5.13.3 उ.पं., चौमूं (जयपुर) के दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि व्यावसायिक के स्थान पर आवासीय, सिंचित कृषि भूमि के स्थान पर असिंचित कृषि भूमि तथा प्रथम जि.स्त.द.[14] के स्थान पर द्वितीय जि.स्त.द. आदि लगाने के परिणामस्वरूप 12 विक्रय-पत्रों का अवमूल्यांकन हुआ। सम्पतियों के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप मु.क. तथा पं.शु. के रूप में राशि ₹ 6.58 लाख का कम आरोपण हुआ।

मामला विभाग की जानकारी में लाया गया (मार्च 2012) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012)। सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (अक्टूबर 2012) कि निष्पादकों के विरुद्ध उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक), वृत्त जयपुर-II के यहाँ प्रकरण दर्ज कराया गया है। आगामी प्रगति प्रतिक्षित रही (नवंबर 2012)।

[12] (22.08.460 व.मी. x जि.स्त.द. ₹ 350 प्र.व.मी. पोकरण औद्योगिक क्षेत्र के लिए (विकासशील)

[13] (1,364.35 बीघा x जि.स्त.द. ₹ 4,620 प्रति बीघा कृषि भूमि के लिए)

[14] मुख्य मार्ग पर स्थित सम्पति के लिए प्रथम जि.स्त.द. (जो अधिक है) लागू की जाएगी, जबकि मुख्य मार्ग से दूरी पर स्थित सम्पत्ति के लिए द्वितीय जि.स्त.द. लागू की जाएगी।

5.14 विभाजन-पत्र पर मु.क. का अनारोपण

रा.मु.अ., 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 42 के अनुसार विभाजन-पत्र के दस्तावेज में सम्पति से अलग हुए हिस्से या हिस्सों की मालियत पर कन्वेंस की दर से मु.क. आरोपणीय है। आर्टीकल के नीचे दिया गया स्पष्टीकरण आगे यह स्पष्ट करता है कि सम्पत्ति के विभाजन के पश्चात् यदि सबसे बड़ा हिस्सा बचता है (अथवा वहाँ पर दो या ज्यादा हिस्से समान कीमत के हो तथा दूसरों से छोटे नहीं हो, तो उन समान हिस्सों में से एक), तो उसे वह हिस्सा माना जाएगा जिससे अन्य हिस्से अलग हुए हैं।
पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के तहत ऐसे विभाजन-पत्र का पंजीयन अनिवार्य है।

उ.पं., जोधपुर-I के दस्तावेजों की नमूना जाँच में यह देखा गया कि अप्रैल 2010 में विक्रेता तथा क्रेता के मध्य एक भूखण्ड को खरीदने के लिए एक विक्रय-पत्र निष्पादित किया गया था। विक्रय-पत्र के विवरण की जाँच करने पर पता चला कि गाँव झालामण्ड, तहसील जोधपुर में स्थित 1,10,853 वर्ग फीट के एक भूखण्ड का विभाजन-पत्र सम्पत्ति के सह-मालिकों के मध्य निष्पादित किया गया था (जून 2009)।

उ.पं. ने उ.पं.का. में विभाजन-पत्र को पंजीकृत किए बिना विक्रय-पत्र को पंजीकृत कर दिया। अलग हुए हिस्सों की बाजार कीमत ₹ 1.34[15] करोड़ थी। इस प्रकार इस विभाजन-पत्र के अपंजीयन के फलस्वरूप पाँच प्रतिशत की दर से मु.क. राशि ₹ 6.68 लाख की अवसूली हुई।

मामला विभाग की जानकारी में लाया गया (दिसंबर 2011) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012)। सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (अक्टूबर 2012) कि निष्पादकों के विरुद्ध कलेक्टर (मुद्रांक), जोधपुर के यहाँ प्रकरण दर्ज कराया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (नवंबर 2012)।

[15] (80,914.95 वर्ग फीट x जि.स्त.द. ₹ 165 प्रति वर्ग फीट)

5.15 ट्रान्सफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाईन्मेंट के दस्तावेज पर मु.क. आरोपण का अभाव

महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक), अजमेर द्वारा जारी परिपत्र (अगस्त 2004) के अनुसार पूरक दस्तावेज के रूप में पंजीकृत दस्तावेज में यदि फर्म का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित हो रहा हो या साझेदार बदल रहे हो या साझेदारी समाप्त हो रही हो, को 'ट्रान्सफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाईन्मेंट' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। रा.मु.अ., 1998 की अनुसूची के आर्टीकल 55 के तहत ट्रान्सफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाईन्मेंट द्वारा हस्तांतरित सम्पति के बाजार मूल्य पर कन्वेंस की दर से मु.क. देय होगा।

उ.पं., सांगानेर-II के दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि एथना अपार्टमेंट, जयपुर में एक बने हुए तैयार फ्लैट के लिए एक विक्रय-पत्र मै. सनशाईन बिल्डटेक, जयपुर तथा क्रेता के द्वारा पंजीकृत हुआ था (जून 2010)। दस्तावेज की जाँच में पता चला कि 4,182 वर्ग मीटर भूमि (जिस पर बाद में एथना अपार्टमेंट बना था) दो फर्मो (मै. केजरीवाल रिसोर्ट प्रा.लि., वैशाली नगर तथा मै. केजरीवाल बेवरेज प्रा.लि., अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई) की थी। इन दो फर्मो ने 16.07.2005 को मै. सनशाईन बिल्डटेक के साथ एक नई साझेदारी फर्म का गठन किया। इन दो फर्मो ने उक्त भूखण्ड को अपने निवेश के रूप में मै. सनशाईन बिल्डटेक, जयपुर को हस्तांतरित/निर्धारित कर दिया। हालांकि, मै. सनशाईन बिल्डटेक, जयपुर को हस्तांतरित भूमि पर कोई मु.क. नहीं चुकाया गया।

उ.पं., सांगानेर-II ने क्रेता तथा मै. सनशाईन बिल्डटेक, जयपुर के मध्य फ्लैट के विक्रय-पत्र को पंजीकृत करते समय पूर्व में दो फर्मो द्वारा मै. सनशाईन बिल्डटेक, जयपुर को हस्तांतरित/निर्धारित भूमि पर मु.क. भारित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप भूखण्ड के हस्तांतरण पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य ₹ 9.89 करोड़ पर पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 49.45 लाख के आरोपण का अभाव रहा।

मामला विभाग के ध्यान में लाया गया (मार्च 2012) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012)। सरकार ने अपने प्रत्युत्तर में अवगत कराया (जुलाई 2012) कि कलेक्टर (मुद्रांक), वृत्त जयपुर-II के यहाँ निष्पादकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (नवंबर 2012)।

5.16 मु.क. में दी गई अनियमित छूट की वसूली का अभाव

दिनांक 13.02.2003 की अधिसूचना के अनुसार कोटा, जोधपुर तथा श्रीगंगानगर में रीको द्वारा विकसित एग्रो फूड पार्क में वहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने हेतु भूखण्डों तथा सम्पत्ति को क्रय तथा विक्रय करने हेतु निष्पादित दस्तावेजों पर देय मु.क. पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई थी।

उ.पं., जोधपुर-III के वर्ष 2010-11 के दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (जनवरी 2012) कि बोरानाडा एग्रो फूड पार्क, जोधपुर में स्थित 12,057 वर्ग मीटर कुल माप के औद्योगिक भूखण्ड संख्या ई-8, ई-9 तथा जी-234 से 236 का एक विक्रय-पत्र (दस्तावेज सं. 9762 दिनांक 6.07.2010) उ.पं. द्वारा द्वितीय आवंटी[16] के पक्ष में पंजीकृत किया गया था (जनवरी 2012)। हमने देखा कि मूल आवंटी[17] ने मु.क. में ₹ 11.19 लाख की 100 प्रतिशत छूट प्राप्त की थी तथा द्वितीय आवंटी ने भी नये निवेश के लिए मु.क. में ₹ 12.12 लाख की 100 प्रतिशत छूट प्राप्त की थी। विक्रय-पत्र के विवरण की जाँच पर हमने पाया कि उक्त भूखण्ड के मूल आवंटी ने दिनांक 13.02.2003 की अधिसूचना के तहत मु.क. में ₹ 11.19 लाख की 100 प्रतिशत छूट प्राप्त की थी। हालांकि, मूल आवंटी ने आवांटित भूखण्ड को भूखण्ड के अपने नाम प्रथम पंजीयन की दिनांक से छः दिवस के अन्दर बिना कोई औद्योगिक इकाई स्थापित किए दूसरे आवंटी को बेचान कर दिया, जो कि दिनांक 13.02.2003 की अधिसूचना की शर्तों का उल्लंघन था। इसलिए उ.पं. को दूसरे आवंटी के नाम भूखण्ड को हस्तांतरण से पहले मु.क. में दी गई छूट राशि ₹ 11.19 लाख तथा ब्याज राशि ₹ 1.51 लाख[18] (मार्च 2011 तक) की वसूली करनी चाहिए थी।

सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (अक्टूबर 2012) कि मामला विचाराधीन है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (नवंबर 2012)।

[16] राजस्थान गम प्रा.लि.

[17] श्री गोप राम वेयर हाउसिंग प्रा.लि.

[18] ब्याज की गणना 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से दी गई छूट की दिनांक से की गई है।

अध्याय–VI

राज्य आबकारी

अध्याय-VI: राज्य आबकारी

6.1 कर प्रशासन

राज्य आबकारी राजस्व में, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत आरोपित या आदेशित भुगतान, फीस, कर, जुर्माना या जब्ती की प्राप्तियाँ समाविष्ट है। इसमें मदिरा, भांग एवं चिरे हुये डोडा-पोस्त के विनिर्माण, अधिग्रहण एवं बिक्री से प्राप्त राजस्व भी सम्मिलित है। राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, सरकार को समय अवधि आबकारी नीति बनाने के लिये अधिकृत करता है।

6.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

राज्य आबकारी विभाग की वर्ष 2007-08 से 2011-12 की प्राप्तियों के साथ इसी अवधि की राज्य की कुल प्राप्तियां निम्नलिखित सारणी में दर्शायी है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर आधिक्य(+)/ कमी (-)	अन्तर की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों के साथ कुल कर प्राप्तियों की प्रतिशतता
2007-08	1,750	1,805.12	(+) 55.12	(+)3.15	13,274.73	13.60
2008-09	2,025	2,169.90	(+)144.90	(+) 7.16	14,943.75	14.52
2009-10	2,200	2,300.48	(+)100.48	(+) 4.57	16,414.27	14.02
2010-11	2,460	2,861.41	(+)401.41	(+) 16.32	20,758.12	13.78
2011-12	2,950	3,287.05	(+)337.05	(+)11.43	25,377.05	12.95

यद्यपि, वास्तविक रूप में राज्य आबकारी शुल्क की प्राप्तियों में प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज हुई थी, लेकिन राज्य आबकारी विभाग के राजस्व की, राज्य में संग्रहित कुल कर राजस्व से प्रतिशतता में वर्ष 2007-08 की तुलना में गिरावट रही। 2007-08 के दौरान राज्य आबकारी शुल्क की प्राप्तियाँ राज्य के कुल कर राजस्व की 13.60 प्रतिशत लेखांकित थी। वर्ष 2011-12 में, ये प्राप्तियाँ राज्य की कुल कर प्राप्तियों का 12.95 प्रतिशत रहीं।

6.3 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को राजस्व की बकाया ₹ 214.35 करोड़ थी जिसमें से ₹ 204.59 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। यह इंगित करता है कि विभाग द्वारा बकाया वसूली हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाये गये। निम्नलिखित सारणी में 31 मार्च 2012 को राजस्व की बकाया स्थिति दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	01.04.2011 को कुल बकाया	वर्ष 2011-12 के दौरान वृद्धि	वर्ष 2011-12 में की गई वसूली	31.03.2012 को बकाया वसूली
2006-07 तक	216.94	-	12.35	204.59
2007-08	0.01	-	0.01	-
2008-09	0.05	0.04	-	0.09
2009-10	-	-	-	-
2010-11	0.40	9.27	-	9.67
योग	**217.40**	**9.31**	**12.36**	**214.35**

पांच वर्षों से अधिक बकाया ₹ 204.59 करोड़ की वसूली की सम्भावना कम है।

यह अनुशंषा की जाती है कि राज्य सरकार को बकाया राशि की शीघ्र वसूली हेतु उचित प्रयास करने चाहिये।

6.4 संग्रहण की लागत

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण, संग्रहण पर हुआ व्यय तथा ऐसे व्यय की कुल संग्रहण से प्रतिशतता के साथ समान अवधि में संग्रहण पर हुए व्यय की सकल संग्रहण से सुसंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	सकल संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर हुआ व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	विगत वर्ष की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1	2007-08	1,805.12	48.51	2.69	3.30
2	2008-09	2,169.90	64.46	2.97	3.27
3	2009-10	2,300.48	85.74	3.73	3.66
4	2010-11	2,861.45	87.45	3.06	3.64
5	2011-12	3,287.05	82.92	2.52	3.05

6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

गत पाँच वर्षों के हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा ₹ 104.29 करोड़ राजस्व सन्निहित के 16 अनुच्छेदों में कर के अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, कम निर्धारण/राजस्व की हानि, कर की गलत दर लगाना, कर की गलत संगणना आदि के प्रकरण ध्यान में लाये। जिनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 4.14 करोड़ सन्निहित के सात अनुच्छेदों को पूर्णत:/अंशत: स्वीकार किया तथा सात अनुच्छेदों में केवल ₹ 3.31 करोड़ वसूल (सितम्बर 2012) किये जैसाकि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार किये गये अनुच्छेद		वसूल की गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
2006-07	5	19.88	-	-	-	-
2007-08	4	29.18	4	0.96	4	0.95
2008-09	4	45.44	2	0.42	2	0.42
2009-10	2	1.88	-	0.09	-	0.09
2010-11	1	7.91	1	2.67	1	1.85
योग	**16**	**104.29**	**7**	**4.14**	**7**	**3.31**

6.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

राज्य आबकारी विभाग में वित्तीय सलाहकार आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का प्रमुख होता है। विभाग में दो आन्तरिक लेखापरीक्षा दल सहायक लेखा अधिकारी के नेतृत्व में कार्यरत है। विभाग द्वारा तैयार किये गए लेखापरीक्षा योजना में वर्ष के दौरान कौनसी इकाईयों की लेखापरीक्षा की जानी है, नहीं दर्शायी गई थी। विगत पाँच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	बकाया इकाईयां	वर्ष के दौरान शामिल की गई इकाईयां	कुल इकाईयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की गई इकाईयां	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाईयां	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाईयों का प्रतिशत
2007-08	57	40	97	20	77	79
2008-09	77	40	117	29	88	75
2009-10	88	40	128	58	70	55
2010-11	70	40	110	83	27	25
2011-12	27	40	67	60	7	10

यह देखा कि वर्ष 2011-12 के अंत तक 847 अनुच्छेद बकाया थे, जिनमें 238 अनुच्छेद पाँच वर्षों से अधिक के बकाया थे। वर्षवार बकाया अनुच्छेदों की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2006-07 तक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
अनुच्छेद	238	25	74	119	391	-	**847**

इस प्रकार विशाल बकाया अनुच्छेदों के रहते आन्तरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य विफल रहा।

अधिनियम एवं नियमों की अनुपालना कराने एवं राजस्व की छीजत रोकने हेतु सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ करने का विचार करना चाहिए। विभाग द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को प्रतिवेदनों पर कार्यवाही किये जाने हेतु सुसंगत निर्देश भी जारी किये जाने चाहिए ।

6.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 19 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जाँच में अवसूली/कम वसूली/आबकारी शुल्क तथा अनुज्ञापत्र शुल्क की हानि एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 100.63 करोड़ सन्निहित के 3,940 प्रकरण हमारे ध्यान में आये जो कि निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली	532	94.76
2.	मदिरा की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि	2,000	0.74
3.	अन्य अनियमितताएँ	1,408	5.13
योग		**3,940**	**100.63**

वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग ने 3,415 प्रकरणों में ₹ 21.93 करोड़ की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएँ स्वीकार की। जिसमें से 644 प्रकरणों में ₹ 2.90 करोड़ सन्निहित के वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये थे। शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये थे। विभाग ने 2,641 प्रकरणों में ₹ 2.76 करोड़ की वसूली की जिनमें 142 प्रकरण ₹ 0.24 करोड़ सन्निहित के वर्ष 2011-12 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे।

कुछ निदर्शी टिप्पणियां ₹ 2.01 करोड़ सन्निहित की अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शायी जा रही है।

6.8 चिरे हुए डोडा पोस्त के विक्रय एवं उपभोग से प्राप्तियां

6.8.1 परिचय

भारत विश्व में अफीम (पेपेवर सोमनी फेरम) का सबसे बडा वैध उत्पादक है, जिसे निर्यात के साथ-साथ घरेलू औषधि बनाने के उद्योग द्वारा उपयोग में लाई जाती है। अफीम, बहुत सी स्वापक सहित मार्फीन (और इसकी व्युत्पाद हेरोइन), थिवेन, कोडीन, पेपेवराइन तथा नास्कापईन का स्त्रोत है। अफीम का फसल चक्र अक्टूबर से मई तक चलता है। फरवरी-मार्च के महीने में अफीम का डोडा चीरा लगाने या रस निकालने के लिये तैयार होता है।

भारत सरकार के स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (स्वा.औ.म.प.) अधिनियम, 1985 एवं इसके अधीन बनाये नियम, अफीम, पोस्त की खेती को विनियमित करते हैं। केन्द्र सरकार, तहसील/जिलेवार अनुमति हेतु अधिसूचना जारी करती है तथा केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग (के.ना.वि.) कृषकों को अनुज्ञापत्र स्वीकृत करता है। फसल से कच्ची अफीम का संग्रहण तथा उसका नियंत्रण केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा किया जाता है।



अफीम डोडा

अफीम की डोडियों से कच्ची अफीम निकालने के बाद उसे चिरे हुये डोडा पोस्त (एल.पी.एच.)/पोस्ततृण/डोडा के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रतिबंधित वस्तु है तथा खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा राज्य आबकारी विभाग द्वारा स्वा.औ.म.प. नियमों के अधीन, जारी परमिटधारियों को ही इसका विक्रय किया जा सकता है। स्वा.औ. म.प. अधिनियम, 1985 की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा चि.डो.पो. का संग्रहण किया जाता है।

राजस्थान में चि.डो.पो. को रखने, परिवहन, अन्तर्राज्यीय आयात, अन्तर्राज्यीय निर्यात भण्ड़ारण, विक्रय, क्रय एवं उपभोग की अनुमति एवं विधान हेतु राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (रा.स्वा.औ.म.प.) नियम, 1985 बनाये है।

रा.स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा रा.स्वा.औम.प. अधिनियम, 1985 की धारा 9 की उप धारा(ii) के अन्तर्गत बनाये नियम के अधीन जारी अनुज्ञाधारी के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अफीम की खेती नहीं कर सकता है। भारत सरकार के के.ना.वि. के जिला अफीम अधिकारी द्वारा अफीम या पोस्ततृण के उत्पादन हेतु प्रपत्र-1 में अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है।

रा.स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 27 के प्रावधानों के अनुसार, नियम 26 के अन्तर्गत अनुज्ञाधारी प्रत्येक कृषक, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल तक क्षेत्र के जिला आबकारी अधिकारी को उस भूमि के सम्बन्ध में जिसमें उसने खेती की है तथा उसके द्वारा पैदा की गई फसल के प्रत्येक रूप से सम्बधित चि.डो.पो. के भण्ड़ार की घोषणा प्रारूप 'ग' में प्रस्तुत करेगा और उसे भण्ड़ारण करने के लिये उसके द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले प्रत्येक भवन या स्थान की भी घोषणा करेगा।

रा.स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 34(i)(अ) के अन्तर्गत प्रारूप ''एन.डी.पी. एस.एल.-7'' में थोक अनुज्ञापत्र जारी किये जाते है। चि.डो.पो. के थोक अनुज्ञाधारी, चिरे हुए डोडा पोस्त की डोडियों को सीधे ही किसानों से एकत्रित करते है तथा इसका भण्ड़ारण बिना शुल्क के बंधित भण्ड़ारगृह में करते है। जब चिरे हुए डोडा पोस्त का स्थानान्तरण थोक अनुज्ञाधारी के थोक गोदाम में किया जाता है तब थोक अनुज्ञाधारी द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाता है जो स्वयं एक बंधित भण्ड़ारगृह रख सकता है।

रा.स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 34(i)(बी) के अन्तर्गत खुदरा विक्रय के अनुज्ञापत्र प्रारूप-एन.डी.पी.एस.एल.-8 में जारी किये जाते है। चिरे हुए डोडा पोस्त के खुदरा अनुज्ञाधारी, चिरे हुए डोडा पोस्त की प्राप्ति, इसके थोक अनुज्ञाधारी से, विभाग द्वारा जारी परमिटों के आधार पर, परमिट फीस चुकाने के बाद करते हैं।

6.8.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

राजस्थान में अफीम की खेती एवं उत्पादन 7 जिलों[1] मे होती है जबकि चि.डो.पो. के उपभोग का क्षेत्र 10 जिला आबकारी अधिकारियों[2] के क्षेत्राधिकार में फैला हुआ है। इनमें से हमने उत्पादन क्षेत्र के चार जिला आबकारी अधिकारियों[3] तथा खपत क्षेत्र के पांच जिला आबकारी अधिकारियों[4] के वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लेखों की जांच फरवरी से मई 2012 में की गई। जिला आबकारी अधिकारियों का चयन उनके चि.डो.पो. के अधिकतम उत्पादत एवं खपत क्षेत्र के आधार पर किया गया।

[1] बारां, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ और उदयपुर।

[2] अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर (ग्रामीण), झुन्झुनु, जोधपुर, पाली, नागौर और श्रीगंगानगर।

[3] बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और प्रतापगढ़।

[4] बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर।

विभाग की कार्यकुशलता तथा पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मापक जांच की गई कि क्या डोडा पोस्त का संग्रहण, विक्रय, उपभोग, आबकारी शुल्क, अनुज्ञा शुल्क तथा देय अन्य प्रभारों का संग्रहण अधिनियमों/नियमों, नियमावलियों तथा राज्य आबकारी नीति के अनुसार किया जा रहा है। लेखापरीक्षा टिप्पणियों का आगामी अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है।

6.8.3 चिरे हुए डोडा पोस्त से राजस्व

चिरे हुए डोडा पोस्त से राजस्व मुख्यत: थोक एवं खुदरा अनुज्ञाधारियों से अनुज्ञा शुल्क, इसके विक्रय पर आबकारी शुल्क तथा परमिट शुल्क की वसूली के रूप में प्राप्त होता है। वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान प्राप्त किया गया राजस्व निम्नानुसार दर्शाया गया है:

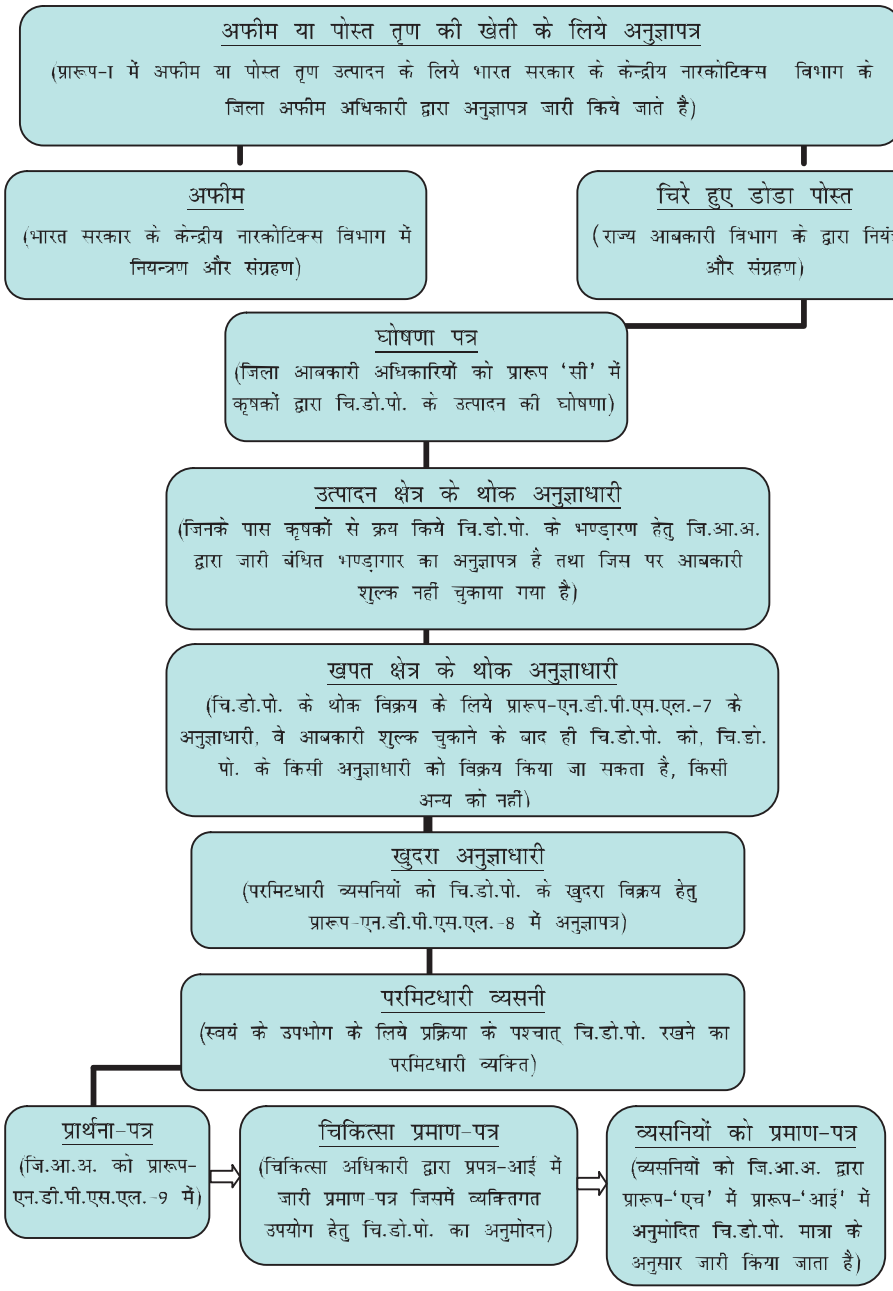
संग्रहण वर्ष	कुल संग्रहित आबकारी राजस्व[5]	चिरे हुए डोडा पोस्त से वसूल किया गया राजस्व				चिरे हुए डोडा पोस्त से प्राप्त राजस्व का कुल आबकारी राजस्व से प्रतिशत
		नवीनीकरण शुल्क सहित अनुज्ञा शुल्क	आबकारी शुल्क	परमिट शुल्क	योग	
2009-10	2300.48	67.84	5.94	0.68	74.46	3.24
2010-11	2861.45	77.47	6.96	0.80	85.23	2.98

स्रोत:- विभाग द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार।

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि कुल आबकारी राजस्व की तुलना में चिरे हुए डोडा पोस्त से प्राप्त राजस्व की मात्रा बहुत कम थी किन्तु विभिन्न स्तरों पर छीजत (अर्थात इसके उत्पादन, संग्रहण तथा विक्रय) जो कि बहुत अधिक समाजिक तथा आर्थिक असर रखती है, पर चिरे हुए डोडा पोस्त के राज्य में संग्रहण एवं उपभोग को नियंत्रित करने वाले विभाग के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान चर्चा की गई है।

[5] देशी प्रासव, माल्ट मदिरा और प्रासव, व्यवसायिक प्रासव, भांग, चिरी हुई डोडा पोस्त पर शुल्क तथा अन्य सम्मिलित है।

6.8.4 चिरे हुए डोडा पोस्त के उत्पादन, संग्रहण और उपभोग का सचित्र प्रस्तुतिकरण



लेखापरीक्षा टिप्पणियां

अ. पंजीकृत किसानों द्वारा चिरे हुए डोडा पोस्त के कुल उत्पादन की प्रारूप-'सी' में घोषणा

6.8.5 घोषणा पत्रों का प्रस्तुत/संग्रहण नहीं करना

रा.स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 27 के अनुसार नियम 26 के अधीन अनुज्ञाधारी प्रत्येक कृषक प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल तक क्षेत्र के जिला आबकारी अधिकारी को उस भूमि के सम्बंध में जिसमें उसने अफीम तृण की खेती की है और उसके द्वारा पैदा की गई फसल के प्रत्येक रूप से संबंधित चिरे हुए डोडा पोस्त के भण्ड़ार की घोषणा प्रारूप 'सी' में करेगा। राज्य सरकार द्वारा (अगस्त 2004) में विभाग को, घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले कृषकों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीकृत करने के निर्देश जारी किये गये थे।

आबकारी विभाग के अनुरोध के अनुसरण (जुलाई 2010) में एग्रोनोमी विभाग राजस्थान, कृषि महाविधालय, उदयपुर (एम.पी.यू.ए.टी) द्वारा 500 से 600 कि.ग्रा. चि.डो.पो. प्रति हेक्टेयर उपज (जुलाई 2010)में सूचित की थी।

प्रत्येक वर्ष राज्य आबकारी विभाग केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग से पंजीकृत अफीम के कृषकों की सूची प्राप्त करता है। चार जिला आबकारी अधिकारियों [6] द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना (फरवरी से मई 2012) के अनुसार वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में 41,454 कृषकों द्वारा 13,789.75 हेक्टेयर भूमि में अफीम की खेती की गई थी। इनमें से मात्र 28,695 कृषकों ने घोषणा पत्र विभाग को प्रस्तुत किये थे, जिनके अनुसार 7,389.91 हेक्टेयर भूमि में 40,523.40 क्विंटल चि.डो.पो. की पैदावार दर्शायी गयी थी। जिसके परिणामस्वरूप 548 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन था।

मापक जांच की गई इकाईयों में यह देखा गया कि जिला आबकारी अधिकारी एक पंजिका का संधारण कर रहे थे, जिसमें उन कृषकों के नाम दर्शाये गये थे जिन्होंने घोषणा पत्र प्रस्तुत किये थे। किन्तु वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के 6,399.84 हेक्टेयर भूमि से संबंधित शेष रहे 12,759 अनुज्ञाधारी कृषकों के नामों का उल्लेख पंजिका में नहीं किया गया था। विभाग के विद्यमान-न्यूनतम प्रति हेक्टेयर उत्पादन के अनुसार ₹ 160 करोड़[7] मूल्य की 31,999.20 क्विंटल चिरे हुए डोडा पोस्त

[6] बारां, चित्तोड़गढ़, झालावाड़ और प्रतापगढ़।

[7] 31,99,920 किलोग्राम चिरे हुए पोस्त की डोडियों (अनुमानित उत्पादन) x ₹ 500 (खुदरा विक्रय मुल्य) = ₹ 160 करोड़।

का उत्पादन इस भूमि से होना चाहिये था। विभाग द्वारा उक्त चि.डो.पो. संग्रहण किया जाना चाहिये था यदि इसकी आवश्यता नहीं थी तो उसे नष्ट किया जाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त यह पाया कि विभाग द्वारा न तो अपराध रजिस्टर में किसी भी कृषक के विरूद्ध कोई अपराध पंजीकृत किया गया था और न ही स्थल जांच/छापों की कार्यवाही की गई थी। विभाग द्वारा केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग को ऐसे दोषी कृषकों की रिपोर्ट भी नहीं की थी तथा ना ही उन कृषकों से घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अण्डरटेकिंग लेने हेतु अनुरोध किया गया था। 31,999.20 क्विंवटल चि.डो.पो. जिसकी अनुमानित कीमत ₹ 160 करोड़ थी की अवैध बिक्री की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आबकारी अधिकारियों द्वारा भी शेष रहे 12,759 अनुज्ञाधारी कृषकों से घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसे ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि अनुज्ञाधारियों ने चि.डो.पो. को आवश्यकतानुसार क्रय किया था। कृषकों द्वारा 31 जुलाई तक चि.डो.पो. को बेचना या नष्ट करना था। इसके बाद, आबकारी निरीक्षकों द्वारा एक आकस्मिक भौतिक सत्यापन किया गया था। किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर, कृषकों के विरूद्ध अपराध पंजीकृत किये गये थे।

उत्तर रा.स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 27 के अनुसार नहीं है जो कि प्रत्येक कृषक को क्षेत्र के जिला आबकारी अधिकारी को प्रारुप-'सी' में 1 अप्रैल को सत्य घोषणा प्रस्तुत करने को बाध्य करता है। इसके अतिरिक्त अभिलेखों में विभाग द्वारा की गई जांचों/छापों की संख्याओं का उल्लेख नहीं दर्शाया गया था। चयन किये गये चार जिला आबकारी अधिकारियों में से दो जिला आबकारी अधिकारी क्रमशः झालावाड़ व बारां के आबकारी निरीक्षकों द्वारा 1 वर्ष की अवधि की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट बनायी गई थी। अन्य दो जिला आबकारी कार्यालयों में भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट नहीं पायी गयी। हमने इन अधिकारियों द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन में विभिन्न कमियां पायी (जैसा कि पैराग्राफ 6.8.6 में चर्चा की गई) जो कि विभागीय कार्यवाही की विश्वसनीयता में कमी को दर्शाती है।

विभाग द्वारा ऐसी प्रणाली तैयार करनी चाहिए जिससे दोषी कृषकों की सूची केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग को भेजी जा सके जिससे उनके द्वारा ऐसे दोषी कृषकों के द्वारा आगामी वर्षों में अफीम की खेती करने के अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण पर पुनः विचार किया जा सके।

6.8.6 आबकारी निरीक्षक द्वारा बनाई गई भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन/पंचनामा फर्द

आबकारी आयुक्त, उदयपुर द्वारा जारी परिपत्र (जुलाई 1977) के अनुसार आबकारी निरीक्षक को यह सुनिश्चित करना था कि सभी कृषकों द्वारा निर्धारित समय अवधि में घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर दिये गये थे।

आबकारी निरीक्षकों को उन कृषकों के स्थल की जांच तुरन्त करनी थी जिन्होंने निर्धारित समय अवधि में घोषणा-पत्र (100 प्रतिशत) प्रस्तुत नहीं किये थे। 10 प्रतिशत तक उन कृषकों के स्थल की जांच करनी थी, जिन्होंने घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये थे।

मापक जांच किये गये चार जिला आबकारी अधिकारियों में से आबकारी निरीक्षकों द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन की सूचना सिर्फ दो जिला आबकारी अधिकारियों क्रमशः झालावाड़ (सिर्फ 2009-10 हेतु) और बारां (सिर्फ 2010-11 हेतु) द्वारा उपलब्ध कराई गयी। शेष दो जिला आबकारी अधिकारियों के अभिलेखों में इस बाबत कोई उल्लेख नहीं था कि आबकारी निरीक्षकों द्वारा दोषी कृषकों के बारे में जांच की गई थी। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के लिये कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया था। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों में निम्नलिखित कमियां पायी गयी:

- जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ के निरीक्षक द्वारा एक ही तारीख में दो 'पंचनामा फर्द' एक कृषक के लिये तथा विभागीय उपयोग हेतु तैयार की थी। दोनों 'पंचनामा फर्द' पर कृषक के हस्ताक्षर एक दूसरे से भिन्न थे।

- जिला आबकारी अधिकारी, बारां के निरीक्षक द्वारा चि.डो.पो. के संग्रहण वर्ष 2010-11 के दौरान 2,372 कृषकों की 138 पंचनामा/फर्द तैयार की थी लेकिन उनमें, भौतिक सत्यापन अथवा पंचनामा फर्द तैयार करने की तारीख का अंकन नहीं था। जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या भौतिक सत्यापन स्थल पर किया गया था और भौतिक सत्यापन किस वर्ष से संबंधित था। इसके आगे, समस्त 138 पंचनामा फर्दो में भौतिक सत्यापन के दौरान पायी गयी चि.डो.पो. की मात्रा तथा कृषकों द्वारा नष्ट की गयी चि.डो.पो. की मात्रा 'शून्य' दिखायी गयी थी जबकि मात्र 1,259 कृषकों के घोषणा-पत्र, उत्पादन क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारियों द्वारा विभाग को प्रस्तुत किये गये थे। शेष 1,113 कृषकों (2,372 में से) द्वारा घोषणा-पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे फिर भी उन्हें केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा अनुज्ञापत्र अनुमोदित किये गये थे।

ध्यान में लाने पर सरकार द्वारा लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2012) और विभाग को भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों में, तारीख और मात्रा का आवश्यक अंकन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया।

ऐसे प्रकरण, विभाग द्वारा कृषकों के 31 जुलाई के पश्चात चि.डो.पो. की उपलब्धता/अनुपलब्धता के बारे में भौतिक सत्यापन पर नियंत्रण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता की ओर इंगित करते है। विभाग को भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के लिये प्रारूप निर्धारित करना चाहिए।

6.8.7 कृषकों द्वारा घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने के स्थान पर थोक अनुज्ञाधारियों द्वारा संग्रहित करना

स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 27 के अनुसार प्रत्येक अनुज्ञाधारी कृषक द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को क्षेत्र के जिला आबकारी अधिकारी को घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होता है।

6.8.7.1 चार जिला आबकारी अधिकारियों[8] द्वारा कृषकों से स्वीकार किये गये घोषणा-पत्रों की नमूना जांच में पाया कि समस्त घोषणा-पत्र कृषकों के स्थान पर, उत्पादन क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। चि.डो.पो. के क्रय के लिये थोक अनुज्ञाधारियों ने परमिट हेतु आवेदन के साथ उन कृषकों के घोषणा-पत्र संलग्न किये थे जिनसे वह चि.डो.पो. क्रय करना चाहता था।

चूंकि विभाग द्वारा उत्पादन क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारियों को पंजीकृत कृषकों से घोषणा-पत्र, संग्रहण हेतु अनुमति दी थी। अतः उत्पादन क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारियों द्वारा समस्त परमिटधारी कृषकों से घोषणा-पत्रों का संग्रहण किये जाने और उन्हे विभाग को प्रस्तुत नहीं करने तथा चि.डो.पो. के समस्त उत्पादन को संग्रहित करने की आशंका से इन्कार नही किया जा सकता। आगामी पैराग्राफों में वर्ष 2009-11 के दौरान थोक अनुज्ञाधारियों के साथ-साथ खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा नुकसान में व्यापार करने के तथ्यों पर चर्चा की गई है, जो विभाग द्वारा चि.डो.पो. के संग्रहण और निस्तारण के लिये अपनाई गई तंत्र व्यवस्था पर शंकायें उत्पन्न करती है।

ध्यान में लाने पर सरकार ने (अगस्त 2012) में बताया कि प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत घोषणा-पत्र के संग्रहण का कार्य थोक अनुज्ञाधारियों को सौंपा गया था। फिर भी यह तथ्य रहता है कि स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 27 के प्रावधानों की अवहेलना के परिणामस्वरूप हुई अनियमितताओं को आगामी पैराग्राफों में दर्शाया गया है।

6.8.7.2 घोषणा-पत्रों में कृषकों के स्थान पर अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होना

प्रतापगढ़ जिले के 28,475 कि.ग्रा. से सम्बन्धित 143 घोषणा-पत्र तथा 18,090 कि.ग्रा. चि.डो.पो. से सम्बन्धित 125 घोषणा-पत्रों में देखा गया कि वे कृषकों के नाम सहित प्रस्तुत किये गये थे परन्तु उनमें हस्ताक्षर अन्य व्यक्तियों के थे।

[8] बारां, चित्तोड़गढ़, झालावाड़ और प्रतापगढ़।

यह भी पाया कि कुछ घोषणा-पत्रों में कृषकों के रिश्तेदारों के हस्ताक्षर थे। जिन्हे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था। इस प्रकार थोक अनुज्ञाधारियों को चि.डो.पो. के संग्रहण हेतु परमिट जारी करने से पूर्व, विभाग द्वारा घोषणा-पत्रों की उचित प्रति-सत्यापन जांच नहीं की गई थी।

ध्यान में लाने पर, सरकार ने (अगस्त 2012) ने बताया कि कृषकों की स्थान पर उपलब्धता नहीं होने के कारण विभाग द्वारा उनके रिश्तेदारों से घोषणा-पत्र स्वीकार किये गये थे। फिर भी भविष्य में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित हस्ताक्षर, रिश्तेदारी बाबत अंकन और अन्य अनियमितताओं संबंधी कड़ी नजर रखा जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

6.8.8 अपूर्ण घोषणा-पत्र स्वीकार करना

घोषणा-पत्र में, कृषक उसके द्वारा की गई अफीम तृण की खेती की भूमि के क्षेत्र तथा इससे सम्बन्धित चि.डो.पो. के फसल का अंकन करेगा। वह चि.डो.पो. के भण्ड़ारण हेतु उपयोग में लिये या लाये जाने वाले प्रत्येक भवन, स्थान फसल चक्र का वर्ष व प्रपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक की भी घोषणा करेगा।

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान, उत्पादन क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारियों द्वारा जिला आबकारी अधिकारियों से चि.डो.पो. के संग्रहण हेतु परमिट प्राप्ति के लिये प्रस्तुत घोषणा पत्रों की जांच में निम्नलिखित बातों का पता चला:

- चि.डो.पो. से संबंधित, प्रतापगढ़ जिले के दो ग्रामों के तीन प्रकरण जिनमें 460 कि.ग्रा. तथा चित्तौडगढ़ जिले के 13 ग्रामों के 30 प्रकरण जिनमें 3,940 कि.ग्रा. चि.डो.पो. की निहित मात्रा के घोषणा-पत्रों में कृषकों के हस्ताक्षर नहीं थे।

- चित्तौडगढ़ जिले के दो ग्रामों के 25 में से 13 घोषणा-पत्रों में सिर्फ अंगूठा निशानी पायी गई, जिनमें कृषक का कोई मार्क/नाम नहीं होने के कारण, उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी।

- झालावाड़ जिले के एक ग्राम के 19 में से 17 घोषणा-पत्र तथा बारां जिले के एक ग्राम के सात मे से एक घोषणा-पत्र में कृषकों द्वारा चि.डो.पो. की उत्पादित मात्रा अंकित नहीं थी। विभाग द्वारा अपने लेखों में इन प्रकरणों बाबत क्रमशः 1,295 कि.ग्रा. तथा 120 कि.ग्रा. चि.डो.पो. की मात्रा का तद्नुसार पंजिकाओं[9] में अंकन किया था। यह सब किसानों से बिना किसी सत्यापन के किया गया।

[9] जिला आबकारी अधिकारी द्वारा एक पंजिका का संधारण किया जाता है जिसमें कृषक की पूर्ण जानकारी डोडा पोस्त की उत्पादन मात्रा के साथ, घोषणा पत्र जो कि स्वीकार किया जा चुका था और परमिट जो कि उत्पादक क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारी को चि.डो.पो. के संग्रहण हेतु जारी किया गया था।

- झालावाड़ जिले के दो ग्रामों के समस्त 33 प्रकरणों और बारां जिले के चार ग्रामों के समस्त 8 प्रकरणों में घोषणा-पत्रों को कांट-छांट सहित स्वीकार किया था, जिनमें चि.डो.पो. की मात्रा को या तो अधिक या कम दर्शाया गया था। कांट-छांट के उपरान्त भी उत्पादन क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारियों को चि.डो.पो. के परमिट जारी किये गये थे। यह भी पाया कि बारां जिले के उपरोक्त 8 प्रकरणों में घोषणा-पत्र स्वीकार करने के प्रमाण में, आबकारी निरीक्षक के हस्ताक्षर नहीं थे, जबकि घोषणा-पत्र स्वीकार करने से पूर्व हस्ताक्षर करना आवश्यक था।

- चित्तौडगढ़ जिले के 7 ग्रामों के समस्त 143 घोषणा-पत्र फसल वर्ष और प्रस्तुतिकरण की तारीख के अंकन बिना स्वीकार किये गये थे। तारीख के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि ये घोषणा-पत्र निर्धारित अवधि में प्राप्त किये गये थे।

- चित्तौडगढ़ जिले के दो ग्रामों के 25 में से 17 घोषणा-पत्र तथा बारां जिले के चार ग्रामों में 8 घोषणा-पत्रों चि.डो.पो. के भण्ड़ारण या भण्ड़ारण हेतु उपयोग में लिये जाने वाले भवन का उल्लेख नहीं था, जिसके अभाव में विभाग कृषकों के पास चि.डो.पो. के भण्ड़ार का भौतिक सत्यापन नहीं कर सका था।

- झालावाड़ जिले के दो ग्रामों के 13 कृषकों द्वारा प्रस्तुत दोहरे घोषणा-पत्रों में उनके द्वारा उत्पादित चि.डो.पो. की पृथक-पृथक मात्रा का उल्लेख था। विभाग द्वारा सत्यापन किये बिना दोनों घोषणा-पत्रों को स्वीकार कर चि.डो.पो. के संग्रहण हेतु परमिट जारी किये गये थे।

घोषणा-पत्रों में उल्लेखित चि.डो.पो. की मात्रा तथा विभाग द्वारा संधारित पंजिकाओं में दर्शायी मात्रा मे अन्तर था। उदाहरण के लिये झालावाड़ जिले के दो कृषकों द्वारा दर्शायी गयी मात्रा से, 97 कि.ग्रा. अधिक चि.डो.पो. की मात्रा का उल्लेख पंजिकाओं में था और विभाग द्वारा थोक अनुज्ञाधारियों को अधिक मात्रा का परमिट जारी किया गया था, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	कृषक का नाम	ग्राम/तहसील	क्षेत्र (ऐयर में)	घोषित मात्रा	पंजिकाओं में दर्शायी मात्रा	अधिक मात्रा
1	भोलेसिंह/भवानी सिंह	हरनावदा/गंगधार	30	44	76	32
2	चंडी बाई/बाला राम	सेमलिया/पिडावा	30	56	121	65
योग						**97**

स्रोत: जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ से संग्रहित सूचना।

ध्यान में लाने पर सरकार ने अभियुक्तियां स्वीकार की (अगस्त 2012) और विभाग को इस प्रकार की त्रुटियां भविष्य में नहीं दोहराने की सुनिश्चितता बाबत निर्देशित किया।

उपरोक्त टिप्पणियां यह दर्शाती है कि जब विभाग थोक अनुज्ञाधारियों को परमिट प्रदान कर रहा था तब घोषणा-पत्रों में दिये गये विवरण की सत्यता के सत्यापन की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार अधूरे, अहस्ताक्षरित और सम्भवत: जाली घोषणा-पत्रों के आधार पर परमिट जारी किये गये।

विभाग को, सुधार हेतु, एक उपयुक्त तरीका अपनाना चाहिए या इस प्रकार की कमियों से बचने हेतु एक व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिये।

6.8.9 स्वीकार किये गये घोषणा-पत्रों के कृषकों से चि.डो.पो. का असंग्रहण

वर्ष की 31 जुलाई तक कृषक चि.डो.पो. के उत्पादन को रख सकेगा और इस अवधि में या तो चि.डो.पो. को बेचेगा या उसके पास रखी चि.डो.पो. को जलाकर नष्ट करेगा। कृषक केवल बंधित भण्ड़ागारधारी थोक अनुज्ञाधारियों को ही, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परमिट जारी करने के बाद चि.डो.पो. का विक्रय कर सकते है।

वर्ष 2010-11 के दौरान जिला आबकारी अधिकारी द्वारा स्वीकार किये गये घोषणा-पत्रों की मापक जांच में यह पाया गया कि विभाग द्वारा, 224 कृषकों के 37,953 कि.ग्रा. चि.डो.पो. की मात्रा के घोषणा-पत्र जिनका मूल्य ₹ 1.90 करोड़[10] था और ₹ 13.28 लाख[11] आबकारी शुल्क की राशि निहित थी, राशमी तहसील के नौ ग्रामों, कपासन तहसील के तीन ग्रामों और गंगरार तहसील के दो ग्रामों के, विभाग द्वारा स्वीकार किये गये थे। चि.डो.पो. की इस मात्रा का उल्लेख विभाग द्वारा संधारित पंजिकाओं में करना पाया गया था परन्तु न तो जिला आबकारी चित्तौडगढ़ द्वारा चि.डो.पो. के संग्रहण हेतु कोई परमिट थोक अनुज्ञाधारी को जारी करना पाया गया और न ही चि.डो.पो. को, कृषकों द्वारा जलाने का कोई साक्ष्य अभिलेखों में पाया गया। इससे चि.डो.पो. के अवैध बिक्री की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता तथा विभाग द्वारा जांच किये जाने की आवश्यकता है।

ध्यान में लाये जाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि कपासन राशमी समूह के थोक अनुज्ञाधारी द्वारा 314.53 क्विंटल चि.डो.पो. का संग्रहण राशमी और कपासन तहसील के कृषकों से अपने कपासन बंधित भण्ड़ारगार में किया था तथा चित्तौडगढ़ गंगरार समूह के थोक अनुज्ञाधारी द्वारा गंगरार तहसील के कृषकों से 65.00 क्विंटल चि.डो.पो. का संग्रहण अपने जोजरों का खेड़ा, बंधित भण्ड़ागार

[10] चि.डो.पो. की मात्रा 37,953 कि.गा. x ₹ 500 प्रति कि.ग्रा की दर से चि.डो.पो. का विक्रय मूल्य = ₹ 189.77 लाख।

[11] चि.डो.पो की मात्रा 37,953 पर ₹ 35 प्रति कि.ग्रा दर से आबकारी शुल्क = ₹ 13.28 लाख।

में किया था। बंधित भण्ड़ागारों के भौतिक सत्यापन करने पर (20.6.2010 से 25.6.2010) विभाग ने पाया कि 444.76 क्विंवटल कपासन बंधित भण्ड़ागार में तथा 127.01 क्विंवटल जोजरों का खेड़ा बंधित भण्ड़ागार में चि.डो.पो. भण्डार पंजिकाओं में दर्ज मात्रा से अधिक पायी गई थी। दोनों अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध चि.डो.पो. के अवैध संग्रहण बाबत एक प्रकरण दर्ज किया गया था (12.07.2010) और अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन उदयपुर द्वारा, प्रत्येक अनुज्ञाधारी से ₹ 5.25 लाख आरोपित कर 27.09.2010 संयोज्य किया था। दोंनों अनुज्ञाधारियों से, अधिक स्टॉक पर दुगने आबकारी शुल्क के रूप में ₹ 40.02 लाख[12] वसूल किये गये थे तथा भण्ड़ागार सुविधा तुरन्त प्रभाव से वापस ले ली गयी थी।

यह देखा गया कि विभाग ने अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध स्वा.औ.म.प. अधिनियम, 1985 की धारा 26डी और 32 तथा स्वा.औ.म.प. नियम 43(2)के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किये थे, जिनमें अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 6 के अनुसार, अपराध गंभीर प्रकृति का होने के कारण अनुज्ञापत्रों को निरस्त किया जाना चाहिए था। उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते है कि विभाग घोषणा-पत्रों की प्राप्ति के समय कोई कार्यवाही कर लेता तो अवैध संग्रहण से बचा जा सकता था।

6.8.10 उत्पादन क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारी द्वारा बिना चिरे हुए डोडा पोस्त[13] का संग्रहण

प्राकृतिक आपदा के कारण अफीम की खेती क्षतिग्रस्त हो सकती है। प्राकृतिक आपदा से राहत देने के लिये केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग की देखरेख में कृषकों को क्षतिग्रस्त फसल को आंशिक या पूरी उखाड़ने की अनुमति दी जाती है। प्रत्येक आंशिक या पूरी तरह उखाड़ने बाबत पंचनामा बनाया जाता है और व्यक्तिगत के साथ-साथ संयुक्त रूप से अनुज्ञापत्र में इसका इन्द्राज किया जाता है।

रा.स्वा.औ.म.प नियमावली, 1985 के नियम 34 के अनुसार केवल चि.डो.पो. के संग्रहण तथा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र जारी किये जाते है, न कि बिना चि.डो.पो. के संग्रहण और विक्रय के लिये जैसा कि नियम 32 में वर्णित है।

जिला आबकारी अधिकारियों चित्तौडगढ़ तथा झालावाड़ द्वारा फसल वर्ष 2009-10 हेतु, स्वीकार किये गये घोषणा-पत्रों की नमूना जांच में यह पाया गया कि, विभाग ने उत्पादन क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत उन कृषकों के घोषणा-पत्रों को स्वीकारा किया था, जिनकी फसल को खराब होने या अन्य कारणों से पूरी तरह उखाड़ा गया था।

[12] 44,476 कि.ग्रा + 12,701 कि.ग्रा. 3.7177 कि.ग्रा x ₹ 70 = ₹ 40,02,390

[13] कच्ची अफीम में से अफीम निकालने से पूर्व का डोडा

गांव के लम्बरदार[14] द्वारा संधारित कृषकों के अभिलेखों में इस विषय में कि बिना चि.डो.पो. को पूरी तरह उखाड़ा गया तथा शेष शून्य की प्रविष्टियां अंकित थी। जिनकी प्रतिलिपियां घोषणा-पत्रों के साथ संलग्न की गई थी। इन परिस्थितियों में अनुज्ञाधारी द्वारा बिना चि.डो.पो. का संग्रहण नहीं करना चाहिए था और इन्हें नष्ट करना चाहिए था।

क्र. सं.	जिला आबकारी अधिकारी का नाम	कृषकों की संख्या	बिना चिरे डोडा पोस्त की संग्रहित मात्रा (कि.ग्रा. में)
1.	चित्तौडगढ़	23	2,605
2.	झालावाड़	139	9,155
योग		**162**	**11,760**

स्रोत: सूचना जिला आबकारी अधिकारी चित्तौडगढ़ और झालावाड़ से संग्रहित की गई।

फिर भी विभाग ने उत्पादन क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारियों को 11,760 कि.ग्रा. बिना चि.डो.पो. के संग्रहण हेतु नियमों और अनुज्ञापत्रों की शर्तों[15] के विरूद्ध परमिट जारी कर दिये थे।

ध्यान में लाने पर, सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा उन कृषकों की सूची उपलब्ध नहीं कराई थी जिनकी फसल पूरी तरह उखाड़ दी गयी थी। इसलिये विभाग ने पूर्व में जारी कृषकों की सूची के अनुसार घोषणा-पत्र स्वीकार किये थे।

विभाग द्वारा केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग से उन कृषकों की सूची प्राप्त करने हेतु एक व्यवस्था बनानी चाहिए जिनकी फसल पूरी तरह उखाड़ी जा चुकी है तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुज्ञाधारियों द्वारा सिर्फ चि.डो.पो. का ही संग्रहण किया जावे।

6.8.11 बिना बिकी शेष रही चि.डो.पो. के नष्टीकरण के नियंत्रण में कमी

स्वा.औ.म.प नियम, 1985 के अनुसार प्रत्येक अफीम कृषकों को वर्ष की 31 जुलाई तक या तो चि.डो.पो. को विक्रय करना या नष्ट करना होता है।

जिला आबकारी अधिकारी, बारां चित्तौडगढ़ झालावाड़ और प्रतापगढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया कि किसी भी कृषक द्वारा बिक्री से शेष रही चि.डो.पो. की मात्रा की सूचना विभाग को प्रस्तुत नहीं की गई थी। जैसाकि पैराग्राफ 6.8.7 में इंगित किया गया है, चि.डो.पो. के उत्पादन से संबंधित घोषणा-पत्र कृषकों की

[14] जिला अफीम अधिकारी (केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग) प्रत्येक ग्राम के अफीम के कृषकों में से एक कृषक को लम्बरदार के रुप मे पदनामित कर सकता है जो रोजाना कृषक द्वारा उत्पादित अफीम को अपने सामने तौलने की व्यवस्था करेगा तथा केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा इस सम्बध में बताये अनुसार अपने अभिलेखों मे इस बावत प्रविष्टियां करेगा ।(स्वा.औ.म.प. नियम 1985 के नियम 10 व 13)

[15] थोक अनुज्ञाधारियों को प्रारुप एन.डी.पी.एम.एल-7 में चि.डो.पो के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र जारी किये जाते है।

जगह थोक अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। परिणामस्वरूप विभाग के पास अधिक या बिना विक्रय की गयी चि.डो.पो. की मात्रा संबंधी सूचना तथा 31 जुलाई तक बिना बिक्री चि.डो.पो. जो नष्ट की जानी थी के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

यह देखा गया कि रा.स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 में कृषकों द्वारा 31 जुलाई तक बेचे गये या उसके द्वारा जलाये गये चि.डो.पो. के संबंध में सूचना देने की प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं था। विभाग द्वारा भी इस विषय में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये थे। चि.डो.पो. के निस्तारण पर उचित और प्रभावी नियंत्रण हेतु विभाग को प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई के तुरन्त बाद कृषक द्वारा प्रस्तुत करने हेतु एक वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित करना चाहिए, जिसमें उत्पादित मात्रा, बेची गयी मात्रा और नष्ट की गयी मात्रा का उल्लेख हो।

ध्यान में लाने पर, सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि नियमों में 31 जुलाई के बाद शेष रहे चि.डो.पो. के नष्टीकरण के बारे में कृषक द्वारा प्रमाण-पत्र या वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी सरकार को इस बारे में निर्देश हेतु प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं।

विभाग को बिना बिके चि.डो.पो. के नष्टीकरण पर निगरानी रखने हेतु एक प्रणाली तैयार करने तथा कृषकों द्वारा 31 जुलाई के तुरन्त बाद बेची और नष्ट की गई मात्रा के लिये निर्धारित विवरणी निर्धारित करने पर विचार करना चाहिये।

6.8.12 थोक एवं खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा घाटे में चि.डो.पो का व्यापार करना

प्रत्येक चि.डो.पो. के समूह (थोक एवं खुदरा) के वार्षिक अनुज्ञापत्र शुल्क का आधार समूह के सम्भावित राजस्व जो समूह में चि.डो.पो. के पंजीकृत उपभोक्ताओं की मात्रा और गत वर्ष की प्राप्त राशि होता है। समूह हेतु प्रार्थना-पत्र गैर वापसी योग्य फीस के आधार पर आमंत्रित किये जाते है और लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा अनुज्ञापत्र प्रदान किये जाते है। वार्षिक अनुज्ञापत्र शुल्क वास्तव में अनुज्ञापत्र प्राप्त करने की वो लागत है जो उनको चिरे हुए डोडा पोस्त प्राप्त करने एवं उसके व्यापार हेतु अनुमति देता है।

विभाग ने वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान ₹ 159.69 करोड़ का राजस्व चि.डो.पो. के समूहों/थोक एवं खुदरा अनुज्ञाधारियों से, अनुज्ञाशुल्क, नवीनीकरण शुल्क आबकारी शुल्क और परमिट शुल्क के रूप में वसूल किये थे जो दोनों वर्षो में समान थे का विवरण

निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

वर्ष	चि.डो.पो. के अनुज्ञाधारियों से सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व						
	अनुज्ञा शुल्क				आबकारी शुल्क ₹ 35 प्र.कि.ग्रा. दर से	परमिट फीस ₹ 4 प्र.कि.ग्रा. की दर से	कुल राजस्व की वसूली का योग (4+5+6+7)
	उत्पादन क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क	खपत क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क	योग (2+3)	अनुज्ञापत्र नवीनीकरण शुल्क (कॉलम 4 का 1 %)			
1	2	3	4	5	6	7	8
2009-10	2,411.67	4,372.75	6,784.42	लागू नहीं	593.53	67.83	7,445.78
2010-11	3,014.59	4,656.14	7.670.73	76.71	696.03	79.55	8,523.02
योग	**5,426.26**	**9,028.89**	**14,455.15**	**76.71**	**1,289.56**	**147.38**	**15,968.80**

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई।

अनुज्ञाधारियों ने, ₹ 69.20 करोड़ का व्यय कृषकों से चि.डो.पो. का क्रय करने, वेट, परिवहन और रख-रखाव प्रभारों पर किये थे जैसाकि निम्नानुसार वर्णित है:

वर्ष	व्यसनियों को चि.डो.पो. की वास्तविक आपूर्ति (मीट्रिक टन में)	अनुज्ञाधारियों द्वारा किया गया व्यय[16]					
		कृषकों से क्रय किये चि.डो.पो. की कीमत		अनुज्ञाधारियों द्वारा वसूल कुल राशि पर वेट		परिवहन और रख-रखाव प्रभार की दर ₹ 17.82 (9.90+7.92) प्र. कि.ग्रा.	कुल खर्च (4+6+7) (₹ लाख में)
		दर प्रति कि.ग्रा (₹ में)	कुल कीमत (2x3) (₹ लाख में)	दर (% में)	वेट राशि (₹ लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2009-10	1,695.81	100	1,695.81	14.00	1,187.07	302.19	3,185.07
2010-11	1,988.67	100	1,988.67	14.00	1,392.07	354.38	3,735.12
योग	**3,684.48**		**3,684.48**		**2,579.14**	**656.57**	**6,920.19**

स्रोत: सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई।

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि अनुज्ञाधारियों द्वारा दोनों वर्षों में ₹ 228.89 करोड़ अनुज्ञा शुल्क, क्रय मूल्य, आबकारी शुल्क, वेट, परिवहन और रख-रखाव प्रभार आदि पर व्यय किये थे जबकि अनुज्ञाधारियों द्वारा चि.डो.पो. के विक्रय से सिर्फ

[16] वर्ष 2009-10 और 2010-11 की आबकारी नितियों में क्रय मूल्य के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा, परिवहन और रखर-खाव प्रभार निश्चित किये गये थे।

₹ 184.22 करोड़ प्राप्त किये थे परिणाम स्वरूप, निम्न विवरण के अनुसार ₹ 44.67 करोड़ का स्पष्टत: घाटा हुआ:

वर्ष	चि.डो.पो. के विक्रय से अनुज्ञाधारी द्वारा प्राप्त राशि				
	व्यसनियों की सं.	चि.डो.पो. की आवश्यकता कि. ग्रा. में	व्यसनियो को ची.डो.पो. की वास्तविक आपूर्ति	दर प्रति कि.ग्रा. (₹ में)	प्राप्त कुल राशि (4x5) (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6
2009-10	27,215	2,271.68	1,695.81	500.00	8,479.05
2010-11	26,585	2,250.83	1,988.67	500.00	9,943.35
योग	**53,921**	**4,522.51**	**3,684.48**		**18,422.40**

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई सूचना

अनुज्ञाधारियों द्वारा दोनों वर्षो में हानि हुयी थी जो यह दर्शाता है कि अनुज्ञाधारी हानि उठाते हुये व्यापार कर रहे थे। अत: हानि की पूर्ति के लिये, उनका ची.डो.पो. के अवैध व्यवसाय में लिप्त होने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता क्योंकि कोई भी व्यवसाय हानि उठाते हुये जारी नहीं रखा जायेगा।

विभाग ने चि.डो.पो. के समूहों के वार्षिक अनुज्ञाशुल्क ऊंची दर से निर्धारित किये थे, जबकि इनको खरीदने के बाद परमिटधारी व्यसनियों चि.डो.पो. को विक्रय हेतु मूल्य निर्धारित था। यह देखा गया कि उन्ही समूहों द्वारा वर्ष 2010-11 के लिये पूर्व वर्ष की प्राप्त राशि से अधिक राशि पर अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण कराया गया था लेकिन सरकार/विभाग द्वारा यह विश्लेषण नही किया गया था कि अनुज्ञाधारीयों द्वारा कैसे पूर्व में सूचित चि.डो.पो. की विक्रय की आय से अधिक व्यय किया जा रहा था जिसका विक्रय केवल परमिट धारी व्यसनियों को निर्धारित विक्रय मूल्य पर किया जाना था।

ध्यान में लाये जाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि अनुज्ञाधारी के लाभ और हानि के लिये विभाग जिम्मेदार नही था। इसके अतिरिक्त विभाग को, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये अनुज्ञाधारियों की हानि स्वीकारयोग्य नही थी। क्योंकि व्यवसाय में सामाजिक पक्ष निहित होता है, अनुज्ञाधारियों का घाटे की पूर्ति के लिये अवैध व्यापार करने की संभावनाओं मे इन्कार नही किया जा सकता। सरकार/विभाग द्वारा चि.डो.पो. के अनुज्ञाधारियों द्वारा पूर्व वर्षो में किये संव्यवहारों का विश्लेषण उनके अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण से पहले करना चाहिये, जिससे चि.डो.पो. के अवैध व्यापार पर नियंत्रण किया जा सके ।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार चि.डो.पो. के अनुज्ञापत्रों को निविदा प्राप्त कर जारी करने पर निगरानी रखने के लिये एक उचित प्रणाली विकसित करने पर विचार करें।

6.8.13 अनुज्ञापत्र स्थानान्तरण शुल्क की अवसूली

रा.स्वा.औ.म.प. नियम 1985 के नियम 35(2) सपठित राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 72(ब) के अनुसार प्रत्येक अनुज्ञापत्र, अनुज्ञाधारी को व्यक्तिगत रुप से प्रदान या नवीनीकृत किया जाता है तथा अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अनुज्ञापत्र बेचा या हस्तान्तरित नही किया जा सकता है। चि.डो.पो. के मामले में आबकारी आयुक्त (आ.आ.) की अनुमति, से अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञापत्र शुल्क की 50 प्रतिशत राशि जमा कराने के बाद ही अनुमति दी जायेगी।

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान आबकारी आयुक्त उदयपुर कार्यालय की अनुज्ञापत्र पत्रावलियों की नमूना जांच में यह देखा गया कि जिला आबकारी अधिकारी चित्तौडगढ़ के समाधिकार के चि.डो.पो के चित्तौडगढ़-गंगरार समूह का वर्ष 2010-11 का थोक अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण मूल अनुज्ञाधारी के स्थान पर, सह अनुज्ञाधारी के नाम पर, अनुज्ञापत्र हस्तान्तरण शुल्क ₹ 49.13 लाख[17] जमा कराये बिना किया गया था।

ध्यान में लाये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति (जून 2012) स्वीकार की तथा जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौडगढ़ को वर्ष 2009-10 के मूल अनुज्ञाधारी से अनुज्ञापत्र हस्तान्तरण शुल्क वसूल करने हेतु निर्देशित किया।

6.8.14 खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा 500 कि.ग्रा. से अधिक चि.डो.पो. अपने पास रखना

रा.स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 32 एवं 33 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति नियम 34(1)(बी) के अन्तर्गत प्रारूप एन.डी.पी.एस.एल.-8 में जारी अनुज्ञापत्र के बिना चि.डो.पो. का खुदरा विक्रय नहीं करेगा।

एन.डी.पी.एस.एल.-8 की शर्त संख्या 2 के अनुसार अनुज्ञाधारी अपने पास एक समय में 500 कि.ग्रा. से अधिक चि.डो.पो. अपने पास नहीं रखेगा।

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान जिला आबकारी अधिकारी, बाड़मेर तथा हनुमानगढ़ को खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये चि.डो.पो. की खुदरा बिक्री पंजिकाओं की नमूना जांच में यह देखा गया कि हनुमानगढ़ जिले के वर्ष 2009-10 में आठ (25 मे से) तथा वर्ष 2010-11 में दो (25 मे से) खुदरा अनुज्ञाधारियों तथा बाड़मेर जिले के वर्ष 2009-10 में तीन (22 में से) अनुज्ञाधारियों ने, एक समय में उपरोक्त वर्णित अनुज्ञापत्र की शर्त के

[17] समूह की अनुज्ञापत्र शुल्क राशि ₹ 98,26,250 की 50 प्रतिशत = ₹ 49,13,125 ।

विपरीत 500 कि.ग्रा से अधिक चि.डो.पो. की मात्रा अपने पास रखी थी। जिनमें से कुछ प्रकरणों को नीचे दर्शाया गया है:

क्र. स.	जि.आ.अ का नाम	वर्ष	खुदरा अनुज्ञाधारी का नाम	दिनांक	चि.डो.पो. की एक समय में मात्रा (कि.ग्रा. में)
1	हनुमानगढ़	2009-10	पीलीबंगा	08.05.2009	590
			सांगरिया	08.05.2009	590
			तिब्बी	23.01.2010	660
		2010-11	सांगरिया	06.08.2010	590
			भादरा	20.07.2010	690
2	बाड़मेर	2009-10	गुढ़ामालिनी	27.04.2009	580
			गोटन	26.06.2009	724
			सिन्दरी	28.04.2009	660

यह देखा गया कि आबकारी निरीक्षकों द्वारा खुदरा बिक्री पंजिकाओं का सत्यापन किया गया था परन्तु एक समय में 500 कि.ग्रा. से अधिक चि.डो.पो. रखने वाले अनुज्ञाधारियों के बारे मे कोई टिप्पणी नहीं की थी।

ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि इंगित की गयी तारीखें में खुदरा अनुज्ञाधारियों के पास विक्रय बाद रहा शेष 500 कि.ग्रा की निर्धारित सीमा मे था। फिर भी तथ्य यह है कि अनुज्ञाधारियों के पास एक समय में 500 कि.ग्रा. से अधिक चि.डो.पो थी। यह चि.डो.पो. के खुदरा अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या '2' का उल्लंघन था, जिसके अनुसार, अनुज्ञाधारी विक्रय से पहले या बाद में अपने पास 500 कि.ग्रा. से अधिक चि.डो.पो. की मात्रा नहीं रखेगा।

(ब) राज्य में चि.डो.पो. के व्यसनियों की स्थिति

केवल खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा ही परमिटधारी व्यवमनियों को चि.डो.पो. का विक्रय किया जा सकता है। आबकारी आयुक्त द्वारा दिये निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2001-02 के बाद विद्यमान व्यसनियों के परमिटों के नवीनीकरण के अतिरिक्त चि.डो.पो. के उपभोग हेतु कोई नया परमिट जारी नही किया जावेगा। वर्ष 2009-10 व 2010-11 के दौरान राज्य में पंजीकृत व्यसनियों और चि.डो.पो. के उपभोग की स्थिति निम्नानुसार है।

संग्रहण वर्ष	व्यसनियों की संख्या	चि.डो.पो. का उपयोग (कि.ग्रा. में)
2009-10	27,215	16,95,810
2010-11	26,585	19,88,670

स्रोत:- विभाग द्वारा उपलब्ध कराई सूचना

व्यसनियों के परमिट नवीनीकरण में पायी गयी कमियों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

6.8.15 व्यसनियों के परमिटों का नवीनीकरण

आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष परमिटों के नवीनीकरण के समय, विधमान परमिटों के नवीनीकरण के अतिरिक्त जिला आबकारी द्वारा नये परमिटों का अनुमोदन नही किया जायेगा। प्रारुप एन.डी.पी.एस.एल-9 में परमिट नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुशंषित चि.डो.पो. की मात्रा हेतु वर्ष या वर्ष के किसी भाग के लिये ₹ 50 के भुगतान के पश्चात जिला आबकारी अधिकारी परमिट का नवीनीकरण कर सकता है।

पांच जिला आबकारी अधिकारियों[18] की परमिट नवीनीकरण पत्रावलियों की नमूना जांच में यह देखा गया कि वर्ष 2009-10 में 1,040 परमिट तथा 2010-11 में 1,091 परमिटों की नवीनीकरण, एक व्यसनी से ₹ 150 से ₹ 1,000 तक परमिट फीस जमा कराने के बाद, किया गया था। यह देखा गया कि इन परमिटों का नवीनीकरण तीन से 20 वर्ष बाद एकमुश्त परमिट फीस जमा होने के बाद किया गया था। यद्यपि, नियमों में एक वर्ष की समाप्ति के बाद परमिट नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं था, इन निष्क्रीय परमिटों को नियम विरूद्ध कार्यशील किया गया था।

इन परमिटों के नवीनीकरण के समय, विभाग द्वारा व्यसनियों से गैर नवीनीकृत अवधि में खरीदे गये चि.डो.पो. के स्रोत के बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई थी।

प्रति व्यसनी चि.डो.पो. के उपभोग की अधिकतम सीमा 10 कि.ग्रा. प्रति माह, विभाग द्वारा निश्चित की गयी थी फिर भी, यदि, इसकी आधी मात्रा अर्थात 5 कि.ग्रा. प्रति माह, प्रति व्यसनी औसत उपभोग को मानें तो, व्यसनियों द्वारा, परमिट नवीनीकरण के वर्ष से पूर्व के वर्षो में अवैध बाजार से ₹ 714.96 लाख मूल्य की 1278.60 क्विंटल चि.डो.पो. की खरीददारी की गयी थी, जैसाकि निम्न सारणी दर्शाती है।

वर्ष	एकमुश्त शुल्क के बाद नवीनीकृत परमिट की संख्या	औसत उपभोग प्रति व्यसनी/प्रति माह (क्रि.ग्रा. में)	गत वर्ष	गत वर्ष के दौरान कुल उपभोग (क्रि.ग्रा. में)	गत वर्ष में चि.डो.पो. का प्रति क्रि. ग्रा. खुदरा मूल्य	गत वर्ष में अवैध बाजार में चि.डो.पो. का मूल्य (₹ लाख में)
2009-10	1040	5	2008-09	62,400	621.25	387.66
2010-11	1091	5	2009-10	65,460	500.00	327.30
योग				**1,27,860**		**714.96**

स्रोत:- विभाग द्वारा उपलब्ध कराई सूचना का लेखापरीक्षा द्वारा किया गया विश्लेषण।

[18] बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर।

ध्यान दिलाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा, व्यसनियों के परमिटों का एक वर्ष से अधिक अवधि हेतु नवीनीकरण इस कारण से किया गया था, क्योंकि परमिटधारी व्यसनी निजी कार्यवश या नशामुक्ति के लिये पलायन कर गये थे। इन परमिटों का आगे वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिये नवीनीकरण आबकारी अधिकारियों द्वारा आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 19.03.2009 तथा 11.03.2010 की पालना में किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रकरणों में परमिटों का नवीनीकरण 3 से 20 वर्ष बाद किया गया था। एक वर्ष बाद परमिटों का नवीनीकरण एक नया प्रकरण मानकर तद्नुसार करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा वर्णित आबकारी आयुक्त के आदेश, उन परमिटों के लिये थे जिनमें चिकित्सा अधिकारी द्वारा आगामी वर्षों के लिये चि.डो.पो. हेतु अनुशंषा का अनुमोदन किया गया था। जबकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रकरणों में चिकित्सा अधिकारी द्वारा चि.डो.पो. हेतु परमिटों में आगामी वर्षों के लिये ऐसी कोई अनुशंषा नहीं की गई थी।

6.8.16 प्रपत्र 'आई' में चिकित्सा आधिकारी की अनुशंषा प्राप्त किये बिना परमिटों का नवीनीकरण

रा.स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 44(2) के परन्तुक (अ) के अनुसार मेडिकल बोर्ड या चिकित्सा अधिकारी की अनुशंषा सहित प्रस्तुत प्रपत्र 'आई' के बिना किसी भी दशा में परमिट का नवीनीकरण अथवा जारी नहीं किया जावेगा। चिकित्सा अधिकारी जैसाकि नियम 45 में अंकित है, व्यसनी की चिकित्सीय जांच के पश्चात प्रपत्र 'एम' में एक अभिलेख तैयार करेगा। चिकित्सा अधिकारी प्रपत्र 'आई' में इस बाबत अपनी स्पष्ट राय अंकित करेगा कि क्या आवेदक को चिकित्सीय जरूरत हेतु चि.डो.पो. के उपभोग की आवश्यकता है।

नियम 44 के अनुसार व्यसनी को उसके चि.डो.पो. उपभोग के लिये प्रपत्र 'एच' में परमिट द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें प्रपत्र 'आई' में चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुशंषित चि.डो.पो. की मात्रा का उल्लेख होता है।

जिला आबकारी अधिकारी बीकानेर द्वारा वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिये व्यवसनियों को नवीनीकृत परमिटों की नमूना जांच में यह देखा गया कि दोनों वर्षों में सभी व्यसनियों के परमिटों का नवीनीकरण प्रपत्र 'आई' में चिकित्सा अधिकारी की अनुशंषा प्राप्त किये बिना किया गया था। हालांकि, परमिटों के साथ प्रपत्र 'एम' में व्यसनियों की चिकित्सा जांच रिर्पोट संलग्न थी, जिनमें चिकित्सा अधिकारी द्वारा चि.डो.पो. की किसी

विशिष्ट मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया था। यह देखा गया कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रपत्र 'आई' जारी करने के बजाय लगातार पूर्व मात्रानुसार (एक छपी हुई समान भाषा) का उल्लेख, प्रपत्र 'एम' में किया गया था।

ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि भविष्य में व्यसनियों के परमिटों का नवीनीकरण प्रपत्र 'आई' में चिकित्सा अधिकारी की अनुशंषा प्राप्त करने के बाद किया जावेगा।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार चिकित्सा अधिकारियों को यह निर्देश जारी करें कि वे प्रत्येक मामलें में, नशामुक्ति की संभावना को ध्यान में रखते हुये प्रपत्र 'एम' नियमित तरीके से जारी नहीं करें तथा विभाग को चिकित्सा अधिकारी से प्रपत्र 'आई' अनुशंषा प्राप्त करने के पश्चात् ही परमिट का नवीनीकरण करना चाहिये।

6.8.17 चि.डो.पो. के उपयोग की मात्रा के नियंत्रण हेतु चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर ध्यान नहीं देना

रा.स्वा.औ.म.प नियम, 1985 के नियम 45(3) के अनुसार एक व्यसनी संबंधित जि. आ.अ. को अपने परमिट (प्रपत्र 'एच') के नवनीकरण हेतु चिकित्सा प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 'आई') जिसमें चिकित्सा अधिकारी ने चि.डो. पो. के उपभोग की मात्रा की अनुशंषा की गई हो के साथ प्रपत्र एन.डी.पी.एस.एल.-9 में जि.आ.अ. को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

6.8.17.1 जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ़ और श्रींगगानगर द्वारा व्यसनियों के नवीनीकृत परमिटों की मापक जांच में यह देखा गया कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा, व्यसनियों को जारी, चिकित्सा प्रमाण-पत्र में प्रति तिमाही चि. डो.पो. की एक निश्चित मात्रा कम करने की सलाह दी थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

जि.आ.अ. का नाम	व्यसनियों की संख्या	प्रपत्र 'आई' के अनुसार प्रति तिमाही कम की जाने वाली मात्रा
श्रीगंगानगर	31	400 ग्राम से 1 किलोग्राम तक
हनुमानगढ़	21	500 ग्राम से 30 किलोग्राम तक

स्रोत: जिला आबकारी अधिकारियों से संग्रहित सूचना

लेकिन जिला आबकारी अधिकारी ने व्यसनियों के परमिटों का नवीनीकरण चिकित्सा अधिकारी द्वारा चि.डो.पो. की मात्रा में की गई कमी को उल्लेख किया बिना कर दिया था। परिणामस्वरूप चि.डो.पो. की खुदरा दुकान का कोटा समान रहा था।

ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) रा.स्वा.औ.म.प नियम, 1985 के नियम 45 के उप नियम(vii) का परन्तुक, जिसमें प्रति तिमाही 1/8 भाग चि.डो.पो. की मात्रा की कमी बाबत अंकन था को विज्ञप्ति दिनांक 30.08.1990

द्वारा हटा दिया गया था। इसलिये चिकित्सा प्रमाण-पत्र में प्रति तिमाही चि.डो.पो. की मात्रा कम किये जाने वाले बिन्दु पर विचार नहीं किया गया था।

फिर भी यह तथ्य रहता है कि परमिट धारी व्यसनियों द्वारा चि.डो.पो. के उपभोग की मात्रा का आधार चिकित्सीय जांच होती है, जिसमें चिकित्सा अधिकारी द्वारा उन्हें आवश्यक मात्रा की अनुशंषा करता है। इससे यह प्रतीत होता है कि व्यसनियों के परमिटों का नवीनीकरण उनकी नशामुक्ति की आवश्यकता देखने के स्थान पर, खुदरा अनुज्ञाधारी के लाभ के लिये किया गया था। विभाग को चिकित्सा अधिकारी की अनुशंषा के अनुसार ही परमिटों का नवीनीकरण करना चाहिए था।

विभाग को परमिटों का नवीनीकरण चिकित्सा अधिकारी द्वारा व्यसनियों को चि.डो. पो. की मात्रा में कमी हेतु की गई अनुशंषा पर विचार करते हुए करना चाहिए जो उसके नशा मुक्त होने में सहायता करेगी। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रति तिमाही चि.डो.पो. की कमी बाबत प्रावधान को नियमों में पुनः समावेश करना चाहिए।

6.8.17.2 प्रत्येक व्यसनी की मासिक उपभोग की मात्रा चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है। इसी आधार पर खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा चि.डो.पो. का विक्रय, व्यसनियों को निर्धारित सीमा तक किया जाता है। चार जिला आबकारी अधिकारियों[19] की 14 चि.डो.पो की खुदरा दुकानों के खुदरा बिक्री पंजिकाओं की मापक जांच में देखा गया की परमिट धारी व्यसनी को चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित मासिक उपभोग की निर्धारित मात्रा मे दो मे नौ कि.ग्रा. अधिक चि.डो.पो. का विक्रय किया गया था।

ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि जिस खुदरा दुकान से चि.डो.पो. की खरीद व्यसनी करेगा, उसका नाम परमिट पर अंकित किया जा जाता है तथा अनुज्ञाधारी संबंधित परमिटधारी व्यसनियों को ही चि.डो.पो. बेचने के लिये बाध्य है।

सरकार का उत्तर, हमारी टिप्पणी के अनुसार नहीं है क्योंकि खुदरा अनुज्ञाधारी द्वारा परमिटधारी व्यसनी को चि.डो.पो. का विक्रय, उसे निर्धारित मासिक उपभोग की मात्रा से अधिक का किया गया था।

सरकार, विभाग को उन खुदरा अनुज्ञाधारियों के अनुज्ञापत्र निरस्त/रोकने हेतु निर्देशित करना चाहिए जिन्होंने अनुज्ञापत्र में निर्धारित शर्तो का उल्लघंन किया है। जिससे चि.डो.पो. की अवैध व्यसनियों को बेचने व चि.डो.पो. व्यसन को समाज में फैलने से रोक सकेगी।

[19] बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर।

6.8.18 एक से अधिक व्यसनियों को दोहरे/एक ही क्रमांक के परमिट जारी करना

रा.स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 44(2) के अनुसार, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रपत्र 'एच' में जारी वैध परमिट धारी द्वारा ही चि.डो.पो. का क्रय किया जा सकता है।

6.8.18.1 जिला आबकारी अधिकारी, बाड़मेर (2 प्रकरण) और जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ़ (7 प्रकरण) के वर्ष 2009-10 और 2010-11 के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया कि एक व्यसनी को दो परमिट जारी कर दिये गये जो कि जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा व्यसनियों को परमिट जारी करते समय की गई लापरवाही को स्पष्टता दर्शाती है। विभाग ने व्यसनी को परमिट जारी/नवीनीकरण करने से पूर्व उसके विवरण जैसे पिता का नाम, पता आदि की जांच नहीं की ताकि वह दोनों परमिटों मे दो भिन्न-भिन्न या उसी खुदरा दुकान से चि.डो.पो. क्रय न कर सके।

6.8.18.2 जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ और जोधपुर के वर्ष 2009-10 और 2010-11 के अभिलेखों की मापक जांच में यह देखा गया कि एक ही क्रमांक के परमिट दो या तीन व्यसनियों को जारी कर दिये गये थे, जिसका विवरण निम्नानुसार था:

जि.आ.अ. का नाम	वर्ष	समान संख्या वाले जारी परमिटों की संख्या	
		2 व्यसनी	3 व्यसनी
हनुमानगढ़	2009-10	124	2
	2010-11	128	3
तिवरी, जोधपुर	2009-10	7	-
	2010-11	5	1

स्रोतः- जिला आबकारी अधिकारियों से संग्रहित सूचना

यह साबित करता है कि जिला आबकारी अधिकारी व्यसनियों को परमिट जारी करते समय चौकन्ने नहीं थे।

ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि वर्ष 1996-97, 1999-2000 और 2001-02 में व्यसनियों को जारी किये गये परमिटों का क्रमांक एक से प्रारंभ था इसलिये दो या तीन व्यसनियो को समान क्रमांक का परमिट जारी हो सकते हैं। लेकिन व्यसनी के नाम और वर्ष अलग-अलग थे। सरकार ने आगे बताया कि वर्तमान में परमिटों का नवीनीकरण करते समय नये क्रमांक आवंटित किये जा रहे है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि दो परमिट धारियों के पास समान क्रमांक के परमिट नहीं है। लेकिन उप पैराग्राफ (i) के बाबत जिसमें एक व्यसनी को दोहरे जिनमें परमिट जारी करने विवरण जैसे पिता का नाम, पता समान थे के सम्बंध में उत्तर मौन था।

विभाग को, परमिटधारी व्यसनियों तथा खुदरा दुकानों से संबधित आंकडों का, परमिटों तथा प्रत्येक व्यसनी द्वारा लिये गये चि.डो.पो. और खुदरा दुकानों पर बेहतर नियंत्रण के लिये कम्प्यूटरीकरण करना चाहिए।

6.8.19 नवीनीकृत परमिटों को वापस व्यसनियों को लोटाने संबंधी अभिलेखों का संधारण नहीं करना

आबकारी आयुक्त द्वारा समस्त जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि नवीनीकरण के बाद परमिटों को सिर्फ व्यवसनियों को ही लौटाया जावे, खुदरा अनुज्ञाधारियों को नहीं।

जिला आबकारी अधिकारी, बाड़मेंर, बीकानेर और श्रीगंगानगर के वर्ष 2009-10 व 2010-11 के नवीनीकरण के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया कि वर्ष 2009-10 के दौरान परमिट नवीनीकरण के पश्चात व्यसनियों को लौटाने के प्रमाण में उनके हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी से संबन्धित पंजिकाओं का संधारण, जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया था। वर्ष 2010-11 के दौरान, यद्यपि जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के अभिलेख संधारित किये गये थे लेकिन अभिलेखों में कुछ प्रविष्टियां ही पायी गयी थी।

इन पंजिकाओं के अभाव में हम यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि नवीनीकृत समस्त परमिट, सम्बधित व्यसनियों को ही लौटाये गये थे।

ध्यान में लाने पर सरकार ने स्वीकार किया (अगस्त 2012) कि जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय या शिविर में परमिटों के नवीनीकरण के बाद उन्हें व्यसनियों को लौटाया गया था, और अलग से पावती अंकित नहीं की गयी थी। लेकिन उत्तर में, रसीद प्राप्ति हेतु विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही बाबत, कोई उल्लेख नहीं था।

स. व्यसनियों को चि.डो.पो. का विक्रय

6.8.20 परमिट नवीनीकरण से पूर्व व्यसनियों को चि.डो.पो. का विक्रय

जिला आबकारी अधिकारी बाड़मेर के वर्ष 2009-10 की खुदरा बिक्री पंजिकाओं व परमिट नवीनीकरण पंजिकाओ की नमूना जांच में यह देखा गया कि खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा व्यसनियों को चि.डो.पो. का विक्रय परमिट नवीनीकरण से पूर्व ही कर दिया गया था। जो अवैध बिक्री की श्रेणी में आता है। उदाहरणार्थ चि.डो.पो. की खुदरा दुकान, गान्धव के 22 व्यसनियों और गडरा के 96 व्यसनियों द्वारा राजकीय खाते में, परमिट नवनीकरण फीस क्रमशः 15.04.2009 और 22.04.2009 को जमा कराई थी। यह भी पाया कि 168 कि.ग्रा. चि.डो.पो. का विक्रय, 112 (118 में से) व्यसनियों को दिनांक 12.04.2009 तथा 13.04.2009 को किया गया था, जो कि अवैध बिक्री थी।

ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया कि (अगस्त 2012) कि चि.डो.पो. का विक्रय परमिट नवीनीकरण से पूर्व इसलिए किया था कि परमिट नवीनीकरण प्रक्रिया में थे।

विभाग को परमिट नवीनीकरण के लिये एक समय अवधि का निर्धारण करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके, व्यसनियों को उनके परमिट नवीनीकरण से पूर्व चि.डो.पो. का विक्रय नहीं किया जा सके।

6.8.21 खुदरा अनुज्ञाधारी द्वारा गैर परमिट धारी व्यक्ति को चि.डो.पो. का अवैध बिक्री करना

खुदरा विक्रय के अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 6 के अनुसार अनुज्ञाधारी चि.डो.पो. की प्राप्त, विक्रय और भण्डार में शेष रहे चि.डो.पो. की मात्रा दर्शाते हुये स्याही से एक सत्य दैनिक खाता रखेगा। वह 1 कि.ग्रा. तथा इससे अधिक मात्रा में खरीदे गये चि.डो.पा. के क्रेता का नाम, पिता का नाम व पता भी खाते में दर्शायेंगे।

जिला आबकारी अधिकारी बाड़मेर के वर्ष 2009-10 चि.डो.पो की खुदरा बिक्री पंजिकाओं की मापक जांच में यह देखा गया कि राशि ₹ 6.75 लाख[20] का 1,350 कि.ग्रा. चि.डो.पो. का विक्रय 643 ऐसे व्यक्तियों को किया गया था जिनका नाम खुदरा दुकान की परमिटधारी व्यसनियों की सूची में शामिल नहीं था। जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्रमांक	खुदरा अनुज्ञाधारी दुकान का नाम	व्यसनी के अलावा दर्ज व्यक्तियों की संख्या	चि.डो.पो. की निहित मात्रा (कि.ग्रा. में)
1	गान्धव	134	239
2	सांदरी	297	687
3	सिवाना	40	80
4	सनवारा	48	96
5	साता	124	248
	योग	**643**	**1,350**

स्रोत:- जिला आबकारी अधिकारियों से संग्रहित सूचना

यह देखा गया कि लेखापरीक्षा द्वारा मापक जांच की गई इन पंजिकाओं में तथ्यों के सत्यापन के प्रमाण में आबकारी निरीक्षकों ने हस्ताक्षर तो किये थे, लेकिन वे परमिटधारी व्यसनियों को विक्रय पर नियंत्रण में नाकाम रहे थे।

[20] 1350 कि.ग्रा. चि.डो.पो. की मात्रा x ₹ 500 प्र.कि.ग्रा. चि.डो.पो. की विक्रय दर = ₹ 6.75 लाख।

ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया कि (अगस्त 2012) परमिटधारी व्यसनियों द्वारा चि.डो.पो. की खरीद अन्य खुदरा दुकान से इसलिये की थी कि उन्हें अधिकृत खुदरा दुकान पर चि.डो.पो. की उपलब्धता नहीं थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि चि.डो.पो. का कोटा, प्रत्येक दुकान हेतु स्वीकृत व्यसनियों की संख्या के आधार पर स्वीकृत किया जाता है और दुकानों द्वारा अधिकृत व्यसनियों को ही चि.डो.पो. का विक्रय करना था। यह उत्तर देना कि इन परमिटधारी व्यसनियों द्वारा किसी अन्य खुदरा दुकान से क्रय किया था, इसलिये स्वीकार नहीं है कि खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा इस तरह का कोई अभिलेख नहीं तैयार किया गया था जिससे यह विदित हो कि अन्य चि.डो.पो. की मान्य खुदरा दुकान के परमिटधारी व्यसनियों को विक्रय किया गया था।

6.8.22 खुदरा विक्रय पंजिकाओं में फर्जी प्रविष्टियां करना

खुदरा अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 4 के अनुसार एक व्यक्ति/व्यसनी को एक दिन में 2 कि.ग्रा. मात्रा से अधिक चि.डो.पो. विक्रय नहीं किया जावेगा। इसका अर्थ है कि खुदरा अनुज्ञाधारी एक दिन में, दुकान के लिये स्वीकृत व्यसनियों की संख्या से दोगुनी चि.डो.पो. की मात्रा तक विक्रय कर सकता है।

चि.डो.पो. की खुदरा विक्रय पंजिकाओं की मापक जांच के दौरान यह देखा गया कि खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा अपनी बिक्री पंजिकाओं का संधारण सही और उचित रूप से नहीं किया जा रहा था।

6.8.22.1 जिला आबकारी अधिकारी बाड़मेर और बीकानेर में संधारित चि.डो.पो. की खुदरा विक्रय पंजिकाओं की मापक जांच में यह देखा गया कि 27 खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा 2,232 कि.ग्रा चि.डो.पो. की अधिक मात्रा का विक्रय, एक दिन में दुकान के स्वीकृत व्यसनियों को अनुज्ञापत्र की शर्तों के दर्शाये मानकों के विरूद्ध, किया गया था:-

विवरण	बाड़मेर		बीकानेर		योग
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	
खुदरा दुकानों की संख्या	9	4	4	10	**27**
कुल व्यसनियों की संख्या	1,103	367	411	711	**2,592**
एक दिन में विक्रय की गई चि.डो.पो. की मात्रा 2 x व्यसनियों की संख्या कि.ग्रा. में	2,206	734	822	1,422	**5,184**
चि.डो.पो. की वास्तविक बिक्री कि.ग्रा. में	3,195	1,095	961	2,165	**7,416**
चि.डो.पो. की अधिक बिक्री कि.ग्रा. में	989	361	139	743	**2,232**

अनुज्ञाधारियों द्वारा या तो फर्जी व्यसनियों के नामों की प्रविष्टियां की गयी थी या व्यसनियों के नाम की पुन: प्रविष्टियां की गयी थी। इसके अतिरिक्त चार जिला आबकारी अधिकारियों[21] के लेखों की नमूना जांच में यह देखा गया कि अनुज्ञाधारियों द्वारा एक व्यसनी को एक दिन में दो कि.ग्रा. से अधिक चि.डो.पो. का विक्रय अनियमित रूप से किया था। चि.डो.पो. के अवैध व्यापार की संभावनाओं में इन्कार नहीं किया जा सकता।

6.8.22.2 जिला आबकारी अधिकारी बाड़मेर और जोधपुर के वर्ष 2009-10 और 2010-11 की अवधि की चि.डो.पो. की खुदरा विक्रय पंजिकाओं की मापक जांच में यह देखा गया कि 45 खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा 10,504 कि.ग्रा चि.डो.पो. का विक्रय उनकी दुकान हेतु मान्य परमिटधारी व्यसनियों के स्वीकृत कोटा से अधिक मात्रा में किया गया था। चि.डो.पो. की अधिक मात्रा 5 कि.ग्रा. से 585 कि.ग्रा. के मध्य थी। जैसा कि निम्न सारणी दर्शाती है:

विवरण	बाड़मेर		जोधपुर		योग
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	
खुदरा दुकानों की संख्या	13	09	11	12	**45**
स्वीकृत मासिक कोटा	6,629	7,641	10,474	10,078	**34,822**
विभिन्न माहों में बिक्री योग्य चि.डो.पो. की अधिकतम मात्रा (कि.ग्रा में)	11,263	11,502	17,277	43,635	**83,677**
समान अवधि में खुदरा दुकानों द्वारा चि.डो.पो. की वास्तविक बिक्री (कि.ग्रा) में	13,947	12,094	19,410	48,730	**94,181**
चि.डो.पो. की अधिक बिक्री (कि.ग्रा.) में	2,684	592	2,133	5,095	**10,504**

यह भी देखा गया कि चि.डो.पो. के विक्रय का विवरण खुदरा विक्रय पंजिकाओं में दर्ज नहीं था।

ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा चि.डो.पो. का व्यसनीयों को विक्रय निर्धारित मासिक कोटे के अनुसार किया था। उत्तर में यह भी कहा गया कि इस बात की भी संभावना थी कि परमिटधारी व्यसनियों द्वारा एक दिन में एक से अधिक बार एक कि.ग्रा. से कम चि.डो.पो. की मात्रा की खरीद की गयी हो, जिससे एक दिन में दो कि.ग्रा. से अधिक की खरीद हो सकती है। इस प्रकार परमिट जारी व्यसनियों हेतु स्वीकृत मासिक कोटा से अधिक विक्रय किया जाना हो सकता था।

[21] बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि चि.डो.पो. के खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा स्वीकृत मासिक कोटे से अधिक विक्रय किया गया था तथा जिसका विवरण पंजिकाओं में दर्ज नहीं किया गया था, जिसकी विभाग द्वारा जांच नहीं की गई थी।

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खुदरा विक्रय पंजिकाओं का सत्यापन/जांच नियमित रूप से हो जिससे परमिटधारी व्यसनियों को विक्रय की सत्यता को सुनिश्चित किया जा सके जिसको खुदरा विक्रय पंजिका को कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से परमिटधारी व्यसनियों के विवरण से जोड़ कर के प्राप्त किया जा सकता है।

6.8.23 राज्य में व्यसनियों की संख्या में वृद्धि

वर्ष 2010 की स्वा.औ.म.प. की राष्ट्रीय नीति के अनुसार, सरकार को यह सुनिश्चित करना था कि व्यसनियों को उपलब्ध करायी जाने वाली पोस्त तृणों की मात्रा, उत्तरोत्तर रुप से कम हो जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक निर्धारित समय के पश्चात, जैसे नीति की घोषणा की तारीख के तीन वर्ष बाद, किसी व्यसनी को पोस्त तृण की आवश्यकता न हो।

इसके पश्चात नशे के लिये पोस्त तृण के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाये तथा केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग की निगरानी में निर्धारित प्रक्रिया से उसे नष्ट कर दिया जाये।

6.8.23.1 राष्ट्रीय नीति के अनुसार पोस्त तृण के नशे को तीन वर्षो में समाप्त करने तथा चि.डो.पो. के अनुज्ञाधारी व्यसनियों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी करने के लिये कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी। मापक जांच किये गये जिला आबकारी कार्यालयों से पता चला कि विभाग द्वारा उपरोक्त जारी निर्देशों की अनुपालना में चिकित्सा विभाग के सानिध्य में अपने स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। जो सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति का घोतक है।

ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया कि व्यसनीयों के परमिट नवीनीकरण की संख्या में उत्तरोत्तर कमी हुई है। भविष्य में चि.डो.पो के व्यसन को खत्म करने हेतु प्रयास किये जायेगें।

6.8.23.2 जोधपुर स्थित एक निजी नशामुक्ति केन्द्र (मैसर्स राजस्थान, फार्मेसियां) में व्यसनियों के एक माह (जुलाई 2010) के दौरान पंजीकरण अभिलेखों की मापक जांच करने पर यह देखा गया कि केन्द्र में 339 व्यसनियों का नशामुक्ति हेतु पंजीकरण हुआ था। यह भी पाया गया कि ये व्यसनी आबकारी विभाग के परमिटधारी व्यसनी नहीं थे फिर भी वे नियमित रुप से एक से 10 कि.ग्रा चि.डो.पो. का प्रति माह उपभोग कर रहे थे। व्यसनियों द्वारा चि.डो.पो. की आपूर्ति स्रोत बाबत कुछ नहीं बताया गया था। नशा मुक्ति केन्द्र द्वारा भी इस आशय की सूचना नही रखी गयी थी कि व्यसनियों द्वारा चि.डो.पो. कहां से प्राप्त की,

क्योंकि इस प्रकार की सूचना चाहने से नशामुक्ति हेतु उनका केन्द्र में आने के होंसले में कमी आ सकती थी। एक माह में इतनी अधिक मात्रा में व्यसनियों का नामांकन स्वयं यह दर्शाता है कि चि.डो.पो. के अवैध आवागमन का एक बहुत बडा तंत्र राज्य में क्रियाशील है, जिस पर नियंत्रण हेतु विभाग नाकाम रहा है।

ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि मैसर्स राजस्थान फार्मेसियों जोधपुर में सभी प्रकार के व्यसनियों जैसे चि.डो.पो., अफीम, और मदिरा आदि का पंजीयन हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की नीति के अनुसार चि.डो.पो. की अनुज्ञापत्र व्यवस्था 31 मार्च 2015 तक समाप्त की जावेगी तथा इस तारीख से पूर्व राज्य में रहने वाले सभी व्यसनियों को नशामुक्त करना होगा। इस सम्बंध में विभाग द्वारा सरकार को प्रस्ताव भेजे जा चुके है।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा समाज में मौजूद चि.डो.पो./अफीम के नशामुक्ति निवारण हेतु, परमिट धारी व्यसनियों की उत्तरोत्तर नशामुक्ति हेतु प्रयास नहीं किया गया।

6.8.24 निष्कर्ष

यह देखा गया कि विभाग चि.डो.पो. के कृषकों से जिन्होनें घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे, से चि.डो.पो. के संग्रहण और उनके निपटान में नाकाम रहा। जिन्होने अपने घोषणा पत्र भर कर नहीं दिये थे उनके विरूद्ध, विभाग ने न तो केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग को अनुपालना नहीं करने वाले दोषी कृषकों बाबत सूचित किया और न ही उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किये थे। ये कार्यवाही नही करने से, भविष्य में राज्य में अनुपालना नहीं करने और चि.डो.पो. के अवैध आवागमन को बढावा मिलेगा। घोषणा-पत्रों का संग्रहण विभाग के स्थान पर उत्पादन क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारियों द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा घोषणा, पत्रों का सत्यापन नहीं किया गया था तथा अपूर्ण एवं संदेहास्पद घोषणा पत्रों को स्वीकार किया गया, जिससे इन घोषणा पत्रों की प्रमाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है। कृषकों के पास चि.डो.पो. की अनुपलब्धता से संबंधित आबकारी निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन के प्रतिवेदन अधूरे और असार्थक थे। और तो और अनुज्ञाधारियों द्वारा अनुज्ञाशुल्क वेट क्रय मूल्य आदि पर वर्ष 2009-11 में ₹ 228.89 करोड़ खर्च किये गये थे जबकि उनके द्वारा चि.डो.पो. के विक्रय से प्राप्त कुल राशि ₹ 184.22 करोड़ की परिणामस्वरुप ₹ 44.67 करोड़ का स्पष्ट घाटा था। वर्ष 2009-11 के दौरान विभाग द्वारा व्यसनियों के 2,131 परमिटों का नवीनीकरण तीन से 20 वर्षों के बाद किया था जबकि नियमों में एक वर्ष की समाप्ती के बाद परमिटों के नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। विभाग द्वारा परमिट धारियों से गैर नवीनीकरण अवधि में चि.डो.पो. के किये गये क्रय के स्रोतों की जानकारी बाबत कोई प्रयास नहीं किये थे। इसके अतिरिक्त प्रपत्र 'आई' में चिकित्सा अधिकारीयों की अनुशंषा प्राप्त किये बिना परमिटों का नवीनीकरण किया गया था। कई अन्य गंभीर अनियमिततायें जैसे कि उपभोग हेतु

चि.डो.पो. के उपयोग हेतु चिकित्सा अधिकारी की सलाह नहीं मानना, दोहरे परमिट जारी करना, एक ही नाम वाले परमिटों को एक से अधिक व्यसनियों को जारी करना, व्यसनियों को उनके परमिट नवीनीकरण करने से पूर्व चि.डो.पो. का विक्रय करना आदि थी। इसके अतिरिक्त ऐसे भी प्रकरण थे जिनमें खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा परमिटधारी व्यसनियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को विक्रय किया गया था। राज्य में चि.डो.पो. के व्यसनियों की भारी संख्या में वृद्धि हुई जबकि वे परमिटधारी नहीं है। यह चि.डो.पो. के विक्रय पर आबकारी विभाग के नियंत्रण हेतु की गई कार्यवाही पर भी संदेह उत्पन्न करता है।

6.8.25 सिफारिशें

सरकार विचार करे:

- **केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग (के.ना.वि.) को दोषी कृषकों की सूची भेजे, जिससे दोषी कृषकों के अफीम की खेती के अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण नहीं हो सके;**
- **के.ना.वि. द्वारा अनुमत्य प्रति कि.ग्रा. अफीम उत्पादत के अनुसार ही चि.डो.पो. के मानक निर्धारित करें;**
- **परमिटधारी व्यसनियों, खुदरा/थोक अनुज्ञाधारियों, कृषकों और चि.डो.पो. के क्रय विक्रय इत्यादि के आंकडों का कम्प्यूटरीकरण करना/ई-गवर्नेस करने की कार्यवाही प्रारंभ करना आदि; तथा**
- **राष्ट्रीय नीति के अनुसार राज्य में व्यसन पर नियंत्रण हेतु, प्रभावी उपाय लागू करना।**

6.9 अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

अभिलेखों की मापक जांच में कुछ प्रकरण आबकारी राजस्व की अवसूली/कम वसूली के पाये गये, जिन्हें इस अध्याय के आगामी अनुच्छेदों में दर्शाया गया है। इनमें से कुछ कमियां पिछले वर्षों में दर्शायी गयी थी तथापि, न केवल अनियमितायें विद्यमान की किन्तु आगामी लेखापरीक्षा किये जाने तक इनका पता नहीं लगा। यह कुछ निदर्शी प्रकरण है जो लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों की मापक जांच पर आधारित है। सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करने सहित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है, जिससे इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

6.10 अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं करना

राजस्थान आबकारी अधिनियम तथा नियमों में निम्न लिखित प्रावधान है;

(अ) निर्धारित दर से होटल बार अनुज्ञाफीस का आरोपण करना;

(ब) निर्धारित दर से कम्पोजिट दुकानों की अनुज्ञाफीस का आरोपण करना; तथा

(स) शोधित प्रारुप पर रु 2.50 की प्रति बल्क लीटर की दर से परमिट फीस का आरोपण करना।

यह देखा गया कि जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा पैराग्राफ 6.10.1 से 6.10.3 मे दर्शाये प्रकरणों में उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

6.10.1 होटल बार अनुज्ञापत्र शुल्क की कम वसूली

राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट आफ होटल बार/क्लब वार अनुज्ञापत्र) नियम, 1973 के अनुसार अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली के लिये होटलों की मुख्यत: तीन श्रेणियां 'लक्जरी' 'अन्य' तथा 'हेरिटेज' में विभाजित किया गया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा लक्जरी होटलों को पुन: 'पांच सितारा' 'चार सितारा' 'तीन सितारा' में श्रेणी बद्ध किया गया है। हेरिटेज होटल वे होटल है जिन्हे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा हेरिटेज होटल के रुप में मान्यता दी गयी है। राज्य सरकार द्वारा गठित एक कमेटी द्वारा हेरिटेज होटलों को 'अ' 'ब' और 'स' श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया जाता है। होटल बार अनुज्ञापत्र के लिये, प्रत्येक श्रेणी के होटल हेतु अलग-अलग दरें निर्धारित की गयी थी। 31 जनवरी 2012 को जारी अधिसूचना के अनुसार होटलों को 'राजस्थान हेरिटेज होटलों' के रुप में परिभाषित किया है तथा मान्यता दी गई है। इससे पूर्व हेरिटेज होटल वे होटल थे, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थे।

(i) आबकारी आयुक्त के कार्यालय में वर्ष 2010-11 की होटल बार अनुज्ञापत्रों से संबंधित पत्रावलियों की नमूना जांच में यह देखा गया (नवम्बर 2011) कि 21 होटलों के होटल बार अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण आबकारी आयुक्त के द्वारा हेरिटेज श्रेणी के अन्तर्गत किया गया था। विभाग द्वारा इन होटलों से हेरिटेज 'ब' और 'स' श्रेणी के होटलों के लिये लागू दरो से अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली की थी। यह देखा गया कि ये होटल भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थे, फिर भी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा इन्हें होटल 'अ', 'ब' और 'स' में श्रेणीबद्व किया था जो कि गलत था। इस प्रकार जनवरी 2012 से पूर्व की अवधि हेतु 'अन्य होटल' के रुप में होटल बार अनुज्ञापत्र शुल्क का निर्धारण किया जाना था।

जब विभाग द्वारा इन 21 होटलों की निर्धारित दरों की 'अन्य होटल' के लिये निर्धारित दरों से तुलना करने पर अनुज्ञाफीस की अन्तर राशि ₹ 63.00 लाख पायी गयी थी, जो इन होटलों से वसूलनीय थी।

ध्यान में लाने पर (दिसम्बर 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य) सरकार ने बताया (जून 2012) कि हेरिटेज होटलों के वर्गीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा 09 सितम्बर 2010 को एक समिति का गठन किया था। इसके पश्चात समिति ने लेखापरीक्षा द्वारा बताये अनुसार 21 में से 19 होटलों को 'राजस्थान हेरिटज होटल' की 'ब' तथा 'स' श्रेणी में मान्यता दी थी। शेष रहे दो होटल के संबन्ध में अनुज्ञापत्र शुल्क की अन्तर राशि की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे है। 19 होटलों से सम्बधित उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा

'हेरिटेज होटल' के रूप में मान्यता होने की शर्त राजस्थान सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा श्रेणीबद्व किये जाने से पूर्व होना जरुरी था।

(ii) आबकारी आयुक्त कार्यालय तथा जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय जोधपुर और कोटा के वर्ष 2010-11 की होटल बार अनुज्ञापत्रों से संबंधित पत्रावलियों की नमूना जांच में यह देखा गया (नवम्बर 2011 और जनवरी 2012 के मध्य) कि पांच होटलों[22] के होटल बार अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 के लिये 'अन्य होटल' की श्रेणी के रुप में किया गया था। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की वेब साईट/मुख्य ट्रेवल वेब साईट/'राजस्थान होटल डायरेक्ट्री' आदि पर इन होटलों ने सितारा श्रेणी के रुप में विज्ञापित किया था। यह भी पाया कि इन पांचों होटलों में से जयपुर व जोधपुर के दो होटलों द्वारा पूर्व में 'पांच सितारा' के रूप में आवेदन किया था। तथापि, विभाग द्वारा इन दों होटलों के अनुज्ञापत्र 'अन्य श्रेणी' के रुप में नवीनीकृत किये गये। इसके परिणामस्वरुप अनुज्ञापत्र शुल्क राशि ₹ 36.50 लाख की कम वसूली हुई, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

जि.आ.अ. का नाम	होटल का नाम	श्रेणी	वसूली योग्य अनुज्ञापत्र शुल्क	वसूल की गयी अनुज्ञापत्र शुल्क	कम वसूल की गयी राशि
जोधपुर	मनवार रिर्सोट एण्ड केम्प, खीयासरिया जोधपुर	तीन सितारा	8.00	1.50	6.50
जोधपुर	कंलिगा होटल जोधपुर	तीन सितारा	8.00	6.00	2.00
जयपुर	होटल काम्वे स्पा एण्ड रिसोर्ट, कूकस,जयपुर	पांच सितारा	15.00	6.00	9.00
जयपुर	कम्वे गोल्फ रिसोर्ट जामडोली जयपुर	पांच सितारा	15.00	6.00	9.00
कोटा	होटल उम्मेद भवन पैलेस, कोटा	पांच सितारा	15.00	5.00	10.00
		योग	**61.00**	**24.50**	**36.50**

ध्यान में लाने जाने पर (दिसम्बर 2011 और फरवरी 2012 के मध्य में) सरकार ने बताया (जुलाई 2012) कि (i) एक प्रकरण में (कलिंगा होटल जोधपुर) राशि वसूल की जा चुकी है, (ii) दो प्रकरणों में (मनवार रिर्सोट एण्ड केम्प

[22] मनवार रिर्सोट एण्ड केम्प, खीयासरिया जोधपुर, कंलिगा होटल जोधपुर, होटल काम्वे स्पा एण्ड रिसोर्ट, कूकस, जयपुर, कम्वे गोल्फ रिसोर्ट जामडोली जयपुर, होटल उम्मेद भवन पैलेस, कोटा।

खियासरिया, जोधपुर और होटल उम्मेद भवन पैलेस, कोटा) मांग कायम की गई परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, मनवार रिर्सोट एण्ड केम्प, खीयासरिया जोधपुर के प्रकरण में स्थगन दिया गया था और (iii) शेष दो होटलों से वसूली बाबत उत्तर मौन था।

6.10.2 कम्पोजिट दुकानों की वार्षिक अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अधीन देशी मदिरा की खुदरा बिक्री के लिये अनुज्ञापत्र की शर्तों और निबंधनों के अनुसार नगरपालिका सीमा के पांच किलोमीटर के अन्दर अवस्थित कम्पोजिट दुकानों की वार्षिक अनुज्ञाफीस भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की नजदीकी नगर पालिका क्षेत्र में अवस्थित दुकान की वार्षिक अनुज्ञापत्र शुल्क की देय दर के अनुसार ली जावेगी।

जिला आबकारी अधिकारी झुन्झुनु, जोधपुर तथा कोटा के वर्ष 2010-11 के अभिलेखों की मापक जांच में यह देखा गया (जुलाई 2011 एवं जनवरी 2012 के मध्य) कि आठ कम्पोजिट दुकानें[23] नगरपालिका सीमा के पांच किलोमीटर के अन्दर अवस्थित थी।

(i) जिला आबकारी अधिकारी जोधपुर तथा झुन्झुनु की पांच दुकानों के मामलों में विभाग ने ₹ 4.68 लाख की अनुज्ञाफीस की वसूली, ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित दुकानों हेतु लागू दरों पर की थी, जबकि उनसे वसूली नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित दुकानों के लिये देय दरों पर ₹ 33.00 लाख की करनी थी, जैसाकि निम्न सारणी में दर्शाया है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जि.आ. अ. का नाम	ग्राम क्षेत्र का नाम जिसमें दुकान अवस्थित थी	नजदीकी नगरपालिका का क्षेत्र (5 किमी में)	वर्ष	देय अनुज्ञापत्र शुल्क	वसूल की गयी अनुज्ञापत्र शुल्क	कम वसूली
1	जोधपुर	खीचन	फलौदी	2010-11	3.90	0.71	3.19
2		सांगरिया (तनवारा फाटक के पास)	जोधपुर	2009-10	7.50	0.25	7.25
				2010-11	9.00	2.08	6.92
3	झुन्झुनु	प्रतापपुरा(मठ)	झुन्झुनु	2010-11	4.80	0.93	3.87
4		वाहिदपुरा	मण्डावा	2010-11	3.90	0.25	3.65
5		रघुनाथपुरा (धोलाखेडा)	उदयपुरवाटी	2010-11	3.90	0.46	3.44
		योग			**33.00**	**4.68**	**28.32**

[23] देशी मदिरा की दुकानों जिनके पास भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की खुदरा बिक्री का अनुज्ञापत्र है।

(ii) खेडा रसूलपुर, कोटा में स्थित एक दुकान के मामलें में वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लिये अनुज्ञापत्र शुल्क के राशि ₹ 9.00 लाख की वसूली कैथून नगर पालिका में अवस्थित दुकानों की देय दरों से की थी जबकि राशि ₹ 16.35 लाख कोटा नगर पालिका क्षेत्र में अवस्थित दुकानों की देय दरों से करनी थी, जो कि नजदीकी नगर पालिका क्षेत्र था।

(iii) पाल समूह, जोधपुर की दो दुकानों के मामले में राशि ₹ 18.00 लाख की अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली के स्थान पर एक दुकान से राशि ₹ 9.00 लाख की अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली की गई थी।

इस प्रकार अनुज्ञापत्र शुल्क की गलत दर आरोपित करने/अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली के परिणामस्वरुप राशि ₹ 44.68 लाख की कम वसूली हुयी ।

ध्यान में लाने पर (अगस्त 2011 और फरवरी 2012 के मध्य) सरकार ने दस प्रकरणों में लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार्य की (जुलाई 2012) तथापि आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (नवम्बर 2012) ।

6.10.3 परमिट शुल्क की अवसूली

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 69-बी के प्रावधान के अनुसार एक आसवनी द्वारा, देशी मदिरा निर्माण हेतु राज्य में शोधित प्रासव के परिवहन पर ₹ 2.50 प्रति वल्क लीटर दर से परमिट फीस वसूली योग्य है।

जिला आबकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर और उदयपुर के कार्यालयों की वर्ष 2010-11 के लेखों की मापक जांच में (सितम्बर 2011 और नवम्बर 2011 के मध्य) यह देखा गया कि दो बोटलिंग प्लांटों[24] द्वारा देशी मदिरा निर्माण हेतु राज्य में स्थित एक आसवनी से शोधित प्रासव[25] का परिवहन किया था, लेकिन वर्ष 2010-11 के दौरान 104 परमिटों, में निहित 22,52,000 वल्क लीटर शोधित प्रासव के परिवहन पर देय परमिट शुल्क की वसूली नहीं की गई। इसके परिणामस्वरुप ₹ 56.30 लाख[26] परमिट शुल्क की अवसूली रही थी।

[24] एच.एच. बोटलिंग प्लांट, श्रीगंगानगर और मदिरा उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, उदयपुर।

[25] ग्लोबस, प्रासव लिमिटेड, अलवर।

[26] 22,52,000 बल्क लीटर x ₹ 2.50 प्रति बल्क लीटर = ₹ 56,30,000।

ध्यान में लाये जाने पर (अक्टूबर 2011 और दिसम्बर 2011 के मध्य) सरकार ने बताया (जुलाई 2012) कि उनके द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.4.2012 से देशी मदिरा निर्माण हेतु राज्य में परिवहन किये शोधित प्रासव पर परमिट शुल्क माफ की जा चुकी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि देशी मदिरा के निर्माण हेतु राज्य में परिवहन किये शोधित प्रासव पर परमिट शुल्क माफ करने की अधिसूचना दिनांक 01.04.2012 को जारी की गयी है, लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये प्रकरण अधिसूचना जारी करने से पूर्व की अवधि के है। अत: पूर्ववर्ती प्रकरणों में वसूली की जावे।

अध्याय–VII
कर–इतर प्राप्तियाँ

अध्याय-VII कर-इतर प्राप्तियाँ

7.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार के कर-इतर राजस्व में मुख्य रूप से ब्याज, खानों एवं खनिजों, विविध सामान्य सेवायें, जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण कार्य, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वन और वन्य जीव से प्राप्तियाँ समाविष्ट हैं। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान संग्रहित कुल राजस्व एवं कर-इतर राजस्व निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य द्वारा संग्रहित कुल राजस्व	राज्य का कुल कर-इतर राजस्व	कर-इतर राजस्व की कुल राजस्व से प्रतिशतता
2007-08	17,328.66	4,053.93	23.4
2008-09	18,832.21	3,888.46	20.6
2009-10	20,972.49	4,558.22	21.7
2010-11	27,053.20	6,294.12	23.3
2011-12	34,552.15	9,175.10	26.6

7.2 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को खान प्राप्तियों (खनिजों का अवैध खनन व निर्गमन को छोड़कर) राजस्व की बकाया राशि ₹ 50.57 करोड़ थी जिसमें से ₹ 8.07 करोड़ पाँच वर्षो या अधिक से बकाया थे। निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2012 को राजस्व की बकाया की स्थिति दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	01.04.2011 को बकाया	वर्ष 2010-11 के दौरान संग्रहित की गई राशि	31.3.2012 को बकाया
2006-07 तक	90.62	82.55	8.07
2007-08	101.42	91.64	9.78
2008-09	103.17	97.85	5.32
2009-10	119.22	102.58	16.64
2010-11	125.76	115.00	10.76
योग	**540.19**	**489.62**	**50.57**

पाँच वर्ष या अधिक से बकाया राजस्व ₹8.07 करोड़ की वसूली की संभावना क्षीण है।

यह अनुशंषा की जाती है कि बकाया की वसूली के लिए सरकार समुचित कार्यवाही करें।

7.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

पिछले पांच वर्षों के दौरान, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से 74 अनुच्छेदों में ₹ 1137.42 करोड़ के अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, राजस्व का कम निर्धारण/हानि, कर की गलत दर का लगाना/आरोपण, कर की गलत गणना आदि के प्रकरणों को इंगित किया था। उनमें से 42 अनुच्छेदों के लेखापरीक्षा आपत्तियों में समावेशित ₹ 326.64 करोड़ को विभाग/सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और 24 अनुच्छेदों में ₹ 22.67 करोड़ की अब तक (सितम्बर 2012) वसूली की जा चुकी है जैसाकि निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

(₹करोड़ में)

लेखापरीक्षा वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार्य अनुच्छेद		अनुच्छेद एवं वसूल की गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2006-07	15	34.29	9	3.24	6	1.02
2007-08	13	275.30	10	23.86	5	4.31
2008-09	27	259.67	17	22.01	11	17.04
2009-10	6	410.16	5	276.67	1	0.06
2010-11	13	158.00	1	0.86	1	0.24
योग	**74**	**1137.42**	**42**	**326.64**	**24**	**22.67**

स्वीकार्य राशि की तुलना में वसूल की गई राशि काफी कम है। विभाग ने अवगत कराया कि कुछ प्रकरणों में वसूली न्यायाधिकारियों द्वारा स्थगित थी, जबकि दूसरे प्रकरणों में इनकी मांग वसूली के विभिन्न स्तरों पर बकाया थी।

7.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्य प्रणाली

आन्तरिक लेखापरीक्षा एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि विभागीय संक्रियाओं का संचालन, लागू कानूनों, विनियमनों एवं अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययी, निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग के साथ किया जा रहा है, अधीनस्थ कार्यालय विभिन्न प्रकार के अभिलेखों, पंजिकाओं/लेखा पंजिकाओं का उचित एवं सही ढंग से संधारण कर रहे हैं एवं राजस्व संग्रहण का अभाव/कम संग्रहण या अपवंचना के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के अभिलेखों में पाया कि लगभग सभी खनिज इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा 2004-05 से लम्बित है। **आन्तरिक लेखापरीक्षा के अभाव में, विभागीय अधिकारी, प्रणालियों के दुष्क्रियान्वयन, राजस्व अपवंचना/छीजत के क्षेत्रों के प्रति अनभिज्ञ रहे। प्रकरण को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11 में इंगित किया गया था। फिर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।**

7.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग की वर्ष 2011-12 के दौरान की गई मापक जाँच में 23,024 प्रकरणों में ₹ 636.94 करोड़ की राशि की राजस्व अवसूली/कम वसूली के प्रकरण सामने आये, जो मुख्यत: निम्न श्रेणियों में आते है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग			
1.	अनाधिकृत उत्खनन	1,156	420.53
2.	स्थिर भाटक एवं अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली	714	48.96
3.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	626	5.28
4.	धरोहर राशि का जब्त न करना	22	2.33
5.	अन्य अनियमितताऐं	20,506	159.84
योग		**23,024**	**636.94**

वर्ष 2011-12 के दौरान, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग ने 1,758 प्रकरणों में ₹ 21.00 करोड़ की कम वसूली एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 10.47 करोड़ के 983 प्रकरण वर्ष 2011-12 के दौरान एवं शेष पूर्व वर्षो में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने 1,631 प्रकरणों में ₹ 22.37 करोड़ की वसूली की, जिसमें से ₹ 58.92 लाख के 304 प्रकरण चालू वर्ष की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित थे तथा अन्य शेष पूर्व के वर्षो से सम्बन्धित थे।

कुछ निदर्शी प्रकरण जिनमें ₹ 319.57 करोड़ सन्निहित है, अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये हैं।

खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग

7.6 लेखापरीक्षा टिप्पणियां

खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग के अभिलेखों की मापक जाँच में अनेक मामलों में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं करना, शासकीय आदेशों/प्रक्रियाओं की अवहेलना तथा अन्य अनियमितताओं के मामलों का पता चला जिनमें से कुछ प्रकरणों का इस अध्याय के अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। ऐसी कुछ त्रुटियों को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लायी गई, तथापि ये अनियमितताएँ न केवल विद्यमान रहती हैं बल्कि लेखापरीक्षा होने तक भी इनका पता नहीं चलता है। सरकार को विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

7.7 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अवहेलना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (खा.ख.वि.वि. अधिनियम), खनिज रियायत नियम, 1960 (ख.रि.नि.), खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 (ख.सं.वि.नि.) तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 (रा.अ.ख.रि.नि.) में निम्नानुसार प्रावधान हैं:

(i) निर्धारित दरों पर अधिशुल्क का आरोपण;

(ii) अवैध रूप से उत्खनित/भेजे गए खनिजों की कीमत का आरोपण;

(iii) विलम्ब से किये गये भुगतानों पर ब्याज का आरोपण;

(iv) पट्टे जारी करना; तथा

(v) खनिजों का संरक्षण।

खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ताओं एवं विभागीय प्राधिकारियों के द्वारा अनुच्छेद 7.7.1 से 7.7.15 में उल्लेखित प्रकरणों में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप अधिशुल्क की कम/अवसूली, खनिज कीमत की कम/अवसूली तथा ब्याज का अनारोपण हुआ।

7.7.1 चूनापत्थर खनन पट्टों की अप्रधान खनिज के लिए अनियमित स्वीकृति

भारत सरकार ने चूनापत्थर को भट्टों में भवन सामग्री हेतु चूना बनाने के लिये उपयोग किये जाने पर अप्रधान खनिज घोषित (6 मार्च 1965) किया तथा राज्य सरकारों को रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट से यह संतुष्ट होने पर कि चूनापत्थर केवल भवन सामग्री हेतु चूना बनाने के लिए उपयुक्त है, केवल अप्रधान खनिज चूनापत्थर के खनन पट्टों के रूप में स्वीकृत करने हेतु अधिकृत (14 सितम्बर 1989) किया।

चूनापत्थर को परख करने के लिए केवल कैल्सियम आक्साईड 40 प्रतिशत से कम अथवा सिलिकान आक्साईड 16 प्रतिशत से ज्यादा हो तथा मैग्नीशियम आक्साईड पाँच प्रतिशत या अधिक होने पर ही अप्रधान खनिज के रूप में विचारणीय होगा। इस हेतु विभाग को प्रतिष्ठित विश्लेषक की रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48 (5) के अनुसार जब खनिज का अविधिक उत्खनन व निर्गमन होता है तो खनिज की कीमत, अधिशुल्क का दस गुना वसूलनीय है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 13 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को खनिजों के संबंध में तथा उससे जुड़े आशयों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों तथा खनन पट्टा मंजूरी की विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदत्त है। इस अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अप्रधान खनिज रियायत के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

सात सहायक खनि अभियन्ता (स.ख.अ.)/खनि अभियन्ता (ख.अ.) कार्यालयों[1] की रियायत, अधिशुल्क पत्रावलियों एवं समर्पित विवरणियों की मापक जाँच में, यह पाया कि (जुलाई 2011 से मार्च 2012) 28 खनन पट्टे चूनापत्थर भवन सामग्री हेतु चूना बनाने के लिए स्वीकृत किये। किन्तु खनन पट्टेधारियों द्वारा चूनापत्थर विभिन्न सीमेंट फैक्ट्रीज व स्टील प्लान्टस को सीमेंट व लोहा निर्माण के लिए निर्गमित किया गया जो कि अन्तिम उपयोग की शर्त व खनन पट्टों की शर्तों के विपरीत था। रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी।

आगे, यह भी पाया कि सहायक खनि अभियन्ता, गोटन के क्षेत्र में 70 प्रतिशत स्टील ग्रेड[2]/सीमेन्ट ग्रेड का खनिज खनन क्षेत्र से खनन कर निर्गमित किया एवं

[1] बांसवाड़ा, गोटन, जोधपुर, कोटा, कोटपुतली, सिरोही एवं उदयपुर।

[2] उच्च ग्रेड चूनापत्थर का उपयोग स्टील प्लान्ट में इस्पात को गलाने के काम में आता है।

सहायक खनि अभियन्ता, कोटपुतली के मामले में खनन पट्टा सं. 259/94 अप्रधान खनिज के रूप में इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि खनिज को सीमेन्ट फैक्ट्री को निर्गमित किया जावेगा, जो कि अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था।

खनन पट्टेधारियों द्वारा खनिज के अन्तिम उपयोग में परिवर्तन करना एवं खनन पट्टे की शर्तों के विपरीत इनका सीमेंट फैक्ट्री व स्टील प्लान्टस को निर्गमन अवैध था। इस अनियमितता के लिए विभाग भी उत्तरदायी था। अवैध रूप से उत्खनित व निर्गमित खनिज की कीमत ₹ 240.29 करोड़ थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये व सरकार को प्रतिवेदित (जुलाई 2011 से मार्च 2012) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.2 खनिजों का अवैध उत्पादन

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 18(10) के अनुसार पट्टेदार खानों के कार्यकरण के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गये समस्त विद्यमान अधिनियमों तथा नियमों और ऐसे अन्य अधिनियमों अथवा नियमों का जो समय-समय पर लागू किये जाये, का पालन करेगा। वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21(4) एवं जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं 26 के अनुसार खनन पट्टेधारी को निर्धारित अवधि में उत्खनित होने वाले खनिज की मात्रा निश्चित कराते हुए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल (रा.रा.प्र.नि.म.) से संचालन की सहमति प्राप्त करनी होती है। आगे, इन नियमों के नियम 48(5) में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति विधिक प्राधिकार के बिना कोई खनिज किसी भूमि से उत्खनित एवं निर्गमन करता है तो सम्बन्धित खनि अभियंता ऐसे उत्खनित पर देय खनिज के अधिशुल्क के साथ-साथ कीमत वसूल कर सकेगा, जो प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के दस गुणा के बराबर होगा।

7.7.2.1 आठ खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ताओं[3] के कार्यालयों के रियायत पत्रावलियों, अधिशुल्क पत्रावलियों एवं समर्पित विवरणियों तथा रा.रा.प्र.नि.म. से प्राप्त खनन करने की अनुमति पत्रों का प्रति सत्यापन के दौरान, यह ध्यान में आया (जुलाई 2011 से मार्च 2012) कि 17 खनन पट्टाधारकों ने 9,62,812 मै.टन खनिज जैसे कि मार्बल, चूनापत्थर (भवन निर्माण) तथा चुनाई पत्थर का रा.रा.प्र.नि.म. द्वारा अधिकृत मात्रा से अधिक खनिज का खनन 2006-07 से 2010-11 के मध्य किया।

[3] अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, नागौर, राजसमन्द-I, राजसमन्द-II, रामगन्जमण्डी एवं उदयपुर।

संबंधित खनि अभियन्ताओं द्वारा रा.रा.प्र.नि.म. द्वारा अधिकृत मात्रा से अधिक मात्रा के रवन्ना जारी किये गए। अत: विभाग द्वारा रा.रा.प्र.नि.म. द्वारा अधिकृत मात्रा तक रवन्ना जारी करने को सीमित नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप अवैध रूप से उत्खनित खनिज 9,62,812 मीट्रिक टन जिसका मूल्य ₹ 80.76 करोड़ था, जिसको विभाग द्वारा वसूल नहीं किया गया।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये व सरकार को प्रतिवेदित (सितम्बर 2011 से मार्च 2012) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 31 के अन्तर्गत निष्पादित खनन पट्टा संविदा के भाग VII की शर्त संख्या 11 ग के अनुसार पट्टेदार पर्यावरण के संरक्षण के सम्बन्ध में उपाय करेगा एवं साथ ही ऐसे अन्य उपाय करेगा जैसा कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जावे। खनिज सरंक्षण व विकास नियम, 1988 के नियम 37 में प्रावधान है कि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के धारक द्वारा पूर्वेक्षण, खनन संक्रियाओं व संबंधित गतिविधियों के दौरान वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखा जावेगा और वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन विनिर्दिष्ट अनुदेय सीमा के भीतर रखा जाएगा। आगे, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) के अनुसार चूककर्ता से अवैध रूप से उत्खनित व निस्तारित खनिज के अधिशुल्क के साथ उसके मूल्य की वसूली की जावेगी।

7.7.2.2 तीन अधीक्षण खनि अभियन्ता/खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता (अखअ)/(खअ)/ (सखअ)[4] कार्यालयों के रियायत पत्रावलियों, अधिशुल्क पत्रावलियों एवं समर्पित विवरणियों तथा रा.रा.प्र.नि.म. से प्राप्त खनन करने की अनुमति का प्रति सत्यापन के दौरान, यह ध्यान में आया (जुलाई, अक्टूबर 2011 एवं फरवरी 2012) कि रा.रा.प्र.नि.म. से अनुमत्य मात्रा से अधिक मात्रा 1,47,745 मै.टन प्रधान खनिज का अवैध उत्पादन कर ले जाया गया, इस प्रकार उत्पादित खनिज की कीमत ₹ 3.36 करोड़ थी, जिसको वसूल नहीं किया गया।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये व सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त 2011 एवं फरवरी 2012 के मध्य) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

[4] अधी.ख.अ. बीकानेर, ख.अ. राजसमन्द-I, स.ख.अ. श्रीगंगानगर।

7.7.3 खनिज चूनापत्थर (सीमेन्ट ग्रेड) की अधिशुल्क की वसूली का अभाव

खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 9(2) के अनुसार खनन पट्टाधारी खनन क्षेत्र से कोई भी खनिज को हटाने या उपयोग करने पर अधिनियम की द्वितीय अनुसूचित में निर्धारित दर से उस खनिज पर देय अधिशुल्क का भुगतान करेगा।

पांच खनि अभियन्ता कार्यालयों के अभिलेखों की रियायत पत्रावलियों, अधिशुल्क पत्रावलियों एवं अधिशुल्क निर्धारण हेतु समर्पित विवरणियों का प्रति सत्यापन के दौरान, यह पाया (जुलाई 2011 से जनवरी 2012) कि चूनापत्थर (सीमेन्ट ग्रेड) के छः खनन पट्टेधारी द्वारा गिट्टी बनाने के खनन क्षेत्र में क्रेशर स्थापित कर रखे थे, और आगे, जिनका उपयोग सीमेन्ट के निर्माण करने हेतु क्लींकर बनाने के लिये किया जा रहा था। विवरणियों में, गिट्टी बनाने के लिये क्रेशिंग करते समय खनिज चूनापत्थर 43,81,258 मै.टन खराब होना दर्शाया गया, जिसकी अधिशुल्क की राशि ₹ 23.42 करोड़ का भुगतान पट्टेधारियों द्वारा नहीं किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

खनि अभियन्ता कार्यालय का नाम	खनन पट्टा संख्या	अवधि	खराब किये खनिज की मात्रा (मै.टन)	वसूली योग्य अधिशुल्क की राशि (₹ करोड़ में)
अजमेर	24/97(नवी0)	01.04.2009 से 31.03.2011	4,98,505	2.93
चित्तोड़गढ़	10/83	01.04.2008 से 31.03.2011	7,87,345	4.34
	24/92	01.04.2008 से 31.03.2011	8,04,326	4.68
कोटा	1/92	2006-07 से 2010-11	4,06,525	2.14
रामगंजमण्डी	1/95	21.02.2006 से 20.02.2011	44,191	0.22
सिरोही	6/94	2006-07 से 2010-11	18,40,366	9.11
योग			**43,81,258**	**23.42**

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये एवं सरकार को प्रतिवेदित (सितम्बर, अक्टूबर 2011 और मार्च 2012) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.4. लोक निर्माण ठेकेदारों द्वारा खनिज का अनाधिकृत उत्खनन व उपयोग

सरकार के आदेश दिनांक 8 अक्टूबर 2008 के अनुसार, लोक निर्माण ठेकेदार, निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता से कार्य में उपयोग किये जाने वाले खनिजों के लिए अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त करेगा। अल्पावधि अनुमति पत्र के बिना निर्माण में खनिज का उपयोग किये जाने के मामले मे सम्बन्धित निर्माण विभाग, बिना अल्पावधि अनुमति पत्र के उपयोग में लिए गये खनिज की कीमत जमा कराने के लिए उत्तरदायी हैं।

अल्पावधि अनुमति पत्र की अवधि पूरा होने के 15 दिनों के भीतर ठेकेदार, कार्य में वास्तविक उपयोग में लिये गये एवं अल्पावधि अनुमति पत्र में अधिकृत मात्रा, खनिजों के अधिशुल्क निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत करेगा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 63 के अनुसार यदि ऐसी मात्रा अल्पावधि अनुमति पत्र में स्वीकृत मात्रा से 25 प्रतिशत से अधिक हो तो उपयोग में लाये गये खनिज की सम्पूर्ण अधिक मात्रा की कीमत वसूल की जावेगी। इन नियमों के नियम 48 के अनुसार खनिज की कीमत संदेय अधिशुल्क दरों की दस गुना होगी।

7.7.4.1 17 खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों में संधारित लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को जारी अल्पावधि अनुमति पत्र साथ में 'जी' शिड्यूल[5] का प्रति सत्यापन में, यह ध्यान में आया (जून 2011 से मार्च 2012) कि 111 निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा 172 निर्माण कार्यों में खनिज चुनाई पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, ग्रेवल आदि का उत्खनन/उपयोग या तो अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त किये बिना अथवा अल्पावधि अनुमति पत्र में स्वीकृत मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक का किया गया। अवैध रूप से उत्खनित 99,737 मै.टन खनिज की कीमत राशि ₹ 11.83 करोड़ संगणित की गई, जो सम्बन्धित ठेकेदारों से वसूल नहीं की गई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये एवं सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त 2011 से मार्च 2012) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.4.2 दो खनि अभियन्ता कार्यालयों में संधारित अधिशुल्क कटौती एवं खनिज उपयोग पत्रावली की मापक जाँच में, यह ध्यान में आया (अगस्त एवं अक्टूबर 2011) कि ठेकेदारों द्वारा 276 निर्माण कार्यों में सम्बन्धित खनि अभियन्ता कार्यालयों से अल्पावधि अनुमति पत्रों को प्राप्त किये बिना खनिज का उत्खनन एवं

[5] लागत का सारांश।

उपयोग किया। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज पर, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एकल अधिशुल्क[6] की राशि की कटौती कर खान विभाग में जमा कराई गयी। चूंकि खनिज का उत्खनन एवं उपयोग बिना अल्पावधि अनुमति पत्र किया गया था, सम्बन्धित विभाग द्वारा दिनांक 08 अक्टूबर 2008 के आदेश के तहत खनिज की कीमत जमा करानी चाहिये थी, जबकि केवल अधिशुल्क राशि की वसूली की गई। गणना करने पर वसूली योग्य खनिज की कीमत ₹ 6.40 करोड़ थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

कार्यालय खनि अभियन्ता का नाम	काटी गई अधिशुल्क की राशि	खनिज की कीमत
अलवर	63.03	630.27
भरतपुर	0.94	9.42
योग	**63.97**	**639.69**

ध्यान में लाये जाने पर, विभाग ने बताया (सितम्बर एवं अक्टूबर 2011) कि सम्बन्धित निर्माण विभाग को चेतना पत्र जारी कर राशि की वसूली की जावेगी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये व सरकार को प्रतिवेदित (अक्टूबर एवं नवम्बर 2011) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.4.3 कार्यालय खनि अभियन्ता, सिरोही में संधारित निर्माण कार्य के ठेकेदारों को जारी अल्पावधि अनुमति पत्रों, साथ में 'जी' शिड्यूल/उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रति सत्यापन में, यह ध्यान में आया (अगस्त 2011) कि मुख्य अभियन्ता, जयपुर द्वारा (अगस्त 2008) मैसर्स शिव पूजा कन्सट्रक्शन (प्रा0) लि0 को सिरोही-मदार-दीमा सड़क को चालक गुणवत्ता, मजबूती एवं सुधार हेतु कार्य {(एसएच-27, 197/0 से 268/400 किमी (निर्माण, उपयोग एवं स्थानान्तरण के आधार पर)} आवंटित किया, जो कि 27 अगस्त, 2010 को पूर्ण हुआ। कार्यकारी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग डिवीजन, सिरोही द्वारा खनि अभियन्ता, सिरोही को जारी (20 अक्टूबर 2010) खनिज उपयोगिता प्रमाण-पत्र में, यह ध्यान में आया कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्यों में अल्पावधि अनुमति पत्र में अनुमत्य मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज ग्रिट/ब्लास्ट, ग्रेवल/बजरी, और साधारण मिट्टी, का उपयोग किया गया था। 'जी' शिड्यूल के आईटम नं. 5 के अनुसार 1,99,920 मै. टन (1,42,800 घ. मी. X 1.4) मिट्टी एम्बार्कमेन्ट के निर्माण कार्य के लिये आवश्यक थी, लेकिन ठेकेदार ने उसकी सम्पूर्ण मात्रा का उपयोग बिना अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त किये किया। अल्पावधि अनुमति पत्र में अनुमत्य मात्रा से अधिक या अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज की

[6] एकल अधिशुल्क का मतलब रा.अ.ख.रि.नि.,1986 के नियम 18(1)(बी) के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूची-I के अनुसार सम्बन्धित खनिज पर सरकार को देय अधिशुल्क की राशि।

गणना करने पर अधिशुल्क एवं कीमत की राशि ₹ 2.59 करोड़[7] वसूली योग्य थी, जिसकी वसूली नहीं की गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाखों में)

खनिज का नाम	प्रयुक्त की गयी खनिज की मात्रा (मै.टन)	अल्पावधि अनुमति पत्र के अनुसार खनिज की मात्रा (मै.टन)	अवैध खनिज की मात्रा (मै.टन)	अधिशुल्क की राशि			खनिज की कीमत
				वसूली योग्य	वसूली की गई	कम वसूली	
ग्रिट/बैलास्ट	2,67,266	67,000	2,00,266	26.73	6.70	20.03	200.27
ग्रेवल/बजरी	83,600	76,000	7,600	8.36	7.60	0.76	–
साधारण मिट्टी	1,99,920	28,000	1,71,920	4.00	0.56	3.44	34.38
योग				**39.09**	**14.86**	**24.23**	**234.65**

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये व सरकार को प्रतिवेदित (अक्टूबर 2011) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.5 खनन योजना/प्लान को अनुमोदित कराये बिना खनिज का उत्खनन

7.7.5.1 प्रधान खनिज

खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 22 अ(1) तथा खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के नियम 9 के अनुसार कोई भी पट्टेदार खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2)(6) के अन्तर्गत कराये गये अनुमोदित खनन योजना के बिना कोई व्यक्ति खनन प्रारम्भ नहीं करेगा। यदि अवैध रूप से खनिज का उत्खनन/निर्गमन करने पर इस अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत खनिज की कीमत सहित अधिशुल्क की राशि वसूल की जावेगी।

दो सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों गोटन एवं श्रीगंगानगर के रियायत, अधिशुल्क निर्धारण पत्रावलियों तथा उनके पक्ष में पट्टेधारियों द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणियों की मापक जाँच में, यह ध्यान में आया (जुलाई एवं नवम्बर 2011) कि 7 खनन पट्टाधारकों द्वारा 4,87,831 मै. टन खनिज जिप्सम और चाईना क्ले का खनन योजना को अनुमोदित कराये बिना उत्खनित व निर्गमित किया। श्रीगंगानगर के मामलें में यह पाया कि भारतीय खनिज ब्यूरो (आई.बी.एम.) ने भी टिप्पणी की (16.06.07) कि खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के नियम 12(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत खनन पट्टा संख्या 2/2000 के खनन पट्टाधारी द्वारा खनन योजना प्रस्तुत नहीं की है। बिना अनुमोदित खनन योजना/प्लान के खनिज जिप्सम एवं चाईना क्ले का

[7] (₹ 234.65 लाख + ₹ 24.23 लाख)।

उत्पादन अवैध था। जिसके कारण खनिज की कीमत ₹ 11.04 करोड़ वसूलनीय थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाखों में)

स.ख.अ. कार्यालय का नाम	खनन पट्टा संख्या	अवैध उत्पादन की अवधि	खनिज का नाम	अवैध उत्पादन (मै.टन में)	खनिज की कीमत
गोटन	1/03	1.1.10 से 4.3.11	चाईना क्ले	11,272	33.81
	3/04	24.3.10 से 23.3.11	-वही-	510	1.53
	6/04	7.4.10 से 1.8.10	-वही-	555	1.66
	1/05	7.9.10 से 31.3.11	-वही-	599	1.80
	16/05	14.11.10 से 31.3.11	-वही-	527	1.58
	10/05	17.11.10 से 31.3.11	-वही-	3,133	9.40
श्रीगंगानगर	2/2000	1.5.06 से 31.1.11	जिप्सम	4,71,235	1,054.64
योग				**4,87,831**	**1,104.42**

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये व सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त 2011 और दिसम्बर 2011) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.5.2 अप्रधान खनिज

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 18(10) के अनुसार पट्टेधार खानों के कार्यकरण तथा सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पट्टेधारी के कर्मचारियों की अथवा जनसाधारण की सुविधाओं को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों के संबंध में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गये समस्त विद्यमान अधिनियमों तथा नियमों और ऐसे अन्य अधिनियमों अथवा नियमों का जो समय-समय पर लागू किये जाये, का पालन करेगा। ग्रेनाईट संरक्षण एवं विकास नियम, 1999 और मार्बल विकास एवं संरक्षण नियम, 2002 के नियम 16 व 17 में प्रावधान है कि अनुमोदित खनन योजना के बिना कोई व्यक्ति खनन प्रारम्भ नहीं करेगा।

पांच सहायक खनि अभियन्ता/ खनि अभियन्ता कार्यालयों[8] के रियायत, अधिशुल्क निर्धारण पत्रावलियां तथा उनके पक्ष में मासिक विवरणियों की मापक जाँच में, यह पाया (जुलाई से नवम्बर 2011) कि 9 खनन पट्टाधारकों द्वारा 12,276 मै. टन खनिज मार्बल एवं ग्रेनाईट का अनुमोदित खनन योजना के बिना उत्खनित व निर्गमित किया, जो कि नियमों एवं प्रावधानों का उल्लंघन था। बिना अनुमोदित खनन योजना/खनन स्कीम के

[8] कोटपुतली, निम्बाहेड़ा, राजसमन्द-I, ऋषभदेव एवं सोजत सिटी

खनिज का उत्पादन अवैध था तथा जिसके कारण खनिज की कीमत ₹ 1.92 करोड़ वसूलनीय थी, जिसको वसूल नहीं किया गया।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये व सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त 2011 से दिसम्बर 2011) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.6 खनन पट्टे का अवैध रूप से किराये पर देना

खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 37 के अनुसार पट्टेधारी राज्य सरकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना खनन पट्टे का या उसके किसी अधिकार का स्वत्व, हित को समानुदेशन, उप पट्टों पर, बन्धक या किसी अन्य रीति से अन्तरण नहीं करेगा तथा ठेका या समझौता नहीं करेगा। जिसके कारण पट्टेधारी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा पट्टेधारी को छोड़कर वित्तीय व्यवस्था की जाये। जिससे पट्टेधारी की संक्रियायें क्रियान्वित की जा सके।

कार्यालय खनि अभियन्ता अजमेर के अभिलेखों की रियायत पत्रावलियों, अधिशुल्क निर्धारण पत्रावलियों तथा उनके पक्ष में मासिक विवरणियों की मापक जाँच में, यह पाया गया (जुलाई 2011) कि खनन संख्या 34/85 वास्ते खनिज क्वाटर्ज, फेल्सफार और वोलास्टेनाइट गांव अलीपुर के पास, तहसील पीसांगन जिला अजमेर में मैसर्स अरविन्द मिनरल्स (प्रोपराईटर-श्री अरविन्द कुमार गर्ग) के पक्ष में धारित था। खनन पट्टाधारी द्वारा (22 जून 2004) राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना सभी खनन अधिकार मैसर्स इण्डिगो मिनरल्स (फर्म) को हस्तान्तरित कर दिये। मैसर्स इण्डिगो मिनरल्स द्वारा 13 जुलाई 2006 से खनन कार्य करने लगा, जैसे कि खनन पट्टाधारी द्वारा फर्म को खनन पट्टे का अधिकार दे दिया हो। अधिशुल्क अभिलेखों के अनुसार गणना करने पर अवैध रूप से खनन कर निर्गमित खनिज की वसूली योग्य कीमत राशि ₹ 1.74 करोड़ थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाखों में)

अवधि	उत्खनित खनिज का नाम	मात्रा (मै.टन)	खनिज की कीमत
13.07.2006 से 12.07.2007	क्वाटर्ज	484.020	1.82
13.07.2007 से 12.07.2008	फैल्सफार	2,795.070	4.18
	वोलास्टेनाइट	16,382.905	168.26
योग			**174.26**

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया व सरकार को प्रतिवेदित (सितम्बर 2011) किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.7 अनाधिकृत रूप से उत्खनित व निर्गमित खनिज की कीमत की मांग कायमी का अभाव

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 18(9)(ग) के अनुसार पट्टेधारी अथवा अन्य कोई व्यक्ति बिना रवन्ना के खान तथा खदान से खनिज को हटायेगा नहीं अथवा निर्गमन नहीं करेगा अथवा उपयोग में नहीं लायेगा। इन नियमों के नियम 48(5) में प्रावधान है कि जब भी कोई व्यक्ति बिना विधिक प्राधिकार के खनिज निकालता है तो अधिशुल्क के साथ खनिज की कीमत जो कि तत्समय लागू अधिशुल्क की 10 गुणा होगी, वसूल की जावेगी।

कार्यालय खनि अभियन्ता, अलवर में विभाग द्वारा बनाये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं मांग अनुमोदन पत्रावलियों की मापक जाँच में, यह पाया (अगस्त-सितम्बर 2011) कि 16 प्रकरणों में खान एवं भू-विज्ञान, वन, एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार खनन पट्टाधारियों एवं दूसरे लोगों के द्वारा दिसम्बर 2007 से फरवरी 2011 में खनिज चुनाई पत्थर का अवैध रूप से उत्खनन कर बिना रवन्ना के निर्गमन किया, लेकिन विभाग द्वारा खनिज की कीमत के साथ अधिशुल्क राशि ₹ 7.91 करोड़ की मांग कायम नहीं की गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

निरीक्षण की अवधि	प्रकरणों की संख्या	विलम्ब का समय	अवैध रूप से उत्खनित/निर्गमन खनिज की मात्रा (मै.टन)	खनिज की कीमत (अधिशुल्क की दस गुणा) प्रति मै.टन	वसूली योग्य राशि (₹ करोड़ों में)
दिसम्बर-2007	4	4 वर्ष से अधिक	99,625.5	130	1.29
अक्टूबर-2010 एवं फरवरी-2011	12	6 से 2 माह	8,27,091.5	80	6.62
योग	**16**	–	**9,26,717.0**	–	**7.91**

प्रकरण एक से 5 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात अभी भी सरकार के पास निर्णय हेतु लम्बित हैं, परिणामस्वरूप खनिज की कीमत राशि ₹ 7.91 करोड़ की वसूली नहीं हुई। प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (अक्टूबर 2011) किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

सरकार को, प्रकरणों को निर्णित करने के लिये समय सीमा निर्धारित करनी चाहिये, जिससे सरकार देय राशि को समय पर वसूल कर सके।

7.7.8 खनिज की कीमत की मांग कम कायम/कायम नहीं करना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 65ए के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 10 जून 1994 के अनुसार भट्टा मालिक ईंट बनाने के लिए ईंट-मिट्टी के उपयोग हेतु अनुमति प्राप्त करेगा। अनुमति कम से कम एक वर्ष एवं अधिकतम पांच वर्ष के लिए होगी। ईंट-मिट्टी की वार्षिक मीट्रिक टन मात्रा के उपयोग हेतु सूत्र 150 दिन x 3.5 मीट्रिक टन x घोड़ियों की संख्या के अनुसार ईंट-मिट्टी पर अधिशुल्क की वसूली की जावेगी। आगे, इन नियमों के नियम 48 में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति विधिक प्राधिकार के बिना कोई खनिज किसी भूमि से निकालता है तो, वह निकाले गये खनिज के अधिशुल्क के साथ इसके मूल्य के भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

7.7.8.1 कार्यालय खनि अभियन्ता, जयपुर एवं कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर में विभाग द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन/पंचनामों की मापक जाँच के दौरान, यह ध्यान में आया (जून 2011 एवं फरवरी 2012) कि 49 भट्टा मालिकों द्वारा अपेक्षित अनुज्ञापत्र प्राप्त किये व अधिशुल्क का भुगतान किये बिना ईंट मिट्टी का अवैध रूप से उपयोग किया गया। विभाग द्वारा यद्यपि, मौका निरीक्षण के समय पर पाई गई ईंटों की वास्तविक मात्रा के आधार पर मांग कायम की गई, जबकि ईंट-भट्टे में एक वर्ष में उपयोग होने वाली ईंट-मिट्टी की कीमत की मांग की जानी थी। गणना करने पर वसूलनीय कीमत ₹ 3.94 करोड़ थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	पंचनामा का माह	वसूली योग्य कीमत[9]	विभाग द्वारा कायम मांग	कम मांग कायमी
1	खनि अभियन्ता, जयपुर	8	मई-2010 से फरवरी-2011	140.09	11.80	128.29
2	अधी. खनिज अभियन्ता, बीकानेर (ख. अ., बीकानेर)	41	अक्टूबर-2009 से मई-2010	278.77	13.41	265.36
योग				**418.86**	**25.21**	**393.65**

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये व सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त 2011 एवं फरवरी 2012) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

[9] एक वर्ष में ईट-मिट्टी का उपयोग करने की ईट-भट्टे की क्षमता के आधार पर राशि की गणना की गई है।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के परिपत्र दिनांक दिसम्बर 2004 के अनुसार पंचनामों में अवैध रूप से उत्खनित एवं निर्गमित खनिज के सभी प्रकरणों में कीमत की मांग कायम करने से पूर्व अधीक्षण खनि अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

7.7.8.2 कार्यालय खनि अभियन्ता, अलवर के निरीक्षण प्रतिवेदन की पत्रावली की मापक जाँच में, यह ध्यान में आया (सितम्बर 2011) कि खनि अभियन्ता द्वारा 23 फरवरी, 2011 को बनाये गये पंचनामें के अनुसार खनन पट्टाधारी श्री दिनेश चन्द्र सैनी तथा कैलाश चन्द्र सैनी द्वारा क्रमशः खनन पट्टा संख्या 110/98 एवं 111/98 के द्वारा 43,177.4 मै.टन[10] खनिज चुनाई पत्थर एवं ग्रेवल का खनन, पट्टा क्षेत्र के बाहर स्थित 6 पिटों से किया गया। खनन पट्टेधारियों को अवैध रूप से उत्खनित एवं निर्गमित खनिज की कीमत राशि ₹ 67.96 लाख[11] तथा ₹ 27.03 लाख[12] की वसूली के लिये चेतना पत्र (11 मार्च 2011) जारी किये। खनि अभियन्ता द्वारा (10 जून 2011) खनिज के अवैध उत्खनन एवं पंचनामा को सुनिश्चित करने एवं कीमत के अनुमोदन के लिये अधीक्षण खनि अभियन्ता, सर्कल-भरतपुर को भेजा गया। फिर भी अधीक्षण खनि अभियन्ता द्वारा खनिज की कीमत का अनुमोदन नहीं किया एवं राशि आज तक वसूली नहीं हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (अक्टूबर 2011) किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

[10] 43,177.4 मै.टन (12,285 चुनाई पत्थर + 30,892.4 ग्रेवल)।

[11] ₹ 67.96 लाख (30,892.4 मै.टन x ₹ 22 x 10)।

[12] ₹ 27.03 लाख (12,285 मै.टन x ₹ 22 x 10)।

7.7.9 राज्य सरकार के आदेश में कमी से अधिशुल्क की कम वसूली

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अनुसार खनन पट्टाधारी, इन अधिनियमों के अन्तर्गत अनुदानित खनन क्षेत्र से खनिज को हटाने या उपयोग करने पर अधिशुल्क का भुगतान करेगा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 63(1)के अनुसार खनि अभियन्ता/स.खनि अभियन्ता किसी व्यक्ति को, इन नियमों के नियम 18(1) के अन्तर्गत अधिसूचित दर से अधिशुल्क का भुगतान करने पर निश्चित समय में खनिज का उत्खनन एवं उपयोग करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र जारी कर सकेगा। अल्पावधि अनुमति पत्रधारी की जिम्मेदारी होगी की अल्पावधि अनुमति पत्र की अवधि की समाप्ति के 15 दिवस के भीतर अधिशुल्क निर्धारण के लिये रिकार्ड प्रस्तुत करेगा।

7.7.9.1 राज्य सरकार के आदेश दिनांक 8 अक्टूबर 2008 के अनुसार, सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने मे पूर्व निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज के लिये अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त करेगें, कार्य की प्रकृति के अनुसार कार्य की लागत पर निम्न प्रकार प्रतिशत के आधार पर अधिशुल्क की कटौती की जावेगी।

कार्य की प्रकृति	अधिशुल्क कटौती का प्रतिशत
सड़क निर्माण	1.75
भवन निर्माण	1.00
सड़क का पुनरूत्थान	0.75
अन्य कार्य जहां खनिज काम में आता है	0.50

राज्य सरकार का उक्त आदेश अधिनियम की धारा 9 के सपठित राजस्थान रियायत नियम, 1986 के नियम 63 एवं 18(1) के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि उक्त नियमों के अनुसार खनिज को हटाने या उपयोग में लेने से पूर्व अधिशुल्क का भुगतान अग्रिम में करना होता है। अधिशुल्क की राशि कार्य की प्रकृति की लागत पर प्रतिशत के आधार पर कटौती करने पर वास्तविक अधिशुल्क की राशि ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज पर देय अधिशुल्क की तुलना में बहुत कम थी।

चार खनि अभियन्ता/सहा.खनि अभियन्ता कार्यालयों में संधारित सार्वजनिक निर्माण कार्य के ठेकेदारों को जारी अल्पावधि अनुमति पत्रों, निर्माण आदेश, खनिज सप्लाई आदेश एवं 'जी' शिड्यूल की मापक जाँच के दौरान, यह ध्यान में आया (अक्टूबर 2011-मार्च 2012) कि 46 निर्माण कार्यों में 6,22,801 मै.टन ग्रेवल, चुनाई पत्थर, साधारण मिट्टी आदि का उपयोग किया गया था। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 8 अक्टूबर 2008 के आदेश के तहत निर्धारित प्रतिशत के आधार

पर अधिशुल्क की कटौती की गई, जो कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज की मात्रा के आधार पर वसूली योग्य अधिशुल्क की राशि से कम थी। जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाखों में)

ख.अभि./ स.ख.अभि. कार्यालय का नाम	निर्माण कार्य की संख्या	प्रयुक्त खनिज की मात्रा (अल्पावधि अनुमति पत्रों में अधिकृत के अनुसार) (मै.टन)	अधिशुल्क की राशि		अन्तर राशि
			कटौती (प्रतिशत के अनुसार)	(देय अधिसूची के अनुसार)	
बाड़मेर	16	86,012 (ग्रैवल)	1.75	9.02	7.27
जैसलमेर	5	84,015 (ग्रैवल, मुर्रम आदि)	4.03	13.34	9.31
सीकर	24	1,63,574 (ग्रैवल, मुर्रम आदि)	6.30	24.48	18.18
राजसमन्द I	1	2,89,200 (बजरी, ग्रैवल, गिटटी, साधारण मिट्टी)	28.51	41.87	13.36
योग	**46**	**6,22,801**	**40.59**	**88.71**	**48.12**

अत: राज्य सरकार का आदेश, अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के विपरीत होने के परिणामस्वरूप अधिशुल्क की राशि ₹ 48.12 लाख की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये एवं सरकार को प्रतिवेदित (अक्टूबर 2011 से मार्च 2012) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.9.2 तीन खनि अभियन्ता/सहा. खनि अभियन्ता कार्यालयों के निर्माण विभाग के उपयोगिता विवरणों एवं अधिशुल्क कटौती अभिलेखों की मापक जाँच में, यह पाया गया (अगस्त-दिसम्बर 2011) कि 29 सड़क निर्माण कार्यों में खनिज ग्रैवल उपयोग किया। सरकार के आदेश दिनांक 8 अगस्त 2008 के अनुसार निर्माण कार्य की लागत पर 1.75 प्रतिशत की दर से अधिशुल्क राशि की कटौती की गई, जो कि वास्तविक वसूली योग्य अधिशुल्क की राशि निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज ग्रैवल पर अधिमूचित दर से वसूली योग्य अधिशुल्क राशि मे ₹ 25.70 लाख

कम थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	ख.अभि./ स.ख.अभि. कार्यालय का नाम	निर्माण कार्य की संख्या	प्रयुक्त खनिज ग्रैवल की मात्रा (मै.टन में)	अधिशुल्क की राशि		अन्तर राशि
				कटौती 1.75 प्रतिशत की दर से	कटौती योग्य	
1	बालेसर	10	88,728	1.57	8.87	7.30
		5	59,850	0.94	5.99	5.05
2	नागौर	10	1,08,726	4.28	10.87	6.59
3	सलूम्बर	4	50,710	0.43	7.19	6.76
योग		**29**	**3,08,014**	**7.22**	**32.92**	**25.70**

अत: राज्य सरकार का आदेश, अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के विपरीत होने के परिणामस्वरूप अधिशुल्क की राशि ₹ 25.70 लाख की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान लाये गये एवं सरकार को प्रतिवेदित (अक्टूबर 2011 से जनवरी 2012) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.10 प्रशमन शुल्क की वसूली नहीं करने से राजस्व हानि

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के अनुसार कोई व्यक्ति किसी भी भूमि से बिना किसी विधिक प्राधिकार के खनिज उठाता है तो राज्य सरकार, खनिज की कीमत अधिशुल्क या कर, जैसा भी मामला हो वसूल कर सकती है। आगे, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2011 सपठित परिपत्र दिनांक 13 जनवरी 2011 के अनुसार ऐसे अवैध खनिज को ले जाने वाले प्रत्येक वाहन से ₹ 25,000 प्रशमन शुल्क वसूलनीय है।

कार्यालय खनि अभियन्ता, नागौर के चैक पोस्ट पंजिका की मापक जाँच के दौरान, यह ध्यान में आया (अगस्त 2011) कि 13 जनवरी 2011 एवं 31 मार्च 2011 के मध्य अवैध रूप से ले जा रहे खनिज जिप्सम की कीमत तथा उस पर देय अधिशुल्क की राशि 193 परिवहन वाहनों (ट्रेक्टर एवं ऊँट गाड़ी) से वसूल किये, लेकिन राज्य सरकार के दिनांक 13 जनवरी 2011 की अधिसूचना के प्रावधनों के अनुसार ₹ 25,000 प्रति वाहन प्रशमन शुल्क की राशि की वसूली नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 48.25 लाख[13] की हानि हुई।

[13] 48.25 लाख (193 वाहन x ₹ 25,000)।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (अक्टूबर 2011) किया गया। उनके उत्तर प्रतिक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.11 एस.एम.एस. ग्रेड चूनापत्थर के अधिशुल्क की कम वसूली

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(2) के अनुसार खनन पट्टाधारी खनन क्षेत्र से खनिज को हटाने या उपयोग करने पर किसी भी खनिज के सम्बन्ध में तत्समय निर्धारित दर से अधिशुल्क का भुगतान करेगा।

भारत सरकार द्वारा 13 अगस्त, 2009 से एस. एम.एस.ग्रेड चूनापत्थर जिसमें सिलिका की मात्रा 1.5 प्रतिशत से कम हो के लिये ₹ 72 प्रति टन तथा अन्य प्रकार के चूनापत्थर के लिये ₹ 63 प्रति टन निर्धारित की।

कार्यालय सहा. खनि अभियन्ता, जैसलमेर में रियायत, अधिशुल्क निर्धारण पत्रावलियों एवं मासिक विवरणियों की मापक जाँच के दौरान, यह पाया (मार्च 2012) कि मैसर्स राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि0 के पक्ष में दो खनन पट्टे वास्ते खनिज चूना पत्थर (स्टील ग्रेड) अनुदानित थे। खनन पट्टेधारी द्वारा एस.एम.एस.[14] ग्रेड चूनापत्थर की विभिन्न आकार की ग्रिट (10 से 30 एमएम, 30 से 80 एमएम, एवं दूसरे आकार की) जिनमें सिलिका की मात्रा 1.5 प्रतिशत से कम थी का उत्खनन कर निर्गमन किया।

कम्पनी द्वारा 30 से 80 एमएम आकार की ग्रिट के लिये ₹ 72 की दर से अधिशुल्क का भुगतान किया गया लेकिन 10 से 30 एमएम एवं दूसरे आकार की ग्रिट के लिये ₹ 63 प्रति मै.टन की दर से भुगतान किया। जिसके परिणामस्वरूप निम्नानुसार राशि ₹ 42.40 लाख की अधिशुल्क की कम वसूली हुई:

(₹ लाखों में)

खनन पट्टा संख्या	अवधि	निर्गमित खनिज की मात्रा मै.टन	वसूली योग्य अधिशुल्क ₹ 72 प्र.मै.ट.	वसूल अधिशुल्क ₹ 63 प्र.मै.ट.	अधिशुल्क की कम वसूली
27/96	01.04.10 से 31.03.11	2,47,327	178.08	155.82	22.26
1/97	01.04.10 से 31.03.11	2,23,736	161.09	140.95	20.14
योग		**4,71,063**	**339.17**	**296.77**	**42.40**

ध्यान में लाये जाने के पश्चात विभाग ने बताया (मार्च 2012) कि मांग कायमी के पश्चात राशि वसूली कर ली जावेगी।

[14] एस.एम.एस. इस्पात पिघालने वाला।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया व सरकार को प्रतिवेदित (मार्च 2012) किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.12 ब्याज का अनारोपण

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(2) एवं अप्रेल 2000 एवं मार्च 2008 को जारी सरकार के निर्देशों के अनुसार खनन पट्टाधारी महीने के दौरान निर्गमित खनिज पर देय अधिशुल्क का भुगतान करेगा। आगे, खान रियायत नियम, 1960 के नियम 64(ए) के अनुसार खनन पट्टेधारी को विलम्ब से भुगतान करने पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से नियत तिथि के 60 वें दिन से ब्याज का भुगतान, करना होगा।

(i) छः खनि अभियन्ता/सहा. खनि अभियन्ता कार्यालयों[15] के मांग एवं वसूली पंजिका की मापक जांच में, यह पाया (जून से अक्टूबर 2011) कि 22 प्रकरणों में देरी से/भुगतान नहीं करने पर ₹ 1.66 करोड़ की ब्याज की मांग कायम कर वसूली नहीं की गई।

ध्यान में लाये जाने के पश्चात, विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया एवं अवगत कराया कि राशि ₹ 84,423 की वसूली की जा चुकी है।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37(2) के अन्तर्गत अधिक अधिशुल्क संग्रहण संविदा की नियमों एवं शर्तों के अनुसार ठेकेदार को संविदा की किश्तों का भुगतान प्रत्येक माह के 10वें दिन तक पूर्व में जमा कराना होगा। जमा कराने में विलम्ब होने पर विलम्ब की अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

(ii) तीन खनि अभियन्ता कार्यालयों[16] की मांग एवं वसूली पंजिका की मापक जांच में, यह पाया (जुलाई से अक्टूबर 2011) कि 17 प्रकरणों में ब्याज की राशि ₹ 32.62 लाख की मांग कायम नहीं की गई।

ध्यान में लाये जाने के पश्चात, विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया एवं अवगत कराया कि 10 प्रकरणों में राशि ₹ 21.20 लाख की मांग कायम की जा चुकी है।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 61 के प्रावधान अनुसार अधिशुल्क, स्थिर भाटक आदि के भुगतान में विलम्ब करने पर 15 दिवस के पश्चात 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

(iii) कार्यालय खनि अभियन्ता, जयपुर के मांग एवं वसूली पंजिका की मापक जांच में, यह पाया (जून 2011) कि 67 ईट-भट्टों के मालिकों के प्रकरणों में किश्तों का विलम्ब से भुगतान

[15] अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जयपुर एवं सिरोही।
[16] बीकानेर, जयपुर एवं सोजत सिटी

करने पर ब्याज की राशि ₹ 6.10 लाख की मांग कायमी कर वसूली नहीं की गई।

ध्यान में लाये जाने के पश्चात, खनिज अभियन्ता (जून 2011) ने बताया कि राशि वसूल कर ली जावेगी ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये एवं सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त एवं नवम्बर 2011) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.13 बिना अभिवहन पास के खनिज का निर्गमन

राजस्थान खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2007 के नियम 3 एव 11 के अनुसार कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन व्यवहारी के रूप में पंजीकृत हुए बिना खनिज या खनिजों/अयस्कों को खरीदनें, बेचने, भण्डारण करने, वितरण करने या प्रसंस्करण करने का प्रत्यक्ष या अन्यथा या खनिज/खनिजों और/या उनके संघटकों का कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित खनि अभियन्ता/स.खनि अभियन्ता से अभिवहन पास प्राप्त किये बिना किसी भी स्थान से किसी खनिज का परिवहन नहीं करेगा या उसे नहीं ले जायेगा। जब कोई भी इन नियमो के प्रावधान के विरूद्ध होने पर खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। उक्त अधिनियम की धारा 21(5) के अनुसार जब खनिज का निर्गमन/उत्खनन अवैध रूप से होने पर चूककर्ता से खनिज की कीमत मय अधिशुल्क के साथ वसूली योग्य होगी।

कार्यालय स.खनि अभियन्ता, श्रीगगांनगर के निरीक्षण प्रतिवेदनों की मापक जांच के दौरान, यह ध्यान में आया (जुलाई 2011) कि मै0 श्री सीमेन्ट लि0 ने अवधि 26 जनवरी एवं 19 अप्रेल 2010 के मध्य 8,211.91 टन जिप्सम का बिना अभिवहन पास के निर्गमन किया। फर्म का यह कार्य राजस्थान खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2007 के विपरीत था। अधिशुल्क के साथ खनिज की कीमत राशि ₹ 29.56 लाख[17] भी वसूलनीय थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त 2011) किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

[17] ₹ 29.56 लाख (कीमत 8211.91 मै.टन x ₹ 300 + अधिशुल्क 8211.91 मै.टन x ₹ 60)

7.7.14 स्टोन क्रेशरों पर उपयोग में लिए खनिज की कीमत की मांग कायम नहीं करना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 69 में प्रावधान है कि कर निर्धारण अधिकारी खनिज का उपयोग करने वाले तथा/अथवा राज्य में खनिज में व्यवहार करने वाले किसी भी पक्षकार को बुला सकेगा और आवश्यक सूचना मांग सकेगा। कोई भी व्यक्ति जो खनिजों का करोबार करता है और उसके द्वारा क्रय की गई, स्टाक की गई तथा बिक्रीत खनिजों के सही लेखे का संधारण करेगा और ये अभिलेख, यदि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे। इसमें विफल रहने पर कर निर्धारण प्राधिकारी इन नियमों के नियम 48 (5) के अनुसार व्यवहारी से खनिज की कीमत के साथ अधिशुल्क भी वसूल कर सकते हैं। खनिज की कीमत की गणना संदेय अधिशुल्क दरों की दस गुना के रूप में की जावेगी।

खनि अभियन्ता, जयपुर एवं सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर के निरीक्षण प्रतिवेदनों की मापक जाँच के दौरान, यह ध्यान में आया (जून एवं दिसम्बर 2011) कि जनवरी 2006 एवं मई 2010 के बीच 31 स्टोन क्रेशर्स के निरीक्षण के दौरान 23,492 मै.टन खनिज चुनाई पत्थर व क्रेशर ग्रिट स्थल पर पाई गई, किन्तु खनिज क्रय के स्रोत क्रेशर मालिकों द्वारा उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी करने के बावजूद भी अवगत नहीं कराये गये। विभाग द्वारा निचे दिये गये विवरण के अनुसार खनिज कीमत के साथ अधिशुल्क ₹ 25.56 लाख की मांग

कायम नहीं की गई:

खनि अभियन्ता/ स.खनि अभियन्ता का नाम	निरीक्षण की अवधि	प्रकरणों की संख्या	अवैध रूप से उत्खनित/ निर्गमित खनिज की मात्रा (मै.टन)	खनिज की कीमत (अधिशुल्क की दस गुणा) प्र.मै.टन (₹)	वसूलनीय राशि (₹ लाखों में)		
					कीमत	अधिशुल्क	योग
बालेसर	23.07.2008 से 23.08.2009	2	16,792	100	16.79	1.68	18.47
जयपुर	30.01.2006 से 30.08.2006	4	1,315	80	1.05	0.11	1.16
	14.12.2007 से 29.05.2010	25	5,385	100	5.39	0.54	5.93
योग		**31**	**23,492**		**23.23**	**2.33**	**25.56**

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये एवं सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त 2011 एवं जनवरी 2012) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.15 संविदा निष्पादन के अभाव में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की हानि

भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के अनुसार किसी भी प्रकार के स्थायी सम्पत्ति का एक साल से अधिक की अवधि के पट्टे का पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। आगे, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 24 नवम्बर 1993 में स्पष्ट किया कि पट्टा विलेख के निष्पादन पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क देय है।

कार्यालय निदेशक, पेट्रोलियम, राजस्थान, जयपुर के रियायत पत्रावलियों/स्वीकृत आदेश पत्रावलियों की मापक जांच में, यह ध्यान में आया (जून 2011) कि अक्टूबर 1997 एवं जून 2010 के मध्य 10 खनन पट्टे वास्ते खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिये स्वीकृत किये गये, जोकि 20 वर्ष के लिये प्रभावी थे। फिर भी, पट्टा विलेखों का निष्पादन एवं पंजीयन नहीं कराने के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की राशि ₹ 88.83 लाख की वसूली नहीं हुई।

ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, विभाग ने अवगत कराया (जून 2012) कि केन्द्र सरकार द्वारा समझौता प्रपत्र का अनुमोदन नहीं किये जाने के कारण पट्टा विलेखों का निष्पादन तथा पंजीयन नहीं कराया गया। केन्द्र सरकार द्वारा मसौदा समझौता प्रपत्र के अनुमोदन के पश्चात् पट्टा विलेखों के निष्पादन पर मुद्रांक कर की वसूली कर ली जायेगी।

तथापि, तथ्य यह है कि दो से 13 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी समझौता विलेखों का निष्पादन नहीं होने के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की राशि ₹ 88.83 लाख की वसूली नहीं हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जुलाई 2011) किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

(राजेन्द्र चौहान)
प्रधान महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अ'

(सन्दर्भः अनुच्छेद संख्या 1.2.4)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गए एवं जन लेखा समिति में चर्चा हेतु 30 सितम्बर 2012 को बकाया अनुच्छेदों की स्थिति

कर का नाम	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	योग
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	14	11	5	10	8	9	57
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	2	3	5	10	8	9	37
मोटर वाहनों पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	6	6	9	3	4	5	33
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	9	3	4	5	21
भू-राजस्व	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	2	1	5	-	3	3	14
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-	-	3	3	06
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	3	3	6	4	5	-	21
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-	-	5	-	05
राज्य आबकारी शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	2	5	4	4	2	1	18
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-	-	2	1	03
खनन	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	9	10	8	18	1 (एकल प्रतिवेदन)	10	56
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-	18	1	10	29
अन्य	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	3	5	2	9	5	3	27
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	1	-	1	-	5	3	10
योग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	**39**	**41**	**39**	**48**	**28**	**31**	**226**
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	**3**	**3**	**15**	**31**	**28**	**31**	**111**

परिशिष्ट 'ब'
(सन्दर्भः अनुच्छेद संख्या 1.2.4)

30 सितम्बर 2012 को विभागों से बकाया क्रियान्विति विषयक टिप्पणियों की स्थिति

क्र. सं.	जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों के क्रमांक	विधानसभा में उपस्थापित की दिनांक	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	बकाया क्रियान्विति विषयक टिप्पणियों की संख्या
1	210 वां प्रतिवेदन 2003-04	25.8.2003	देवस्थान	1997-98	14
2	251 वां प्रतिवेदन 2007-08	17.3.2008	खान	2001-02	08
3	252 वां प्रतिवेदन 2007-08	17.3.2008	खान	2002-03	10
4	51 वां प्रतिवेदन 2010-11	31.8.2010	जल संसाधन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग	2005-06 एवं 2006-07	01
5	52 वां प्रतिवेदन 2010-11	15.3.2011	जल संसाधन	2003-04	09
6	65 वां प्रतिवेदन 2010-11	15.3.2011	देवस्थान	2004-05	13
7	66 वां प्रतिवेदन 2010-11	15.3.2011	परिवहन	2005-06	17
8	67 वां प्रतिवेदन 2010-11	15.3.2011	परिवहन	2006-07	09
9	87 वां प्रतिवेदन 2010-11	15.3.2011	वन	2005-06 एवं 2006-07	06
10	84 वां प्रतिवेदन 2011-12	26.08.2011	परिवहन	2004-05	10
11	106 वां प्रतिवेदन 2011-12	26.08.2011	भू-विज्ञान	2004-05 एवं 2006-07	03
12	131 वां प्रतिवेदन 2011-12	29.02.2012	पंजीयन एवं मुद्रांक	2007-08	10
13	132 वां प्रतिवेदन 2011-12	29.02.2012	पंजीयन एवं मुद्रांक	2005-06	08
14	133 वां प्रतिवेदन 2011-12	29.02.2012	नगरीय विकास	2008-09	14
15	135 वां प्रतिवेदन 2011-12	29.02.2012	पंजीयन एवं मुद्रांक	2008-09	12
16	139 वां प्रतिवेदन 2011-12	29.02.2012	भू-राजस्व एवं विद्युत	2005-06	09
17	154 वां प्रतिवेदन 2011-12	28.03.2012	खान	2004-05	15
18	155 वां प्रतिवेदन 2011-12	28.03.2012	खान	2005-06	11
19	156 वां प्रतिवेदन 2011-12	28.03.2012	खान	2006-07	10
योग					**189**